राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चवालीसवां दिवस [संख्या : 22

बुधवार

09 मई, 2001

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का समय पर आयोजन

506. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से ये प्रयास किये जाते हैं कि सभी विभागों में पदोन्नति के मामले तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करके समय पर उक्त मामलों का निस्तारण किया जाए? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कदम उठाये गये तथा इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि समय पर विभागों द्वारा पदोन्नति के मामले तय नहीं किये जाते जिसके कारण विवाद पैदा हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश विभागों में लम्बे समय से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो किस-किस विभाग में किस-किस वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति होना कब-कब से बकाया है और कब तक हो सकेगी?

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी, हां। सभी सेवा नियमों में वर्षवार रिक्तियां अवधारित कर पदोन्नति अभ्यांश की रिक्तियों को उसी वर्ष पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरने का प्रावधान है। प्रत्येक विभाग की सेवाओं में रिक्त पदों को समय पर भरे जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभागों का है। पदों को भरने की प्रक्रिया नियमों में विहित है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

(2) कतिपय मामलों में न्यायिक वादों, विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश पारित करने, संवर्ग का मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा पुनरावलोकन होने तक वरिष्ठता निर्धारण के विवादों का निस्तारण नहीं होने तथा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया

(कार्मिक मंत्री)

विचाराधीन होने आदि कारणों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर आयोजित नहीं हो पाती हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर आयोजित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभागों का है और सभी विभागों द्वारा समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास भी किये जाते हैं। लेकिन उपरोक्त वर्णित अपरिहार्य कारणों से देरी होने की स्थिति में किसी अधिकारी विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) प्राप्त सूचना के अनुसार जिन विभागों की पदोन्नति समिति की बैठकें सम्पन्न नहीं हो पाई हैं, की सूची संलग्न है। लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कब तक हो पाएगी, यह प्रत्येक प्रकरण की स्थिति पर निर्भर करता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने काफी लम्बी सूची दी है, इससे जाहिर है कि मेहनत तो इन्होंने कुछ की है। आपने पहले नम्बर के सवाल में जो जवाब दिया है उसमें पहला तो आपने यह बताया है कि संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है और आगे आपने यह लिखा है कि इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब आपका नियंत्रण इस मामले में है तभी तो आप निर्देश जारी करते हैं। आप द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना किस सीमा तक होती है, इस मामले में आप बताएं और पालना नहीं होती है तो आप क्या करते हैं? अगर आपके आदेशों की पालना नहीं होती है तो फिर आप निर्देश किस बात के जारी करते हैं?

दूसरा, जो सूची आपने दी है इसमें 1983-84 तक के दो मामले हैं जिसमें 1982-83 की भी आपकी भू-जल विभाग की डी.पी.सी. पैंडिंग है। 1982-83 के लिए जो आपने कारण गिनाये हैं न्यायालयों से स्थगन आदेश, ये 20-20 साल तक तो कोई आदेश रहते नहीं हैं। दूसरा आपने यह बताया है कि इसमें किसी की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जा सकती है। यह बात भी मेरे को उचित नहीं लगती है। आप अगर मामलेवाइज इसमें विश्लेषण करें तो कोई न कोई अधिकारी की गलती तो होगी। जो आपने ऊपर कारण बताये इसके बिना भी कई ऐसे मामले होंगे जिनमें समय पर डी.पी.सी. नहीं होती।

आपकी सूची के अनुसार 62 नम्बर पर जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि कब से पैंडिंग है। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर, इसमें कब तक हुई है कि नहीं हुई है, क्या है इस बारे में आपने आगे कुछ नहीं लिखा है।

श्री तुलसीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो सूची मैंने दी है उसमें कुछ विभागों में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

डी.पी.सी. लम्बे समय से नहीं हुई है। उसके कई कारण हैं, जैसे सांख्यिकी विभाग में अन्य विभागों के पदों की समीक्षा नहीं होने के कारण नहीं हुई। निदेशक, अल्प बचत की डी.पी.सी. 1989 से नियम न बनने के कारण लम्बित है। निदेशक, राज्य अभिलेखागार की डी.पी.सी. इसलिए नहीं हो पायी कि वहां सेवा का रिवीजन नहीं हुआ है उसके कारण यह लम्बित है। निदेशक, संस्कृत शिक्षा, प्रधानाध्यापिका प्रवेशिका की डी.पी.सी. 1992-93 से लेकर अब तक इसलिए नहीं हुई कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश अभी तक जारी हैं। इसी तरीके से निदेशक, खान विभाग में पारस्परिक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं मिलने के कारण से नहीं हुआ है। इसी प्रकार से भेड़ और पशु पालन विभाग के विलीनीकरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं होने के कारण से अभी तक डी.पी.सी. नहीं हो पायी है। ऐसे अनेक कारण रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह तो अब हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कई विभागों में इसी तरीके से उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश आने के कारण...(व्यवधान) पूरी बता देता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जो उत्तर दिया उसमें सूची के 52 नम्बर पर आप देख लीजिये, 1982-83 से पैंडिंग है, इसके बारे में बता दीजिये और एक अंतिम जो आपने चिकित्सा विभाग वाला बताया है वह बता दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग में राज्य सेवा की डी.पी.सी. 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 में इसलिए नहीं हो पायी कि सहायक अभियंताओं की डी.पी.सी. होना शेष है जिसका कारण पदों की समीक्षा नहीं होना है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों से मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने तमाम राजस्थान के विभागों की समीक्षा की।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं जो पूछ रहा हूं उस बात को छोड़ रहे हैं। इससे आगे पढ़ें आप, 1982-83 की यह जो सूची आपने पढ़ी है भू-जल विभाग की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, मैं अभी पहले पार्ट का जवाब दे रहा हूं, अधीनस्थ सेवा की जो है। 1982-83 में एक और 1990-91, 1993-94 के वर्षों में इसलिए नहीं हो पायीं कि अधीनस्थ सेवाओं में अभी तक पदों की समीक्षा नहीं होना बताया है। इस कारण से यह विशेष उल्लेख आपने किया है। हम कार्मिक विभाग की तरफ से संबंधित प्रशासनिक विभाग को पर्याप्त निर्देश जारी करके जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने मेडिकल का तो नहीं बताया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल की हमारे पास जानकारी लम्बित है। यह था कि तमाम विभागों की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पूरे राजस्थान की सूची उन्होंने चाही थी। इतने संक्षिप्त समय में जितनी जानकारियां मैं उपलब्ध करवा सकता था उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कटारिया जी, आप बैठिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट में सन् 1995-96 के बाद में सीनियर मेडिकल आफिसर की, जूनियर स्पेशलिस्ट, जोइंट डायरेक्टर्स की, सी.एम.एच.ओ. की एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर की डी.पी.सी. नहीं हुई है, उसके कारण से सैकड़ों पद इस विभाग में खाली पड़े हैं। दो तो डायरेक्टर के पद खाली पड़े हैं, तीन एडिशनल डायरेक्टर के पद खाली पड़े हैं। 19 पद जोइंट डायरेक्टर के खाली पड़े हैं। सी.एम.एच.ओ. के लगभग दो दर्जन के आसपास खाली पड़े हैं जहां लोग एड्हाक काम कर रहे हैं। और एस.एम.ओ. और जूनियर स्पेशलिस्ट की तो गिनती ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेडिकल की डी.पी.सी. आप कब तक सुनिश्चित करवा देंगे और इन पदों को कब तक भरवा देंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है मंत्री जी से, यहां...

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह साफ पूछा है मेडिकल कालेज और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बारे में आप कह रह हैं कि मुझे सूचना नहीं मिली, कहां से लानी थी सूचना? जब आपने कलक्टरों से सूचना संग्रहीत कर ली, फिर आप मानसिंह चिकित्सालय से सूचना नहीं ला सके? यह कोई उत्तर हुआ है कि हमको सूचना नहीं मिली? आपको जयपुर की जयपुर में सूचना लानी है वह तो आपको मिली नहीं और सारे कलक्टर्स से आपने मंगाकर दे दी। यह कोई उत्तर हुआ है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, दो बातें हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रेषित कर रहे हैं। कार्मिक विभाग यह कह कर दूर नहीं हो सकता कि वरिष्ठता सूची संबंधित विभाग के तय करने का काम है। डी.पी.सी. आप बैठाते हैं वह ठीक है, मुख्यतया आपने दो आधार पकड़े हैं एक तो न्यायालयों में लम्बित मामले और दूसरी सीनियोरिटी लिस्ट डिसाइड नहीं की गयी डिपार्टमेंट में। आप कहते हैं कि आपका नियंत्रण नहीं है, यह जवाब बिलकुल असंतोषजनक है क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली रेस्पोंसिबिलिटी तो फिक्स अप करनी पड़ेगी क्योंकि हैड आफ द डिपार्टमेंट है, सेवा नियमों के अन्तर्गत आपको पूरे पावर्स हैं कि उसकी रेस्पोंसिबिलिटी आप फिक्स अप कर सकते हैं। क्यों नहीं उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट डिसाइड की? इतना लम्बा-चौड़ा सवाल है, पर्टीकुलरली हो सकता है आपके

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सूचना संकलित नहीं हो सकी हो लेकिन यह सूचना तो आ गई आपके पास। फिर हाई कोर्ट का नाम लेकर चले, वहां भी आपके आफिसर इन्चार्ज रहते हैं। मैं यही दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप घुमा फिराकर इल्यूसिडेट कर रहे हैं। आपको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सप्लीमेंट्री ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्य और भी हैं, आप स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो ही सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं कि क्या कार्मिक विभाग का नियंत्रण सभी विभागों के ऊपर सर्विस कण्डीशंस के मामले में है या नहीं? क्या कार्मिक विभाग का उत्तरदायित्व बनता है या नहीं बनता कि वह यह देखे कि सम्बन्धित विभाग के अंदर वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया गया है या नहीं? क्या यह कार्मिक विभाग का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह यह देखे कि किसी न्यायालय में लम्बित प्रकरण को ठीक प्रकार से विभाग फोलो कर रहा है या नहीं कर रहा है या स्टे के नाम से लगा रखा है? मंत्रीजी, इसमें कई लोग तो रिटायर हो गए, आप कब डी.पी.सी. करेंगे, कब सीनियरिटी डिटरमिन करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मूल प्रश्नकर्ता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां-जहां डी.पी.सी. बाकी रही है उसके बारे में समय-समय पर कार्मिक विभाग के सचिव और मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की जाती है और उनको पर्याप्त निर्देश दिए जाते हैं। यह इतना लम्बा प्रोसेस है कि सबसे पहले तो कई बार सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी स्वयं ही अपनी ए.सी.आर. दो-दो, तीन-तीन साल तक नहीं भरते हैं। जब तक ए.सी.आर. प्राप्त न हो सारे संवर्ग की तो उनकी डी.पी.सी. करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, राजस्थान लोक सेवा आयोग में जब इन्टरव्यू वगैरह चलते हैं तो वहां मैम्बर्स नहीं आते...

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल-सा प्रश्न है, मैंने सूची के आइटम नम्बर 62 में पूछा, आप यह भूमिका क्यों बता रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूं कि इस बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो मैंने बता दिया। मेरे पास जिन विभागों की...

श्री हरज़ीराम बुरड़क : मेडिकल कालेज, सवाई मानसिंह अस्पताल, इसमें सिर्फ, इतना-सा ही सवाल है। इस बारे में आपने खाली—

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जैसा मैंने आपके माध्यम से बताया, मेरे पास सूचना लम्बित है, मेरे पास जैसे ही सूचना प्राप्त होगी मैं उनको अलग से भिजवा दूंगा।

जहां तक मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है और बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं मुख्य सचिव को निर्देश देकर पूरे विभागों की समीक्षा करवाऊंगा और जिन-जिन डिपार्टमेंटों की डी.पी.सी. रुकी हुई है किन्हीं कारणों से उन सबको करवाने का पूर्ण प्रयास करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिन्होंने रोकी उनकी आप रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स-अप करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दे दिया आपको मंत्रीजी ने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जो सूची आपने उपलब्ध करवाई है उसको देखने से एक चीज स्पष्ट निकलती है कि जितने भी सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं, चाहे थर्ड ग्रेड का हो या अधीनस्थ कर्मचारी हो, पुस्तकालयाध्यक्ष हो, इन सूची में वे ही लोग सबसे ज्यादा डी.पी.सी. से वंचित रहे हैं। जैसा आपने अभी मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग का बताया। अधीनस्थ सेवा कालेज एजुकेशन में भी पुस्तकालयाध्यक्ष 1993-94 से लेकर अब तक और मंत्रालयिक कर्मचारियों का भी इसी तरह से है। इसी प्रकार से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर का 1995 से बाकी है। सामान्यतया सूची को देखने से एक बात स्पष्ट हुई है कि जो नीचे की श्रेणी में, पे-स्केल में है उसी में डी.पी.सी. सबसे ज्यादा लम्बित है। इसका कारण क्या है? दूसरा यह कि इसमें आपने शिक्षा विभाग को सम्मिलित नहीं किया, उसका क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा—

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न उठाया है वह वास्तव में गम्भीर है, वास्तविकतापूर्ण प्रतीत होता है। मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पांचवें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि वेतन बढ़ाते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि प्रशासनिक व्यय किस तरह से कम किया जाए। कितने ही पद बना दिए गए कि इनको काबू में करना बड़ा मुश्किल है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने प्रशासनिक सुधार आयोग बना रखा है, आपने स्वीकार भी किया है कि अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा तो इस बात की करेंगे कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

वास्तव में पदोन्नति डी.पी.सी. से हो रही है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपकी क्या इच्छा है, आपका इसमें डिटरमिनेशन है क्या कि आगे इनकी संख्या को कम करेंगे? अधिकारी इतने हो गए हैं कि डी.पी.सी. कभी नहीं होगी। इसमें एक दूसरे का इन्टरेस्ट आपस में क्लैश करता है, होने ही नहीं देते। आप हजार कोशिश कर लें, कई राज आए, कई चले जाएंगे लेकिन डी.पी.सी. की शिकायत दूर नहीं होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं कि आपने प्रशासनिक सुधार आयोग बना रखा है, आपने बड़ी शक्तियां दी है, वह भी बड़ी मेहनत करके आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या आप उनसे कहेंगे कि इन अधिकारियों की संख्या के बारे में वह समीक्षा करे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए? रोज आप पद क्रिएट करते जा रहे हैं, नीचे से घटाते जा रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक तो यह कहा कि कालेज शिक्षा निदेशक के यहां पुस्तकालयाध्यक्ष की डी.पी.सी. 1993-94 से नहीं हुई। माननीय सदस्य स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, उस समय की डी.पी.सी. जो नहीं हुई, अभी वर्तमान में नहीं हुई इसके कारण तो बहुत साफ हैं।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है और पूछा है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि पदोन्नति के पद इतने रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। हमारे राज्य में वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी हुई है, वह पूरे विभागों की समीक्षा कर रही है कि पदोन्नति के पद कितने रहने चाहिए और कितने नहीं रहने चाहिए। जिन-जिन विभागों की समीक्षा हो चुकी है उनकी डी.पी.सी. भी निरन्तर हुई है। अभी इन दो-तीन वर्षों में डी.पी.सी. नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि मंत्रिमण्डलीय समिति से जो-जो विभाग क्लीयर हो चुके हैं उनकी डी.पी.सी. हो चुकी है और जिनकी समीक्षा नहीं हुई है वे विभाग बाकी हैं। फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं कि जिन-जिन विभागों की समीक्षा मंत्रिमण्डलीय समिति ने कर ली है। उनकी डी.पी.सी. जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपने 65 विभागों का उल्लेख किया है अपनी सूची के अंदर जिनकी डी.पी.सी. पैंडिंग है और उसमें मुख्य कारण आपने न्यायिक विवाद भी बताया, मंत्रिमण्डलीय समिति के कैडर रिव्यू की बात भी आपने कही। मैं जानना चाहता हूं कि न्यायिक विवाद के कारण कितने विभागों के अंदर डी.पी.सी. लम्बित है और कितने विभागों की मंत्रिमण्डलीय उप समिति से रिव्यू कराना बाकी है? क्या आप यह मानते हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि जिन 65 विभागों की डी.पी.सी. आपने बाकी मानी है उनमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कोई न कोई उचित कारण से डी.पी.सी. रुकी हुई है? क्या यह सही है कि जिन विभागों में लम्बे समय से डी.पी.सी. नहीं हुई, जिन अधिकारियों का उत्तरदायित्व था, आपने एक भी अधिकारी के विरुद्ध नोटिस जारी नहीं किया, स्पष्टीकरण नहीं पूछा। कृपया बताएं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में बताया, सांख्यिकी विभाग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सांख्यिकी विभाग का नहीं, टोटल पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जिन-जिन विभागों में लम्बे समय से पैंडिंग है उनके बारे में बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो मुझे यह बता दें कि न्यायिक विवाद के कारण कितनी डी.पी.सी. लम्बित हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : निदेशक, संस्कृत शिक्षा में प्रवेशिका विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की डी.पी.सी. 1992-93 से राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रिमण्डलीय समिति के पुनरावलोकन की बात भी आप बता दें कि कितने विभागों का पुनरावलोकन नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष : और भी होंगे ऐसे आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसी तरह से निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग में प्रोफेसर की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं मिलने तथा सृजित पदों की समीक्षा न होने के कारण नहीं हुई है। 39 नम्बर पर निदेशक, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान के सेवा नियम अभी नहीं बने हैं, राजस्थान सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं, अतः डी.पी.सी. सम्भव नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो पूछ रहा हूं कि मंत्रिमण्डलीय समिति में पुनरावलोकन के लिए कितने बाकी हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : बहुत जल्दी समीक्षा करवाकर डी.पी.सी. करवा देंगे, मेन बात तो यही है, अब क्या उसमें सप्लीमेंट्री बाकी रह गया?

श्री बुलाकीदास कल्ला : निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, जयपुर, इसकी वरिष्ठता सूची के विवाद का प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण पैंडिंग है। इसी तरह आर.ए.एस.सुपर टाइम स्केल की डी.पी.सी. है, वह भी न्यायालय में मामला लम्बित होने से लम्बित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो संख्या चाही है, न्यायिक विवाद के कारण कितने विभागों में डी.पी.सी. नहीं हो रही और मंत्रिमण्डलीय उप समिति के पास कितने विभागों का रिव्यू पैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : आप संख्या से क्या करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने स्पेसिफिक पूछा है, साहब संख्या पूछी है।

श्री अध्यक्ष : वे कोर्ट के स्टे आर्डर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा है।

श्री अध्यक्ष : यह बात इन्होंने कह दी है, आप जानते हो कोर्ट केस के अंदर तो स्टे कई मामलों में दिये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रिमण्डलीय उप समिति में पुनरावलोकन के नाम पर कितने विभागों की डी.पी.सी. पैंडिंग है, इतनी सी चीज की जानकारी चाहिए। मंत्रिमण्डलीय उप समिति के नाम पर आप कब तक लोगों को डी.पी.सी. से वंचित करते रहेंगे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि पदों की समीक्षा की जानी चाहिए। जो पद बेकार हैं, जिन पदों की आवश्यकता नहीं है राज्य में, जिनका वित्तीय भार है, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। 1982-83, 1988-89, 1992-93, 1993-94 इनकी वेकेंसीज तो आपकी देन है और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि दो-दो साल, तीन-तीन साल की डी.पी.सी. नहीं हुई। यह एक प्रक्रियात्मक बात है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। डी.पी.सी. हम लोगों ने, जैसे जिला कलक्टर, जयपुर, इसकी डी.पी.सी. केवल 2000-2001 की ही बकाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 65 विभाग हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसी तरीके से जिला कलक्टर, बीकानेर की केवल 2000-2001 की बकाया है। हमने डी.पी.सी. करवायी हैं, लेकिन डी.पी.सी. समीक्षा के कारण नहीं हुई है तो वह जल्दी से जल्दी करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामलाल गुर्जर।

ग्राम भोजपुरा (भीलवाड़ा) में महादेवजी के मंदिर की भूमि का बेचान

507. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम भोजपुरा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा में महादेवजी के मंदिर की खुद काश्त भूमि का पुजारी ने बेचान कर दिया है?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि को वापस मूर्ति के नाम दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या मंदिर के नाम की भूमि का बेचान करना अनुचित है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया) (श्रीमती इन्दिरा मायाराम, देवस्थान राज्य मंत्री के स्थान पर) : यह मंदिर देवस्थान विभाग से प्रबंधित और नियंत्रित नहीं है, इसलिए इस बारे में देवस्थान विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामलाल गुर्जर : जो मंदिर देवस्थान विभाग से प्रबंधित एवं नियंत्रित नहीं है इसलिए जमीन को बेच सकता है, क्या ऐसा प्रावधान है? जब आपकी जानकारी में महादेवजी के मंदिर की खुद काश्त भूमि पुजारी ने बेचान कर दी, जिसकी आपने भी हां की है तो इस ओर आप क्या कार्यवाही कराएंगे? यदि नहीं तो क्यों? यह मंदिर पंजीकृत नहीं है तो पंजीकृत की जानकारी कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है?

श्रीमती जकिया : अभी रिकार्ड में आप देख सकते हैं मैंने "जी हां" नहीं कहा है। आपके पास लिखा हुआ जरूर होगा, मेरे पास जो है...

श्री रामलाल गुर्जर : मेरे पास जो लिखा हुआ है उसमें 'जी हां' आपने लिख रखा है।

श्रीमती जकिया : देखिए, साहब, मैं रिप्लाई दे रही हूं और मैंने अभी, रिकार्ड में आप देख सकते हैं, 'जी हां' नहीं कहा है।

श्री रामलाल गुर्जर : मेरे पास जो आपका पत्र आया है उसमें 'जी हां' लिख रखा है। यह मेरे पास मौजूद है, देख सकते हो आप।

श्रीमती जकिया : वह बात अलग है। वह देवस्थान विभाग के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो मैं 'जी हां' कैसे बोल सकती हूं? वह 'जी हां' नहीं है। मैं रिप्लाई कर रही हूं अगेंस्ट में, क्योंकि मिनिस्टर छुट्टी पर हैं। शायद बीमार हैं, इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब यह थोड़े ही है कि चाहे जो रिप्लाई दे दो? और कोई दे देता।

श्रीमती जकिया : तो क्या वह 'जी हां' बोलता? और मंत्री कहता तो 'जी हां' बोलता क्या?

श्री हरजीराम बुरड़क : यह रेवेन्यू का है। जो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है वह सवाल रेवेन्यू का है।

श्री सांवर लाल : आपने प्रश्नकर्ता के उत्तर में कहा, 'जी हां', और अब कह रहे हो, 'जी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय प्रश्नकर्ता को मिला है उसमें और मंत्री के उत्तर में पूरा ही अंतर है।

श्रीमती जकिया : जो जानकारी वह चाहते हैं दी है।

श्री सांवर लाल : अगर कोई भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं आए तो जवाब देने वाला तैयारी करके आए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य, जो जानकारी आप चाहते हो...

श्री सांवर लाल : सदन में कह रहे हो कि मैं इस विभाग की मंत्री नहीं हूं, यह कोई जवाब है क्या?

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी, आपको पूरी तैयारी से बोलना चाहिए था अगर आप खुद नहीं हो तो।

श्रीमती जकिया : मैं पूरी तैयारी से आयी हूं।

श्री अध्यक्ष : मंदिर पंजीकृत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जिस रूप में आप जवाब दे रही हैं, प्रश्नकर्ता के उत्तर में कहा जी हां और पूरी कैबिनेट को अपनी तरह मान लिया इन्होंने कि दूसरा देता तो मेरी तरह जवाब देता।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप।

श्रीमती जकिया : आप एक मिनट सुने तो सही। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई जिम्मेदारी तो हो कम से कम। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : आप एक मिनट सुने। वह जो कुछ पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे देती हूं। यह देवस्थान के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं है, यह कहने का, सही बात कहने का तो हक है न। (व्यवधान) जो जवाब वह चाहते हैं वह मैं दे देती हूं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, लेकिन यह गलत किसने कहा? सरकार ने नहीं कहा क्या? आप कह रहे हो यह 'जी हां' गलत है तो यह सरकार ने कहा या व्यक्तिगत रूप में कहा?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : यह देवस्थान का प्रश्न ही नहीं है, यह तो रेवेन्यू का प्रश्न आ गया। यह जमीन जो बेचान हुई है, रेवेन्यू का प्रश्न बनता है, देवस्थान मंत्री का बनता ही नहीं है जब रजिस्टर्ड ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : वे पूछना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब दे सकने के काबिल हूं, मगर यह देवस्थान के अंडर में नहीं है। यह 1963 में बेचान हुआ था ऐसी मेरी इन्फार्मेशन है, इस मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मंत्री के रूप में आप उत्तर दे रही हैं या व्यक्तिगत जकिया के रूप में दे रही हैं? आपने कहा मेरी इंफार्मेशन।

श्रीमती जकिया : देखिए, क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री के रूप में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई कर रही हैं जो मिनिस्टर, वह कह रही हैं कि मैं यह व्यक्तिगत बात कैसे कह सकती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अनुमति मांगी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई जवाब हुआ क्या?

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य, आप सुने पहले।

श्री अध्यक्ष : इनको अनुमति दी है मैंने।

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य, मैं जकिया के रूप में नहीं मंत्री के रूप में दे रही हूं।

श्री सांवर लाल : सरकार को सारी जानकारी देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति से बोल रही हैं।

श्रीमती जकिया : इसलिए मैंने कहा था कि मैंने 'हां' नहीं कहा है।

श्री सांवर लाल : हमारे कार्यकाल में हुआ या किसके कार्यकाल में हुआ, यह कोई मतलब है क्या?

श्रीमती जकिया : मैंने 'जी हां' नहीं कहा है, इसलिए मंत्री के रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने 'जी हां' नहीं कहा।

श्री सांवर लाल : अब तो समझ लो, अब क्या कराओगे? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, एक ही प्रश्न पहले है उसी में 'जी हां' करके आगे दूसरे दो-तीन प्रश्न और हैं। दो और तीन, इनकी कोई क्रम संख्या नहीं लिखी है और उसी में ही सारा जवाब दे दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या जवाब दिया है?

श्री रामलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। जो उत्तर आया है वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आपके अलग-अलग प्रश्नवाइज उत्तर नहीं हैं।

श्री रामलाल गुर्जर : प्रश्न एक यह था "क्या ग्राम भोजपुरा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा में महादेवजी के मंदिर की खुद काश्त भूमि का पुजारी ने बेचान कर दिया है?" आपने बताया — "जी हां। यह मंदिर देवस्थान विभाग से प्रबंधित एवं नियंत्रित नहीं है। न ही यह पंजीकृत प्रन्यास है।"

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है कि यह महादेवजी का मंदिर है?

श्री रामलाल गुर्जर : हां, महादेवजी का मंदिर है। इसके सिवाय क्या रहा? नीचे जो दूसरे नम्बर के प्रश्न में मैंने पूछा "क्या सरकार उक्त भूमि को वापस मूर्ति के नाम दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?" कोई जवाब नहीं। मेरा तीसरा प्रश्न था "क्या मंदिर के नाम की भूमि का बेचान करना अनुचित है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? कोई जवाब नहीं। हां या ना में जवाब तो देना चाहिए। जवाब क्यों नहीं?

श्रीमती जकिया : जब यह मामला देवस्थान से संबंधित नहीं है तो इसमें हां या ना कहने का कोई अर्थ नहीं था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 'जी हां' तो लिखा है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग से संबंधित मामला नहीं है?

श्रीमती जकिया : नहीं है यह मामला देवस्थान विभाग से संबंधित।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो जो मूल प्रश्नकर्ता... (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : मंदिर का मामला है, देवस्थान विभाग से संबंधित तो है।

श्रीमती जकिया : देवस्थान विभाग से कैसे संबंधित हो सकता है मामला? मेरे घर के पीछे भी मंदिर है, अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तो देवस्थान विभाग जाकर संभालेगा क्या उसको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया नाराज हो रही हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मूल प्रश्न और सरकार का जो उत्तर आया वह पढ़कर सुनाऊं। प्रश्न यह है कि "क्या ग्राम भोजपुरा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा में महादेवजी के मंदिर की खुद काश्त भूमि का पुजारी ने बेचान कर दिया है?" उत्तर क्या देते हैं, 'जी हां'। इसका अर्थ क्या रहा?

श्री अध्यक्ष : 'जी हां' का मतलब यह है कि वहां पर ग्राम भोजपुर में महादेवजी का मंदिर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, जमीन के बेचान का था। उसी जमीन के बेचान पर कहा 'जी हां'। यह मंदिर देवस्थान विभाग से प्रबंधित एवं नियंत्रित नहीं है?

श्री अमराराम (धोद) : मंदिर को बेचने के बारे में पूछा है और ये कह रहे हैं 'जी हां।' मंत्री महोदय उत्तर में कह रही हैं 'जी हां' और अब कह रही हैं 'जी हां' नहीं कह रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शेष प्रश्न पर आप अवलोकन करें, कोई जवाब नहीं। हां या ना में कहीं तो जवाब आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम जाएं तो जाएं कहां?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बार विधान सभा में ऐसा जवाब आया।

श्री रामलाल गुर्जर : प्रश्न नम्बर दो और तीन का तो जवाब नहीं आया। चाहे हां या ना में दें, जवाब तो देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंदिर पंजीकृत देवस्थान में है या नहीं, वह अलग बात है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंदिर की भूमि को पुजारी बेच सकता है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ठाकुरजी को परपीचुअल माइनर माना है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि वह पंजीकृत है या नहीं, मंदिर की भूमि को क्या पुजारी बेच सकता है, आप यह बता दो।

श्री अध्यक्ष : यह रेवेन्यू से संबंध रखता है।

श्रीमती जकिया : मंदिर की भूमि को पुजारी नहीं बेच सकता।

श्री सांवर लाल : फिर बेची कैसे?

श्री रामलाल गुर्जर : आपने फिर कैसे 'जी हां' कहा?

श्रीमती जकिया : 'जी हां' तो मैंने कहा ही नहीं है। मैंने 'जी हां' कहा ही नहीं है।

श्री रामलाल गुर्जर : यह मौजूद है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह लिखा हुआ है, रिकार्ड पर है।

श्री रामलाल गुर्जर : यह आपका उत्तर मौजूद है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य को भेजा है।

श्रीमती जकिया : मैंने 'जी हां' इसलिए कहा है, वहां मंदिर है, यह जानकारी तो है ही ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मंदिर की जमीन का बेचान नहीं किया जा सकता। भगवान नाबालिक होता है, उसकी जमीन कभी नहीं बेची जा सकती। बेचने का कानून में प्रावधान ही नहीं है।

श्रीमती जकिया : और वह मंदिर... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दो।

श्रीमति जकिया : हल्ला करने से कुछ नहीं होता।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्योंकि संबंधित मंत्री भी नहीं है देवस्थान मंत्रीजी भी और पूरी जानकारी भी नहीं है।

श्रीमती जकिया : वह तो यह कहा गया है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए इसको स्थगित फरमा दो, यह मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, एक महिला मंत्री को नाजायज दबा रहे हैं। सही जवाब दे रही हैं और ये नाजायज दबा रहे हैं महिला मंत्री को। सही जवाब दिया है उन्होंने बिलकुल। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है जवाब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री महोदय को किसी चीज का मालूम नहीं है, हम चाहते हैं इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें। जवाब ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बार मैं वापस पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बार मैं वापस पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामलाल गुर्जर : मेहरबानी करके सुनें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : रेवेन्यू मिनिस्टर।

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय मंत्री महोदय ने सवाल का जवाब

(डा. (श्रीमती) कमला)

बिलकुल सही दिया है कि जमीन बेचान हुई है, लेकिन चूंकि वह देवस्थान के अंतर्गत आने वाला मुद्दा नहीं है।

इसलिए उनसे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उसकी कोई शिकायत कहीं कोर्ट में या किसी सक्षम अदालत में की जाय तो डीटी की जमीन बेची नहीं जा सकती, रेवेन्यू की इस धारा के तहत में कार्यवाही की जा सकती है। देवस्थान विभाग की यह जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि यह उनका मन्दिर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी शिकायत की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) राजस्थान भर में एक भी नहीं है। राजस्थान भर की माफी की जमीन आपने वापस इश्यू की है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह प्रश्न मंत्री के नाम होना चाहिए था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल सही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कितने एक साथ खड़े होंगे? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, जब आपकी जानकारी में आ गया तो सुओ मोटो आप इसकी ओपिनियन देवें।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर, सांवर लाल। कितने लोग आप एक साथ खड़े होंगे यहां पर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब शिकायत की जरूरत क्या है? अब तो शिकायत की जरूरत ही नहीं है, नोटिस ले ले आप।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : एक से एक विद्वान महिला मंत्री हमारे पास मौजूद हैं, पूछ लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी मन्दिर ने आपके यहां पंजीकरण नहीं कराया तो जितने भी मन्दिर हैं या जितने भी ट्रस्ट हैं, जो नहीं भी कराते हों, तो भी विभाग उनको जबरन अपने यहां पंजीकृत करने के लिए आग्रहपूर्वक प्रयास करता है कि प्रत्येक कम से कम रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए? यह विभाग का काम है या नहीं, यह बताएं।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय सदस्य, आपके पास यह विभाग था, आप देवस्थान मंत्री आपने बिना रजिस्ट्री के क्यों छोड़ा? अगर आप कर देते तो आज यह झगड़ा ही नहीं होता, आपके पास देवस्थान विभाग था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या विभाग की भी यह जिम्मेदारी है या नहीं है, विभाग का भी अपना यह दायित्व है या नहीं है? जितने भी ट्रस्ट हैं, जितनी भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, देवस्थान के कानून के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है उसके लिए विभाग ने कभी प्रयास किया है क्या कि ये रजिस्टर्ड होने चाहिए?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब की तो आदत में है, राजस्थान भर में कितने ये मन्दिर रोज बनाते हैं, इनसे खुद से लिस्ट ले लो ताकि इतने मन्दिर रजिस्टर्ड कर दें। इनका तो काम ही यही है कि चलते रास्ते मन्दिरों के शिलान्यास पत्थर लगाते रहते हैं। इनकी तो आदत में ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरेक मन्दिर—

श्री रामस्वरूप : सारे मन्दिरों का ठेका आपने ले रखा है फिर क्यों नहीं कार्यवाही की आपने खुद ने ही ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने इसीलिए कहा कि प्रत्येक मन्दिर जो भी बना है उसका रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग को ही करना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप लोगों ने लैट्रिन बनाने का ठेका ले रखा है क्या ? हमने मन्दिरों का ठेका ले रखा है, आप लोगों ने लैट्रिन और बाथरूम बनाने का ठेका ले रखा है। आप लोग पाखाने बनाते हैं, लैट्रिन और बाथरूम बनाते हैं क्या ?

श्रीमती जकिया : देवस्थान विभाग जिन मन्दिरों की आमदनी 3 हजार रुपये सालाना है उससे इंसपेक्टर के सर्वे द्वारा रजिस्टर करने के लिए प्रयत्न करता है और उसको रजिस्टर करवाता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री दिग्विजय सिंह।

जयपुर शहर को बीसलपुर परियोजना के अलावा अन्य स्रोत से पेयजल आपूर्ति

508. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना से पेयजल कितने शहरों/ग्रामों को उपलब्ध कराने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने टौंक जिले को भी पीने के पानी हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों के शहरों व ग्रामों को शामिल किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जयपुर शहर के पीने के पानी हेतु उक्त परियोजना के अलावा भी कोई वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह कौन-सी है ?

(4) उक्त शहर हेतु इस वर्ष भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुए पीने के पानी की भयंकर समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न पेयजल योजनाओं के नाम व लाभान्वित शहरों/ग्रामों की संख्या का विवरण निम्नानुसार :—

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित कवरेज		अब तक किया गया कवरेज		विशेष विवरण
		शहर	ग्राम/ढाणी	शहर	ग्राम/ढाणी	
1.	बीसलपुर (अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद) योजना	6	0	6	—	योजना पूर्ण
2.	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना केकड़ी-सरवाड़ तहसील	0	94	0	62	
3.	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना नसीराबाद तहसील	0	61	0	0	
4.	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय-मसूदा सैक्टर (गांवों हेतु मात्र जल उत्पादन प्रावधान शामिल)	—	2	232	0	
		गुलाबपुरा व विजयनगर				
5.	जयपुर बीसलपुर परियोजना	3	20	0	0	
		जयपुर, टोडारायसिंह, मालपुरा)			जयपुर शहर तथा जिले के 11 गांव व टौंक जिले के 2 शहर व 9 ग्राम शामिल।	

(2) बीसलपुर बांध से जयपुर पानी लाने हेतु 1100 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत टौंक जिले के 2 शहरों क्रमशः मालपुरा व टोडारायसिंह एवं मालपुरा तहसील के 9 ग्राम (चांदसेन, कडीला, भगवानपुरा, अमली सोंख डिग्गी, धोला का खेर, टीपर, ढोली व लावा) सम्मिलित हैं।

उपरोक्तानुसार बीसलपुर बांध से जो योजना स्वीकृत है उसके अतिरिक्त "ग्रीष्म आकस्मिकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत टौंक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु क्रमशः 315.79 लाख एवं 105.28 लाख रुपये (कुल रुपये 421.07 लाख) के कार्य प्रस्तावित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2001 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं :—

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्षेत्र	नलकूपों की संख्या			हैण्ड पम्पों की संख्या		
	लक्षित	वेधन	चालू	लक्षित	वेधन	चालू
ग्रामीण	15	8	3	58	58	58
शहरी	16	12	10	21	10	10

वर्तमान में जिला टौंक में 15 अभिवर्द्धन पेयजल योजनाएं 533.66 लाख रुपये की स्वीकृत हैं, जिनका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। ईसरदा बांध (प्रस्तावित) बाबत सिंचाई विभाग से अध्ययन करवाया जा रहा है। अध्ययन समाप्ति के पश्चात् जिलेवार पानी की अनुमानित मात्रा ज्ञात हो पाएगी। तत्पश्चात् इस पानी के प्रयोग बाबत निर्णय होना सम्भव होगा।

(3) जी, नहीं। तथापि जयपुर शहर के लिए "ग्रीष्म आकस्मिकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत एक योजना 18.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है जिसके अन्तर्गत 125 नये नलकूप, 200 हैण्ड पम्प, 3 उच्च जलाशय, 2 स्वच्छ जलाशय, राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनों व अन्य संबंधित कार्यों का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में स्रोत संवर्धन के कार्य प्रगति पर हैं।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-3 के उत्तर के अनुसार जयपुर शहर में कंटिंजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से अप्रैल, 2001 तक 85 नलकूपों का वेधन कार्य पूर्ण कर 55 नलकूपों को वर्तमान व्यवस्था से जोड़ा जाकर चालू कर दिया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो सूची दी है इसमें नम्बर दो पर आपने बताया है कि फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना केकड़ी-सरवाड़ तहसील में 94 गांव कवरेज करने प्रस्तावित थे उसके अगेंस्ट में आपने 62 किये हैं। तो 32 अभी तक बाकी हैं जो कि फ्लोराइड के हैं। और तीसरे में फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना नसीराबाद तहसील में 61 के 61 पूरे ही अभी जो फ्लोराइडयुक्त हैं उनमें कोई काम प्रगति पर नहीं है। चौथे में फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय व मसूदा सैक्टर गांव हेतु मात्र जल उत्पादन प्रावधान शामिल में शहर दो और गांव हैं 232 और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। बीसलपुर योजना का जो पानी जयपुर में लाने के लिए बात आपने कही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के बनाने या लाने के लिए शिलान्यास समारोह माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जिसमें आप भी मौजूद थे, किया गया था और 1100 करोड़ रुपये की योजना का सांगानेर के पास में शिलान्यास हुआ था। अब तक इसकी क्या प्रगति हुई? जो इस 1100 करोड़ की योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जा रहे थे, उसके अगेंस्ट में आपने गारंटी देनी थी वह गारंटी दे दी

(श्री दिग्विजय सिंह)

क्या? राज्य सरकार गारंटी देने को तैयार है क्या? अब तक जयपुर में पानी की इतनी दिक्कत है, उस संबंध में प्रश्न 3 है कि क्या जयपुर शहर के पीने के पानी हेतु उक्त परियोजना के अलावा भी कोई वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो वह कौन-सी है? तो आपने कहा जी नहीं। तथापि जयपुर शहर के लिए "ग्रीष्म आकस्मिकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत एक योजना 18.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत 125 नये नलकूप, 200 हैण्ड पम्प, 3 उच्च जलाशय, 2 स्वच्छ जलाशय, राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनों व अन्य संबंधित कार्यों का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मंत्री जी ने पढ़ दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अभी भी ये आपके सर्वे में ही चल रहे हैं और गर्मियों के दिन आ गये, आपने क्या व्यवस्था की है जयपुर में पीने के पानी की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, इसका उत्तर दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, फ्लोराइड नियंत्रण का जो यह केकड़ी-सरवाड़ का है, 94 गांवों में से 62 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, इसमें 1100 एम.एम. की बड़ी पाइप लाइन की आवश्यकता रहती है और उसके टेंडर करने की प्रक्रिया में 5-6 महीने लग जाते हैं। वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, शीघ्र ही उसका काम पूरा हो जाएगा और 94 पूरे गांवों को उससे जोड़ दिया जाएगा।

तीसरा, फ्लोराइड का जो मामला है, इसमें विजयनगर और गुलाबपुरा, एक भीलवाड़ा में है। एक अजमेर जिले में है, दो शहरों का है। बरसात के दिनों में वहां पर पानी की व्यवस्था हो नहीं पाती थी इसलिए पहले शहरों को लाभान्वित करने की योजना बनायी गयी थी। वहां पानी पहुंच गया है 3-4 दिन हुए हैं, उसका टैस्ट भी हो गया है। शेष गांवों का जो प्रोग्राम है उसको यह कार्य पूरा होने के बाद किया जाएगा क्योंकि पाइप लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम पूरा काम तरीके से करते तो 2-3 साल लग जाते, लेकिन इस काम को युद्ध स्तर पर किया गया। दूसरे गांवों की जो योजना है उसको इन दोनों शहरों को लाभान्वित होने के बाद लागू किया जाएगा। इसलिए इसमें देरी होने का कोई कारण नहीं है।

जयपुर और बीसलपुर का 1100 करोड़ रुपये का मामला है। जो इसमें रेलवे लाइन है उसको करीब-करीब एक्वायर कर लिया गया है। उनको करीब 20 करोड़ रुपये हमने जमा करा दिये हैं, जमा हो चुके हैं और हमारा सारा टेंडर प्रक्रिया के अन्दर है। यह कार्य भी जून से पहले हम स्टार्ट करने की चेष्टा करेंगे।

जहां तक कंटिंजेंसी प्लान का मामला है, जयपुर शहर और जयपुर जिले के अन्दर जो भी स्कीम कंटिंजेंसी के लिए बनायी गयी थी, सारे के सारे ट्यूबवैल और

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैण्डपम्प अप्रैल के अन्दर जितने हमें करने थे वे सारे कर दिये गये हैं। एक भी हैण्डपम्प या ट्यूबवैल शेष नहीं रहा है जो हमारे प्रावधान में रखा गया था।

उसके अलावा पानी को परिवहन करने का काम या दूसरे छोटे-मोटे कामों की वजह से जनता को परेशानी है, उसका समाधान करने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई कोताही बरतने का कारण नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था। 1100 करोड़ रुपये की जो जयपुर के लिए पानी की योजना बनायी उसके अगेंस्ट में आपने कहा कि 20 करोड़ रुपये रेलवे को दे रहे हैं। आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपने क्या व्यवस्था की है? उसकी गारंटी देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था की है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने गारंटी मांगी है? 1100 करोड़ रुपये की आप अभी योजना नहीं करेंगे तो यह साल तो निकल गया और जून-जुलाई के अंदर बरसात आ जाएगी। फिर अगले साल आप कर नहीं सकेंगे तो जयपुर में बीसलपुर से पानी लाने की योजना जो 1100 करोड़ की है, यह दो साल बाद में 1400 करोड़ की हो जाएगी। तो विभाग क्या कर रहा है? राज्य सरकार क्या कर रही है? वर्ल्ड बैंक से जो 1100 करोड़ रुपये ले रहे हैं उसकी क्या शर्त है? आपको गारंटी देनी है क्या? आप रेलवे को देंगे वह तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है ईसरदा के बारे में। ईसरदा का जो विकल्प आपने दिया है उसके बारे में 1990 में मीटिंग हुई थी दोनों विभागों के एडिशनल चीफ इंजीनियर्स की। उन्होंने इसको उपयुक्त माना था। सैंट्रल वाटर बोर्ड ने उपयुक्त माना है। मुझे मालूम पड़ा है कि आपके विभाग ने सिंचाई विभाग को लिखकर भी भेजा है सहमति के लिए कि यदि 50 प्रतिशत खर्चा वे देने के लिए तैयार हैं तो आपका डिपार्टमेंट इस योजना को हाथ में लेने के लिए तैयार है। इस बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं? इसकी सोच है या नहीं? इस योजना को बनाएंगे या नहीं? इसके अलावा जो गारंटी का प्रश्न है उसको भी आप स्पष्ट करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक 1100 करोड़ रुपये की जयपुर योजना का प्रश्न है, इसमें कुछ पैसा हमारा डिपार्टमेंट लगाएगा, कुछ राज्य सरकार ने प्रावधान रखा हुआ है बजट के अन्दर और कुछ हुडको हमको लोन देगा जिसकी गारंटी वे मांगते हैं। वह करीब-करीब हमारी प्रक्रिया में है और पैसों के कारण हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है। सारी प्रक्रिया विचाराधीन है, काम चल रहा है, टेंडर आहूत कर लिये गये हैं और आपको किसी तरह का डाउट करने की जरूरत नहीं है। समय पर, 5 साल की चुनाव प्रक्रिया से पहले हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं, पहले करने की हमारी चेष्टा है।

ईसरदा बांध का जो प्रश्न है, सिंचाई मंत्री कमलाजी, यहां विराजी हुई हैं, 50

(श्री रामसिंह विश्नोई)

प्रतिशत पैसे अगर इर्रिगेशन विभाग से मिल जाते हैं तो ईसरदा बांध की बात भी की जा सकती है। लेकिन बीसलपुर बांध और जयपुर की योजना के पूरा होने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बीसलपुर परियोजना मूलतः अजमेर जिले की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। आप उससे जयपुर को पानी दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि योजना मूलतः अजमेर जिले के लिए बनी थी उसमें पानी की आपूर्ति पूरी कर पाएंगे या नहीं?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध की भराव क्षमता इतनी है और इतने सक्षम हैं कि वह अजमेर जिले के 6 शहर और 300-400 गांवों के बाद भी इसमें पानी की मात्रा इतनी बच जाती है कि जयपुर शहर की मांग को पूरा किया जा सकता है। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह टौंक जिले का बांध है, कोई अजमेर के लिए ही नहीं है। पूरे राजस्थान को ध्यान में रखकर स्कीम बनायी जाती है, केवल ब्यावर और अजमेर के लिए नहीं बनायी जाती। टौंक के लोग भी आशा करते हैं, जयपुर के लोग भी अपेक्षा करते हैं। प्लानिंग राजस्थान को ध्यान में रख कर की जाती है। संकुचित विचारधारा के हम लोग नहीं हैं, हम बड़े दिमाग के हैं।

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में कई बार यह बात आयी है, बीसलपुर की पाइप लाइन जिन-जिन गांवों से निकल रही है, आपने कई जगह आश्वासन दिया है कि उन गांवों की पानी की आपूर्ति बीसलपुर पाइप लाइनों से करा देंगे। जो फ्यूचर नीड्स हमारी हैं उनको अभी इनकारपोरेट कर दोगे या नहीं कर पाएंगे? बीसलपुर के वर्तमान प्रोजेक्ट को पूरा करके आप जयपुर को पानी दीजिये, कहीं को भी दीजिये, अजमेर को कोई एतराज नहीं है लेकिन बीसलपुर परियोजना मूलतः अजमेर जिले के लिए बनी थी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, मैंने एक प्रश्न किया था क्या यह सही है कि सरकार के निर्णयानुसार बीसलपुर बहुउद्देशीय योजना केवल पीने के पानी हेतु रखी जाएगी? यदि हां, तो पूर्व में जो उद्देश्य था क्या उसमें परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो कब? क्या ऐसा करना जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है? उसका उत्तर दिया है जी, नहीं। बीसलपुर परियोजना पीने के पानी हेतु एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनायी गयी थी। वर्तमान में भी यही उद्देश्य है। केवल अजमेर के लिए ही नहीं थी। अजमेर का तो हम मानते हैं कि पीने के पानी की कमी वहां है, मिलना चाहिए पर बहुउद्देशीय योजना का अर्थ ही

(श्री दिग्विजय सिंह)

यही है। नहीं तो बहुउद्देशीय क्यों कहलाती? पीने के पानी की कहलाती।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि बांध की क्षमता बहुत है। मेरा निवेदन यह है कि बांध की क्षमता कितनी है और वर्तमान में कितनी क्षमता या कितने प्रतिशत पानी आपने रोका है?

दूसरा मेरा सवाल है कि बनास की जो योजना से पानी जाता था, बनास नदी से केकड़ी तक लाइन बिलकुल फ्री पड़ी हुई है। उस लाइन को अगर आप उखाड़ कर इधर जूनिया साइड में जो गांवों को जोड़ने की योजना है, वहां पर शिफ्ट करा दे तो आप जल्दी पानी देने की स्थिति में होंगे, अन्यथा आप दो साल तक भी वहां पानी नहीं दे सकते। मेरा निवेदन यह है कि विजयनगर और गुलाबपुरा पानी देने की योजना गत वर्ष 31 मार्च तक की थी लेकिन एक साल बाद तक आज भी वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय...

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : माननीय सदस्य महोदय, पहुंच गया है। विजयनगर को क्रास कर लिया है।

श्री सांवर लाल : पहुंच गया है जो मुझे मालूम है, कय्यूम भाई। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : पहुंच गया है। मैं खुद चालू करके आया हूं परसों के दिन। (व्यवधान) मैं देखकर आया हूं, उद्घाटन करके आया हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...वह तो भारत सरकार की रहनुमाई से पानी पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भिनाय से विजयनगर तक पानी पहुंचाने में, माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में है कि कम से कम दो महीने का समय लगा।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक पूछ लीजिये।

श्री सांवर लाल : ...और जगह-जगह पाइप का लीकेज हो गया है। यही स्थिति रही तो जो गांवों को पानी देने की मंशा, मंत्री महोदय, आप रखते हो वह आपका समय पर नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि इस योजना से गांवों में पानी पहुंचाने के लिए भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, गांवों की हालत बहुत खराब है इसलिए क्या आप भारत सरकार से सहयोग लेकर...

श्री अध्यक्ष : इस तरह से नहीं, सप्लीमेंट्री पूछिये। सप्लीमेंट्री को लम्बा मत कीजिये। श्री रमजान खानजी। श्री बाबूलाल जी।

श्री सांवर लाल : इन गांवों को जल्दी से जल्दी जोड़ने की इच्छा रखते हैं क्या?

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर योजना सिर्फ अजमेर जिले के लिए बनी है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अजमेर जिले के प्रत्येक गांव, मजरे, ढाणियों को पहले पानी पहुंचाइये। रहा जयपुर का

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सवाल, जयपुर को अगर आप ईसरदा बांध से पाइप लाइन बिछाकर सप्लाई देते हो... तो मात्र 400 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा और बीसलपुर बांध से अगर आप जयपुर को पानी सप्लाई देते हो तो 1100 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि ईसरदा बांध से अगर जयपुर को पानी देते हो तो खर्चे में भी बचत होगी। बीसलपुर योजना के अन्तर्गत 308 का पानी मात्र पेयजल के लिए उपलब्ध होगा और 309 के ऊपर का पानी सिंचाई विभाग के लिए होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि इसके अन्दर अभी किसी प्रकार से सिंचाई के लिए पानी नहीं देवें और बीसलपुर योजना का पानी अजमेर जिले के प्रत्येक गांव, मजरे और ढ़ाणी में पाइप लाइन बिछाकर मुहैया कराएं।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके सुझाव से मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कय्यूम खान।

श्री कय्यूम खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बीच में नहीं। मैंने अनुमति नहीं दी है। श्री कय्यूम खान।

श्री कय्यूम खान : ...66.50 करोड़ रुपये की विजयनगर और गुलाबपुरा की एक योजना आपने मंजूर की थी...

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी है फिर उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कय्यूम खान। बाद में आपका नम्बर आ जाएगा।

श्री कय्यूम खान : ...अभी हाल ही में 300 एम.एम. की पाइप लाइन विजयनगर में डली है और वही पाइप लाइन मसूदा के अन्दर डली थी, अब नयी लाइन 900 एम.एम. की विजयनगर और गुलाबपुरा में डाली जाएगी और उसको हटाकर 300 एम.एम. की और 400 एम.एम. की मसूदा के अन्दर वह पाइप लाइन डाली जाएगी, जिससे मेरे क्षेत्र में काफी दिक्कतें पैदा होंगी, पीने के पानी की काफी परेशानी होगी। इस कारण से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी और भी स्कीम डली हुई है, उस पाइप को वहीं रहने दिया जाए और दूसरी पाइप के टेण्डर 300 एम.एम. के करके मसूदा को जल्दी से जल्दी भरा जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान। (व्यवधान) आप बाद में बोल लेना।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में अजमेर जिले के जितने भी नगर हैं जहां पर बीसलपुर योजना से पानी जा रहा है। वहां पर आज 72 घंटे के अंतराल से पानी मिल रहा है। अब जब 72 घंटे के अंतराल में अजमेर जिले की प्यास ही नहीं बुझ रही है तो जयपुर जिले में यह पानी लाने का क्या औचित्य है, मुझे यह समझ में नहीं

(श्री रमजान खान)

आता है। इससे न तो अजमेर जिले की प्यास बुझेगी, न जयपुर जिले की प्यास बुझेगी और हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जयपुर जिले की स्कीम को बंद कीजिये। यह बीसलपुर परियोजना केवल मात्र अजमेर जिले के नगरों और गांवों के लिए बनी हुई है, जयपुर के लिए कतई नहीं बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने पूछ लिया है। मंत्रीजी। आप बैठिये।

श्री दिग्विजय सिंह : जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिलकुल असहमत हूं। यह जयपुर जिले के लिए भी है, सबके लिए है। (व्यवधान) हम उसको रोकते नहीं हैं, आपको भी देने के लिए तैयार हैं। आप संकुचित भावना से बात मत करिये।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में... मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना करौली जिले के लिए बनाई गई थी...

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी टाइम दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि...

श्री रामस्वरूप : सबके बारे में कार्यवाही हो रही है। पानी की भयंकर समस्या करौली जिले में होने जा रही है, केन्द्र सरकार ने उसको रोक रखा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने हमारी योजना को रोक रखा है। इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना करौली जिले को लाभान्वित करेगी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये, आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : ...सवाईमाधोपुर जिले को लाभान्वित करेगी यह योजना जिसमें पूरा टोडाभीम, नादौती आयेगा। इस योजना के बारे में भी मंत्री महोदय अवगत कराएं। उस इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में...

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाईमाधोपुर की समस्या के बारे में बताना चाहूंगी कि...

श्री रामस्वरूप : आप दिल्ली सरकार को कब लिख रहे हैं? दिल्ली सरकार ने अटका रखा है हमारा मामला, दिल्ली सरकार ने हमारी इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना को अटका रखा है। अब तक मंजूर हो जाती...

श्री अध्यक्ष : आप आसन के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जिला दौसा, जिला करौली, जिला सवाईमाधोपुर तीनों जिलों में पानी की समस्या बन गई है, इसके कारण से केन्द्र सरकार को लिखा जाए, प्रस्ताव पारित किया जाए केन्द्र सरकार के खिलाफ। (व्यवधान)

ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इनके राज में किसी की भी प्यास नहीं बुझ रही है, अजमेर, टौंक, जयपुर वाले लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सांकरवाड़ा योजना चलाई जाएं पानी की स्कीम चलाई जाएं टोडाभीम के अन्दर। माननीय सदस्य टोडाभीम के लिए सांकरवाड़ा योजना।

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारे सवाईमाधोपुर में कलक्टर का घेराव किया गया है, रास्ते बंद किये जा रहे हैं। हमारी जो स्वीकृत योजना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार वहां टंकी बनवा दी है लेकिन टंकी बनवाने के बावजूद भी ट्यूब वैल नहीं लगा रहे हैं इसलिए सारे गांवों में त्राहि के अलावा—

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्रीमती यासमीन अबरार।

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के बारे में जैसा मंत्रीजी ने कहा है कि कंटिंजेंसी में जो ट्यूबवैल स्वीकृत हैं वे लगा रहे हैं, बिलकुल सही हैं, आप काम भी सही कर रहे हैं। लेकिन आपके अधिकारियों को आप निर्देश दीजिये, जो कंटिंजेंसी में स्वीकृत ट्यूबवैल हैं, हैंड पम्प हैं वे भी नहीं लगे हैं मैंने आपको लिखित में भी दिया था। मेरे सवाई माधोपुर शहर के अन्दर तीन मोहल्लों के अन्दर, राजबाग के अन्दर दिया था। शहर के लिए तीन-तीन आपको लिख कर दिये हैं। वे स्वीकृत हैं, टंकी निर्माण मैंने करवा दिया लेकिन पानी की समस्या वहीं की वहीं जमी हुई है। नौबत यह आ गई कि हमारा घेराव शुरू हो गया है सवाईमाधोपुर में।

श्री अध्यक्ष : आपने अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : मंत्री महोदय एक साथ जवाब दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : गांव के लोग प्यासे मर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक घंटा हो गया, कोई सवाई माधोपुर ले रहा है, कोई टौंक ले जा रहा है। ये तो भाषण दे रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान) अगला प्रश्न नहीं आ रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर और अजमेर में फव्वारे चल रहे हैं, कहां पर पानी की समस्या है? गंदे पानी के नाले चल रहे हैं गांव के बाहर। गांवों में समस्या है, मंत्री महोदय से निवेदन है कि वाटर सप्लाई स्कीम मेरे यहां जो दो साल पूर्व स्वीकृत हुई थी, उसको चालू कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

डा. (श्रीमती) कमला : अभी अकाल पर चर्चा होगी, आप तब बोल लेना। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : जयपुर में कहां समस्या है? आप चले जाओ, देखो अम्बेडकर सर्कल पर और विधान सभा के बाहर फव्वारे चल रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, दौसा विधान सभा क्षेत्र और फूलेरा विधान सभा क्षेत्र फ्लोराइड क्षेत्र है, क्या मंत्री महोदय ने उक्त फ्लोराइड क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने के लिए बीसलपुर से योजना बनाने के लिए कोई सर्वे के आदेश दिये हैं? आदेश दिये हैं तो सर्वे हो गया है? क्या बोर्ड ने योजना बनाकर मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दी है? सांगानेर में उद्‌घाटन भाषण में, माननीय मंत्री महोदय, आपने स्वयं ने यह माना था कि दूदू के गांवों की भी पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, कृपया मंत्री महोदय बताने का श्रम करें।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान में लेकिन दिल्ली सरकार को भी लिखो। इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना दिल्ली सरकार ने रोक रखी है हमारी योजना, उसको भी लिखो।

श्रीमती यासमीन अबरार : नहीं, मंत्रीजी, आपसे शिकायत नहीं है, आपके अधिकारियों से शिकायत है।

श्री अमराराम (धोद) : बांध बना हुआ है, पेयजल के लिए 10,000 महिलाएं और मर्द 10 दिन तक वहां तहसील कार्यालय को घेर कर बैठे हुए थे और आपने विश्वास दिलाया था कि टोडारायसिंह के गांव और टोरडी सागर को जोड़कर वहां के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवा देंगे। मंत्री महोदय, बीसलपुर बांध जहां बना हुआ है वहां से 12 किलोमीटर दूर पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कब तक उनको पेयजल उपलब्ध करवा देंगे?

श्री रामस्वरूप : केन्द्र सरकार ने हमारी योजना को रोक रखा है, उसको कब तक पास करवा देंगे।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि यह भरतपुर में जो पानी दे रहे हैं उसमें पीने के पानी के अलावा—

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, दूदू विधान सभा क्षेत्र का आपने सर्वे करवा दिया है, पूरे दूदू की जनता आपकी तरफ देख रही है और उनको उम्मीद है, मंत्रीजी, आगे की कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों को जो शंका है, वह इनकी शंका करीब-करीब सही हो सकती है लेकिन हमने जयपुर की योजना को स्वीकृत करने से पहले अजमेर के करीब 400-500 गांवों को पहले स्वीकृत किया है। इसलिए यह कहना कि अजमेर जिले का पहले काम किया जाए,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

यह बात हमने ध्यान में रखी है। जयपुर शहर और जयपुर के आसपास के बड़े शहरों को शामिल करने से पहले करीब 500 गांवों की योजना स्वीकृत हो चुकी है और उसमें काम चल रहा है। सारी प्रक्रिया प्रोग्रेस पर है और मेरे खयाल से आपको किसी प्रकार की शंका होने की आवश्यकता नहीं है। बीसलपुर योजना का जहां तक सवाल है, इतना ज्यादा पानी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, उससे जयपुर शहर, अजमेर पूरा जिला और आधा टौंक और टोडारायसिंह और मालपुरा कस्बे हैं उनके गांवों को पानी देने की क्षमता है। इसके अलावा जो ईसरदा बांध है—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जयपुर में बीसलपुर का पानी कब तक पहुंच जाएगा, यह बता दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आपको शंका हो सकती है, हमारे को कोई शंका नहीं है। हमने रेलवे लाइन पूरी एक्वायर कर ली है और 20 करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं। सारी टेण्डर की प्रक्रिया प्रोग्रेस पर है, केवल 2 महीने के अन्दर हमारा सारा काम शुरू हो जाएगा और 12 महीने के अन्दर-अन्दर पूरी लाइन डल कर काम शुरू हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जयपुर में कब तक पहुंच जाएगा?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपकी नाराजगी हो सकती है लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, मेरे खयाल से भाजपा के शासनकाल में— (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अधिकारी आपका कहना नहीं मानते। मंत्रीजी, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं। आप जो कह रहे हैं, अधिकारी मानते नहीं हैं। इनके बारे में क्या कंट्रोल है आपका?

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप अगला प्रश्न लीजिये। कभी अलवर आ रहा है, कभी सवाईमाधोपुर आ रहा है। आप अगला प्रश्न लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : —हैण्ड पम्प लगे नहीं, राजस्थान भर में लोग प्यासे मर रहे हैं, सिर्फ टौंक, अजमेर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में हालत खराब है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, आपने दूदू का सर्वे कराया है, दूदू के सर्वे के बारे में मंत्री महोदय बोले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका कंट्रोल नहीं है अधिकारियों पर। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री सांवर लाल : बनास की जो लाइन है, मंत्री महोदय, उस वाली लाइन को— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवर लालजी। आर्डर प्लीज। आप बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा यह कहना है कि अधिकारी आपका कहना नहीं मानते, सारे राजस्थान में पानी की त्राहि-त्राहि है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो बहुत बढ़िया हैं, मंत्री महोदय, आपका जवाब अच्छा है, आपका काम अच्छा है पर अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अधिकारी हमारे सब ही अच्छे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सही नहीं है, साहब।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में भी हमारे एरिया में पानी खारा है.... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदय, दूदू का सर्वे करवाया आपने....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके जमाने के अधिकारी बिगड़े हुए जरूर हो सकते हैं, अब हमने सुधार दिये हैं।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : हमारे गांवों में भी पानी दिलवाया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ढाई साल हो गये, अब भी + + +

श्री रामस्वरूप : इनके जमाने के सारे अधिकारियों को आप हटा दें। माननीय मंत्रीजी, इनके जमाने के अधिकारियों को हटाओ, आप तो इनका + + +

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदय, दूदू के संबंध में हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : दूदू के पहले तो किशनगढ़ में खारा पानी है, वहां की लाइन, उन गांवों को दो काट....

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये। (व्यवधान) नहीं, श्री बाबूलाल नागर।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के गांवों की स्थिति पानी के मामले में फ्लोराइड की वजह से, खारे पानी की वजह से, लाइन वाटर की वजह से बहुत ज्यादा खराब है। जयपुर में ज्यों ही यह काम शुरू होगा, उसके साथ चार सौ-पांच सौ गांवों की योजना हम जयपुर जिले की ले रहे हैं। हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम चम्बल से पानी लाकर पूरे अजमेर, टौंक, जयपुर और ईसरदा है, इसको भी शामिल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : चम्बल का पानी करौली जिले को चाहिए, इन्दिरा लिफ्ट के द्वारा आएगा वह पानी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, तीन चार दिन से और अब तक इस बजट सत्र के अंदर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगा, एक स्थगन प्रस्ताव नहीं लगा, एक 127 पर चर्चा नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय, हम जाएं तो जाएं कहां? मेरा निवेदन है, अभी तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगे, एक स्थगन नहीं लगा....

श्री रामस्वरूप : इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना से करौली, सवाईमाधोपुर दोनों जिले लाभान्वित होंगे। यह योजना केन्द्रीय सरकार ने रोक रखी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले एक दिन में तीन-तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा करते थे, अब पूरा बजट सत्र समाप्ति की ओर है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अभी नहीं बोल सकते आप। अध्यक्ष महोदय के आसन की व्यवस्था के बाद ही कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, पहले नहीं उठा सकते। मैं अध्यक्ष महोदय के व्यवस्था देने के बाद ही आप बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका भादरा को देय मनोरंजन कर राशि

867. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिका, भादरा को मनोरंजन कर की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है?

(2) क्या वर्तमान में अब भी मनोरंजन कर की राशि का भुगतान निरन्तर नगरपालिका भादरा को किया जा रहा है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्थानीय निकायों को वर्ष 1998-99 तक मनोरंजन कर के एवज में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।

(2) यह बिन्दू परीक्षणाधीन है कि वर्ष 1998-99 के पश्चात् के वर्षों के लिए नगरपालिकाओं को ऐसे प्रकरणों में भुगतान किस आधार पर किया जावे।

लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण

868. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु व पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय "स्थाई समिति" का गठन किया था? यदि हां, तो उक्त समिति की प्रथम बैठक कब हुई? उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण व

(श्री रामस्वरूप)

उस पर अब तक की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति की प्रथम बैठक के बाद कब-कब बैठकें आयोजित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या राजस्थान पेंशनर समाज ने समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु समय-समय पर निवेदन किया है? यदि हां, तो अब कब बैठक आयोजित की जाने की सम्भावना है?

(3) दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक कितने पेंशनरों के पेंशन परिलाभ नहीं मिले तथा वे कब से क्यों बकाया है?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य स्तरीय समिति का गठन राज्यादेश प. 6 (41) प्र.सु/अनु-3/94 दिनांक 22-10-94 द्वारा किया गया था। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10-11-94 को सम्पन्न हुई। कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है एवं कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(2) समिति की प्रथम बैठक के पश्चात् कोई बैठक नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार के आदेश प.7(7) एफ.डी./आर एण्ड आई/ 94 दिनांक 24-11-94 के द्वारा पेंशन अदालत का गठन किया गया है। इस अदालत द्वारा पेंशनरों की समस्याओं को उनके प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सुना जाकर त्वरित निर्णय लिये जाकर पेंशनरों को राहत पहुंचाई जा रही है इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। अतः स्थाई समिति की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। पेंशनर समाज द्वारा पत्रांक 269 दिनांक 5-7-2000 एवं पत्रांक 676 दिनांक शून्य द्वारा बैठक आयोजित हेतु पत्र प्राप्त हुए। इस समिति को भंग करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) पेंशन विभाग में दिनांक 31-12-2000 तक 1677 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण होना शेष था तथा 2413 पेंशन प्रकरण जो विभिन्न आक्षेपों की पूर्ति हेतु लौटाए गए थे, संबंधित विभाग में शेष थे। पेंशन विभाग में प्रकरण प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही की जाती है, जो पेंशन प्रकरण पूर्ण होते हैं उनकी पेंशन परिलाभों की अधिकृतियां जारी कर दी जाती है और अपूर्ण प्रकरणों में आक्षेपों/कमियों की पूर्ति करने हेतु संबंधित विभागों को लौटा दिये जाते हैं। पेंशन प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण एक सतत प्रक्रिया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुसूचित जाति/जनजाति के बैक लॉग हेतु स्वीकृति

869. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलॉग पदों को भरने के लिए वित्त विभाग व मंत्रिमण्डलीय समिति की स्वीकृति आवश्यक है? यदि हां, तो क्या

(डा. किरोड़ी लाल)

उक्त स्वीकृति अलग-अलग विभागों को अलग-अलग जारी की जाती है अथवा एक ही परिपत्र जारी किया जाकर स्वीकृति दी जाती है?

(2) क्या उक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग स्वीकृति देने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्रत्येक विभाग रिक्त पद भरने हेतु प्रकरण भिजवाते हैं, जिन पर वित्त विभाग द्वारा विभागीय पत्रावली पर ही अपनी टीप दी जाती है। वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रस्ताव का परीक्षण कार्मिक विभाग भी करता है। वित्त विभाग की अनुशंसा विभागीय पंजिका पर ही दी जाती है।

(2) इस भाग का उत्तर प्रश्न के भाग-1 में ही समाविष्ट है।

नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण में अनियमितताएं

870. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्पदा निदेशालय द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1977 के नियमों के अनुसार अब तक कुल कितनी नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण/विक्रय किया जा चुका है? सूची सम्पत्ति की स्थिति, सम्पत्तिवार प्राप्त राशि (आवेदन के साथ) विक्रय की दिनांक, पंजीयन की दिनांक मय क्रेता के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निदेशालय के स्टाफ के वेतन भत्तों, न्यायालय में चल रहे विवादों व अन्य कार्यों पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 3 फरवरी, 1977 के चार सूत्री फार्मूले के अनुसार कितनी नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण अब तक लम्बित है और उक्त हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि, अग्रिम प्राप्त राशि, निस्तारण नहीं किये जाने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्तियों के निस्तारण में भेदभावपूर्ण एवं मनमाने तरीकों से कार्यवाही की गई है? क्या उक्त सम्बन्ध में लोकायुक्त कार्यालय में शिकायतें दर्ज हुई हैं? यदि हां, तो ऐसी शिकायतें किन-किन सम्पत्तियों के बारे में की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्पदा निदेशालय द्वारा दिनांक 3-2-77 के नियमों के अनुसार अब तक कुल 128 नजूल सम्पत्तियों का सम्पूर्ण/आंशिक निस्तारण किया गया है। सूची संलग्न है। (फ्लेग "अ") (पृष्ठ 1 से 12 तक)

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(2) सूचना संलग्न है। (फ्लेग "ब") (पृष्ठ 13)

(3) दिनांक 3-2-77 के चार सूत्री फार्मूले के अनुसार 369 सम्पत्तियों का निस्तारण सम्पूर्ण/आंशिक लम्बित है। निस्तारण हेतु 81 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं इनका नियमानुसार परीक्षण किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। अन्य सूचना संलग्न है (फ्लेग "स") (पृष्ठ 14 से 24 तक)

(4) नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण का कार्य विभागीय नीति के अनुसार अपेक्स कमेटी के निर्णयानुसार किया जाता है। माननीय लोकायुक्त महोदय के यहां जिन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में परिवाद दर्ज हुआ है, उसकी सूची संलग्न है (फ्लेग "द") (पृष्ठ 25)

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गांधी नगर क्लब जयपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

871. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1951 में पंजीकृत संस्था गांधीनगर क्लब को गांधीनगर परिसर में यहां के निवासियों के सामाजिक कार्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भूमि व भवन एक रुपया वार्षिक टोकन राशि पर उपलब्ध कराया गया था?

(2) क्या सरकार द्वारा संस्था को जिन कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भूमि एवं भवन आबंटित किये गये थे क्या वे कार्य और उद्देश्य संस्था ने पूरे कर लिये हैं या भविष्य में उक्त कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है अथवा संस्था ने अपने कार्य व उद्देश्यों में परिवर्तन कर कोई फैक्ट्री अथवा कारखाना लगा लिया है?

(3) क्या सरकार को संस्था के कार्य संचालन अथवा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है या संस्था में अनियमितता के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ8(6)साप्र/2/91 दिनांक 12-4-2001 के द्वारा उक्त 50 वर्ष पुरानी संस्था को राज्य सरकार किन कारणों से अपने कब्जे में लेना चाहती है?

उत्तर

(1) गांधीनगर स्थित गांधीनगर क्लब/भवन परिसर आदि राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में दिनांक 12-3-61 के द्वारा गांधीनगर क्लब को पांच वर्ष की अवधि हेतु रुपया 1/- वार्षिक टोकन राशि पर लीज रेंट पर दिया गया था।

(2) उक्त संस्था वर्ष 1972 से बिना राज्य सरकार की अनुमति व बिना भूमि व भवन परिसर की लीज अवधि बढ़वाये

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

राजकीय भवन व परिसर का अनियमित रूप से उपयोग कर रही थी।

(3) महालेखाकार कार्यालय राजस्थान की आडिट रिपोर्ट में आडिट आक्षेप लगाये गये हैं। महालेखाकार राजस्थान के आडिट आक्षेप की पूर्ति शीघ्र करवाने के लिए गांधीनगर क्लब के पदाधिकारियों को कई बार आवश्यक निर्देश दिये गये थे लेकिन गांधीनगर क्लब के पदाधिकारियों ने उक्त निर्देशों की पालना में कोई कार्यवाही नहीं की। संस्था के विरुद्ध धन व राजकीय सम्पत्ति के दुरूपयोग की भी शिकायतें मिली हैं जिसकी जांच के लिए विभाग द्वारा संस्था के रिकार्ड की आन्तरिक आडिट कराई जा रही है।

संस्था का कोई कब्जा नहीं लिया गया है।

जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा जन प्रतिनिधि के पत्रों का निस्तारण

872. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को गत छह महीनों में विधायक हनुमानगढ़ द्वारा कितने पत्र लिखे गये? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्रों के आधार पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला कलक्टर हनुमानगढ़ ने कोई आदेश जारी किए हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में विधायक को अवगत करवाया है? यदि हां, तो दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त लिखे गये पत्रों का जवाब नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर हनुमानगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक हनुमानगढ़ द्वारा गत छह माह में जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को दो पत्र लिखे गये, उक्त दोनों पत्रों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है।

(2) पत्र दिनांक 3-1-2001 के क्रम में जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 6-1-2001 से वांछित सूचना विधायक को उपलब्ध करायी गयी। पत्र दिनांक 18-3-2001 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 9-4-2001 से ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, हनुमानगढ़ को कार्यवाही कर सूचित करने हेतु निर्देश दिये गये तथा बाद में दिनांक 23-4-2001 से आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः निर्देश दिये गये। दिनांक 23-4-2001 की प्रति विधायक को भी पृष्ठांकित की गयी।

(कार्मिक मंत्री)

(3) कार्यवाही के संबंध में विवरण भाग संख्या 2 में अंकित किया जा चुका है। पत्र दिनांक 6-1-2001, 9-4-2001 एवं 23-4-2001 की प्रति परिशिष्ट क्रमशः "ग", "घ", "च" पर संलग्न है।

(4) भाग संख्या 2 पर उल्लेख किया जा चुका है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्टोर में उपलब्ध सामान का समायोजन

873. श्री हरीशचन्द (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) योजना स्वीकृत होने पर एवं बजट उपलब्ध होने के बाद योजनाएं चालू करने की क्या प्रक्रिया है ?

(2) जल स्रोत बनाने में देरी होने पर स्टोर में प्राप्त सामान को योजना पर किस विधि द्वारा व्यय किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि ए.आर.पी. मद को अधिक से अधिक खर्च करने एवं बजट को प्रत्येक वर्ष लेप्स नहीं करने के दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिये जाते रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्तिम सप्ताह में ए.आर.पी. बजट होने पर स्टोर में उपलब्ध सामान को स्वीकृत योजनाओं पर बुक कर दिया जाता है और बाद में पुनः उस सामान को आवश्यकतानुसार शनैः शनैः योजनाओं में काम में ले लिया जाता है ? क्या उक्त योजना विभाग द्वारा पूरे राज्य में काम में ली जाती है ? उक्त प्रकार बुक किये सामान का समायोजन किस प्रकार किया जाता है ? क्या उक्त समायोजन में अनियमितताएं होती हैं ? यदि हां, तो उनका निराकरण क्या है ?

उत्तर

(1) योजना स्वीकृत होने पर धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत कार्यों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। योजना में मुख्यतः दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं। सिविल कार्य करवाना तथा सामान की खरीद तथा योजना के विभिन्न अंगों में इनका प्रयोग। सिविल कार्य सामान्यतया वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निविदा लेकर न्यूनतम दरदाता से करवाए जाते हैं। इसी प्रकार सामान की खरीद वित्तीय नियमानुसार डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर संविदा, विभागीय दर संविदा अथवा सामान विशेष हेतु निविदा प्राप्त कर की जाती है। नलकूपों/हैण्ड पम्पों के बोर का निर्माण विभागीय मशीनों द्वारा विभागीय स्तर पर भी किया जाता है।

(2) योजना के कार्य प्रमुखतया दो भाग में होते हैं। सिविल कार्य तथा सामान की खरीद। योजना के निर्माण में प्रयत्न यही किया जाता है कि सबसे पहले स्रोत का निर्माण हो। सामान की खरीद समानान्तर प्रक्रिया के रूप में इस प्रकार की जाती है कि न तो सामान के बिना कार्य

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की प्रगति में व्यवधान हो और न ही सामान लम्बे समय तक अप्रयुक्त रहे।

(3) जी, हां। ए.आर.पी. पद में भारत सरकार से प्राप्त राशि का त्वरित रूप से सदुपयोग करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। चूंकि प्रांत में धन उपलब्धि के सन्दर्भ में समस्या अधिक है, अतः यह भी प्रयत्न किया जाता है कि बजट किसी भी स्तर पर लेप्स न हो।

(4) उक्त प्रश्न में सामान योजना पर बुक करके शनैः शनैः प्रयोग करने का उल्लेख है। इस संबंध में लेख है कि किसी भी योजना का कार्य दो हिस्सों में स्वतः विभाजित हो जाता है। प्रथम भाग में सामान की खरीद तथा द्वितीय भाग में इनको साइट पर प्रयोग करना। सामान पूरे भारत के विभिन्न स्थानों पर लगी हुई फैक्ट्रियों से नियमों में निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त होता है। अतः यह तो सम्भव नहीं है कि प्रत्येक दिवस या सप्ताह उतना ही सामान आवे जो उसी दिन/सप्ताह प्रयोग में आ जावे। सामान की आपूर्ति में भी रा-मटीरियल की कमीं, विद्युत की कमी, आवागमन में देरी आदि कारणों से बाधा आती है/आ सकती है। अतः सम्भव प्रयत्न यही हो सकता है कि जो सामान आए उसे शीघ्रताशीघ्र प्रयोग में ले लिया जावे। इसका पालन किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के रूप में इस बाबत परीवीक्षण भी किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि भण्डार/साइट पर बहुत पुराना सामान बगैर प्रयोग किये तो नहीं पड़ा है। यदि कहीं भी किसी कारण विशेष से पुराना सामान उपलब्ध है तो उस बाबत जानकारी विभाग के अन्य कार्यालयों को दी जाती है ताकि उस सामान का शीघ्रताशीघ्र उपयोग हो सके। विभाग में लागू सभी मदों में जिनमें ए.आर.पी. भी शामिल है, उक्त प्रक्रिया प्रयोग की जाती है।

नियमों की पालना, लेखों का संधारण, सही मद में सामान बुक करना तथा काम में लेना आदि बिन्दुओं पर उपरोक्तानुसार पर्याप्त नियम/दिशा-निर्देश है। आंतरिक परीक्षण दल जांच के समय इन बिन्दुओं पर पालना परखता है। जहां सामान्य कमियां हो वहां उन्हें वह ठीक करवाता है। जहां पर अनियमितता नजर आती है उस स्थान के सन्दर्भ में प्रकरण पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के पेयजल व्यवस्था विहीन ग्राम

874. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में ऐसे भी राजस्व ग्राम तथा ढाणियां हैं जिनको विभाग द्वारा पीने के पानी हेतु पेयजल स्कीमों से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों/ढाणियों में क्या सरकार पेयजल उपलब्ध कराने का विचार

(श्री संजीव कुमार)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा में स्थित कुल 190 आबाद ग्राम (1991 की जनगणना) तथा 7 ढाणियों (चिन्हित) में से 177 ग्राम व सभी 7 चिन्हित ढाणियां पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है। शेष 13 ग्रामों (सूची प्रपत्र-'क' पर संलग्न) की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 20 से कम है।

(2) जी, नहीं। आवादी 20 से कम होने के कारण वर्तमान में प्रचलित विभागीय मानदण्डों में नहीं आने के कारण इन 13 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

पंचायत समिति अरनोद के पेयजल व्यवस्था विहीन ग्राम

875. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2001 में ग्रीष्मकाल में पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु उपखण्ड प्रतापगढ़ के कितने गांवों का चयन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति अरनोद के कुछ गांव/मजरे जहां वाहनों से पहुंचना सम्भव नहीं है ऐसे गांवों में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो ऐसे मजरे/गांव की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 2001 की ग्रीष्मकाल में पेयजल योजना के न्यूनतम आवश्यक स्तर पर संधारण हेतु उपखण्ड प्रतापगढ़ के कुल 491 गांवों का सर्वेक्षण कर 58 ऐसे गांवों को चयन किया गया जहां संवर्द्धन हेतु कार्य प्रस्तावित किए गए।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न 1 के उत्तर में सन्दर्भित गांवों में न्यूनतम आवश्यकता स्तर बनाए रखने हेतु रु. 34.87 लाख अनुमानित लागत पर कार्यों का प्रावधान किया गया है।

सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी (बाड़मेर) द्वारा नियम विरूद्ध दी गई खातेदारी की जांच

876. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्व. श्री हेम सिंह ने अपनी निजी सम्पत्ति की सूची डिप्टी कलक्टर जागीर, बाड़मेर के यहां प्रस्तुत की जो मिशल नं. 2/60 पर दर्ज हुई ?. क्या उक्त सूची के आइटम नं. 5 में खसरा नं. 642 की गोचर भूमि को भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निजी सम्पत्ति में अंकित किया तथा तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23-8-58 में लिखा है कि उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर (कैम्प चौहटन) द्वारा दिनांक 9-8-58 को गोचर भूमि घोषित की जा चुकी है तथा गोचर होने से खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर भूमि होने से स्व. श्री हेमसिंह ने अपना प्रकरण डिप्टी कलक्टर बाड़मेर" के यहां से वापस कर लिया? क्या इसका आदेश दिनांक 10-5-61 है तथा उक्त गोचर भूमि को जो वापस की जा चुकी है? क्या उक्त भूमि पुनः सामलाता वाद 254/86 श्री फतेह सिंह पुत्र श्री हेमसिंह ने सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर के यहां वाद दायर कर निर्णय दिनांक 15-11-89 के द्वारा गोचर में खातेदारी प्राप्त कर ली गई?

(3) क्या यह सही है कि सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर के द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 का उल्लंघन कर उक्त गोचर भूमि में खातेदारी प्रदान की गई? क्या इसे स्व. श्री हेमसिंह द्वारा पूर्व में ही दिनांक 10-5-61 को गोचर होने से वापस ले लिया था? क्या सरकार वापस की गई भूमि में पुनः खातेदारी प्रदान करने के तथा गोचर भूमि में खातेदारी होने के बाद संख्या 254/86 निर्णय दिनांक 15-11-89 का पुनः परीक्षण राजस्व मण्डल, अजमेर से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि स्व. श्री हेमसिंह द्वारा अपनी निजी संपत्ति की सूची डिप्टी कलक्टर जागीर की पत्रावली संख्या 2/60 में प्रस्तुत की है। उक्त सूची के आइटम नं. 5 में खसरा नं. 642 की गोचर भूमि को निजी संपत्ति के रूप में अंकन नहीं है। तहसीलदार की आर्डर शीट दिनांक 23-5-58 में लिखा है कि "उक्त" क्रम संख्या पर दर्शायी गई भूमि को हाल ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा गोचर भूमि घोषित किया है।

(2) यह सही है कि दिनांक 10— को स्व. श्री हेमसिंह द्वारा आवेदन-पत्र देकर दावा खारिज करवाने का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 10-5-61 को आवेदन-पत्र के आधार पर डिप्टी कलक्टर जागीर, बाड़मेर ने मिसल खारिज कर दी। खसरा नं. 642 गैर मु. गोचर रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा भूमि के बारे में एक वाद फतेह सिंह, हेमसिंह, पी. सुलतान सिंह द्वारा पेश किया गया। जो वाद 254/86 न्यायालय सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी में दर्ज होकर निर्णय दिनांक 15-11-89 द्वारा वादीगण के पक्ष में डिग्री हो गया।

(3) यह सही है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, गुढ़ामलानी द्वारा गोचर भूमि की खातेदारी प्रदान की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में गोचर भूमियों की खातेदारी देने का

(राजस्व मंत्री)

प्रावधान नहीं है। स्व. श्री हेमसिंह द्वारा निजी सम्पत्ति की सूची को दिनांक 10-5-61 को वापस लिया गया था। जिसका विवरण बिन्दू संख्या-2 में दिया जा चुका है। सहायक कलक्टर, गुढ़ामलानी के निर्णय दिनांक 15-11-89 के विरुद्ध तहसीलदार, चौहटन द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत रेफरेंस आवेदन जिला कलक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया गया। जो रेफरेंस आवेदन पत्र संख्या 29/90 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 29-12-92 के द्वारा खारिज किया गया है।

वाद संख्या 254/86 में सहायक कलक्टर, गुढ़ामलानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-11-89 के विरुद्ध निजी तौर पर श्री भगवान दास डोसी, भू.पू. विधायक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 के तहत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश किया गया, जो प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र टी.ए. 1/97 बाड़मेर दर्ज है। इस प्रकरण में दिनांक 9-6-99 को श्री भगवान दास डोसी का स्वर्गवास हो गया है जिसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रकरण न्यायालय में सुनवाई में चल रहा है। प्रकरण में सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश भी पारित किये हुए हैं।

गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर की गोचर भूमि की नियम विरुद्ध खातेदारी

877. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 (1) में वर्णित भूमि में किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते? यदि हां, तो क्या सहायक, कलक्टर गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर की अदालत में वाद संख्या 254/86 के निर्णय दिनांक 15-11-89 द्वारा गोचर भूमि में खातेदारी प्रदान कर दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वाद संख्या 254/86 में प्रतिवाद पत्र तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या उक्त में लिखा गया कि आराजी मौजा का रकबा गोचर है तथा गोचर होने से इसमें खातेदारी नहीं दी जा सकती तथा उक्त भूमि को दिनांक 9-8-58 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर (कैम्प चौहटन) के आदेश द्वारा गोचर घोषित किया जा चुका है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गोचर भूमि को हड़पने के लिए पूर्व में मिशल नं. 2/62 व 3/62 डिप्टी कलक्टर जागीर बाड़मेर को प्रस्तुत की गई तथा उन्होंने आदेश दिनांक 31-3-67 द्वारा मिशल खारिज कर दी और उक्त गोचर भूमि में पुनः नाजायज कब्जा करने पर तहसीलदार चौहटन द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई और दिनांक 23-9-82 के द्वारा बेदखली का आदेश मय शास्ति प्रदान किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर भूमि को प्राप्त करने के लिए पुनः नया वाद संख्या 254/86 दायर कर सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर से खातेदारी प्राप्त कर ली गई? यदि हां, तो क्या सरकार वाद संख्या 254/86 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 का उल्लंघन कर गोचर में खातेदारी देने के गलत निर्णय का कानूनी परीक्षण राजस्व मण्डल अजमेर से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) प्रश्नगत प्रकरण वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी में विचाराधीन है तथा प्रकरण से संबंधित पत्रावली भी उक्त न्यायालय में होने के कारण सूचना संकलित किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रकरण से संबंधित भूमि को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 9-8-58 को (कैम्प चौहटन) में गोचर घोषित करने के आदेश बाबत कलक्टर कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। किन्तु पत्रावली संख्या 2/60 में इसका संदर्भ अवश्य है।

(3) जी, हां। तहसीलदार चौहटन द्वारा वर्ष 1982 में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बेदखली एवं शास्ति का आदेश पारित किया गया था।

(4) यह सही है कि उक्त गोचर भूमि से संबंधित राजस्व वाद संख्या 254/86 सहायक कलक्टर, गुढ़ामलानी के न्यायालय में दायर किया गया था, जिसके निर्णय दिनांक 15-11-89 से खातेदारी अधिकार दिये गये थे। उक्त निर्णय दिनांक 15-11-89 के विरुद्ध तहसीलदार चौहटन द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत रेफरेंस आवेदन पत्र जिला कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया गया था, जो रेफरेंस आवेदन पत्र संख्या 29/90 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 29-12-92 द्वारा खारिज किया गया है।

वाद संख्या 254/86 में सहायक कलक्टर, गुढ़ामलानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-11-89 के विरुद्ध निजी तौर पर श्री भगवान दास डोसी, भू.पू. विधायक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 के तहत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किया गया।

दिनांक 9-6-99 को श्री भगवान दास डोसी का स्वर्गवास हो गया है, जिसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रकरण न्यायालय में सुनवाई में चल रहा है। प्रकरण में सहायक कलक्टर गुढ़ामलानी के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश भी पारित किये हुए हैं।

तहसीलदार सलूम्बर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

878. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में वर्ष 1998-99 में कितने गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये?

(2) क्या यह सही है कि दस वर्ष से अधिक के कई आबंटियों को अभी तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं?

(3) तहसील सलूम्बर के राजस्व रिकार्ड में कितने गैर खादेतार काश्तकार दर्ज हैं?

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में वर्ष 1998-99 में कुल 4491 गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

(2) यह सही है कि दस वर्ष से अधिक के कई आबंटियों को आबंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अभी तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

(3) तहसील सलूम्बर के राजस्व रिकार्ड के अनुसार 3775 गैर खातेदार दर्ज है।

जिला उदयपुर के ग्रामों में परिवर्तित मजरे

879. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में कितने मजरे व ढाणियों को ग्रामों में परिवर्तित किया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिला उदयपुर में कितने मजरों को ग्रामों में परिवर्तित किया गया?

(3) उक्त जिले के अमलोदा ग्राम के साहनपुरा मजरे को ग्राम में क्यों नहीं परिवर्तित किया गया?

(4) क्या इसका नाम काश्तकारों ने नामांकित किया था?

उत्तर

(1) राज्य में गत पांच वर्षों में 999 मजरे/ढाणियों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया, उनकी संख्या वर्षवार निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	घोषित राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	1996	270
2.	1997	187
3.	1998	096
4.	1999	446
5.	2000	—
	योग	999

(2) उक्त अवधि में जिला उदयपुर के 129 मजरों को ग्रामों में परिवर्तित किया गया।

(3) मजरा सोहनपुरा की जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड से कम होने के कारण इसे राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया।

(4) जी, हां।

जिला कोटा के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

880. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के मजरा व ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व प्राप्त प्रस्तावों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार प्रस्तावित मजरा व ढाणियों को राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कोटा की तहसील पीपल्दा की पांच मजरे/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें अचलगढ़, कीरपुरा, सुमेरनगर, अमरापुरा एवं आडागेला उर्फ हरीपुरा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना दिनांक 7-4-2001 को जारी की जा चुकी है।

(2) जिला कोटा की तहसील पीपल्दा के उक्त मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना दिनांक 7-4-2001 को जारी की जा चुकी है।

सीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि

881. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अब तक सीलिंग कानून के तहत कितनी कृषि भूमि किसानों से अवाप्त की गई और उसमें से कितनी भूमि गरीब किसानों में बांटी जा चुकी है तथा कितनी शेष हैं?

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग कानून के तहत जिन किसानों के फैसले हो चुके थे उनके सीलिंग केस रिओपन किये गये थे? यदि हां, तो कुल कितने केस थे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से अब कितने केस बाकी हैं?

(4) क्या यह सही है कि अधिकारियों से मिलकर कृषि भूमि को सीलिंग कानून से बचाया गया? यदि हां, तो क्यों और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक सीलिंग कानून के अन्तर्गत 504894.12 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें से 461120.48 एकड़ भूमि आबंटन नियमों के अन्तर्गत आबंटित की जा चुकी है तथा 43773.64 एकड़ भूमि आबंटन से शेष है।

(2) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा-15 के प्रावधानों में 8601 सीलिंग केसों को रिओपन किया गया है। जिलेवार सूची 'परिशिष्ट-क' संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) संबंधित सक्षम न्यायालयों में 480 प्रकरण विचाराधीन है।

(4) यह सही नहीं है कि अधिकारियों से मिलकर कृषि भूमि को सीलिंग कानून से बचाया गया है। सीलिंग लिमिट से अधिक भूमि के प्रकरण तैयार कर विधिवत कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

ग्राम पंचायत सावर (अजमेर) में मन्दिर की भूमि पर अवैध खनन

882. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान की भूमि पर खनिज दोहन हेतु क्या कोई नीति निर्धारित है? राज्य के जो मन्दिर गांवों में स्थित हैं व विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है उन मन्दिरों के लिए क्या नीति है?

(2) क्या गांवों में जो छोटे मन्दिरों की जमीन है उसके संरक्षक पुजारी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जिन मन्दिरों की जमीन में मूर्ति के अलावा पुजारी का नाम जमाबन्दी में दर्ज है, उनका नाम जमाबन्दी से विलोपित किया है? यदि हां, तो क्यों व किस नियम के तहत व उसका संरक्षक किस को माना जाये?

(4) क्या गांवों के छोटे मन्दिरों की देख-रेख के लिए उपखण्ड स्तर पर कोई समिति है? यदि हां, तो उसको क्या अधिकार है?

(5) क्या समिति को मन्दिरों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का अधिकार है? क्या उक्त समिति को खनिज कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है?

(6) क्या ग्राम पंचायत सावर, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में श्री बावन माता का मन्दिर रकबा 194-17-10 बीघा भूमि है? क्या उक्त भूमि में खनिज कार्य हो रहा है? यदि हां, तो किस नियम के तहत और नहीं, तो क्या सरकार खनिज दोहन कार्य हेतु दिया गया अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मन्दिरों की भूमि पर खनिज दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक विभागीय खनन नीति दिनांक 18-4-2000 निर्धारित है। अराजकीय एवं अपंजीकृत मन्दिरों की भूमि पर खनिज दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की कोई नीति नहीं है।

(2) जी, नहीं। मन्दिरों की देव मूर्ति की भूमि को राजस्व कानूनों में पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, पुजारी केवल सेवक या प्रबन्धक मात्र होता है।

(3) जी, हां। देव मूर्ति की भूमि को पुजारियों द्वारा अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करवा लेने या उसे विक्रय कर देने की

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

शिकायतें प्राप्त होने से अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने की दृष्टि से राजस्व जमाबन्दी में से पुजारी का नाम विलोपित करने हेतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प2(4)राज/4/90/37 दिनांक 13-12-91 के द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को निर्देश दिये गये हैं। राजस्व कानूनों में देव मूर्ति की भूमि को संरक्षण प्राप्त है।

(4) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(20)राज/3/85 दिनांक 18-6-85 दिनांक 18-6-92 से उप खण्ड अधिकारी के संयोजन में गठित उक्त समिति द्वारा निम्न कार्य संचालित किये जाते हैं :—

1. ग्रामीण अंचलों में स्थिति विभिन्न गांवों में धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण/नाजायज कब्जे और अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की देव मूर्ति की जमीन में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना तथा उन्हें मुक्त कराना।

2. धार्मिक स्थलों का स्थानीय व्यक्तियों की आस्था और विश्वास के अनुरूप संरक्षण और विकास।

3. धार्मिक स्थलों की भूमि का उचित प्रबन्ध। इस भूमि को समय-समय पर उचित व्यक्तियों को काश्त के लिए अथवा उचित कार्य हेतु अस्थाई रूप से आबंटित करना और प्राप्त होने वाली आय को मंदिर के प्रबन्ध सेवा पूजा धार्मिक आयोजनों में उचित ढंग से लगाना एवं मंदिर का समुचित विकास करना।

4. धार्मिक स्थलों के विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करना।

5. धार्मिक स्थलों पर परम्परा और आस्था अनुसार पुजारियों व अन्य कर्मचारियों का प्रबन्ध करना।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, हां। राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम सावर तहसील केकड़ी जिला अजमेर में खसरा नम्बर 1511, 1516 व 1517 के अन्तर्गत कुल रकबा 194-17-10 बीघा भूमि मन्दिर मूर्ति श्री माताजी महाराज दर्ज है। उक्त भूमि में खनिज मार्बल के 3 खनन पट्टे प्रत्येक का क्षेत्रफल 2.25 हैक्टेयर का दिनांक 19-11-97 को खनिज मार्बल नीति 1994 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नियमावली, 1986 के तहत स्वीकृत किये गये हैं, जो नियमानुसार है, उक्त स्वीकृत खनन पट्टों की भूमि में खनन कार्य हो रहा है। चूंकि स्वीकृति नियमानुसार है इसलिए इसे निरस्त करने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

जिला धौलपुर में अनाज क्रय केन्द्रों की स्थापना

883. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों की फसलों के अनाज के मूल्य

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

निर्धारित कर रखे हैं? यदि हां, तो जिन्सवार मूल्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने किसानों को उक्त मूल्य दिलाने के क्या प्रबन्ध किये हैं?

(3) क्या सरकार किसानों की पैदावार के सभी प्रकार के अनाज खरीदती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) जिला धौलपुर में फसल बिक्री के लिए अब तक सेन्टर क्यों नहीं खोले गये हैं? उक्त में कौन-कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिन अनाजों के मूल्य निर्धारित किये गये हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है :—

रबी सीजन वर्ष 2001-2002

नाम जिन्स	**समर्थन मूल्य**
गेहूं	610 प्रति क्विं.
जौ	500 प्रति क्विं.
चना	1100 प्रति क्विं.
रेपसीड/सरसों	1200 प्रति क्विं.
सनफ्लोवर	1200 प्रति क्विं.

खरीफ सीजन 2000-2001

ज्वार	445 प्रति क्विं.
बाजरा	445 प्रति क्विं.
मक्का	445 प्रति क्विं.
रागी	445 प्रति क्विं.
मूंगफली	1220 प्रति क्विं.
सोयाबीन	865 प्रति क्विं.
मूंग	1200 प्रति क्विं.
उड़द	1200 प्रति क्विं.
अरहर (तूर)	1200 प्रति क्विं.
सूर्यमुखी	1200 प्रति क्विं.
पेडी कामन	510 प्रति क्विं.
पेडी ग्रेड-ए	540 प्रति क्विं.

(2) राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर उक्त जिन्सों में से कुछ जिन्सों की खरीद करवाने के प्रबन्ध किये गये हैं। राजस्थान में कुल 140 क्रय केन्द्र खोले गये हैं।

(3) समर्थन मूल्य पर उक्त में से कुछ प्रमुख जिन्सों की खरीद भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार की इकाइयां मिलजुल कर करती हैं।

(4) धौलपुर, बसेड़ी एवं बाड़ी में गेहूं व सरसों की खरीद के लिए क्रय केन्द्र खोले गये हैं। अतः कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

फुलेरा (जयपुर) कस्बे में गैस एजेन्सी द्वारा बिना अनुमति के विक्रय काउन्टर

884. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे में कौन-कौन सी गैस एजेन्सी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फुलेरा कस्बे में कार्यरत सभी एजेन्सीज़ ने रसद विभाग से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर रखा है?

(3) क्या फुलेरा कस्बे में उर्मिल गैस, अशोका गैस, शास्त्री नगर गैस सर्विस आदि ने बिना रसद विभाग की अनुमति के काउन्टर (दुकानें) खोल रखें हैं? यदि हां, तो उनके द्वारा जनता से भाड़े के नाम पर मनमानी राशि वसूलने की कार्यवाही को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

(4) क्या जयपुर से कई ट्रांसपोर्टर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बाहर ले जाते हैं? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे में वर्तमान में निम्नांकित गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं :—

(अ) द. वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लाइज कन्ज्यूमर्स को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, फुलेरा।

(ब) महालक्ष्मी गैस सर्विस, जयपुर।

(स) शास्त्री नगर गैस सर्विस, जयपुर।

(द) नावां गैस सर्विस, नावां शहर (नागौर)।

(2) जी, नहीं।

(3) फुलेरा कस्बे में पूर्व में उर्मिल गैस तथा अशोका गैस एजेन्सियों द्वारा विस्तार पटल खोल कर बुकिंग की गई थी, परन्तु वर्तमान में ये एजेन्सियां कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान में शास्त्री नगर गैस सर्विस तथा नावां गैस सर्विस द्वारा बिना रसद विभाग की अनुमति के काउन्टर खोला हुआ है तथा व्यापार किया जा रहा है। उक्त गैस एजेन्सियों द्वारा जनता से भाड़े के नाम पर मनमानी राशि वसूल करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जयपुर जिले से ट्रांसपोर्टर द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बाहर ले जाने बाबत कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्रामों हेतु निर्मित ढारिया मूलसागर बांध

885. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देसूरी में ढारिया मूलसागर बांध निर्माण की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के किन-किन गांवों को कमाण्ड क्षेत्र में लेने का प्रस्ताव था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के ढारिया मूलसागर बांध निर्माण की योजना के तहत जवाली, खोड़, डिगाई, कल्याणपुरा, खटुकड़ा चांगवा गांवों की कृषि भूमि को कमाण्ड क्षेत्र बनाने की योजना प्रस्तावित थी? यदि हां, तो कमाण्ड क्षेत्र में किन-किन गांवों को लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जवाली, खोड़, डिगाई, कल्याणपुरा, खटुकड़ा चांगवा ग्रामों की भूमि को कमाण्ड क्षेत्र में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में धारिया मूलसागर बांध निर्माण की योजना बनायी गयी थी। उक्त प्रस्तावित सिंचाई परियोजना से रानी पंचायत समिति के दुठारिया, इटन्दड़ा मेड़तियान, ओडवारिया, सेदरिया, हिरण खुर्द व पादरली तुरकान कुल 6 गांवों की भूमि को सिंचाई हेतु कमाण्ड में लिया जाना प्रस्तावित था।

(2) जी, नहीं। धारिया मूलसागर बांध निर्माण योजना के तहत जवाली, खोड़, डिगाई, कल्याणपुरा, खटुकड़ा व चांगवा गांवों की कृषि भूमि को कमाण्ड क्षेत्र में लिया जाना प्रस्तावित नहीं था। कमाण्ड क्षेत्र में प्रश्न संख्या एक के अनुसार 6 गांवों की भूमि को लिया जाना प्रस्तावित था।

(3) जी, नहीं। क्योंकि बांध की भराव क्षमता के अनुरूप उक्त क्षेत्र निर्धारित कमाण्ड क्षेत्र में नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के प्रस्तावित बांध

886. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देसूरी के गांव चांचोड़ी के तालाब को बांध में तब्दील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की जा रही है और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव माण्डल में नदी पर वेस फ्लो का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त ग्राम चांचोड़ी का तालाब विभाग के अधीन नहीं होकर ग्राम पंचायत/पंचायत समिति (देसूरी) के अधीन होने एवं पर्याप्त जल आवक नहीं होने से इसे बांध में तब्दील करना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी, हां। उक्त कार्य की स्वीकृति अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिला कलक्टर (सहायता) पाली द्वारा दिनांक 30-3-2001 को रुपये 5.53 लाख हेतु जारी की जाकर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।

जिला बांसवाड़ा के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु नाइट्रोजन गैस की आपूर्ति

887. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पशु धन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान कराने की सुविधा उपलब्ध होने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? यदि हां, तो इसके लिए नाइट्रोजन गैस सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इसके बिना कृत्रिम गर्भाधान सम्भव है?

(2) जिला बांसवाड़ा के पशु चिकित्सालयों में कितने माह से नाइट्रोजन गैस सप्लाई नहीं हो रही है? यदि नहीं, तो कितनी नाइट्रोजन गैस सप्लाई की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के लिए तरल नाइट्रोजन गैस सप्लाई की जाती है। वर्तमान में बजट अभाव के कारण लगभग 3 माह से तरल नाइट्रोजन गैस सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया। नाइट्रोजन गैस के अभाव में कृत्रिम गर्भाधान सुविधा को चालू रखना सम्भव नहीं है।

(2) बांसवाड़ा जिले में लगभग चार माह से तरल नाइट्रोजन गैस सप्लाई नहीं हो रही है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

888. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या पशुधन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय और उप केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों और उप केन्द्रों में से कितने सरकारी भवनों में तथा कितने प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में कई पशु चिकित्सालय अथवा उप केन्द्र किराये के भवनों में भी चल रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस मकान मालिक को कितना-कितना किराया प्रति वर्ष दिया जाता है? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भवन रहित चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में निम्नांकित पशु चिकित्सालय और उप केन्द्र कार्यरत हैं :—

(राज्य मंत्री, पशुधन एवं डेयरी विकास)

पशु चिकित्सालय

1. पशु चिकित्सालय, भादरा
2. पशु चिकित्सालय, छानीबड़ी
3. पशु चिकित्सालय, डाबड़ी
4. पशु चिकित्सालय, नेठराना
5. पशु चिकित्सालय, उत्तरादाबास
6. पशु चिकित्सालय, कलाना
7. पशु चिकित्सालय, मलसीसर

पशु औषधालय

1. पशु औषधालय, शेरडा
2. पशु औषधालय, भिरानी
3. पशु औषधालय, मलखेड़ा
4. पशु औषधालय, मलखेड़ा

उपकेन्द्र

1. उपकेन्द्र, चिड़ियागांधी
2. उपकेन्द्र अजीतपुरा
3. उपकेन्द्र भाडी
4. उपकेन्द्र भानगढ़

(2) उक्त चिकित्सा संस्थाओं में से पशु चिकित्सालय, भादरा ही प्राइवेट भवन में चल रहा है, अन्य सभी चिकित्सा संस्थाएं सरकारी भवनों में चल रही है।

(3) पशु चिकित्सालय, भादरा किराये के भवन में चल रहा है, जिसका किराया प्रतिवर्ष 42,600/- रुपये श्रीमती सम्पति देवी नाहटा, भादरा को दिया जाता है।

(4) वर्तमान में नवीन भवन निर्माण कराने का कोई विचार नहीं है।

रजिस्ट्रार बोर्ड आफ होमियो मेडिसन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

889. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्यादेश क्रमांक प.10(3) आयुर्वेद/99, दिनांक 17-8-2000 के द्वारा रजिस्ट्रार बोर्ड आफ होमियो मेडिसन राजस्थान, जयपुर को अपने पद के कार्य के साथ-साथ आयुर्वेद (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय में तकनीकी कार्य राय के साथ उप शासन सचिव आयुर्वेद को पत्रावलियां प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो किस कारण से?

(2) क्या उक्त पद नया सृजित किया गया है? यदि हां, तो कब और किस आदेश से तथा क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन, राजस्थान जयपुर द्वारा आयुर्वेदरतन् (हि.सा.स.प्रयाग) के आधार पर वैद्य (ब) श्रेणी में पंजीयन संख्या 5795 दिनांक 7-12-65 से किया गया था? यदि हां, तो क्या उसने आयुर्वेदरत्न से पूर्व प्रवेश योग्यता परीक्षा वैद्य विशारद या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? यदि हां, तो कब और क्या?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्य ने ही अपने उक्त पंजीयन को "अ" श्रेणी में परिवर्तन कर "अ" श्रेणी का नवीन पंजीयन पत्र और प्राप्त कर लिया है और उसके लिए बोर्ड के नियमानुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित श्रेणी परिवर्तन आवेदन पत्र पूर्व के "ब" श्रेणी के मूल पंजीयन पत्र सहित, मय शुल्क के बोर्ड में प्रस्तुत ही नहीं किया और न ही अपनी योग्यता का सत्यापन कराया जो बोर्ड के नियमानुसार आवश्यक था।

(5) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य को पूर्व में जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर, रजिस्ट्रार इण्डियन मेडिसन बोर्ड, जयपुर एवं वहां से विशेषाधिकारी आयुर्वेद के पद सचिवालय में पदस्थापित किया गया था, जबकि यह पद सृजित ही नहीं था? क्या इसके विरुद्ध राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त होने के कारण वहां से हटा कर राजस्थान होमियो, बोर्ड रजिस्ट्रार पद पर पदस्थापित कर दिया?

(6) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रकाशित वरीयता सूची में 386 चिकित्सकों से कनिष्ठ होने के साथ-साथ प्राइवेट संस्थाओं की उपाधियों के आधार पर वैद्य के पद पर सेवारत है, जबकि उससे वरिष्ठ एवं विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त उच्चाधिकारी उपलब्ध होने के पश्चात् भी उक्त श्री वशिष्ठ को बार-बार उक्त प्रकार से उच्च पदों पर पदस्थापित किया जा रहा है जिसके कारण उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच होना भी सम्भव नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार को उक्त अधिकारी के विरुद्ध उक्त मामलों एवं उसके भ्रष्ट कार्यकलापों/अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस से और कब तथा उसके पश्चात् सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? प्राप्त शिकायतों एवं आदेशों व अभिलेखों की प्रति सहित उक्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आवश्यकतानुसार तकनीकी कार्य/राय रजिस्ट्रार राजस्थान होमियो मेडिसन राजस्थान जयपुर से अपने कार्य के साथ-साथ ली जाती है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा प्रदत्त उपाधि आयुर्वेद रत्न के आधार पर नियमानुसार पंजीयन किया गया है।

(4) आयुर्वेद रत्न उपाधि धारकों का पंजीयन "अ" श्रेणी में किया जाता है। लिपिकीय त्रुटिवश "ब" श्रेणी में पंजीयन किया गया, जिसे संशोधन किया गया है।

(5) जी, हां। उक्त वैद्य का प्रशासनिक कारणों से विशेषाधिकारी, आयुर्वेद के मद से रजिस्ट्रार, होमियोपैथी बोर्ड पर पद स्थापित किया है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(6) निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर की अधिसूचना क्रमांक 12364 दिनांक 23-4-98 द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची में श्री श्याम सुन्दर शर्मा (वशिष्ठ) का नाम वरिष्ठता क्रमांक 387 पर अंकित है तथा इनकी योग्यता आयुर्वेदाचार्य दिल्ली विद्यापीठ 1966 है। प्राप्त शिकायतों की निष्पक्षता से जांच की जाती है।

(7) जी, हां। उक्त अधिकारी के विरुद्ध श्री चन्द कृपलानी, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़, डा. वी. के. शास्त्री, अशोक तिवाड़ी, मंत्री भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर, चरणदास गुजराती, महा मंत्री, जोधपुर शहर जिला युवक कांग्रेस (ई) से प्राप्त शिकायतों पर तत्कालीन उप निदेशक, आयुर्वेद, बीकानेर से जांच कराई गई। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जनवरी, 1999 में प्रस्तुत की, जिस पर राज्य सरकार ने विस्तृत जांच अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), आयुर्वेद विभाग, अजमेर से कराने का निर्णय लिया। अतिरिक्त निदेशक के पास जांच विचाराधीन है। प्राप्त शिकायतों, जांच प्रतिवेदन की प्रतियां परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य में सहायता प्राप्त निजी औषधालय

890. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निजी औषधालय कार्यरत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कौन-कौनसा तथा किसके द्वारा संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों को सरकार द्वारा किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है तथा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उक्त संबंध में बने हुए नियमों व सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी सहायता उक्त औषधालयों को सरकार द्वारा दी गई और उन्होंने प्रत्येक वर्ष कितने-कितने मरीजों का इलाज किया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 2000-01 में जिन निजी आयुर्वेद व होमियोपैथिक औषधालयों को विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) निजी क्षेत्र में संचालित औषधालयों को आयुर्वेद विभागीय अनुदान

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(सहायता) नियम-1972 के तहत अनुदान प्रदान किया जाता है। इच्छुक संस्थाओं से प्रति वर्ष 30 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तथा पात्रता की जांच उपरान्त विभागीय अधिकारियों से संस्था का निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण में अनुकूल अभिशंसा होने पर संस्था के गत वर्ष के लेखों की जांच कराई जाती है। तत्पश्चात् शासन सचिव, आयुर्वेद की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बजट प्रावधानों के तहत अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। आयुर्वेद विभागीय अनुदान (सहायता) नियम, 1972 की प्रति परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 2000-01 में जिन निजी संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, उनकी वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की वार्षिक रोगी संख्या तथा वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

यूनानी चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आहरण के अधिकार

891. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नवम्बर, 2000 में आदेश जारी कर होमियोपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों/कर्मचारियों के वेतन आहरण के अधिकार जिला आयुर्वेद अधिकारियों को दिये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेद विभाग के उप शासन सचिव द्वारा मार्च, 2001 में आदेश जारी कर होमियोपैथिक के वेतन आहरण/वितरण के अधिकार वापस उप निदेशक होमियोपैथिक को दे दिये थे? उक्त संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यूनानी सहायक निदेशक को उक्त अधिकारी से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब यूनानी सहायक निदेशक को उक्त अधिकार पुनः देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्रांक प10(72) आयु/99 दिनांक 25-11-2000 की स्वीकृति अनुसार निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर के आदेश क्रमांक 37337-40 दिनांक 27-11-2000 द्वारा विभागान्तर्गत संचालित होमियोपैथिक एवं यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के माह दिसम्बर, 2000 से वेतन आहरण/वितरण का अधिकारी संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारियों को दिया गया था।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) राज्य सरकार के पत्रांक प.10(72)आयु/99 दिनांक 12-3-2001 की अनुपालना में निदेशालय के पत्रांक 8036-105 दिनांक 17-3-2001 द्वारा विभागान्तर्गत संचालित होमियोपैथिक औषधालयों/ चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक व कर्मचारियों का माह मार्च, 2001 से वेतन आहरण वितरण का अधिकार पुनः उप निदेशक, होमियोपैथिक को दे दिया है। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार के पत्रांक प10(72) आयु/99 दिनांक 19-4-2001 की पालना में निदेशालय के पत्रांक 12221 दिनांक 23-4-2001 के द्वारा विभागान्तर्गत संचालित यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों व कर्मचारियों को माह मई, 2001 से वेतन आहरण वितरण का अधिकार पुनः सहायक निदेशक, यूनानी को दे दिया गया है।

(4) प्रश्न 3 के जवाब में सम्मिलित है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भू-आबंटन

892. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामान्य आबंटन हेतु कितने आवेदकों के प्रार्थना पत्र कब से लम्बित हैं ?

(2) क्या उक्त आवेदकों को भूमि आबंटन हेतु राजस्व तहसीलदारों का सद्भावी काश्तकार होने का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा ?

(3) क्या यह सही है कि यदि भूमिहीन बेरोजगार मजदूरी करता है या चाय का ठेला चलाता है तो उनका आवेदक खारिज किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1992 से 1994 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक करने का कार्यक्रम है ?

(5) क्या सरकार उपलब्ध भूमि को अविलम्ब आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के सामान्य श्रेणी में भूमि आबंटन के माह फरवरी, 2001 तक कुल 5910 आवेदन पत्र वर्ष 1994 से लम्बित है।

(2) राजस्थान उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम-2 (1) में सद्भावी काश्तकार की परिभाषा में अंकित है। उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आवेदनकर्ता का फोटो फार्म, जिसमें

(उपनिवेशन मंत्री)

उसकी धारित भूमि एवं सद्‌भावी काश्तकार होने का विवरण अंकित होकर संबंधित क्षेत्र के राजस्व तहसीलदार से प्रमाणित होकर आता है। ऐसी सूरत में पृथक से सद्‌भावी काश्तकार होने का प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं रहती है।

(3) इ.गा.न.प. उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.) उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय (नियम, 1975 के नियम 2 (1) (13) में भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा अंकित है उसके अनुसार भूमिहीन व्यक्ति जिसका पुस्तैनी धन्धा कृषि है अथवा कृषि मजदूरी है, उन्हीं को भूमि का सामान्य आबंटन नियम 7 (1) में बनी प्राथमिकतानुसार किया जाता है।

(4) जी, हां। वर्ष 1994 से लम्बित 5910 आवेदन पत्र लम्बित है, उनमें माह जुलाई, 2001 के अन्त तक भूमि की उपलब्धता होने पर आबंटन कर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जिला जैसलमेर में सामान्य श्रेणी के भूमि आबंटन से शेष आवेदन पत्रों में भूमि आबंटन का कार्य प्रगति पर है। आबंटन में शेष 5910 आवेदन पत्रों को माह जुलाई, 2001 के अन्त तक भूमि का आबंटन कर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री रामप्रताप एवं श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में दर्ज अभियोग संख्या-59, 60 एवं 61/2001 के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न भागों में भारी तादाद में नकली नोटों का प्रचलन होने के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के चार दरवाजा बाहर पंच हनुमान मंदिर के पास स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री कय्यूम खान, सदस्य की ओर से मसूदा-विजयनगर में डाक्टर्स के रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

(2) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम समदड़ी में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

(3) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से प्रदेश की जनता को नीम-हकीमों से राहत दिलाने हेतु चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती करने के संबंध में।

(4) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता बनाये रखने के लिए तीर्थ क्षेत्र में मांस-मदिरा एवं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।

(5) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के रामसागड़ा में पुलिस थाना स्थापित करने के संबंध में।

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा, सदस्य की ओर से बयाना नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा आराजी खसरा नम्बर-134 की जमीन पर कथित अतिक्रमण करने के संबंध में।

(7) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गणेशपुर थाने को ढाबेड़ा में स्थानान्तरित करने के संबंध में।

(8) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से अलवर की मैसर्स विजय सोलवैक्स लिमिटेड द्वारा बिक्री कर की कथित चोरी करने के संबंध में।

(9) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की कतिपय पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में।

(10) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में उपखण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में।

श्री कय्यूम खान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्रता-पूर्वक आपसे प्रार्थना है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने बात सुनी नहीं। आसन पर क्योंकि वह स्वयं खड़े थे, हमारी मजबूरी थी। हमने सत्र शुरू नहीं हुआ उसके दस-पन्द्रह दिन पहले से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाये, प्रत्येक दिन स्थगन प्रस्ताव दिये, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह पहला बजट सत्र होगा जिसमें अभी तक एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकी, न किसी प्रकार के स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए भी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का आसन से कोई मौका दिया गया। वास्तव में हम आसन से ही अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं, आसन से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारी अपेक्षा रहती है। हम जिन मुद्दों को यहां विधान सभा में आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं, कई चीजें तो सरकार के ध्यान में लाकर हम लोगों के इन विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की मदद करते हैं। जो विषय उनकी जानकारी में नहीं है उस विषय की जानकारी भी हम ढूंढ कर लाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि पूरा सत्र निकल गया लेकिन एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगा। यह पहली बार बजट सत्र होगा शायद जिसमें कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय से आप चेम्बर में अलग से चर्चा कर लें, दो-तीन रोज हैं उसमें चेष्टा करते हैं कि कोई लग सकता है। श्री कय्यूम खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार होगा। हमेशा दो-दो, तीन-तीन ध्यानाकर्षण लगते रहते हैं। अब उपाध्यक्ष महदोय...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, अलग से बात करेंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मसूदा-विजय नगर में डाक्टर्स के रिक्त पद

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विजय नगर की जनता बहुत परेशान हो रही है, करीब छह माह से वहां पर गायनिक (स्त्री रोग) विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक के पद रिक्त हैं। पच्चीस से तीस हजार की आबादी वाले क्षेत्र विजय नगर में डाक्टर्स के नहीं होने से जनता बहुत परेशान है। इसी प्रकार मसूदा में भी डाक्टर्स की बहुत कमी है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चिकित्सा मंत्रीजी जल्द से जल्द वहां पर खाली पड़े स्थानों को डाक्टर्स से भरें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल।

सिवाना के ग्राम समदड़ी में उप तहसील कार्यालय

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी ग्राम में उप तहसील खोलने के क्रम में निवेदन है कि सिवाना तहसील में कुल 40 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 20 ग्राम पंचायतें एक तरफ एवं 20 ग्राम पंचायतें

(श्री गोपाराम मेघवाल)

दूसरी तरफ हैं तथा उन दोनों के बीच लूनी नदी आती है जो बरसात के मौसम में चार माह बहती है। तहसील मुख्यालय सिवाना में होने से नदी के दूसरी तरफ बसी करीब 20 ग्राम पंचायतों के लोग एवं किसान अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए तहसील मुख्यालय पर नहीं जा सकते हैं, अतः लोगों एवं किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समदड़ी कस्बे की आबादी 25 हजार के आस-पास हो चुकी है एवं इसके आस-पास की करीब 20 ग्राम पंचायतें ग्राम समदड़ी से सीधे यातायात से जुड़ी हुई हैं। अतः किसानों के राजस्व संबंधी प्रकरणों को निपटाने हेतु समदड़ी में उप तहसील बनाना अति आवश्यक है। लम्बे समय से लोगों की मांग को देखते हुए समदड़ी ग्राम में उप तहसील खोलने की कार्यवाही कर उसे क्रियान्वित करने का आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

नीम हकीमों पर रोक एवं चिकित्सा व नर्सिंगकर्मियों की भर्ती

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नीम-हकीमों पर रोक लगाने तथा नर्सिंग कर्मियों सहित विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने हेतु माननीय चिकित्सा मंत्री एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में हजारों ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान जमीन गिरवी रख कर ब्याज पर पैसा लेकर जैसे-तैसे दुःख तकलीफ उठाकर नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन कराने के बाद भी इस महाअकाल के समय में रोजी-रोटी के लिए मोहताज है।

श्रीमन् एक ओर तो ये प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी बेरोजगार घूम रहे हैं, दूसरी ओर चिकित्सा कर्मियों के कई वर्षों से रिक्त पदों को बार-बार भरने की घोषणा के बाद भी नहीं भरने के कारण प्रदेश में लोगों को पर्याप्त व बेहतर चिकित्सा सेवा से महरूम रहने के कारण मजबूरन नीम हकीमों का सहारा लेना पड़ रहा है जिससे धन हानि तो हो ही रही है, नीम-हकीमों व अप्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के कारण जनहानि का भी पूरा-पूरा खतरा बना हुआ है।

अतः मैं सदन एवं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को नीम-हकीमों से छुटकारा दिलवाने तथा बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए अतिशीघ्र चिकित्सकों विशेषकर नर्सिंग कर्मियों (पैरा मेडिकल स्टाफ) की भर्ती कर रिक्त पदों की पूर्ति करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

पुष्कर तीर्थक्षेत्र में मांस-मदिरा व अन्य नशीले पदार्थों पर पाबन्दी

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता बनाये रखने के संबंध में निवेदन है कि तीर्थराज पुष्कर विश्वविख्यात धार्मिक नगरी है। इस पवित्र नगरी में दूरदराज, देश-विदेश से लाखों धार्मिक यात्री आते हैं। उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए इस पवित्र नगरी तथा इसके चार किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र में मांस-मदिरा तथा सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर सख्ती से पाबंदी लगाना अति आवश्यक है। इसकी अवहेलना करने वाले को दण्डित करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग को सख्त कानून बनाकर विधान सभा में बिल पास करना चाहिए, ताकि कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।

पुष्कर नगर में हरिजनों द्वारा पाले जाने वाले गन्दे सूअरों का भी भयंकर आतंक फैला हुआ है। ये जानवर आने वाले तीर्थयात्रियों के कपड़े गन्दे कर देते हैं। यहां तक कि पवित्र घाटों पर जहां पूजा अर्चना होती है, वहां तक चले जाते हैं, जिससे तीर्थयात्री की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। इसलिए इनको भी नगर में पालने तथा खुले-आम घूमने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उपरोक्त सुझावनुसार सख्त कानून बनाकर उन्हें पुष्कर नगर में लागू करवाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी।

डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा में थाने की स्थापना व सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी को स्थाई करने बाबत

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना स्थापित करने व सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी स्थाई करने के बारे में ध्यानाकर्षण कर रहा हूं। निवेदन है कि मैं बराबर 295 की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा में पुलिस थाना स्थापित करने तथा सीमलवाड़ा चौकी स्थाई करने के बारे में ध्यान दिला रहा हूं लेकिन आज दिन तक रामसागड़ा में थाना स्थापित तथा सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी स्थाई नहीं हो सकी है जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बराबर कायम नहीं रह रही है। चूंकि चौरासी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बहुत विकट है तथा पहाड़ी है, इस क्षेत्र की जनसंख्या जिले में सब क्षेत्रों से ज्यादा है अतः कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं माकूल बनाने के लिए रामसागड़ा में पुलिस थाना स्थापित कर तथा सीमलवाड़ा में पुलिस

(श्री नाथूराम अहारी)

थाना गणेशपुर जो आसपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसके एक तरफ होने से दावेड़ा गांव में उसे स्थानान्तरित कराने के लिए भूमि अलाट कर रखी है तथा बाउण्डरीवाल का पाया गत अकालों में रखा है। थाना बीच में नहीं होने से पुलिस को निश्चित स्थान पर जाने के लिए बहुत समय लग जाता है जिससे कोई भी केस निपटने के बजाय उलझ जाता है और पुलिस की महत्ता भी कम हो जाती है।

अतः मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि गणेशपुर थाने को दावेड़ा में जो क्षेत्र के बीचों-बीच है, स्थापित कराने की कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर की मैसर्स विजय सोलवैक्स लिमिटेड द्वारा बिक्री कर की चोरी

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैसर्स विजय सोलवैक्स लिमिटेड, अलवर ने एक ही बिल क्रमांक एवं दिनांक में भिन्न-भिन्न फर्मों को विक्रय बिल जारी किये हैं। उक्त फर्म ने दो तरह की बिल बुक एवं चालान बुक चोरी की नीयत से बनवा रखी है।

उदाहरणार्थ बिल नं. 3332 दिनांक 23-3-2001 को मैसर्स शील ट्रेडिंग कम्पनी, नया बाजार दिल्ली को जारी हुआ है। इस बिल नं. 3332 दिनांक 23-3-2001 को मैसर्स दीपक वेजप्रो प्राइवेट लिमिटेड, अलवर को भी जारी किया गया है।

1. इन बिलों की सीरिज का अंतिम नं. 3350 है जो कि मेरे पास उपलब्ध है। यह बिल नं. भी दो फर्मों को एक ही दिन 25-3-2001 को जारी किया गया है जिसमें से फर्म मैसर्स सुरेश कुमार अग्रवाल एण्ड कम्पनी, दिल्ली को इसी बिल नं. पर 74626/- रुपये का विक्रय दिखाया गया है, दूसरी तरफ फर्म मैसर्स दीपक वेजप्रो प्राइवेट लिमिटेड अलवर को इस बिल नं. पर 3,01,665/- रुपये का विक्रय दिखाया गया है।

2. इसी प्रकार मैसर्स विजय सोलवैक्स लिमिटेड, अलवर ने चालानों की भी दो प्रतियां बनवा रखी है। मेरे पास उपलब्ध प्रति का नं. 898 है। जो मैसर्स गायत्री ट्रेडिंग कम्पनी सूरजपोल मण्डी, जयपुर को दिनांक 21-2-2001 को जारी किया गया है, जबकि इसी चालान नं. 898 से 23-2-2001 मैसर्स भगवती कृषि फार्म गांव बीजवा रामगढ़, अलवर को भी माल भेजा गया है।

3. इसी प्रकार उक्त व्यवसायी ने बिक्री कर चोरी की नीयत से बिल नं. एवं चालान की दो-दो प्रतियां बनवा रखी हैं ताकि माल गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाने पर एक बिल को फाड़ कर नष्ट कर सके और जरूरत पड़ने पर अर्थात् बिक्री कर विभाग द्वारा चैक करने पर उसे अकाउंट-फार कर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सके। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001-2002 में व्यवसायी ने फर्जी बिलों/चालानों द्वारा अनुमानित 106 करोड़ रुपये का विक्रय किया है। मेरे पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में व्यवसायी ने 3350 बिल तथा 898 चालान फर्जी जारी किये हैं जिनमें कोई बिक्री कर जमा कराया गया हो, इसमें संदेह है।

4. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2001-2002 में दिनांक 22-4-2001 तक फर्म मैसर्स विजय सोलवैक्स लिमिटेड, अलवर ने 247 बिल फर्जी जारी किये हैं। इन फर्जी बिलों द्वारा अनुमानित 6.17 करोड़ रुपये का माल विक्रय किया गया है जिस पर कोई बिक्री कर नहीं चुकाया गया है। अतः इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

5. फर्म मैसर्स विजय सोलवैक्स ने बिना क्रमांक की पैकिंग सीरिज की बुक से माल लदान दिखाया है, जिसका कोई बिल नहीं काटा गया है अथवा काटा गया है इसकी जांच की जाए।

अतः मैं राज्य सरकार से संगीन अपराध की जांच करने एवं फर्म के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए निवेदन करता हूं ताकि ऐसे कर चोरी के आदतन अपराधियों को सजा मिल सके। हो सकता है विभाग के अधिकारी भी इस काण्ड में लिप्त हों, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान) अंकित न हो।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 295 में इस तरह से मामले नहीं उठाये जाते हैं। इस तरह से एक साथ सारे सदस्य खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजो। आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी अपनी बात, आप बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है। यह बिलकुल मनगढंग बातें की जा रही हैं,

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठोगे तब बोलेंगे न। आप विराजो। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा, क्या निकालें ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान) बठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। एक मिनट रुको तो सही, आप जानते हैं 295 में जवाब नहीं है, सुनिए, एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद उसका जवाब इनसे मिल जाएगा, उसके बाद बहस क्या है ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ जाएगा। उसमें आप उसको उठा सकते हैं।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, वह बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, 295 के जरिए कोई मामला उठाया गया। जैसा मुझे कार्मिक मंत्री जी ने बताया, कोई सेल्स टैक्स की चोरी के बारे में आपने यहां तक जिक्र किया। मेरे सामने तथ्य नहीं हैं। मैं सदन में नहीं था इसलिए मेरी जानकारी में नहीं है। मैं एप्रोप्रिएशन बिल के सिलसिले में तैयारी कर रहा था। अगर मुझे इसकी जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी अभी दे दें, मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा। (व्यवधान) मुझे फैक्ट्स मालूम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : शाम तक जवाब दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे फैक्ट्स मालूम नहीं हैं। अभी आपने कोई बात कही, मुझे फैक्ट्स मालूम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शाम तक जवाब दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी मुझे फैक्ट्स ही पता नहीं हैं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी बता देंगे दो, मिनट के बाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मुझे दे दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मुझे फैक्ट्स दे दीजिए, मैं इसको दिखवा लेता हूं। जो भी स्थिति है इसको दिखाकर इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का परस्पर सड़क सम्पर्क

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र तीन पंचायत समितियों से मिलकर बनता है। पंचायत समिति डूंगला, पंचायत समिति बड़ी सादड़ी एवं प्रतापगढ़ की 19 पंचायतें इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं, जिसका एक छोर उदयपुर जिले से मिलता है तो अंतिम छोर मध्य प्रदेश की सीमा पीपलीमण्डी से मिलता है तथा जिसकी लम्बाई 150 किलोमीटर से अधिक है। सड़कों की दृष्टि से आज भी कई पंचायत मुख्यालय पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं। पंचायत समिति प्रतापगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसकी पंचायतें पाल, मदुरा तालाब, छरी पीपली डुंगलायी, बिलोट, फलोदड़ा, नोगांवा प्रालोद, बड़ी सादड़ी की विनायका पुनावली, कचुमरा मोटोली पंचायतें पक्की सड़कों से आज भी नहीं जुड़ पाई जो सड़कों से जुड़ी भी हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें सड़क से जुड़ी कहना सड़क का भी अपमान है।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ जुड़ी होने के बाद भी उस क्षेत्र की पंचायतों में जाने के लिए छोटी सादड़ी होते हुए 60 किलोमीटर चलने के बाद मेरा विधान सभा क्षेत्र प्रारम्भ होता है। जबकि रतीचन्दजी का खेड़ा गुन्दलापुर होती हुई यदि प्रतापगढ़ की छरी पीपली पंचायत को जोड़ा जाए तो मात्र 10 किलोमीटर सड़क बनाने पर यह विधान सभा क्षेत्र आपस में जुड़ सकता है। इसके अभाव से वहां के नागरिकों को न तो प्रशासनिक सुविधा ही उपलब्ध होती है न ही विकास का लाभ मिल सकता है। सीतामाता के जंगल का सम्पूर्ण क्षेत्र इस विधान सभा क्षेत्र में आता है जिससे उसमें निवास करने वाले आदिवासी भाइयों को न तो सड़क एवं अन्य सुविधाओं से ही जोड़ पाए।

अतः इस विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़कों से ज़ोड़ना अति आवश्यक है। ऐसे लोक महत्व के विषय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

नादौती में उपखण्ड कार्यालय

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नादौती में उपखण्ड कार्यालय खोलने के बारे में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में स्कीमों में खारा पानी दिया जा रहा है। वह नादौती क्षेत्र माड़ के नाम से प्रसिद्ध है। यहां इस साल भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तालाब भी सूख गये हैं। जानवरों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में उपखण्ड की मांग मैं लगातार विगत 10 वर्ष से उठाता चला आ रहा हूं, पर भाजपा शासन होने के कारण कांग्रेस के गढ़ टोडाभीम क्षेत्र की नादौती तहसील में भाजपा ने उपखण्ड की घोषणा नहीं की। किसानों के हितैषी माननीय मंत्रीजी आपने इस मांग को वाजिब माना और सदन में भी आश्वासन दिया। आप जब सवाईमाधोपुर पधारे और करौली टोडाभीम जिले की पानी की समस्या को सुना, इसके लिए दोनों जिले आपके आभारी हैं। माननीय मंत्रीजी, आपने पधारने पर घोषणा की थी कि निश्चित रूप से नादौती में सब डिवीजन खुलेगा और आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं। आप जैसे कर्मठ, ईमानदार, वचन के धनी, किसान हितैषी मंत्री जी के समय अगर यह डिवीजन नहीं खुला तो कभी भी नहीं खुलेगा।

अतः श्रीमान् जी से इस आशा के साथ निवेदन है कि मेरे टोडाभीम क्षेत्र के नादौती में सब डिवीजन खोलने की ओर ध्यान देंगे एवं इस सदन में घोषणा कर नादौती की जनता को लाभान्वित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंह। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के माननीय सदस्य की मांग वाजिब है। इनकी बात वाजिब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को कारोबारी कर रहे हो? (व्यवधान) श्री शिवराम सिंहजी।

श्री सांवर लाल : यह 10 वर्ष से पीड़ित हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय को आना चाहिए, हमारे लिए आ रहे हैं तो उनके लिए आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : मैंने नोट कर लिया है।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय को आना चाहिए। मंत्रीजी को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब, हम धरना देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री को बुलाइये। हम धरना देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है इसलिए कोई भी मंत्री यह नोट करता है। नादौती में उप खण्ड कार्यालय खोलने का काम मैंने नोट कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंहजी।

श्री सांवर लाल : 10 साल तक नोट करके ही रखोगे क्या? कुछ करो तो सही इनका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लालजी, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : ये 10 साल से पीड़ित हैं, इनकी मदद तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंहजी, बोलिए आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बी. डी. कल्ला साहब, यह तीसरा बजट है, + + + यह कर रहे हैं, इनकी कुछ तो मांग स्वीकार करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिए।

श्री रामस्वरूप : नादौती के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मांग कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है हमारी संवेदनशील सरकार, हितैषी सरकार, आदरणीय गहलोत जी की सरकार इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। (व्यवधान) मैं आपको विपक्ष वालों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसे निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। सारा सदन मांग कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : इसलिए और भी जल्दी होगा नादौती में उप खण्ड कार्यालय। धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितना ही + + + कर लो तीन साल से + + + कर रहे हो, यह काम पूरा होने वाला नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आज रामस्वरूप जी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम जाग्रत हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंहजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अध्यापकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का अनियमित कार्यान्वयन

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी. के ऊपर जो अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। श्री भागीरथ अग्रवाल, पूर्व शिक्षा उप निदेशक, जयपुर द्वारा वर्ष 1998-99 द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की नियुक्तियों में धांधलीपूर्ण कार्यवाही की गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

20-11-97 के अधीनस्थ एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आशार्थियों को सामान्य वर्ग की मैरिट सूची में आने पर भी उन्हें सामान्य सूची में नहीं रख कर आरक्षित कोटे में रखा गया है जो नियम विरुद्ध है तथा जिसके कारण से 6 अन्य पिछड़े वर्ग के आशार्थी नियुक्ति से वंचित रह गये। राज्य सरकार द्वारा जारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देश थे 20-2-1997 को और शिक्षा उप निदेशक कार्यालय में 1998-99 में जीव विज्ञान पुरुष वर्ग में दो नियुक्ति आदेश के तहत कुल 59 नियुक्तियां की गई, जिनसे स्पष्ट है कि नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के छह आशार्थियों को सामान्य वर्ग से नियुक्ति देनी चाहिए थी लेकिन सामान्य वर्ग की मैरिट में नियुक्ति नहीं देकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कोटे में ही नियुक्तियां दी गई जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के छह आशार्थी नियुक्ति मिलने से वंचित रह गये।

इस प्रकरण के बारे में काफी शिकायतें मिलने पर विभाग ने श्रीमान् भागीरथ अग्रवाल, शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, जयपुर को दिनांक 23-3-99 को नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं के संदर्भ में पद से हटा दिया था अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्ति सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों को दिनांक 26-3-1999 को शिक्षा उप निदेशक जयपुर के कार्यालय से जब्त कर लिया गया था तथा इस प्रकरण की जांच निवर्तमान उप सचिव श्री टी.के. गोयल को सौंपी गई थी। अभी तक इस प्रकरण की फाइल को खोला तक नहीं गया था कि उससे पहले विभाग ने श्रीमान् भागीरथ अग्रवाल को दोषमुक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ डाइट में दिनांक 12-7-1999 को प्रधानाचार्य के पद पर लगा दिया गया जो कि सोचनीय बिन्दु है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकरण की अविलम्ब निष्पक्ष जांच कराकर शिक्षा उप निदेशक, जयपुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कराई जाए जिससे इस प्रकार की बुनियादी गलतियों पर अंकुश लगाया जा सके। नियुक्तियों से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को अब शीघ्र नियुक्तियां दिलवाने की व्यवस्था करें, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। जी.ए.डी. मिनिस्टर यहां पर विराजमान हैं, लोगों की उपेक्षा हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी पर्ची पर बोलिए।

श्री सांवर लाल : नियमों की उपेक्षा हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : सब गम्भीर है तब ही तो हाउस में आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इनको सामान्य मैरिट में शामिल किया जाना चाहिए था और

(श्री सांवर लाल)

सामान्य के कैडर में लेना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े वर्ग के साथ पूरा अन्याय हो रहा है, पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के साथ यह अन्याय है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी शिकायत की थी, उस समय पर माननीय...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय हुआ है तो आपकी ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्तियां करनी ही नहीं हैं तो फिर ये नियम-कानून बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : मंत्री थे उन्हें शिकायत की थी भागीरथ अग्रवाल की। आपने उसको सस्पैंड किया था। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े वर्ग के साथ दोहरी मार है।

डा. करण सिंह यादव : लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके आने के बाद में भागीरथ अग्रवाल की जांच नहीं की गई। (व्यवधान) व कम से कम...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इनको सामान्य मैरिट, सामान्य वर्ग से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पर्ची पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नियमों की पालना नहीं की गई है।

डा. करण सिंह यादव : वे आशार्थी जिनको पद नहीं मिले, जिनका हक मारा गया है, उनको हक वापस नहीं मिला है। क्या भागीरथ अग्रवाल के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इस बात को पहले भी सदन में लाया गया है। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : जिन्होंने नियमों की पालना नहीं की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आखिर फिर एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को आरक्षण क्यों दिया है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नियम और कानून बनाये जाकर उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी पर्ची पर बोलिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डाक्टर करण सिंहजी जो कह रहे हैं वह बिलकुल

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ठीक कह रहे हैं। भागीरथ अग्रवाल ने बहुत गबन घोटाले किये थे, डाक्टर करण सिंहजी बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

डा. करण सिंह यादव : आपने यह व्यवस्था की थी...(व्यवधान) कुछ दिनों के लिए सस्पैंड भी किया था लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं की गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि उस प्रकरण में जांच कराई जाए जिससे कि ओ.बी.सी. के आशार्थियों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप विश्वास दिलाएं कि आप उसकी जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कुशवाह साहब, आप विराजिए।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी क्या आप जांच कराएंगे? फिर हमें आश्वासन दिलवाइये कि यह पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है,...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : यह अन्याय हो रहा है ओ.बी.सी. के ऊपर, साहब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, प्रोफेसर सांवर लाल?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पक्ष और विपक्ष दोनों ने कहा है कि भागीरथ अग्रवाल की जांच होनी चाहिए।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : जांच का आश्वासन दे दीजिए।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी से कहलवा दो न, साहब। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : कहलवा दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात पर कहलवाया जाता है क्या? आप विराजो, आप समझ रहे हो बात को। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी संवेदनशील हों तो कह ही दें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बात कह दी।

श्री रामलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े वर्ग के लिए पहली बार कहलवा रहे हैं। वैसे पिछड़े वर्ग के लिए अब पहली बार बहस चली है, साहब। पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, पहली बार मांग हुई है, इस पर मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : वैसे भी पिछड़े वर्ग में...(व्यवधान) राज्य सरकार ने इस तरह के...(व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर कि पिछड़े वर्ग के साथ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर, विराजिए।

श्री रामलाल गुर्जर : जो अन्याय हो रहा है वह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामलालजी।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : वैसे भी पिछड़े वर्ग के साथ राज्य सरकार ने इस तरह से...(व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर, विराजिए, प्लीज।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : नहीं तो आश्वासन दिला दो। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं भी निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो प्लीज। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्लीज आप विराजो। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप विराजो।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप... (व्यवधान) मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिए प्लीज। अभी कोई इश्यू ही नहीं है, आप विराजिए। श्री सांवर लाल।

भिनाय निर्वाचन क्षेत्र के गोठाना गांव में लू से हुई मृत्यु

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पूरा गर्मी से झुलस रहा है और यहां पर सदन में कई बार चर्चा हुई भूख से मरने की। सरकार बारबार खण्डन करती है कि भूख से नहीं, बीमारी से मरे। मेरे भिनाय में भी एक ऐसी मौत हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गोठाना गांव का सरदार पुत्र श्री छगना को पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसको लू लग गई। वह फेमिन में कार्यरत अपने परिवार का भोजन लेकर गया था और घर वापस लौट रहा था तो लू लग गई। लू लगने के बाद में गोठाना के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी आपस में बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इतना गम्भीर मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं नोट कर रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : यह इतना गम्भीर है, इसको गम्भीर मान नहीं रहे हैं और बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इतना गम्भीर इश्यू है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तो एयर कंडीशनर में बैठ कर गुफ्तगू हो रही है और हम जो चिल्ला रहे हैं, हमारे लोग-बाग राजस्थान में...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : आप धूप में खड़े हैं क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं नोट कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय जी.ए.डी. मंत्री महोदय, आप नोट ही करते हो, आप गम्भीर नहीं हो। आप गम्भीर होते तो माननीय सदस्य की बात का जवाब देते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप गम्भीर नहीं हो। आप ख्वाहमख्वाह अपनी बात से विषयान्तर हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नोट करे, आपका नोट होना चाहिए। नोट कर रहा हूं तो क्या गम्भीर नहीं है? आप गम्भीर कहां हो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नोट मत करो, हमारे लिए काम करवाओ, काम। केवल नोट करने से पेट नहीं भरता है, काम करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, कोई भी स्टाफ वहां पर नहीं मिला। उस 10 वर्ष के बच्चे को किशनगढ़ ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत होने पर नैचुरल कैलेमिटी चाहे आग से मरे, चाहे बाढ़ से मरे, चाहे लू से मरे, चाहे भूकम्प से मरे, 20 हजार रुपये की तत्काल सहायता उस परिवार को उस बच्चे के मरने के कारण से मिलनी चाहिए थी जो आज तक नहीं मिली।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में और अजमेर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर स्टाफ नहीं है और अगर स्टाफ लगा हुआ है तो बाहर से अप-डाउन करते हैं, समय पर नहीं आते हैं। गांव वालों में भयंकर आक्रोश है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव वालों ने शफाखाना के ताले लगा दिये। कोई भी चिकित्सक वहां पर नहीं है। परे क्षेत्र में, जिले में, राजस्थान में हालत यही है और गर्मी जिस तीव्र गति से पड़ रही है, आपको मालूम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 48 डिग्री, 50 डिग्री, पीने के पानी का संकट, काम का संकट और बीमार हो जाए तो डाक्टर कोई सम्भालने वाला नहीं, नर्स नहीं, कम्पाउण्डर नहीं। ऐसी हालत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की जनता का धणीधोरी कौन है? दस-दस वर्ष के मासूम बच्चे मरने लग गये जिनके ऊपर परिवार को पूरी आशा है कि यह बड़ा होगा और बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। आज ऐसे नौजवान केवल चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण काल के ग्रास में जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सांवर लाल)

सरकार बड़ी संवेदनहीन है, इस वजह से प्रशासन भी संवेदनहीन है। आज अजमेर में पेपर में फ्रंट लाइन पर छपा कि लू लगने से दस वर्ष के मासूम की मौत हो गई। सरकार के कानून-कायदे के अनुसार तत्काल प्रशासन को पहुंचना चाहिए था। शफाखानों में अगर दवाइयां नहीं हैं तो इन्तजाम करना चाहिए था। स्टाफ नहीं है तो वहां स्टाफ लगाया जाना चाहिए था। हास्पिटल के ताले लगा दिये तो गांव वालों से बातचीत करनी चाहिए थी। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि अभी तक कोई भी वहां पर नहीं गया और पूरे एरिये के अन्दर इस वजह से भयंकर आक्रोश है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था करना चाहती है? पीने के पानी का संकट, लू लग जाए तो कोई बचाव की व्यवस्था नहीं। नर्स नहीं, कम्पाउण्डर नहीं, डाक्टर नहीं। कोई आगे ले जाए तो वहां पर हालत यह है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होगा क्या राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री सांवर लाल : राजस्थान की जनता को आखिर किसके भरोसे छोड़ रखा है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

श्री सांवर लाल : यह सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं, लोक-कल्याणकारी हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

श्री सांवर लाल : लोग मर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अस्पताल में डाक्टर नहीं मिल रहे हैं, कम्पाउण्डर नहीं मिले और यहां मंत्रीजी भी नहीं मिले तो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी नहीं मिले और आप यहां पर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : काम का संकट, रोजगार का संकट और इलाज का संकट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : लोगों को किसके हवाले कर दिया आपने? लोगों के उपचार की व्यवस्था नहीं कर सके आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार की मंशा क्या है, यह स्पष्ट करें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप यह बता दो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह बहुत गम्भीर मामला है। केवल मेरे क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान में यह हालत हो रही है।

श्री मदन दिलावर : लोगों को भूख लगती है, लू लगती है, लू के थपेड़े से मर जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, आप बोलिए।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेट में रोटी नहीं हो तो लू लगती है। क्या व्यवस्था सरकार करना चाहती है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सदन में तो हों।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की जान चली गई और डाक्टर चिकित्सालय में मिले नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान) आप चिकित्सा मंत्रीजी को तत्काल हाउस में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज ही राजस्थान पत्रिका में आया है कि परात में पानी पी रही है एक महिला मजदूर और एक श्रमिक काम करते हुए मर गया, देहावसान हो गया उसका। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह यह हालत हो रही है। मैं बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा... (व्यवधान) पर यह सरकार ऐसी परिस्थिति में क्या मंशा रखती है, जवाब दिलवाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोज लू से बच्चे मर रहे हैं और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसको 20 हजार रुपये की सहायता देनी चाहिए।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोज औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। भूख के कारण बाहर निकलते हैं और लू लग जाती है और लू लगने के बाद इलाज का कोई इन्तजाम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार क्या करना चाहती है? लोगों को मारना चाहती है तो फिर हम यहां विधान सभा में आये किसलिये हैं? सरकार से जवाब दिलाइये। मेरे एरिये के अंदर दो मौतें हो चुकी हैं, और कितने मरेंगे राजस्थान में? उपाध्यक्ष महोदय, कब तक बर्दाश्त करेंगे? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार और कितने मासूमों को मारना चाहती है?... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार पानी नहीं दे सकती, सरकार रोटी नहीं दे सकती, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सकती, कोई मर जाए तो नियम से सहायता उपलब्ध समय पर नहीं करा सकती, आखिर यह सरकार चाहती क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ जी, पर्ची पर बोलना है? आपको बोलना है कि नहीं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह तो बहुत गम्भीर मामला है, It is very serious.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम बोलने के लिए नहीं आये, हम राजस्थान की जनता की भावनाओं का इजहार करने के लिए आये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बोलने के लिए नहीं आये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज राजस्थान के अंदर 12 चिकित्सालय खाली पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम बोलने के लिए नहीं आये, हम हमारे दुःख प्रकट करने के लिए आये हैं। सरकार क्या करना चाहती है? आज वहां पर कोई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिकित्सा मंत्री को यहां पर बुलाना चाहिये आपको।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक स्टाफ नहीं है गोठाला के अंदर। (व्यवधान) ताले लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पत्रिका में आया है एक महिला मजदूर परात में पानी पी रही थी। पानी का इन्तजाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : परात में पानी है रही है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह सरकार क्या कहना चाहती है? (व्यवधान) इसके बारे में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक श्रमिक काम करते हुए मर गया। राजस्थान की हालत बहुत खराब है और यह संवेदनशील सरकार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बालक मरा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : क्या सरकार बीस हजार की सहायता...(व्यवधान) मंत्रीजी से कुछ तो कहलवाओ इस बारे में। सरकार क्या सहायता नहीं देगी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पानी का इन्तजाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो-बिराजो।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि वहां पर डाक्टर नहीं मिले और इलाज के अभाव में बच्चे मर जाए। आखिर में सरकार कर क्या रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। सुनो तो सही, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार आज तक कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 500 गांव वाले इकट्ठे हैं। स्टाफ नहीं है वहां पर, हास्पिटल के ताले लगे हुए हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लू से आदमी मर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पूरा गांव का गांव हास्पिटल को घेरकर खड़ा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह भी नहीं कह सकती कि हम उस बच्चे को देख कर कुछ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो कहलवाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो तो सही एक मिनट। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में आज दो समाचार आये हैं। एक तो पानी इन्तजाम नहीं है, महिला मजदूर परात से पानी पी रही है और एक मजदूर काम करते हुए मर गया। इसके अलावा भी समाचार आये हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : बांसवाड़ा में भी एक मजदूर की मृत्यु हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। परसों अकाल पर बहस है, विस्तृत चर्चा होगी, उसमें आपके सब जवाब दिला दिये जाएंगे। आप चिन्ता मत करो।

श्री सांवर लाल : यह पर्टीकुलर मामला है। वहां पर स्टाफ लगाने की मंशा सरकार रखती है कि नहीं रखती है? (व्यवधान)

श्री केसा राम चौधरी : परसों अकाल पर चर्चा हो जाएगी, मगर डाक्टर लगाने की बात है, डाक्टर लगाए। पी.एच.सी. को गांव वाले घेर कर बैठे हुए हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कोई स्टाफ नहीं है, गांव वाले घेर कर बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस प्राकृतिक आपदा में मरते हैं तो बीस हजार रुपये तत्काल सहायता मिलती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया न, परसों जवाब हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप अपने डायरेक्शन तो दे दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : परसों बोल लेना न आप। पूरा जवाब दे देंगे परसों। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बोलने से क्या मतलब है, बोलने के लिए थोड़े ही आये हैं— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आएगा आपका। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह सरकार कुछ तो बोले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तरीके से, नियम से बोलेंगे तो जवाब आएगा। आप परसों बोलेंगे, इसका जवाब आएगा। पर्ची पर जवाब नहीं आता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोग भूख-प्यास से मर रहे हैं। (व्यवधान) दस साल का बच्चा मर गया और उसको सरकार से मदद नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह तो नियमों में व्यवस्था है। पी.एच.सी. में स्टाफ होना चाहिए। फिर आप कहो इनको कि यह तो

(श्री सांवर लाल)

व्यवस्था करें। बीस हजार रुपये तो नियमों में हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मरते ही तत्काल मिलने चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, परसों आपका जवाब आएगा।

एक माननीय सदस्य : कलक्टर को तो आज ही कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। बात हो गयी न खतम। बिराजिये प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : इतने गम्भीर मामले को आप परसों पर टाल रहे हैं। बच्चा मर गया, उसको आप परसों पर टाल रहे हैं। सरकार को इस बारे में अपना स्टेटमैंट देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप इस बात को जानती हैं कि पर्ची पर न तो मंत्रीजी के पास नोटिस जाता है और न उनको मालूम होता है कि किस सब्जैक्ट पर बोलें। फिर जवाब कैसे दे सकते हैं? आफ हैण्ड आप कोई बात लगा दो, जब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर लें तब तक जवाब कैसे दें? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई मंत्री का चार्ज नहीं है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम तो केवल यह चाह रहे हैं कि जो तथ्य हमने दिये, उनके ऊपर जानकारी करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परसों आ जाएगा जवाब, फिर क्या बात है? (व्यवधान) परसों आ जाएगा जवाब। आपका जवाब मिल जाएगा। माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इतनी गम्भीर बात है, इस पर किस बात का नोटिस देंगे? यह इनको खुद नोटिस लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़ ...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बड़ी अजीब बात है। यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। आप भी संवेदनशील हो, सरकार भी संवेदनशील है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना है कि शून्यकाल के अंदर हम प्रतिपक्ष के सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्ची पर बोल रहे हो, किस पर बोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर्ची पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता की भावनाओं को, जनता के दुःख, तकलीफ और दर्द को इस सर्वोच्च सदन में आपके संरक्षण में रखना चाहते हैं। परन्तु सरकार इस सदन के प्रति कितनी गम्भीर है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। शून्यकाल ज्यों ही प्रारम्भ होता है, माननीय मंत्री महोदय अपने-अपने वातानुकूलित कक्ष में चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वातानुकूलित तो यह भी है। यह कौनसा गरम है? उससे ज्यादा ठण्डा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम जाएं तो जाएं कहां? किसको कहें? अभी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संवेदनशील विषय इस सदन के सम्मुख रखा--

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे फोर्स मत करो। आप अपने सब्जैक्ट पर आओ प्लीज। (व्यवधान)

राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ट्रोमा हास्पिटल का बेचान

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक उसी तरह का विषय मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि पिछले वर्षों में बहुत बड़ी सड़क दुर्घटनाएं लगातार होती रही हैं। रोज समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं। वर्ष 2000 के अंदर 19,200 दुर्घटनाएं हुई। 25,433 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए और 5,388 लोगों की अकाल मृत्यु हुई। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों दुर्घटनाएं बढ़ती गयीं, त्यों-त्यों दुर्घटना में जो लोग घायल होते हैं गम्भीर रूप से, वाहनों की तेज गति के कारण उनके मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, ज्यादा चोट लगती है और उन सबका इलाज ट्रोमा यूनिट, ट्रोमा हास्पिटल के अंदर ही सम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1997 में तत्कालीन सरकार ने यह महसूस किया कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा हास्पिटल होना चाहिए जिस हास्पिटल के अंदर गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों का इलाज हो सके और इसके लिए फरवरी, 1997 में एक समिति बनी। अप्रैल, 1997 में समिति ने रिपोर्ट दी और यह तय हुआ कि सीकर रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रोमा हास्पिटल बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस हास्पिटल के निर्माण के लिए सरकार ने जे.डी.ए. को ढाई एकड़ जमीन के बदले में एक करोड़ साठ लाख रुपये दिये। 22-8-97 को इस हास्पिटल का शिलान्यास हुआ। हास्पिटल का निर्माण कार्य अबाध गति से चलता रहा। इसके लिए नवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर यह प्रावधान किया गया कि 1160 लाख रुपये तो बजटीय प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाएगा। लगभग 26 करोड़ का यह प्रोजेक्ट बना था। उपाध्यक्ष महोदय, एक करोड़ साठ लाख जे.डी.ए. में जमा हो गये, साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उसके निर्माण पर खर्च हो गयी। अब माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने अचानक एक तुगलकी आदेश दे दिया और निर्माण कार्य बंद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बड़ी परियोजनाएं कभी एक साल में, दो साल में पूरी नहीं होतीं। सरकारें बदलती रहती हैं परन्तु प्राथमिकताएं वही रहती हैं। जनहित के काम, विकास के काम, जनता से जुड़े हुए काम चाहे पूर्ववर्ती सरकार करे, अगर वह काम प्रारम्भ हो गया, उसमें वित्तीय व्यवस्था हो गयी, सारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यवस्थाएं होने के बाद उस काम को गति देने का काम आने वाले किसी भी दल की हुकूमत हो, उसका है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, दुःख इस बात का है कि इस सरकार ने अचानक इस ट्रोमा हास्पिटल जिस ट्रोमा हास्पिटल पर सरकार की साढ़े पांच करोड़ की राशि लग गयी, उसको बेचने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज इस बात का है कि सरकार ने कभी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की और एक एन.आर.आई. कलकत्ता के रहने वाले मिस्टर शर्मा को यह ट्रोमा हास्पिटल जिसकी पूरी कीमत आज कम से कम पचास करोड़ से ज्यादा है, हाथों-हाथ टेबल के नीचे न जाने किस तरह की क्या बात हुई कि उसको बेच दिया। मेरी मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की उपादेयता को देखते हुए सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसमें काफी पैसा लग गया, पहले के मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास कर दिया, भवन का निर्माण हो गया और अचानक इस ट्रोमा हास्पिटल को सरकार निजी हाथों में बेचे, बिना निविदाएं आमंत्रित किये हुए बेचे और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस ट्रोमा हास्पिटल को बेचने के अंदर कई तरह की मेनिपुलेशंस हुई हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, बाल्को को इन्होंने वहां बेचा है। सब जगह प्राइवेटाइजेशन केन्द्रीय सरकार ने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं कि मंत्रीजी ने बाल्को कम्पनी की बात चलाकर इस चीज को स्वीकार कर लिया कि जिस तरह वह कम्पनी बिकी है उसी तरह आपने राजस्थान में एक मात्र ट्रोमा हास्पिटल जिसकी दुर्घटनाओं के कारण उपादेयता थी, उसको बेचने का काम कर दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैंने तो बाल्को का आपको कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने तो बेचा जाना स्वीकार कर लिया न।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रोमा हास्पिटल को बेचने का सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं सवाई मानसिंह अस्पताल में सुपरिंटेंडेंट था, माननीय सदस्य उस समय मंत्री महोदय थे और मेरी चिट्ठी अगर निकाल कर देखें तो मैंने कहा था कि यह वेस्टेज आफ मनी है। सीकर रोड पर ट्रोमा हॉस्पिटल चल नहीं सकता। आदमी एस.एम.एस. में भाग कर आता है। आप पैसे के लिए मत लिखिये। मैंने यह लेंग्वेज लिखी है कि this project will never see the light of the day. मुझे तत्कालीन सैक्रेटरी ने कहा कि डाक्टर साहब, आप किस तरह का ऐसा निर्णय ले रहे हैं। मैंने कहा, मैं हिस्ट्री के लिए लिख रहा हूं, पोस्टेरिटी के लिए लिख रहा हूं। आज

(डा. करण सिंह यादव)

चाहे कोई आदमी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा लेकिन मैं जानता हूं कि यह पैसे का पूरा वेस्टेज है और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि वहां ट्रोमा हास्पिटल नहीं बने। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य की बुद्धि पर अब तरस आ रहा है बुद्धिमान व्यक्ति हैं परन्तु जिस तरफ जाकर बैठ गये। यह सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अधीक्षक थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तब यह कार्डिक सर्जन थे, अच्छा काम करते थे। न जाने क्यों, अब, माननीय सदस्य, आप जितनी चाहे इस सरकार की चम्पी कर लें, आपकी जगह वही रहेगी और आने वाले ढाई साल के बाद में इस जगह में भी आप आ जाओ, इसमें मुझे तो शंका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह मंत्री बनेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग है कि ट्रोमा हास्पिटल जिसकी जमीन के लिए सरकार ने पैसा दिया, जिसके निर्माण के लिए सरकार ने पैसा दिया, जिसके लिए बजटीय प्रावधान सरकार ने किया, जिसका शिलान्यास किया, जिसका निर्माण कार्य अबाध गति से चल रहा था, उस ट्रोमा हास्पिटल को सरकार जिस तरह से गुपचुप में षड्यंत्रपूर्वक बेच रही है, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और यह ट्रोमा हास्पिटल पुनः प्रारम्भ होना चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत। हो गयी न बात।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयीं, सरकार ने अपने आप मिलकर घालमघोल करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। अब कहां से आ गयी बात? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तमाशा तो नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तमाशा नहीं चलेगा। (व्यवधान) सरकार अपने आप में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये अपने आप को पारदर्शी कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता का पैसा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से सरकार ने इसका सौदा किया है, सौदेबाजी की है और जो रोज के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बात इन्होंने कह दी, आप क्या नयी बात कह रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : सरकार ने साढ़े तीन करोड़ लगा दिये, एक करोड़ साठ लाख जे.डी.ए. को दे दिये उसके बाद भी सरकार ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब-कुछ इन्होंने कह दिया न। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह चिकित्सा का मामला है, इसकी जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डाक्टर करण सिंहजी हैं, यह हैं तो दानवीरकरण, नाम से भी करण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आहूजा साहब, विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ बता रहे हैं अगर हमें जानकारी नहीं है तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो तो क्या बताएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्या बताएं? उनको कह रहे हैं बैठो, बैठते ही नहीं हैं वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह बात सही है, सरकार ने निर्णय लिया है, जनहित में लिया है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इसकी उपयोगिता के बारे में यहां कहा, इस पर पूरी चर्चा हुई। इस पर किसी अकेले आदमी ने निर्णय नहीं लिया, बी.डी. की बैठक में निर्णय हुआ है इसका और राज हित में और राज्य की जनता के हित में सोच-समझकर निर्णय हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने बिना निविदाएं बेच दिया इसको।

डा. किरोड़ी लाल : हां, बिना निविदाएं आमंत्रित किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना निविदाएं बेच दिया। एन.आर.आई. को बेच दिया, यह आपने कैसे बेच दिया? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई आवश्यकता नहीं थी...(व्यवधान) कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप निविदाएं आमंत्रित करते। बिना निविदाएं आमंत्रित किये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आज नहीं, जब यह एस.एम.एस. के अधीक्षक थे उस समय इन्होंने तत्कालीन सरकार को यह लिख कर दिया था कि इस

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जुगल काबरा)

ट्रोमा हास्पिटल की कोई उपयोगिता नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या चाहते हो आप? जवाब आ गया, अब क्या चाहते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाह रहा था कि बिना निविदाएं आमंत्रित करके ये बेचे...(व्यवधान) यह निजी सम्पत्ति नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस समय अधीक्षक थे एस.एम.एस. अस्पताल के उस समय तत्कालीन सरकार को लिख कर दिया था कि ट्रोमा हास्पिटल की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए पूरा सोच-समझकर निर्णय लिया गया है, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह दिया न इन्होंने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय जुगलजी काबरा, आपने तो गुड़ बेचा है, आपको क्या पता चिकित्सा क्या होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने तो गुड़ बेचा है, आपको गुड़ तेल का तो पता है पर आपको चिकित्सा के बारे में क्या पता है, बताइये।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य सदन को अधूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा, इस संदर्भ में बी.डी. की मीटिंग में चर्चा हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी उसके अध्यक्ष हैं। जो पांच करोड़ राज्य सरकार का इंवेस्टमैंट हुआ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ज्यादा, ज्यादा।

डा. चन्द्रभान : साढ़े पांच करोड़ हुआ। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल साहब थे, यह पांच करोड़ मेडिकल हैल्थ डिपार्टमैंट को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा जिससे कि वह दूसरा कोई हास्पिटल या एक्टिविटी कर सके।

इसके साथ में आप जो कह रहे हैं कि ट्रोमा हास्पिटल वहां बने, यह भी निर्णय हुआ, वह प्राइवेट सैक्टर में बने। प्राइवेट सैक्टर में किसी को गुप-चुप बेचने का फैसला नहीं हुआ है, इसके लिए बाकायदा प्रोसेस होगा, टेण्डरिंग होगी और रीको को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप करैक्ट कर लें, आपने एग्रीमेंट कर लिया। यह एन.आर.आई. है कलकत्ता का निवासी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी। अब हो गया न बहुत, माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलकत्ता के निवासी हैं, एन.आर.आई. हैं आपने उससे एग्रीमैंट कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : तो उन्होंने जवाब दे दिया, अब क्या चाहते हो आप? आप कहो जो सब सही बात थोड़े ही हो सकती है। उनका जवाब सुन लिया आपने। (व्यवधान) माननीय जनार्दन सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल उठता है। डाक्टर करण सिंहजी कह रहे हैं कि वहां चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं है, वहां ट्रोमा हास्पिटल की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ ट्रोमा हास्पिटल प्राइवेट चलाएगा....(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : हास्पिटल की आवश्यकता जयपुर में है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह डाक्टर करण सिंहजी के बयानों में और मंत्रीजी के बयानों में खण्डन हो रहा है, यह कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : अस्पताल एस.एम.एस. के पास बने....(व्यवधान) वह लोकेशन बहुत खराब लोकेशन था, वहां चल नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, हमेशा टोंग्या हास्पिटल की तरफ मत देखा करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक तरफ डाक्टर करण सिंहजी कह रहे हैं कि ट्रोमा हास्पिटल की वहां पर जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दूसरा, मंत्रीजी कह रहे हैं प्राइवेट चलाएगा। कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट हैं, सरकार स्पष्टीकरण दे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आपका सब्जैक्ट नहीं है, आप बोले जा रहे हो। श्री जनार्दन सिंहजी।

करौली शहर में लोगों के अपहरण एवं मर्डर की घटनाएं

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार, खास तौर से गृह विभाग और गृह मंत्रीजी के सामने कुछ मामले लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, करौली जिला उन बीहड़ इलाकों में है जिसकी जानकारी वित्त मंत्रीजी को अच्छी तरह से है। धौलपुर और करौली एक जैसा ही इलाका है। उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाके के अन्दर रोज नयी-नयी घटनाएं लोगों के अपहरण की, कहीं पर मर्डर की रोजमर्रा की आदम में आ गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, करौली थाने के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र करौली शहर में तीन-चार दिन पहले एक इस प्रकार की घटना घटी है। हरेक माली की एक छह वर्षीय बच्ची थी। वे शादी के अन्दर भाग

(श्री जनार्दन गहलोत)

लेने के लिए करौली शहर के अन्दर चुंगी चौकी के पास माली बस्ती कालोनी में आये थे। उपाध्यक्ष महोदय, वहीं पर वह बच्ची बाहर बर्फ खरीदने के लिए चली गयी और बच्चों के साथ खेल रही थी। प्रेमसिंह गुर्जर नाम का एक व्यक्ति उसको उठा कर ले गया। यह जानकारी भी तब मिली जब वहां से उत्तम सिंह राणा और जगत लाल माली दोनों बाजार में जा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि बच्ची को कोई लेकर जा रहा है। उसने कहा कि मैं बच्ची को बाजार में घुमाने ले जा रहा हूं। बाद में मालूम पड़ा कि प्रेमसिंह गुर्जर उस 6 वर्षीय बच्ची को जो न बोलना जानती है पापा-मम्मी के अलावा कुछ जानती नहीं है, उसको ले गया।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेमसिंह गुर्जर ही नहीं, क्राइम करने वाले ऐसे लोग खास तौर से धौलपुर और करौली जिले में बहुत हैं। इस घटना को लेकर लोग थाने में पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय, करौली थाने में सवेरे 11 बजे एफ.आई.आर. दर्ज कराने आये थे, उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज मत करो, हम वैसे ही ढूंढ देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, रात को 11 बजे तक उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। 11 बजे बाद रात को जब उनको लगा कि अब मामला बिगड़ने वाला है, मैं स्वयं उस दिन करौली में मौजूद था, उसके बाद वह मामला थाने में दर्ज हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना कोई नयी नहीं है। 23 जून, 2000 को एक बच्चा सुमित कुमार शर्मा स्कूल से पढ़ कर आ रहा था, उसको भी इस प्रकार से अपहरण करके ले गये। आज 11 माह हो गये, पुलिस प्रशासन उन अपहरण करने वालों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाया। 11 माह के अन्दर एक बच्चे की क्या हालत होती है, उसके परिवार की क्या हालत हो रही होगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की वारदातें रोज हो रही हैं। सुमित कुमार नाम के बच्चे को जो पकड़ कर ले गये, उसमें हमारे काफी प्रेशर के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। खास तौर से धौलपुर के लाखन गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पुलिस के अन्दर एस.आई. रैंक का एक पुलिस अधिकारी जहां था, वह आदमी पुलिस लाइन में होते हुए 6 महीने तक एब्सेंट रहा, जिसने कहीं हाजरी नहीं की, इस केस के अन्दर उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक मुन्नी देवी नाम की औरत जिसने दिनों माननीय गृह मंत्रीजी के सामने जाटव महिला बनकर झूठा षड्यंत्र किया था, वह महिला भी उस जुर्म के अन्दर शामिल थी। जो माननीय गृह मंत्रीजी के सामने एक जाटव महिला बनकर खड़ी हो गयी थी, उपाध्यक्ष महोदय, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसके बाद भी अभी तक ग्यारह महीने में वह बच्चा लौट कर नहीं आया। करौली

(श्री जनार्दन गहलोत)

इलाके के अन्दर अगर इस प्रकार से बच्चे और बच्चियों का अपहरण होता रहा, गायब होते रहे और वहां अपराध बढ़ता गया तो मैं सोचता हूं, बड़ा दुर्भाग्य है। उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता बैठे हैं, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत करौली गये थे, उसके दो चार दिन पहले एक वारदात हुई, चोरी की घटना घटी और उस घटना के अन्दर एक बच्चे को चोरों ने मार दिया। उसके बाद नतीजा यह निकला कि राजस्थान में जो वारदातें होती हैं, चोरियां होती हैं, माफ करना, उपाध्यक्ष महोदय, आर.ए.सी. के जवान और पुलिस के लोग खुद चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसी हालत के अन्दर क्या होगा? उनको पकड़ा गया है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने इनका रेफरेंस किस मकसद से दिया है? क्या मतलब है, इन्होंने कराया है क्या?

श्री जनार्दन गहलोत : इस रेफरेंस से दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय विरोधी दल के नेता भी गये थे, इन्होंने इस मामले को पब्लिक मीटिंग में उठाया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर मामला है, पुलिस प्रशासन की इस प्रकार की हालत हो गयी। हम यह सोचते थे कि जिला बना है हमको न्याय मिलेगा लेकिन जिला बनने के बाद तो हालत यह है कि हर थाने के ऊपर जो रेट पहले पांच सौ रुपये थी वह रेट 5000 रुपये पहुंच गयी। आज हालत यह है कि एस.पी. के नाम पर सारे कांस्टेबल और सारे थानेदार पूरे इलाके के अन्दर लूट रहे हैं। हालत यह है कि डकैती कर रहे हैं और पैसों से मुलजिमों को बचाया जा रहा है। फिर राज्य सरकार समझती है कि हमारा एस.पी. बहुत अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वही एस.पी. है + + + जिसने भाष्टकर के ऊपर जाकर हमला किया था। क्या ऐसे लोग हमारे जिले में ढूंढ कर लगाये जाते हैं जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं? आज शहर के अन्दर हालत यह है कि आठ बजे बाद दुकाने नहीं खुल सकती। आठ बजे पुलिस थाने के लोग आते हैं और सारी दुकानों की टेबल और कुर्सियों को उठा कर थाने में बन्द कर देते हैं। क्या शांति धारीवालजी के डिपार्टमेंट ने पुलिस को दे दिया यह काम, एनक्रोचमैंट को हटाने का काम? यह तो मेरी समझ में आता है कि 11 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए ताकि क्राइम को बढ़ावा नहीं मिले। लेकिन आठ बजे बाजार से पुलिस थाने के लोग कुर्सी और टेबलों को उठा-उठा कर लोगों को जूते मारे। आज हालत यह है कि मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक चलाते हैं, अगर पानी का नल खराब हो गया तो दिन में तो नल ठीक करा नहीं सकते, और करौली शहर में रात को अपना नल ठीक कराने के लिए मिस्त्री काम करता तो पुलिस का थानेदार जाकर उसको थाने में बन्दर करने की धमकी देता है।

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पुलिस की डिमाण्ड पर नहीं बोल रहे हैं। आप एक पर्टीकुलर सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं। आपने उसका जिक्र कर दिया, आपने सारी बात को जनरलाइज कर दिया। आप डिमाण्ड पर बोलते, किसने रोका ?

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह घटना ताजा है। पुलिस की डिमाण्ड तो अब चली गयी, यह घटना तीन-चार दिन पहले हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, एक कण्डक्टर को कुछ लड़कों ने रोककर मारा। एफ.आई.आर. दर्ज हुई जिसके अन्दर तीन आदमी नामजद थे कमलेश, भरतू और सुरेश वे आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन पुलिस प्रशासन की हालत यह है कि आसपास के गांवों के अन्दर जो भी लोग रहते हैं दीपुरा, खोड़र, पाटोरन, मखनपुर सोरा इन सारी जगहों से आदमियों को उठा-उठा कर ले आते हैं। अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं होता था कि मुलजिम को पकड़ने के बजाय हर घर से दस-दस, बीस-बीस आदमी थाने में लाकर बैठा दिए जाएं, 65-65 साल के बुजुर्ग लोगों को थाने में बैठा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम फोन करते हैं, डी.आई.जी. को हम इत्तला करते हैं कि यह घटना हो रही है तो 12 घंटे पहले रोजनामचा में से उसका नाम हट जाता है। असली मुलजिम आज भी बाजार में घूम रहे हैं लेकिन जो निर्दोष हैं उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किये जाते हैं। थानों के अन्दर जो पैसा दे देता है वह आदमी मुलजिम नहीं बनता और जो पैसा नहीं देता है वह मुलजिम बन जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूं, डिमाण्ड में बोलना चाहिए था लेकिन यह घटना दो-तीन दिन पहले की है इसलिए मुझे आपके बीच में कहने की आवश्यकता पड़ी है, नहीं तो मैं इस मामले को उठाता नहीं। ऐसी संगीन हालत अगर है तो माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिस प्रशासन को बिलकुल ठीक करें। एस.पी. वहां बैठा है तो हर कांस्टेबल अब एस.पी. बन गया। कहा यह जाता है कि यह एस.पी. साहब का हुकुम है। तो यह मामला गम्भीर है। आम जनता को जीने की हालत नहीं, आदमी चैन से सो नहीं सकता और न बाजार में काम कर सकता। ऐसी स्थिति में इसे गम्भीरता से लेते हुए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार और माननीय गृह मंत्रीजी निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही करें। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं की तो हमें मजबूर होकर आन्दोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। यह काम तो विरोधियों का था, लेकिन अगर यह व्यवस्था नहीं सुधरी तो हमको भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए थानों का घेराव करना पड़ेगा, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के एक विधायक यह कह रहे हैं कि हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। यह मामला बड़ा गम्भीर इसलिए है—

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? कह रहे हैं जैसा कर लेंगे, आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : दिन दहाड़े किडनेपिंग हो रहा है, मनमर्जी हो रही है। अपराधियों को पकड़ते नहीं, मर्जी हो जिसको उठा कर ले आते हैं। महिलाओं को थानों में लाकर बैठा दिया जाता है, बच्चों को थानों में लाकर बैठा देते हैं। दिन-दहाड़े महिलाओं और बच्चों का अपहरण हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है वह बड़ा गम्भीर मामला है। सरकार के गृह मंत्रीजी यहां पर है नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी है उसकी पोल खुल गयी है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य को सदन में यह कहना पड़ा कि करौली के अन्दर पुलिस का हर आदमी गुण्डाराज कर रहा है, उनके आतंक के साये में पूरा करौली जिला है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह का विषय है जिसमें गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न इन्होंने, आप क्या कह रहे हो?

श्री धर्मपाल चौधरी : गृह मंत्रीजी को आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आज कांग्रेस के, सदन के और सत्तापक्ष के वरिष्ठ सदस्य कहें कि करौली के अन्दर आदमी आराम से जी नहीं सकता, महिलाएं घूम नहीं सकतीं और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कह दिया न इन्होंने, आप क्या नयी बात कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं संवेदनशील कहलाने वाली सरकार के गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : गृह मंत्रीजी को आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान) वहां के विधायक वहां के एस.पी. और वहां के पुलिस वालों की शिकायत करने लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, 348 बच्चे चंगुल में हैं उनका क्या हो रहा है? 348 बच्चे, बच्चियां महिला और पुरुष अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, प्लीज विराजिए।

श्री मदन दिलावर : उनके मां-बाप, उनके बच्चे तथा पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा? सरकार 348 लोगों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से क्यों नहीं छुड़ाती? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप दोनों ही सदस्य रहे हैं। दोनों ही रहे हैं सदस्य।

श्री रमजान खान : नहीं, गलत बातें करते हैं। या तो यह कहें कि मैं गलत बात करता हूं।

दूसरी बात बार-बार यह असत्य करते हैं कि केन्द्र से गेहूं नहीं मिला, केन्द्र से राशि नहीं मिली। अभी शुक्रवार को ही इस सदन के अन्दर इतना बवाल मचा था कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कि केन्द्र हमारे को दो लाख टन गेहूं नहीं दे रहा है। इनको मालूम नहीं कि दो लाख टन गेहूं तो रिलीज हो गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जब अखबारों में क्लीयर किया कि दो लाख टन गेहूं दे दिया गया है जब जाकर राजस्थान की जनता को मालूम पड़ा। इस तरह की असत्य बातें कह कर यहां पर कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने एक सर्वदलीय कमेटी बनायी। सर्वदलीय कमेटी बना कर प्रधान मंत्रीजी से मिलने गये और जो अपनी दिक्कतें थीं वे प्रधानमंत्रीजी को बतायीं। यहां की सरकार तो, वित्त मंत्रीजी विराजमान है, कोई भी संकट आता है खाली पत्र लिख देते हैं, जाने की कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मैंने बार-बार यह कहा है कि आप सर्वदलीय कमेटी बनाइये और सर्वदलीय कमेटी बनाकर आपकी जो भी तकलीफें हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को भी साथ लीजिये और केन्द्र सरकार को कहिये ताकि केन्द्र सरकार से हमारे को पूरा लाभ मिले और राजस्थान की जनता का फायदा हो। परन्तु आज तक इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनायी, कोई भी इस पर कार्यवाही नहीं की। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सड़क निर्माण हो रहा है, मैंने यह कहा कि प्रधानमंत्रीजी को हमको धन्यवाद देना चाहिए। इनको तो प्रधानमंत्रीजी के नाम से ही चिढ़ है और उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब प्रधानमंत्रीजी के नाम से आप चिढ़ेंगे, उनके खिलाफ नारे लगाएंगे और फिर आप आशा करेंगे कि हमारे प्रधान मंत्रीजी हमको बहुत ही निहाल कर दें, बहुत बड़ी मदद दे दें, यह सम्भव नहीं है। यह तो बेटा बनकर ही खा सकता है, बाप बनकर नहीं खा सकता है। माननीय शेखावत साहब विराजमान हैं, कांग्रेस का शासन था, पांच साल तक प्रधानमंत्री नरसिंहरावजी रहे, उनके शासनकाल में कभी भी शेखावत सरकार ने, शेखावत साहब ने यह नहीं कहा कि केन्द्र सरकार मेरे को सहायता नहीं देती, केन्द्र सरकार मेरे से भेदभाव करती है। बहुत अच्छ इनके रिश्ते थे। कोई भी बात होती तो प्रधान मंत्रीजी से जाकर यह सीधा करवाकर लाते थे, बात करते थे। परन्तु हमारे मुख्य मंत्रीजी तो केन्द्र सरकार के मंत्रियों से, प्रधानमंत्रीजी से मिलने में अपना अपमान समझते हैं और राजस्थान की जनता के सामने यह कहते हैं कि केन्द्र हमारे साथ भेदभाव करता है।

श्री अमीन ख़ान : आप चलो, हम आपके साथ चलें।

श्री रमजान ख़ान : हां, हम चलेंगे। आप एक सर्वदलीय कमेटी तो बनाओ, उसमें हम चलने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की जनता के हित के लिए हमारे को कहीं भी जाना पड़े, उसमें हमारी तरफ से कोई भी इन्कार नहीं है।

श्री अमीन खान : अपन दोनों ही चले तो काम बैठ जाएगा क्या? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आपका काम सलटेगा कि नहीं सलटेगा लेकिन आपका दोनों का सलट जाएगा।

श्री रमजान ख़ान : सभापति महोदय, इस 2001-2002 के बजट में वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए एक पैसे का भी आपने प्रावधान नहीं रखा, एक पैसे का भी। अगर एक पैसे का कहीं प्रावधान कर देते तो मुझे यह कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। परन्तु धार्मिक स्थलों का विकास करने के लिए, उनके रख-रखाव के लिए कि आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक भी पैसे का आपने इस बजट में प्रावधान नहीं रखा, जो एक बहुत ही गलत चीज है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आठ साल के बी.जे.पी. के शासन में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे, इन्होंने दिल खोलकर धार्मिक स्थलों के रख-रखाव के लिए, उनके विकास के लिए करोड़ों रुपये दिये, सभापति महोदय, और केवल मात्र एक ही सम्प्रदाय के धार्मिक स्थलों को नहीं दिये, चाहे वह हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे इसाई हों, सभी के धर्मस्थलों का विकास करने के लिए पैसा दिया है। मैं आपको—

डा. के. सी. चौधरी : आप यह कह रहे हो, कितना विकास हुआ है यह तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मैं बता रहा हूं। जोधपुर मण्डोर बाग में स्थित देवलो तथा बाड़मेर के किराडू के मन्दिरों में करोड़ों रुपये दिये हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए एक बार शेखावत साहब ने सात करोड़ साठ लाख रुपये दिये। 786 का उर्स आया, आपसे वापस आकर लोगों ने निवेदन किया कि बहुत बड़ी भीड़ आएगी, बहुत ज्यादा तादाद में आएगी इसलिए कुछ पैसा और दो। आपने सोलह करोड़ रुपये 786 के उर्स के मनाने के लिए दिये। आपने नागौर की दरगाह शरीफ के लिए एक करोड़ रुपया दिया। आपने सरवाड़ शरीफ की दरगाह शरीफ के लिए एक करोड़ रुपया दिया परन्तु मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि इस कांग्रेस की सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी ने धार्मिक स्थलों के लिए एक भी पैसे का इस बजट के अन्दर प्रावधान नहीं किया, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

सभापति महोदय, जहां तक अल्पसंख्यकों की हितैषी सरकार बनने का सवाल है, जब भी कहीं अल्पसंख्यकों का सवाल यहां पर आता है तो एकदम ऐसे

(श्री रमजान खान)

पैरवी के लिए खड़े हो जाते हैं कि इनसे बढ़कर कोई हितैषी है ही नहीं और हम लोग तो ऐसे ही विरोध करने वाले हैं। बीजेपी. वाले तो विरोध करते रहते हैं, कांग्रेस की अल्पसंख्यकों की हितैषी है। परन्तु, सभापति महोदय, इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, एक भी पैसे का सबसे बड़ी बात, यह कह रहे थे कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे और इसी बजट सैशन में देंगे।

डा. के.सी. चौधरी : 500 मदरसे खोले हैं।

श्री रमजान ख़ान : सभापति महोदय, जब तक पेट में नहीं जाएगा तो मदरसों में क्या करेंगे? बात कर रहे हैं आप मदरसों की।

श्री सभापति : आप तो अपनी बात क़हिये, उनकी बात पर आप क्यों जाते हैं?

श्री रमजान खान : अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का इन लोगों ने वायदा किया था और यह कहा था कि इसी बजट सत्र में हम इसे संवैधानिक दर्जा देंगे। आज तक नहीं दिया। 10, 11 और 12 तीन दिन रह गये हैं, मेरा खयाल है 10, 11 और 12 तारीख को...

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय पुष्कर से आने वाले सदस्य, आप तो खुद अल्पसंख्यक हैं, मैं तो आपसे यह जानना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद की घटना को आप सही मानते हैं क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें, छोड़िये आप इसको। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : यहां कहां से बाबरी मस्जिद का सवाल आ गया?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। आप तो अपनी बात को चालू रखें।

श्री अमराराम चौधरी (पदपदरा) : बात राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रमजान खान : आज हिन्दुस्तान के अंदर करीब-करीब सभी राज्य, वक्फ बोर्ड को अपने खजाने में से कुछ न कुछ अनुदान देते हैं। पिछली बार भी कहा गया कि निश्चित रूप से हम अगले बजट में कुछ न कुछ पैसा वक्फ बोर्ड को अनुदान के रूप में सरकारी खजाने से देंगे, परन्तु मुझे दुःख है कि इस बजट के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं रखा! सभापति महोदय, वक्फ बोर्ड की ऐसी बिगड़ी हुई हालत हो रही है कि वहां के कर्मचारियों को 6 महीनों से तनख्वाह का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि चाहे आप थोड़ा-सा दें, मगर कुछ दूसरे प्रदेशों को देखते हुए वक्फ बोर्ड को अनुदान देने की शुरूआत तो करें ताकि लोगों को लगे कि यह अल्पसंख्यकों की हितैषी सरकार अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए कुछ न कुछ कर रही है।

(श्री रमजान खान)

इसके साथ-साथ आपने घोषणा यह की थी कि हम एक मई, 2001 तक अल्पसंख्यक वित्त आयोग की शुरूआत कर देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वित्त आयोग की शुरूआत तो अलग रही, आज तक उसके कार्यालय का पता नहीं है कि कहां अल्पसंख्यक वित्त आयोग खुलेगा। कब अल्पसंख्यकों को उसमें से ऋण मिलेगा, आज तक उसके कार्यालय का ही पता नहीं है? मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसकी आपको घोषणा भी नहीं करनी चाहिए। बार-बार घोषणाएं करने से सरकार की पैठ खराब होती है, लोगों में सरकार के विरुद्ध थोड़ा आक्रोश होता है। आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में यह आक्रोश है कि सरकार कह कर नहीं कर रही है।

इसके साथ-साथ उर्दू के आपने 400 पद थर्ड ग्रेड के सृजित किये, उसमें से भी दो साल के अंदर सिर्फ आधे अध्यापक ही लगाये हैं। आधे अध्यापक क्यों नहीं लगा रखे हैं? एस.टी.सी. पास लड़के बहुत-से उर्दू के बैठे हुए हैं परन्तु उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। जगह-जगह स्कूलों में उर्दू टीचरों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रही है। कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जगह खाली पड़ी हैं। जब आपने बजट में घोषणा कर दी तो इनकी नियुक्ति आप लोगों को कर देनी चाहिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अभी तो आप कह रहे थे कि कुछ किया ही नहीं और फिर आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि बजट में घोषणा कर दी, दोनों बातें कैसे हैं? अभी तो आपने यह फर्माया कि अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नमैंट ने कुछ किया ही नहीं और अभी आप इस पर फरमा रहे हैं कि बजट में घोषणा कर दी। माननीय सदस्य, आपकी दोनों बातें परस्पर विरोधाभाषी है, इसलिए मैं आपको—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें।

श्री रमजान खान : मैं यह निवेदन कर रहा था कि उर्दू अध्यापकों की घोषणा तो दो साल पूर्व के बजट में हुई है। इस बजट में कुछ नहीं है। मैं रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी ठीक हैं, लेकिन हकीकत यह है।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि 15 पाइंट प्रोग्राम अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए और उनके जो दुख दर्द होते हैं इसके लिए हर जिले में आयोजित होता है। प्रदेश में भी होता है। लेकिन इस 15 पाइंट प्रोग्राम को यह कांग्रेस की हुकूमत तो बिलकुल ही भूल गयी। किसी भी जिले में यह प्रोग्राम होता नहीं। साल-डेढ़ साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ है और उसके प्रस्ताव अगर राज्य सरकार को भेजे हैं तो वे रद्दी की टोकरी में डाले गये। 15 पाइंट प्रोग्राम की मीटिंग के प्रस्तावों पर इस सरकार ने आज तक तो कोई भी कार्यवाही नहीं की है। आप

(श्री रमजान खान)

कार्यवाही करें या नहीं करें, मगर कम से कम आप यह कहना तो छोड़ दो कि हम अल्पसंख्यकों के बहुत हितैषी हैं और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। अब धीरे-धीरे अल्पसंख्यक समुदाय भी समझ रहा है कि कांग्रेस कितनी हमारी हितैषी है। कितना क्या करती है हमारे लिए। धीरे-धीरे सबके दिमाग में यह बात आ रही है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर को हैरिटेज सिटी बनाने की बात ये करते हैं, जयपुर को हैरिटेज सिटी क्या बना दिया? सबसे मोटी बात तो दो साल-ढाई साल की उपलब्धि में यह कहते फिरते हैं कि 22 गोदाम का ओवरब्रिज हमने बना दिया, झोटवाड़ा का ओवरब्रिज हमने बना दिया, गोपालपुरा का ओवरब्रिज हमने बनाया, मालवीय नगर का ओवरब्रिज हमने बनाया। ये असत्य घोषणाएं करने से क्या मतलब निकलता है? 22 गोदाम का ओवरब्रिज तो माननीय शेखावत साहब के हाथों से सन् 1996 में शिलान्यास हो चुका था और वह बनकर करीब-करीब चालू हो गया था आपका शासन आया तब तक। आप कह रहे हैं कि 22 गोदाम का ओवरब्रिज हमने बनाया। जहां तक झोटवाड़ा के ओवरब्रिज के शिलान्यास का सवाल है यह अप्रैल, 1996 में माननीय शेखावत साहब ने किया था और साढ़े 12 करोड़ रुपये में वह तो करीब-करीब बन चुका था। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया था कि जयपुर सुपर हाई वे, बाईपास कांग्रेस की सरकार ने बना दिया। यह 14 किलोमीटर जयपुर बाईपास का जो हाई वे बना है, रिंग रोड जो बनी है जयपुर के चारों तरफ, इसको भी बी.जे.पी. के शासन में बनाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से असत्य बातें करके जनता को गुमराह करने से कोई मतलब नहीं है। जो आप बातें करते हो, जो आप काम करते हो उसकी तो आप वाहवाही लूटो, उसको तो आपकी उपलब्धि बताओ। परन्तु जो बी.जे.पी. के शासनकाल में हो गया उसको आप अपने नाम, अपने खाते में लिखाकर आप सोचते हैं कि हम उसका कोई फायदा उठा लेंगे, उसका फायदा उठने वाला नहीं है क्योंकि जनता सब जानती है कि ये कितने पानी में हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि गांवों में और शहरों के बीच में पहले इतना भेदभाव नहीं था। अब इस ढाई साल के बीच में गांव के लोग यह महसूस करने लग गये कि हम तो सैकण्ड क्लास के नागरिक हैं, शहर में रहने वाले एक नम्बर के नागरिक हैं। उसका कारण है कि गांव में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली मिलती नहीं है न समाचार सुन सकते हैं, न बच्चे पढ़ सकते हैं। नींद आने के पहले-पहले कोई भी बिजली का उपयोग करे, ऐसी स्थिति आजकल गांवों में रही नहीं है। विशेष कर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तो गांव में बिजली काट ही देते हैं। कृषि के लिए पूरी 8 घंटे की बिजली ढाई साल के अंदर आज तक नहीं मिली। 2-4 घंटे और

(श्री रमजान खान)

ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो 5 घंटे से ज्यादा बिजली कृषि कुओं को नहीं मिली। और ये कहते हैं कि 8 घंटे हम बिजली देते हैं। यह भी एक तरह का भेदभाव है।

श्री अमीन खान : पूरे ढाई साल नहीं मिली है या 2-3 महीने कम-ज्यादा? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप नींद ले रहे थे इसलिए आपने सुना नहीं है।

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, गांवों के अंदर जलदाय विभाग ने और राजस्थान सरकार ने एक पाबंदी लगा दी कि पानी के लिए ओवरहैड टैंक नहीं बनेगा। सख्त पाबंदी है। चाहे पांच हजार की आबादी हो और चाहे दस हजार की हो, जी.एल.आर. बनेगा नीचे का। और शहरों में ओवर हैड टैंक बना रहे हो। गांवों में क्यों नहीं बना रहे हो? उस पर क्यों पाबंदी लगायी? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

गांवों में तो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, जहां-तहां खड्डे पड़े हैं, कच्चे रास्ते हैं, जा नहीं सकते। और शहरों के अंदर सीमेंट की सड़कें हैं।

सभापति महोदय, गांवों में स्कूलों के भवनों की कमी है, अस्पतालों के भवनों की कमी है, हर तरह के भवनों की कमी है। गांवों में डाक्टर, अध्यापक, नर्स, कम्पाउण्डर रहना ही नहीं चाहते। कहते हैं शहर में जाना चाहते हैं। कोशिश करके इधर-उधर करके ऑन डैपुटेशन करवा लेते हैं, शहर के अंदर चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार का कर्मचारियों और अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। डाक्टर चाहे वह शहर में रहे या नहीं रहे, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं इसलिए डाक्टरों को कोई डर नहीं लगता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 3 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डाक्टर 20 दिन में एक दिन आता है। जब हम शिकायत करते हैं और ज्यादा कुछ करते हैं तो उसका डैपुटेशन कर देते हैं ब्यावर और अजमेर के अंदर। वह जगह खाली पड़ी है, छह महीने से पड़ी है तो भी कोई परवाह नहीं करता है। अधिकारियों पर इस सरकार का कोई नियंत्रण सही ढंग से न होने के कारण गांवों के साथ यह बहुत बड़ा भेदभाव है।

अंत में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज बीसलपुर बांध पर चर्चा हो रही थी। यह बीसलपुर बांध बना था केवल मात्र अजमेर जिले के लिए, उस समय माननीय हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे। जिस समय उन्होंने उस बांध की शुरूआत की थी, शिलान्यास किया था उस समय मैं भी था, उसमें साफ यह कहा था कि अजमेर जिले के नगरों और गांवों में पीने का पानी मिलेगा, उसमें जयपुर का कहीं नामो-निशान नहीं था। अब इसमें बाद में जयपुर जिले के लिए भी 1100 करोड़ रुपए की पाइप लाइन डालकर पानी ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर शहर और अजमेर शहर के आसपास के जितने

(श्री रमजान खान)

भी नगर और गांव हैं; उनमें पानी की पर्याप्त पूर्ति नहीं होगी। अगर जयपुर शहर को पानी पिलाना चाहते हो तो आप चम्बल से पानी लाकर जयपुर को पिलाओ, बीसलपुर को तो खाली अजमेर जिले के लिए ही रहने दो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, पिछले दशक की शुरूआत का वह क्या परिदृश्य था कि जब राजस्थान की जनता से ऐसे लोक लुभावन वायदे किए गए और ऐसे सब्जबाग दिखाए गए कि उन झांसों में आकर राजस्थान की जनता ने आठ साल वह पीड़ा भुगती जैसी आज़ादी के बाद कभी नहीं भुगती। सभापति महोदय, बिजली परियोजनाओं को लेकर क्या-क्या सब्जबाग नहीं दिखाए गए? यूटोपिया नहीं खड़े किये गये? इतनी ऊंची चिमनी लगाऊंगा कि उस पर चढ़कर बेनजीर भुट्टो का दीदार कर सकेंगे, एक किलोमीटर ऊंची। माननीय सभापति महोदय, आठ साल में एक चिमनी तो छोड़िए, चिमनी के नाम के एक पत्थर का दीदार भी राजस्थान की गरीब पीड़ित जनता को नहीं करवा सके।

सभापति महोदय, राजस्थान के सर्वोच्च सदन के इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा कि जब सत्ता पक्ष के नेता और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने प्रतिपक्ष के नेता महोदय को कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देना चाहते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि आप इसमें हमारे साथ आगे आइए और सहयोग कीजिए। वरना, सभापति महोदय, हमेशा प्रतिपक्ष ही इस तरीके के आरोप लगाया करता था और इस तरीके की बात किया करता था। उनका वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत किस तरह का शासन राजस्थान की जनता को देना चाहती है। पिछले दो साल के आंकड़ों की ओर आप अगर दृष्टिपात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ने इस दिशा में ठोस कार्यवाही की है और ठोस कदम उठाए हैं।

सभापति महोदय, 1997 में भ्रष्टाचार निरोध के मामले में जो अभियोजन स्वीकृतियां दी गयी थीं वे थीं 108, 1998 में 102 और कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद 1999 में 195, 2000 में 211. इसी तरह केस रजिस्टर करने के मामले में 1997-98 में 243 और कांग्रेस सरकार आने के बाद पहले साल 1999-2000 में 644. ये आंकड़ें इस बात के प्रमाण हैं कि इस सरकार की प्रतिबद्धता हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, संघर्ष करने की।

सभापति महोदय, योजना के आकार को लेकर कई बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं और कई तरह के श्रेय लेने का प्रयास किया जाता है। 11500 करोड़ की योजना से छलांग लगाकर वर्तमान योजना को 27 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने के दावे हैं। उन दावों की असलियत दो साल में ही

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके सामने आ जाती है। दो साल में योजना सात हजार और कुछ करोड़ रुपयों में सिमट गई। पिछले तीन साल में 20 हजार करोड़ रुपए, आप किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? सभापति महोदय, किसी तरीके के अतिरिक्त संसाधन पैदा किए बिना योजना के आकार बढ़ाने का नतीजा यही होता है।

सभापति महोदय, मौजूदा हुकूमत के काम सम्भालने के बाद 2000-2001 का बजट घाटा अनुमानित किया गया था। 699.36 करोड़ रुपए और यह उम्मीद की गई कि 2001-2002 में 283 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। इसमें भी सरकार को भरोसा है कि सरकारी व्यय पर नियंत्रण करके इस घाटे को भी काबू में कर लिया जाएगा।

सभापति महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में केन्द्र सरकार से कभी यह विवाद नहीं हुआ कि उनसे सहयोग नहीं मिल रहा है। वस्तुतः सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वे तंग बातों में विश्वास नहीं करते कि निचले स्तर पर किसकी हुकूमत है और किसके अनुरूप काम किया गया है। खुद प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो पुष्कर से आते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन, सभापति महोदय, राजस्थान लगातार तीन साल से अकाल की पीड़ा भुगत रहा है, क्या सहयोग दिल्ली की सरकार से मिला? यह कहना सरासर गलत है कि राजस्थान की ओर से कोई आग्रह नहीं किया गया। सभापति महोदय, इन्टर स्टेट काउंसिल की तीसरी बैठक 1998-99 में हुई, उसमें केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 33.33 प्रतिशत करने की मांग रखी गई थी। लेकिन ग्यारहवें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व का 29.50 प्रतिशत हिस्सा रखा। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 20 मार्च, 1999 को हुई उसमें राज्यों को केन्द्रीय मदद बढ़ाने की मांग की गयी थी। हर बैठक में जो अवसर मिला, राजस्थान ने उसमें भारत सरकार से यह निवेदन किया। राजस्थान की यह स्थिति क्यों बनी? सभापति महोदय, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बोझ पड़ा और जाते-जाते इनके जो कर्म रहे, चुंगी को हटा गये। चुंगी का सारा बोझ राजस्थान की सरकार पर लाद दिया। योजना का आकार बढ़ाकर 11500 करोड़ रुपए और 27000 करोड़ रुपए करके ऋण लिये, ऋणों का भार जो राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर पड़ा, यही उसका कारण है।

अभी हमारे पूर्व वक्ता आठ साल के कुशासन के गीत गा रहे थे, लेकिन आज राजस्थान का मौजूदा स्वरूप जो बना हुआ है, आज राजस्थान का जो आकार बना है, निश्चित रूप से कांग्रेस के उन प्रयासों का परिणाम है। सभापति महोदय, आंकड़े इस बात के गवाह है कि जब राजस्थान बना तो हम किस मुकाम पर थे और आज कांग्रेस के प्रयासों से हम किस मुकाम पर आकर खड़े हुए हैं। सभापति महोदय, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वह 54 करोड़ रुपए की थी इस पूरे प्रांत की और आज स्थिति यह है कि हमारी वार्षिक

(श्री संयम लोढ़ा)

योजना 4 हजार करोड़ रुपए की सीमा को भी लांघ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, 1951 से 56 में कृषि सेवाओं पर 2.88 करोड़ रुपए खर्च किये गये थे पंचवर्षीय योजना में और आज मात्र कृषि में 420.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जलग्रहण योजना का 100 करोड़ रुपये का जो प्रावधान है वह इसके अतिरिक्त है। 1951 से 56 की पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर 3.4 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और इस वर्ष 535 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए जो डी.पी.ई.पी. की योजना चल रही है उसके 643 करोड़ रुपये अलग है। सिंचाई पर जहां पहली पंचवर्षीय योजना में 31.31 करोड़ रुपए खर्च किये गये थे, आज एक साल की इस योजना में 271 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में जब यह राजस्थान बना था और यहां से जब जोधपुर जाते थे तो खाली किशनगढ़ में बिजली का लट्टू दिखता था। 1949 में राजस्थान में सिर्फ 9 मेगावाट बिजली का उत्पादन था और आज राजस्थान के 6 लाख से भी अधिक किसानों के कुएं बिजली से जोड़े जा चुके हैं, राजस्थान के 36 हजार गांव बिजली से जोड़े जा चुके हैं, 92 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और अगले तीन साल में पांच हजार करोड़ रुपये राजस्थान की यह किसान समर्थक सरकार बिजली से संबंधित कार्यों पर खर्च करने का इरादा रखती है।

माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान बना तो यहां की 83 फीसदी जमीन जागीरी के तहत थी। आप तो जानते हैं कि राजस्थान एकमात्र प्रांत है जहां जमीनों का मुआवजा किसानों को नहीं देना पड़ा, राजस्थान की सरकार ने किसानों की जमीनों का मुआवजा जागीरदारों को दिया। एकमात्र प्रदेश है पूरे देश के अंदर और उस गौरवशाली प्रदेश की यह विकास यात्रा कांग्रेस की रहनुमाई में हुई।

माननीय सभापति महोदय, जब इस सरकार ने हुकूमत सम्भाली तब क्या परिस्थितियां थीं? गांवों के अंदर 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों पर एक ग्राम सेवक था। सरपंच अपने पोथी-बस्ते लेकर ग्राम सेवकों के पीछे घूमा करते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की भावना के अनुरूप चिंतन किया, विचार किया और राजस्थान में पंचायती राज के अंदर की महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू किया। ग्राम सभा, वार्ड सभा, इनको सशक्त किया और हमारे जनांदोलन में इनकी एक भूमिका बनायी। यह प्रयास राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, किस गांव में कौनसा काम करना है इसका सबसे बेहतर अनुमान उस गांव में रहने वाले लोग लगा सकते हैं। पहले ऊपर से फैसले होते थे और उसका निचले स्तर पर काम होता था। लेकिन हमारी सरकार ने सारे महत्वपूर्ण काम ग्राम सभा को सौंपे हैं जिसमें विकास के कार्यों का फैसला करना, राशन की दुकान का फैसला करना और सरपंचों की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद से ही लगातार यह महसूस किया जाता रहा कि जन-प्रतिनिधियों की जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पिछले साल कांग्रेस की सरकार ने लिये जिसमें ग्राम सभा और वार्ड सभा को यह अधिकार दिया गया कि सरपंच और वार्ड पंच ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम में खामियां हैं अनियमितताएं हैं तो ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर, वार्ड सभा की सिफारिश के आधार पर संबंधित जन-प्रतिनिधि के खिलाफ कार्यवाही की जाए। माननीय सभापति महोदय, यह तो सामाजिक न्याय का सिद्धान्त जिससे गरीब व पिछड़े तबके को न्याय देना चाहते हैं। हर कानून आता है और समाज के प्रभावशाली लोग कहीं न कहीं गली उसमें निकाल देते हैं। पिछली हुकूमत के वक्त में अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़ी जाति के जो सरपंच निर्वाचित होकर आये, किसी न किसी तरीके से उनको निलम्बित करवा दिया गया और सामान्य वर्ग के लोगों को उन ग्राम पंचायतों का कार्यभार सौंप दिया गया। हमारे महान नेता राजीव गांधी पिछड़ी जाति और दलित वर्ग के लोगों को समाज में नेतृत्व करने का अवसर देना चाहते थे, उनके सामने बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो गई। लेकिन इस सरकार ने यह फैसला किया कि जिस स्थान पर सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है अगर उसको हटाया भी जाएगा तो सरपंच का कार्यभार उसी वर्ग के वार्ड पंच को सौंपा जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने यह लिया है।

मैंने जैसा अभी आपको अर्ज किया कि आठ साल के इनके कुशासन के दौरान, क्योंकि माननीय शेखावत साहब का काम करने का तरीका ही यही था कि अपने सैक्रेटरी को कह देते थे कि मंत्री का ध्यान रखना, इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे प्रदेश में नौकरशाही हावी हो गई, निचले स्तर पर कर्मचारी वर्ग जन सेवा की बजाय अपने निजी कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहने लगा। इन सेवाओं का लाभ कैसे लिया जाए, इन सेवाओं को जन हित में समर्पित कैसे किया जाए, इस सरकार ने इसके बारे में सोचा और सरपंच की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया। उस निगरानी समिति की सिफारिश पर उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई जो अपने कर्तव्य पालन के प्रति लापरवाह थे। आज किसी भी गांव का दौरा कर लीजिए, आपको ग्राम सेवक, पटवारी, नर्स सब अपने निर्धारित मुकाम पर हाजिर मिलेंगे। इसकी वजह यही है कि एक जवाबदेही सरकार ने सुनिश्चित की है और सरपंच तक को इस बात का अधिकार दिया है कि जो कर्मचारी उसके वहां लापरवाह हैं उनके खिलाफ वह कार्यवाही की सिफारिश करे।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने ही जो पिछड़ी जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत था उसको बढ़ा कर 21 फीसदी

(श्री संयम लोढ़ा)

किया। माननीय सभापति महोदय, लोगों की सेवा और संवेदना इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। जब नेतृत्व के पद पर एक ऐसा व्यक्ति हो जो संवेदनशील हो, जिसकी छवि स्वच्छ हो, उज्ज्वल हो और जिसका व्यक्तित्व मानवीय करुणा से ओतप्रोत हो तो उस प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से उसका भारी लाभ प्राप्त होता है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री सहायता कोष तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन उससे लाभान्वित होने के जो मानदण्ड इस सरकार ने आने के बाद बदले वह इस बात का प्रमाण है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की सदाशयता का और उनकी संवेदनशीलता का लाभ निचले स्तर पर किस रूप में पहुंचा है।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष भी उसी तरह का एक अभिनव प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों को अपना जीवन बचाने का अवसर मिला। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मुख्य मंत्री सहायता कोष में स्वीकृति के मानदण्डों में परिवर्तित कर आपरेशन, हृदय के आपरेशन और दो वाल्व बदलने की स्थिति में 50 हजार और एक वाल्व के परिवर्तन पर 30 हजार रुपये की स्वीकृति देना अभी तय किया गया है। इस साल और पिछले सालों की आप तुलना करें, माननीय सभापति महोदय, तो आपको तो पता चलेगा कि इस योजना का कितना लाभ राजस्थान की जनता को मिला है। 1997-98 में 34.33 लाख रुपये की सहायता दी गयी, 1998-99 में 53.24 लाख की सहायता दी गयी और कांग्रेस की सरकार आने के बाद 1999-2000 में एक करोड़ 10 लाख रुपये और इस साल 2 करोड़ 30 लाख रुपये की सहायता इस योजना के तहत दी गयी। माननीय सभापति महोदय, यह तो जिस पर दुःख पड़ता है वह जानता है कि उसकी क्या मदद हुई और उसको क्या सहारा मिला।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पांचवें वेतन आयोग की आपने सिफारिशें लागू की हैं, कर्मचारियों को इससे लाभान्वित होने का अवसर मिला। अच्छी बात है, लेकिन उसी आयोग की जो दूसरी सिफारिशें भी थीं, जैसे छुट्टियों में कटौती, कार्य समय में बढ़ोतरी, आपको उन पर भी विचार करना चाहिए जिससे जो आर्थिक परिलाभ आप दे रहे हैं। उसके दूसरे लाभ शासन को भी प्राप्त हो सके। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी आपके अलग-अलग विभागों में आडिट होती है और उसमें जो गलतियां और खामियां पकड़ में आती हैं उनको कोई गम्भीरता से नहीं लेता। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, माननीय सभापति महोदय, इस व्यवस्था में सुधार होना सम्भव नहीं है। सरसरी दृष्टि से जो आडिट डिपार्टमेंट मामला देखता है उसमें तो यह रिकमण्ड

(श्री संयम लोढ़ा)

किया गया कि इतने हजार मामलों में इतनी कम रिकवरी की गयी, लेकिन आज कितनी रेवेन्यू आपकी बकाया है, आप उसका भी आकलन करके उसको भी वसूल करवाने की चेष्टा कीजिए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मौजूदा सरकार कुछ नये करों का भी प्रस्ताव कर सकती है। जो लोग अब तक उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, जैसे वास्तुविद, या उद्योगपतियों ने उद्योगों के भूखण्ड आबंटित करवा लिये लेकिन उन पर काम शुरू नहीं किया तो उन पर आप पर लगाइये। जो लोग विदेश जाते हैं उन पर आप कर लगाइये। कुछ इस तरह के नये कर जिससे आम जनता प्रभावित नहीं हो, आपको लगाने चाहिए जिससे आने वाले वक्त में आपकी सहूलियतें बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मैं विधायक नहीं बना था, कभी राजस्थान शासन सचिवालय जाने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की एक प्रशासनिक व्यवस्था बना ली है, आपने शुरूआत तो की है उसमें परिवर्तन की लेकिन उसमें अगर आगे तक नहीं जाएंगे तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। माननीय सभापति महोदय, समय की मांग है परिवर्तन की, नये सुधारों की। यह कौन-सा तरीका हुआ, माननीय सभापति महोदय, कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी आती है, अधिकारी उसमें से उतरता है, एक आदमी तो उसका वहां सामान उठाने के लिए खड़ा रहता है, वह सामान उठा कर उस अधिकारी को साथ लेकर जाता है। अधिकारी अपने दफ्तर में आता है, उसका फोन उठाने वाला दूसरा आदमी है, उसका डिक्टेशन लेने वाला एक तीसरा आदमी है और उसको अगर पानी पीना है तो पानी पिलाने वाला चौथा आदमी है और उससे कौन मिले या नहीं मिले, इस बात को देखने के लिए बाहर बैठा हुआ एक पांचवां आदमी है और चाय पीनी हो तो एक छठा आदमी है। यह क्या व्यवस्था है? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे बहुत रिश्तेदार विदेशों में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और जर्मनी में भी पढ़ कर आये हैं परन्तु किसी मुल्क में ऐसी व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आप अपना खुद का पानी का गिलास उठा कर नहीं पी सकते? या कोई आपसे मिलने आया है उसको पानी का गिलास पिलाना है तो आप उसको गिलास उठा कर नहीं पिला सकते? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की गरीब जनता के पैसे का यह दुरुपयोग लम्बे समय तक नहीं चल सकता। नौजवान पीढ़ी का एक नाचीज कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इस तरीके की मौज मस्ती और धन के दुरुपयोग पर आपने नियंत्रण नहीं किया तो राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

का नौजवान इस व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा और उसको विद्रोह करना पड़ेगा।

आज आपने सरकारी बंगलों की क्या स्थिति कर रखी है? चार-चार गार्ड आपने सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं, 20-20 हजार रुपये महीने के उन मकानों की सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हम अपने आपको जनता के सेवक कहते हैं और हम किस तरीके की विलासिता का उपयोग कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान के ढाई लाख लोगों से वोट लेकर चुनकर आने वाला विधायक पानी वहां लॉबी में जाकर पी सकता है, बस में बैठकर आ सकता है तो जो हम लोगों की खिदमत करने का दावा करते हैं वे क्यों नहीं? ये आवश्यक सुधार, माननीय सभापति महोदय, हमको लाने चाहिए, वरना निचले स्तर पर जो गरीब लोग बैठे हुए हैं, उनकी सहनशक्ति कम है। माननीय सभापति महोदय, अगर परिवर्तन नहीं किया और जनहित पर विचार नहीं किया तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आखिरी सुझाव माननीय वित्त मंत्रीजी को देना चाहता हूं। इस सरकार ने कई अच्छे फैसले किये हैं जिसमें जन प्रतिनिधियों को और आम जनता को निचले स्तर पर ये अधिकार दिये कि वे अपने विकास से संबंधित काम के फैसले करें। माननीय सभापति महोदय, जब से यह सरकार आयी हमारी संवेदनशील सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रावधान को बढ़ाकर 40 लाख रुपये तक पहुंचाया। माननीय सभापति महोदय, इस प्रावधान से आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनके महत्वपूर्ण काम हैं, जो उनके ज्यादा जरूरत के काम हैं वह करने का एक अवसर जन प्रतिनिधियों को मिला। आज दिल्ली की विधान सभा में एक साल का दो करोड़ रुपये कर दिया और दूसरे कई ऐसे प्रांत हैं जिनमें यह राशि काफी ज्यादा है, तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को शामिल करता हुआ माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रावधान को एक करोड़ रुपये करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अभी मेरे से पूर्व लोढ़ा साहब ने बड़े सुन्दर विचार सदन में आपके सामने रखे। मैं आपके माध्यम से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सबसे प्रथम कार्य है खर्चों में कटौती करने का। अगर कोई सवाल आता है कि एम.एल.ए. के वेतन की व्यवस्था 3000 या 3500 या 4000 हजार हो या नहीं हो तब तो सारी दुनिया में हल्ला मच जाता है और हमारे अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं हैं, अपना हक मांगते हैं। जो व्यक्ति अपना हक मांगता है उसको अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार भी होना चाहिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इसके साथ-साथ मेरे इलाके की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको मैं फाइनेंस मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहता हूं। शायद उन्होंने बजट बनाते समय इन बातों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा। पिछले बजट में साढ़े 19-20 करोड़ रुपये की शुगर फैक्ट्री की श्रीगंगानगर के लिएं यहां फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की थी, उसका कहीं भी इस बजट में जिक्र नहीं है। कृपा करके जब भी शाम को आप स्पीच देंगे तो उसमें इस बात का जरूर जिक्र करेंगे। नगर परिषदों, नगरपालिकाओं में चुंगी बन्द हो गयी, कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों में जगह-जगह खड्डे हैं, नालियां हैं नहीं। जो नालियां हैं वे सारी गन्दे पानी से भरी हुई हैं, बदबू फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं। यह ऐसा सेंसिटिव इश्यू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए पूरी तरह। अगर इसमें टाइम रहते कुछ नहीं किया गया तो हालत खराब हो जाएगी। किसी भी फण्ड से हम नगरपालिकाओं नगर विकास न्यास और नगर परिषदों की जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम चाहे कि हमारी सफाई की व्यंवस्था पूरी तरह से ठीक हो, वह नहीं होगी। 25 साल पहले जो सफाई कर्मचारी थे वे ही आज हैं। आबादी एक लख से बढ़कर तीन लाख हो गयी पर सफाई कर्मचारी 400 के 400 हैं। तो ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं कि वैसी व्यवस्था आगे बढ़े ?

ट्रैफिक व्यवस्था बुरी हो चुकी है। केवल मात्र श्रीगंगानगर में तीन हजार थ्री व्हीलर हैं, एक के बाद एक जाते हैं, लोगों को सड़क क्रास करने का भी टाइम नहीं मिलता। उनसे इतना धुंआ और प्रदूषण होता है कि लोग बिलकुल एक तरह से जहर पी रहे हैं। उसके लिए भी हमें कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां श्रीगंगानगर में एक आजाद टाकीज नाम का थियेटर है, निरन्तर मैं 1980 से निरन्तर इस सदन के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं कि उसके पास हमारा ओवरब्रिज नहीं बनता तो 2-2, 3-3 घंटे तक किसान परेशान होते हैं जो बाहर से अपनी फसल लाते हैं। इसके अलावा तीन ब्रिगेड हैडक्वार्टर हैं। हमारे यहां से आवाज मारो तो आवाज पाकिस्तान में जाती है। तीन ब्रिगेड हैडक्वार्टर के आर्मी के लोग 4-4 घंटे तक परेशान होते हैं। अब जबकि नयी टेक्नोलाजी आ गयी, नया जमाना आ गया और हमारे टाइम की वैल्यू हो गयी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि चाहे आप उस पर टोल टैक्स लगा दें, 5 रुपये 10 रुपये जाने वाली गाड़ी से ले लें लेकिन ओवर ब्रिज श्रीगंगानगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके ऊपर भी आपने कोई दृष्टि नहीं डाली। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर भी आप दृष्टि जरूर डालें।

सड़कों की हालत को देखते हुए अभी जो हमारी सरकार ने सड़कों के लिए बहुत बड़ा 600 करोड़ का प्रावधान रखा है, बहुत सराहनीय है। लेकिन उसके साथ-साथ जो लोग श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर ऐसी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जगहों से चुनकर आते हैं, शहरों से चुनकर आते हैं उनके लिए एक पैसा भी नहीं। अब मेरे 10 तो पंचायतें हैं, पंचायतों का कार्य तो पूरा हो जाएगा पर शहरों की हालत खराब है। 3-3, 4-4 फीट के खड्डे और बहुत बड़े-बड़े नाले ऐसे बने हुए हैं कि जिनको देखने से एकदम आदमी को यों लगता है कि लोग बसते कैसे हैं। काली में काली, गवर्नमेंट ने नीति बनायी है कि जो सड़क पहले से काली हुई है उस पर ही दुबारा कारपेट होगा और वह पेवर सड़क बनायी जाएगी। जो शहरों का पैसा है, हर विधायक का अधिकार है। चाहे वह किसी भी पार्टी का विधायक हो, आपने 100 किलोमीटर की छूट दी है कि 50 किलोमीटर इस वर्ष और 50 किलोमीटर अगले वर्ष। तो मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि शहर से आने वालों की बात को मद्देनजर रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि अबकी बार हमारी बकरी फाटक हो जाए।

मेरे सामने भाई राजेन्द्रजी राठौड़ बैठे हैं, पिछली बार ये चिकित्सा मंत्री थे, मैं शहर की हालत दिखाने के लिए बी.जे.पी. सरकार के आगे रोया। रोने पर क्या हुआ कि आप और भंवरलालजी दो मंत्री गये। इनको मैंने गली-गली फिराया। इन्होंने आकर विधान सभा में यह स्वीकार किया कि यह गंगानगर नहीं है, यह तो गंदानगर है। दो करोड़ रुपये की घोषणा हुई। वह तो चले गये लेकिन दो करोड़ रुपये नगर परिषद को आज तक नहीं मिले। सीवरेज नहीं है, हालत बड़ी बुरी है। माननीय पूर्व मंत्री राठौड़ साहब, आपने एक बड़ा भारी प्रोमिस किया था। आपने यह कहा था कि जो महाराजा गंगासिंह ने जनता के लिए हास्पिटल बनाया था उस हास्पिटल को हम जनाना हास्पिटल, महिला हास्पिटल और लोकल डिस्पेंसरी बनाएंगे। पता नहीं वह घोषणा कहां चली गयी। वह हमें कहीं दिखी नहीं। हमारे चिकित्सा मंत्रीजी इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पांच करोड़ रुपये जनता ने अपने खून-पसीने के लगाकर श्रीगंगानगर का बहुत बड़ा चिकित्सालय बनाया। चिकित्सालय तो उसमें परिवर्तित हो गया लेकिन हमारी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पड़ी हुई है, जिसमें आज गधे और कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। जिसको आपने कहा था कि महिला हास्पिटल का दर्जा मैं अभी से आर्डर कर रहा हूं यह हर हालत में बन जाएगा। फिर मेरे राजेन्द्रजी वहां गये। दोनों नाम एक ही हैं। एक राजेन्द्र राठौड़ है और दूसरा राजेन्द्र चौधरी है। नाम तो मेरा भी तुला राशि है पर क्या कारण हुआ कि वे दोनों बातें गलत पाई गयीं। तो मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि इतना बड़ा जिला जो 10 हजार....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : राधेश्यामजी, आपको गालिब का शेर याद है? मिर्जा गालिब ने इन वादे मुहायदों के बाबत एक शेर कहा है—"तेरे वादे पर जीएं तो यह जान छूट जाना" तो ये तो ऐसे ही लोग हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जय हो शांतिजी की, क्या कहना। मेरी आपके

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

माध्यम से प्रार्थना है कि वे तो चले गये, हमें जिम्मेदारी दे गये। हमें वह जिम्मेदारी दे गये तो पूरी तरह निभानी चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में लोगों से यह कह सकें कि वायदे उन्होंने किये थे। 2-2 मंत्री फिरे और पूरी तरह आकर सच्चाई यहां पेश की। एक तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां सदन में आकर बहुत सच्ची बात कही थी। उस पर ही हमारे अपोजिशन के नेता, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय भैरोंसिंह जी ने कहा कि दो करोड़ रुपये देंगे। सर्वे भी शुरू हो गया। किस चीज का? ड्रेनेज का सर्वे शुरू करा दिया। बड़ी-बड़ी कम्पनियां आयीं, टैक्निकल लोग बुलाये गये चीफ इंजीनियर बुलाये गये, लेकिन वह सर्वे कहां गया? 10 लाख रुपये भी खर्च हो गये लेकिन आज तक उसका कहीं अता-पता नहीं है। सीवरेज की हालत बहुत भयंकर है, इतनी बदबू आती है और इतनी गंदगी है कि आप ध्यान रखें—

श्री जुगल काबरा : माननीय राधेश्यामजी, गंगानगर वालों ने भैरोंसिंहजी के साथ क्या सलूक किया था वह भैरोंसिंहजी भूले नहीं हैं। इसलिए आप कैसे उम्मीद करते कि दो करोड़ रुपये गंगानगर में लगा देते।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी प्रार्थना है, मैं जुगलजी को दो बार नमस्कार करता हूं लेकिन निवेदन यह है कि यह तो प्रजातंत्र है। वैसे वे मेरे बड़े भाई हैं, जनता किस तरह का निर्णय करती है क्योंकि जनता के पास हमारे प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन उस बात को लेकर गंगानगर जिले का हाल खराब कर दें? एक जिले के दो जिले कर दें? उनका वश नहीं चला, नहीं तो अनूपगढ़ और जिला कर देते, तीन हो जाते। गंगानगर जिला को महाराजा गंगासिंह ने बनाया था वह जिला जिले बन जाता। मित्रों, इस तरह की भावना हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने रखी जो उनको नहीं रखनी चाहिए थी। हमारी सरकार पक्षपात नहीं करती। हमारी सरकार में तो तीन करोड़ रुपये, 100 किलोमीटर, श्रीमान् जी, आपके भी यहां रोड बनेगी। काली रोड पेवर की आपके यहां भी बनेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, हमें इधर आये ढाई साल हो गये, अब कब तक पानी पी-पीकर हमें कोसोगे और हमें गालियां दोगे? इन ढाई वर्षों में आपके गंगानगर में, शेर कहने वाले मंत्रीजी ने ढाई लाख रुपये भी लगाये तो मुझे बता दो। ऐसा एक काम आपका किया नहीं—

श्री राधेश्याम गंगानगर : शेर कहने वाले मंत्री ने जो कुछ किया है, मैं आपको थोड़ी-सी बात करूंगा फिर आप कह दोगे कि + + + करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, मैं आपका आदर करता हूं परन्तु आपकी आदत आजकल विचित्र होती जा रही है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह + + + आदत छोड़ो। यह + + + आदत छोड़ो। इसी कारण तो पीछे ही पीछे बैठे हो वरना आप जैसा व्यक्ति यहां आकर प्रद्युम्न सिंहजी के पास बैठता।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं यहां बैठा हूं चीफ मिनिस्टर के पीछे। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि सी. एम. के पीछे बैठा हूं। आपने जो फरमाया न कि शांतिकुमार धारीवालजी, स्वायत्त शासन मंत्री ने क्या किया, मेरे खयाल में 100 साल में ऐसा काम राजस्थान में नहीं कर सकते जो शांति धारीवाल ने किया है। एग्रीकल्चर जमीनें, गरीब आदमी की कालोनी 80 साल, 40 साल, 50 साल से जो तलवार लटक रही थी, वह तलवार एक ही आदेश से हटा दी और मिनटों में लोगों को पांच रुपये और दस रुपये के अन्दर पट्टे देकर मकान का मालिक बना दिया। अरे वाह शांति धारीवाल, धारीवाल का क्या कहना। ऐसे-ऐसे काम किये हैं जो भुलाये नहीं जा सकते।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आया आपकी समझ में।

श्री राधेश्याम गंगानगर : राजेन्द्रजी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। ठीक है, कुछ सुझाव आप दे रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गंगानगर में सीवरेज की बात मैंने आपसे कही, शुगर फैक्ट्री की बात मैंने कही—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने ऐसी बात करके शांतिकुमार धारीवाल की जय जयकार कर दी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है, कि लोग आपको और हमें माला पहनाते हैं, कोई माला से हम बहुत मोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि लोगों को आशा होती है, उम्मीद होती है कि हमारा जन प्रतिनिधि हमारे लिए कुछ करेगा इसलिए लोग आपका और हमारा आदर करते हैं। मेरी प्यारी बहन, ऐसा इसने किया है इसलिए मैं कह रहा हूं, और मेरा कोई मतलब नहीं है।

हमारी तीन साल से अकाल में पड़ी हुई सरकार, हमें सदी के सबसे बड़े अकाल का मुकाबला करना पड़ रहा है, उस समय में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के अन्दर कीर्तिमान स्थापित किये हैं। जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने दी हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा, राठौड़ साहब की जाए कम है। अन्दर से तो आप भी अच्छा कह रहे हो कि हमारे टाइम में यह नहीं हुआ, अब कैसे हो गया। आप कई बार अन्दर सोचते हो, आपका कम्प्यूटर बोलता है कि यह सरकार कर क्या रही है, कहां से पैसा ला रही है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा था, अभी हमारे एरिया में हायर सैकण्डरी स्कूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब बजट में प्रोविजन है नहीं लेकिन फिर भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कि कुछ स्कूलों के लिए, कुछ पशु चिकित्सालयों के लिए कम कर लो, थोड़ा कर लो, आधी रोटी खा लो लेकिन लोगों को जो उम्मीद है, कुछ न कुछ जरूर करो। यह सरकार ऐसी है, आपने ऐसे-ऐसे काम किये हैं कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा हो गई। अभी तो 153 आये हैं, लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है, उसमें भी कोई शक नहीं है, लोग चाहते हैं कि इतने मन से, इतने प्यार से इनको राज लौटाया है। लोगों ने कोशिश तो दो बार पहले भी की थी लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी-थोड़ी दूर पर आकर हम अटकते रहे। फिर लोगों ने ठप्पे पर ठप्पा लगाया, ठप्पे पर ठप्पा लगाया, 153, कमाल हो गया। हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ....

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, राजस्थान में जितने भी उप चुनाव हुए, कहीं 153 की जगह 53 नहीं रह जाए। माननीय सदस्य, आम जनता की हालत क्या हो रही है आज? 153 की मत सोचो, 53 की भी संख्या से कहीं नीचे नहीं आ जाए। राजस्थान में जितने भी उप चुनाव हुए हैं, यह जनता आपको समझ चुकी है। अकाल के बाद गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांव में पीने के पानी की समस्या है, बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप 153 के भुलावे में नहीं रहो। कहीं ऐसा न हो कि आप 53 से भी कम आ जाओ। इस पर विचार करो आप। यदि यहां हालत रही तो जीरो लगने वाला है, जीरो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे प्यारे विधायक साथी, मेरी प्रार्थना सुनो। ऐसा है, भगवान आपको मौका नहीं देगा, यह भी लिख लो। यह भी लिख लो और आगे सुनो....

श्री नाथूलाल गुर्जर : जितने भी विधान सभा के उप चुनाव हुए हैं, आपके कारनामों को जनता देख रही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : वैसे तो भगवान आपको मौका देगा ही नहीं, आप तो + + + ही लेते रहोगे। लेकिन एक बात और बताऊं, मान लो, हम राज में नहीं आये, पार्टी का सिर्फ राज करने का अधिकार नहीं है, राजनैतिक पार्टी लोगों का भला करने के लिए पैदा हुई है। यह तो वह कांग्रेस है जिसमें देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोग कुर्बान हो गये। देश का निर्माण किया पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने। भाखरा नांगल और ये बड़े-बड़े कल कारखाने, ये नहीं होते तो आज आप और हम कहां होते? यह विधान सभा जिसमें आप और हम ए.सी. में बैठे हैं, क्या ऐसी कभी आपने कल्पना की थी? क्या कहने अशोक गहलोतजी के और उनकी सरकार के, यहां लाकर आपको बैठाया है। मेरे मित्र, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से कि हमारी पी.एच.ई.डी. की स्कीम 36 करोड़ रुपये की जिसमें हुडको से लोन मिला था, उसमें काम भी शुरू हो गया, 2-3 किस्तें आ गई, अब वह कहते हैं कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हम तो लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की गारंटी, सरकार की गारंटी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भाग रहे हैं पिछले कमरे में गंगानगर के लोगों के लिए वह पैसा हुडको ने दिया है, पैसा हमें उतारना है, पैसा हम रीपेमेंट करेंगे लेकिन वे सिर्फ चाहते हैं बैंक की गारंटी। सम्माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मेरी तरफ ध्यान दो और वह योजना बंद हुई पड़ी है उसको चालू करवाओ। ग्रामीण इलाके में मेरे 11 पंचायतें हैं, इसके अन्दर कम से कम आधी पंचायतें ऐसी रह गई। निरन्तर मैं एक साल से प्रयास कर रहा हूं, मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, मंत्रीजी प्रयास भी कर रहे हैं परन्तु न जाने वह कहां बस्ता गुम हो गया, वह स्कीम कहां चली गई। उसको ढुंढवा कर उसकी भी कृपा कीजिये।

साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करूंगा, कि आज गंगानगर के अन्दर 20 दिन से हमारे वकील हड़ताल पर हैं और 20 ही दिन से धरने पर बैठे हैं। काम बंद है, किसान मारा-मारा फिर रहा है, बड़ी भयंकर हालत है। यह जो फास्ट ट्रैक न्यायालय अनूपगढ़ में खुला है, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, जहां हैडक्वार्टर पर न हो। जिला हैडक्वार्टर पर सब जगह खोले हैं, केवल मात्र—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू और गंगानगर जिले को छोड़कर, यह दोनों जिला हैडक्वार्टर के साथ अन्याय हुआ है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : चूरू और गंगानगर, बिलकुल दोनों मुख्यालयों के साथ अन्याय हुआ है। मेरे भाई ने मेरी वकालत की, मैं उसकी वकालत करना चाहता हूं। दोनों जगह यह अनिवार्य है। कल सारा गंगानगर ज़िला बंद था, पूरा गंगानगर जिला बंद था। अभी हमारे विधि मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय,—

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति महोदय, एक-दो मिनट सुन लो, माफी चाहता हूं। ये राजस्थान सरकार ने नहीं खोले हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मुझे जानकारी है लेकिन राजस्थान सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह राजस्थान सरकार ने नहीं, यह तो हाईकोर्ट का फैसला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान सरकार का फैसला है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह हाईकोर्ट खोलती है, मुझे मालूम है। मैं आपके पड़ौस में रहता हूं। मैं बी-1 में रहता हूं और आप सी-1 में रहते हैं। इसलिए मैं भी थोड़ा-सा समझता हूं—

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक ही भींत है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह कार्य हाईकोर्ट का है लेकिन उसमें भी मापदण्ड हैं। कितनी कोर्ट वहां हैं, कितने वकील हैं

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वहां, कितना काम है वहां, यह सरकार दर्शाती है, यह सरकार अपनी तरफ से अनुशंसा करती है हाईकोर्ट में।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह सारी चीजें देखकर ही न्यायाधीश फैसला देता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारी फिर भी न्यायाधीश को दरखास्त है, इस विधान सभा के सारे साथियों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा इस मामले में सहयोग कीजिये। गंगानगर और चूरू केवल दो जिले इस बात से वंचित रहे हैं। उनको हमारे विधि मंत्री भी प्रार्थना करेंगे। हाईकोर्ट में आर्डर नहीं होता है, प्रार्थना होती है। सबसे बड़ी सुप्रीम बाडी अगर कोई है तो वह यह विधान सभा है। विधान सभा जो निवेदन करेगी, उस पर निश्चित हमारा कोर्ट भी ध्यान देगा। जूडीशियरी अलग है, वह तो हमारा एक स्तम्भ है लेकिन कुछ डिमाण्ड इसी मंच के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है, यह भी एक गम्भीर मामला है, जिसको तुरन्त लिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा, लोढ़ाजी यहां मौजूद नहीं हैं, बहुत सुन्दर भाषण उन्होंने सदन में दिया और लास्ट में इन्होंने एक बात कही जो सबकी पीड़ा है। पूरे 200 एम.एल.एज. की एक ही पीड़ा है एक करोड़। अमिताभ बच्चन तो बनाता है रोज करोड़पति, वह तो बनाता है किसी एक को लेकिन हमें जो एक करोड़ एम.एल.ए. कोटे में मिलेगा, हम लोगों की सेवा करेंगे, एक-एक गली, और एक-एक मोहल्ले में जाकर कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह क्या डेमोक्रेसी है। एक अधिकारी जो कुछ कहे वह हो जाए। एक जिलाधीश को आप चार-चार सौ, तीन-तीन सौ करोड़ का बजट देते हैं, बड़ी गजब बात है। क्यों नहीं आप सब चीजों में हमारा हिस्सा रखते? मेरे को एक बात और याद आई कि एम.एल.ए. तो मारा-मारा फिरता है प्रोटोकाल के अंदर हमारा नम्बर तो है सोलहवां और चीफ सैक्रेटरी का नम्बर हमारे से नीचा है लेकिन अगर हम किसी जिलाधीश के यहां भी चले जाएं वहां, जितने एम.एल.ए. बैठे हैं, तो जिलाधीश घास ही नहीं डालेगा। यह तो है हमारी व्यवस्था। उनके लिए तो गार्ड, और सैल्यूट पर सैल्यूट पड़ते हैं और यहां तो हम सैल्यूट मारते-मारते मर जाते हैं, हमारी सैल्यूट कोई स्वीकार ही नहीं करता। जचे तो ठीक, नहीं तो मुंह परली तरफ। थोड़ी-सी बात विधान सभा में कहीं नहीं और अधिकारी कहते हैं, अच्छा बच्चू तुमने यह बात वहां कही थी, काम करेंगे तेरा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था के बारे में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहां-कहां कट लगाना है, पूरा कट लगाओ। दो साल से अकाल है, लोगों के विकास के ऊपर पैसा लगना चाहिए। जो पैसा बरबाद हो रहा है, उस पैसे की कहीं से हम बचत कर सकते हैं, उस पैसे की बचत करनी चाहिए। मैं

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

एक करोड़ रुपये के लिए पुनः फाइनेंस मिनिस्टर को याद करवाना चाहता हूं कि पूरा सदन यह चाहता है।

श्री सभापति : आपने बहुत सुन्दर बात कही।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमें नहीं चाहिए वह, वह पैसा कोई हमें अपनी जेब में नहीं ले जाना और न हमें मिलता है, हम तो कागज पर अनुशंसा करते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, आप पूरे सदन का नाम ले रहे हैं, इनकी एक करोड़ की मांग से मैं सहमत नहीं हूं। जितना है वह पर्याप्त है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है कि आप तो सचेतक हैं, हमारे हैडमास्टर हैं और हैडमास्टर को कई चीजें सोचनी हैं। हैडमास्टर को बहुत सारी चीजें सोचनी हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था—

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : श्री राधेश्यामजी, गंगानगर से आने वाले—

श्री सभापति : माननीय पण्डितजी, इनको समाप्त करने दीजिये। आप बैठिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि आपकी भावनाओं का आदर होगा। बढ़ेगा जरूर, लेकिन जितनी ताली पीट रहे हैं उतना नहीं बढ़ेगा। बढ़ाऊंगा मैं। मैं जरूर कुछ न कुछ आपको दूंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : थैंक यू, धन्यवाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लेकिन उतना नहीं दूंगा जितना आप मांग रहे हैं। उतना नहीं दूंगा मैं।

श्री सभापति : माननीय राधेश्यामजी, पण्डितजी ने समर्थन कर दिया आपका, अब बिराजिये आप तो। पण्डितजी ने आपका समर्थन कर दिया, अब विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बस, मैं बैठ रहा हूं। मेरी और कोई बात नहीं है। आपने मुझे समय दिया—

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आज मैं आपसे प्रसन्न हूं। कमी तो मेरे में रह गई अभी, लेकिन चलो फिर भी आपने काफी समय दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने बड़े संयम से—

श्री सभापति : माननीय मानिक चन्दजी सुराना। विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो-तीन बार घंटी तो बजाई, मेरी जो गलती हुई उसकी क्षमा चाहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : घंटी प्यार से बजाई थी वह। माननीय मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी द्वारा पुरःस्थापित विनियोग विधेयक पर आज चर्चा है। बहुत लम्बी-चौड़ी राजस्व और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पूंजीगत मांग में 24598 करोड़ 52 लाख 29 हजार का उन्होंने कंसोलिडेटेड फण्ड से खर्च करने का अधिकार चाहा है। निश्चित रूप से वह अधिकार तो यह विधान सभा उनको देगी ही और राज्य के समेकित विकास के लिए यह दिया जाना आवश्यक भी है। लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान मैं उनके पूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दन मल बैद ने इस कांग्रेस सरकार का जो प्रथम बजट भाषण पढ़ा उसके पेज 69 पर पांच लाइनों की ओर आकर्षित करता हूं। "सरकार ने यह संकल्प लिया है कि इस स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने हेतु एक कार्य योजना अमल में लाई जाए जिसके

(14.34 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

अन्तर्गत परिहार्य खर्चों में भारी कटौती करने तथा नये संसाधन जुटाने जैसे प्रभावी कदम उठाकर पांच वर्ष में शनैःशनैः राज्य के बजट के राजस्व घाटे को कम करते हुए पूर्ण रूप से समाप्त कर राजस्व खाते में अधिशेष की स्थिति लायी जाए।"

माननीय वित्त मंत्रीजी, इस सरकार का अब दूसरा बजट आ चुका है। प्रथम बजट जो माननीय पूर्व वित्त मंत्री चन्दन मलजी ने पेश किया, वह 3391 करोड़ के घाटे का था और आपने जो अब पेश किया है वह 3044 करोड़ के राजस्व घाटे का मुख्य रूप से है। उसमें फिर पूंजीगत खाते से 2700-2800 करोड़ लेकर आपने यह 283 करोड़ का बजट घाटा पेश किया। मैं प्रश्न राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो घोषणा पूर्ण वित्त मंत्रीजी ने की थी, क्या राज्य सरकार उस घोषणा पर अभी कायम है या नहीं है? यदि कायम है तो राज्य सरकार यह बताए कि दूसरे वर्ष में भी वही करीब तीन हजार का घाटा रहा पहले में 3391 करोड़ का रहा और अब आप 3044 करोड़ के राजस्व घाटे से शुरूआत कर रहे हैं और पांच साल में आप कहते हैं कि राजस्व घाटे से अधिशेष ले आएंगे, सरप्लस ले आएंगे, राजस्व घाटे में बचत कर लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो वायदा किया कि हम भारी कटौतियां परिहार्य व्ययों में करेंगे, आपके बजट भाषण में तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जो काटे जा सकते हों उन खर्चों में आपने कोई कटौती या बचत की हो या राजस्थान को राजस्व घाटे से उबारने में कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने उठाये हों। ऐसा इस बजट से परिलक्षित नहीं होता है और आने वाले दो बजट आपके पास और हैं, मैं उम्मीद नहीं करता कि उनमें भी आप राजस्व खाते में सरप्लस में आ जाएंगे।

मैं निवेदन करना यह चाहूंगा कि हमारी घोषणाओं का कोई तात्विक आधार नहीं है। आपकी सरकार ने कहा कि कार्य योजना बना रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि कार्य योजना का क्या हुआ? वित्त मंत्रीजी आखिर वह भी रहे, साल भर रहे, उसके बाद आप आ गये, तो उस कार्य योजना का क्या हुआ? उसमें कोई कार्य योजना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

थी या ख़ाली एक घोषणा थी कि हम राजस्व घाटे को पांच साल में बिलकुल शेष कर देंगे ?

माननीय सभापति महोदय, शुरूआत में तो राज्यपाल अभिभाषण हुआ, फिर आया आपका बजट भाषण। राज्यपाल अभिभाषण में तत्कालीन राज्यपाल या कार्यवाहक राज्यपाल श्री एन.एल. टिबरेवाल साहब ने इस सदन में जो भाषण पढ़ा, अनेक घोषणाएं की थीं। आपने तो हमें आश्वस्त किया था कि नयी कृषि नीति दे देंगे। आपने तो सदन में कहा था कि नयी आवास नीति दे देंगे। आपने तो सदन में कहा था कि दीर्घकालीन पर्यटन नीति बना देंगे, जब नीति बना देंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट हेतु प्रभावी कदम उठा लेंगे। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु स्थाई नीति का निर्माण कर लेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि हमारी कृषि नीति का क्या हुआ ? सदन में सबसे पहले 153 या 154 सीटों का बहुमत लाकर अनेक नीतियों की आपने घोषणा कर दी जल नीति, कृषि नीति, आवास नीति, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की स्थाई नीति, मैं जानना चाहूंगा कि उन सब नीतियों की अब क्या स्थिति है ? वे नीतियां कब आएंगी सामने ? क्या इस वर्ष आएगी, कोई अगले वर्ष आएगी, कोई छह महीने बाद, कोई चार महीने बाद, कोई आठ महीने बाद, कोई दस महीने बाद ? या राज्य सरकार ने उन नीतियों को लाने का विचार करीब-करीब त्याग दिया है ? कि जो कुछ भी सरकार चल रही है उसमें जो भी मंत्री बैठ जाए वह अपनी नीति चला ले। इस संबंध में, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपका दायित्व है कि आप यह बताएं कि इन नीतियों का क्या हुआ ?

माननीय वित्त मंत्रीजी, उस वक्त में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने कही थी और आपने कहलवाई थी उनके मुंह से, पैरा 10 में, वह यह थी—"पूर्व सरकार ने जनता की मूल आवश्यकताओं-बिजली-पानी की आपूर्ति और सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बावजूद प्रदेश में विद्युत की किसी योजना को प्रारम्भ नहीं किया गया। कृषि कार्यों के लिए नर्सरी योजना शुरू करके प्रदेश के गरीब किसानों को लूटा। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान के समय सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की। इतना ही नहीं, पिछले 8 वर्षों में राज्य की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गयी और सन् 1989-90 के 6026 करोड़ के मुकाबले 1998-99 में राज्य की देनदारियां बढ़ कर 23 हजार करोड़ तक पहुंच गयीं। सरकार ने बिना तर्क के मात्र धनाभाव के कारण सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया जिससे प्रदेश के युवा वर्ग में निराशा की भावना व्याप्त हो गयी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आज भी आपका वो व्हाइट पेपर जिसका आपने इसके साथ में जिक्र किया था कि व्हाइट पेपर छापेंगे कि 6026 करोड़

(श्री मानिक चन्द सुराना)

से 23 हजार करोड़ पूर्व भा.ज.पा. सरकार ने कर दिया कर्जा। 17 हजार करोड़ में 2 हजार करोड़ तो आप निकाल दीजिये राष्ट्रपति शासन का, 15 हजार करोड़ रुपये बच गये। 8 सालों के भा.ज.पा. के शासन में 15 हजार करोड़ उधार लिये गये, पर आपने तो, माननीय वित्त मंत्रीजी, सारे रिकार्ड तोड़ दिये। आप तो इस ढाई साल में 23 से उठा कर 34 तक पहुंच गये और 5 हजार करोड़ इस साल आप और जोड़ देंगे। कुल मिलाकर 38-39 हजार करोड़ पर आप हमको पहुंचा देंगे। तो साहब, जब दो हजार करोड़ शेखावत सरकार ने लिये तब तो किसान की और राजस्थान की कमर तोड़ दी और अब जो 4-5 हजार करोड़ की स्पीड से आप उधार ले रहे हैं, आप तो राजस्थान की गरीब जनता को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये तौर-तरीके, आप किसी पार्टी में होंगे, हम किसी पार्टी में हैं, राज्य की जनता को बेवकूफ समझना कि राज्य की जनता बेवकूफ है, हम कह देंगे कि 16 हजार करोड़ का कर्जा इन्होंने ले लिया और इसलिए वे खिलाफ हो जाएंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों से आपका तात्कालिक राज चल सकता है। विनियोग विधेयक आप जो पेश कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि राज्य की विकास दर का क्या हुआ। आपको बताना पड़ेगा कि आपने राज्य के समुचित विकास के लिए अलग-अलग विभागों में क्या किया है। मैंने बजट भाषण में ही कहा था। आपका ध्यान आर्थिक समीक्षा के पेज नं. 4 पर मैं ले गया था और मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो कुछ है, रिकार्ड आपका है, हमारा नहीं है। आपने स्वयं ने इस सदन में कहा है कि पिछले तीन सालों में 1998-99 में जहां राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 45,086 करोड़ था वह 1999-2000 में 43,988 हो गया और इस वर्ष 2000-2001 में अनुमानित 43,764 हो गया। निरन्तर गिरावट सकल घरेलू उत्पादन में, शुद्ध घरेलू उत्पादन में और प्रति व्यक्ति आय में हो रही है 93 के मूल्यों पर। और एक तरफ यह कर्जा 23 से जो 15 हजार करोड़ आप बढ़ा लेंगे, इस वर्ष तक 34 पर पहुंच गया, 38-39 पर पहुंचेगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं—

श्री देवीलाल बैरवा : भाभड़ा साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : जी हुकुम।

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, ये हजार रुपये तो पानी में खर्च हुए हैं। इस सरकार ने पानी में खर्च किये हैं 15 करोड़ तो पांच साल में।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये तो अपने वित्त का मामला है, आपके बाहर है।

श्री देवीलाल बैरवा : बाहर नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, देवीलालजी तो वित्त के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कह दिया कि ये तो पानी में खर्च हो गये। पानी में बहा दिया जाएगा, ये कोई सही खर्च होने वाला नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है। जो उनकी भावना है और जो गांव में बैठे हुए—

श्री सभापति : उनकी भावना आप समझ गये तो नहीं डालेंगे पानी में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भाभड़ा साहब कह रहे हैं ये।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, अभी सिंचाई पर बहस हुई थी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने एक बड़े भारी काव्य की रचना इन्दिरा गांधी नहर पर कर दी। कहने लगीं कि मैं जब उसकी कल-कल की आवाज सुनती हूं तो मुझे रोमांच होता है। उसका सारा श्रेय मेरे खयाल से जवाहर लाल नेहरू से भी ज्यादा उन्होंने लेने की कोशिश की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस साल बांटा है आपने इन्दिरा गांधी विभाग का सारा रिकार्ड। 1989-90 में जब आप गये, आपकी सरकार गयी, 5 लाख 41 हजार हैक्टेयर तक सिंचाई थी इन्दिरा गांधी नहर में और 1998-99 में 9 लाख 21 हजार हैक्टेयर। 3 लाख 80 हजार हैक्टेयर नया जोड़ा गया। आप छोड़कर गये 5.41 पर और इस 5.41 में भी 56 हजार निकाल दीजिये 77.80 के 13.80 में 56 जोड़िये, माननीय मंत्रीजी, तो यह हो गया 4.26 आप छोड़ कर गये 5.41 में भी निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे तो करीब 5 पर आप थे। 58 से लेकर 90 तक आपने 4 लाख 80 हजार हैक्टेयर में पानी दिया और राजस्थान की शेखावत सरकार ने 8 साल और उसके पहले के तीन सालों में आपके बराबर का रिकार्ड कायम किया है। आप किस बात का श्रेय अकेले लेना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान की कमर तोड़ दी? 9 लाख 80 हजार हैक्टेयर में जो आज पानी जा रहा है और उस पानी से जो 1750 करोड़ की आमदनी हो रही है उस 1750 करोड़ की आमदनी का आधा श्रेय राजस्थान की शेखावत सरकार को है, आपको नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की शेखावत सरकार आपके कंधे पर थी, आप शेखावत के कंधे पर हैं। जहां तक आप ले गये थे राजस्थान को, राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार 77-80 में और 90 से 98 भाजपा की सरकार ने और उसमें भी पहले दो साल मिलीजुली सरकार थी जिसमें, माननीय सभापति महोदय, आपका बड़ा भारी रोल था, आप तो गृह मंत्री थे।

श्री सभापति : आपका भी सहयोग था।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, मेरा भी था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुरानी बातों को याद मत करो, सभापति महोदय, आपके मन में भी कुछ-कुछ होगा और माननीय सदस्य के मन में भी कुछ-कुछ होगा। पुरानी बातें क्यों याद करते हैं, साहब।

श्री सभापति : हम दोनों ही समझते हैं क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा। पर आप दोनों की पीड़ा थोड़ी हम भी समझते हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये, आपको तो पीड़ा कम होनी चाहिए।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आप में और माननीय सभापति महोदय में अन्तर यह है कि आप अब उधर हैं और सभापति महोदय इधर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही तो दर्द है, सभापति महोदय, उधर है।

डा. महेश जोशी : हां, यहीं तो आपका दर्द है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उधर है और कहां बैठे है, इसी का तो दर्द है।

डा. महेश जोशी : इसी का दर्द है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पहली बार बाई-एक्सीडेंट चुन कर आ गये और आगे आकर बैठ गये। दर्द है इस चीज का।

डा. महेश जोशी : दर्द है आपको। आपको हमेशा दर्द ही रहता है, आपको सुकून तो कभी मिलता ही नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : अगली दफा हम अपने नेता महोदय को वापस ले लेंगे, यह हमारा वायदा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, ये तो उधर आ गये लेकिन आपने उनके आने लायक सम्मान उनको नहीं दिया, माफ करेंगे। खैर! उस पर चर्चा हमें नहीं करनी है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह बर्दाश्त हम नहीं कर रहे हैं। एक गृह मंत्री रहे हुए, व्यक्ति को पीछे बैठा रखा है। आपने इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर लेंगे हम अपने में अगली बार।

डा. महेश जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि इधर ये ट्रैजरी बेंचेज में, हां पक्ष में तो हैं, एक वित्त मंत्री रहा हुआ उधर है यह भी एक दर्द की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम छोड़ेंगे नहीं। (व्यवधान) जाएगा हमारी तरफ।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, ये इंटरवेंशन तो आप बंद करें।

श्री सभापति : आप तो जारी रखो।

श्री शंकर लाल अहारी : सुराना साहब को वास्तव में अच्छा अनुभव है तो सुराना साहब इधर पधार जाएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कौन किधर जाएंगा, किधर नहीं आएगा उसका प्रश्न नहीं है। आप तो जारी रखो।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ इन्दिरा गांधी नहर की नहीं, माही परियोजना की बात भी अर्ज करना चाहता हूं। माही परियोजना में प्रत्येक साल का रिकार्ड देखिये, उसमें प्रत्येक वर्ष में सिंचित सिंचाई क्षमता 76,540 1990, 1991-92 में, 1992-93 में 78320 हैक्टेयर, 1993-94 में 80990 हैक्टेयर और उसके बाद में 83519 हैक्टेयर, निरन्तर बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ष में सिंचित सिंचाई क्षमता में और वास्तविक सिंचाई में होती रही है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, चाहे अब सिंचाई मंत्रीजी हों, चाहे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी हों, 1989-90 में कहां खड़े थे? 1998-99 आया तब कहां खड़ा था राजस्थान? इसका यदि आप मिलान करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो, आपको पता लगेगा कि राजस्थान ने कहां से कहां 8 वर्षों में आगे प्रगति की।

माननीय सभापति जी, बिजली की बहस आएगी तब बिजली की बहस के लिए हम अलग से बात करेंगे; पर मैं आज इतना तो कहना ही चाहूंगा कि इससे बड़ा कोई असत्य नहीं कि एक मेगावाट क्षमता राजस्थान में भा.ज.पा. सरकार ने पैदा नहीं की। यह सूरतगढ़ की प्रथम इकाई किसने पैदा की? किसने पैदा की द्वितीय इकाई जिसका आपने अभी अभी उद्घाटन कराया है एक बार, दो बार? वह 75 परसेंट इकाई जब भा.ज.पा. सरकार गई, तब तक बन चुकी थी, सूरतगढ़ परियोजना की द्वितीय इकाई। अभी माननीय राधेश्यामजी कह रहे थे कि हमको इस भवन में लाकर श्री अशोक गहलोत साहब ने बैठा दिया, क्या राजस्थान बावलों का प्रदेश है? क्या यह राजस्थान को जानकारी नहीं है कि इसका सारा कंसैप्ट जो पूर्व स्पीकर श्री हरिशंकर भाभड़ा थे उनका था, उनके दिमाग में इसकी सोच पैदा हुई थी? मुख्य मंत्रीजी से सलाह-मश्विरा हुआ था। सौ करोड़ खर्च हुए, अब जो सवा सौ करोड़ खर्च हो चुके उसकी उपयोगिता क्या रही, क्या नहीं रही, वह मुद्दा अलग है। लेकिन यह कहना कि हमको लाकर ऐसे भवन में बैठा दिया, उसमें जो पहले के तीन साल लगे, खर्च हुए—

डा. महेश जोशी : आदरणीय सुराना साहब, मैं आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हम बार-बार एक बात कहते हैं, कोई एक ऐसी परियोजना जो सम्माननीय शेखावतजी के शासनकाल में शुरू होकर पूरी हो गई हो, आप उस परियोजना का नाम बताइए। जो शुरू भी उन्होंने की हो और पूरी भी उन्होंने की हो, एक परियोजना का नाम बताइए।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय महेश जोशीजी क्या कह रहे हैं? एक सैकण्ड, आप बैठ जाइए।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर 1958 में शुरू हुई, अभी तो 2200 करोड़ लगे हैं और अभी तो 2000 करोड़ और लगेंगे, क्या कोई सरकार कह सकती है कि हमने अपने कार्यकाल में पूरा कर दिया इसको? 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है।

डा. महेश जोशी : जिस विद्युत उत्पादन की आप बात कर रहे हैं, आप के बस की नहीं हैं। एक सिंगल परियोजना नहीं है आपके शासनकाल में। आप जो कर्जा लेने की बात कर रहे हैं, आपका कोई एक विकास का काम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान विश्वविद्यालय की डाक्टरेट की उपाधि नहीं है, थीसिस नहीं है जो नकल मार कर बना ली। आप विराजो।

डा. महेश जोशी : मैं हर चीज में आपसे बेहतर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कया मतलब है, आप इस तरह से बोल रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके राज्यपाल के पहले अभिभाषण में स्वीकारोक्ति है कि द्वितीय परियोजना का काम हम अभी एक साल में, जून 2000 में पूरा करेंगे। पहली परियोजना तो पूरी हो चुकी थी और द्वितीय परियोजना 75 परसेंट बन चुकी थी, माननीय जोशीजी। यह बिजली परियोजनाओं का काम एक-एक साल में पूरा नहीं होता है।

श्री महेश जोशी : सौ प्रतिशत तो नहीं बनी न, माननीय। उत्पादन हमने शुरू किया और आप जो कुछ बता रहे हैं उसकी नींव हमारे टाइम में लगी थी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके उत्पादन शुरू करने से क्या होगा? 1300 करोड़ रुपये का नियोजन हमने किया, उस नियोजन के कारण ही आपने उसका उद्घाटन किया या बटन दबाया। उसके बिना नहीं कर सकते थे। आप बातों को सही—

डा. महेश जोशी : सही परिप्रेक्ष्य में ही निवेदन कर रहा हूं, माननीय। परमाणु विस्फोट का श्रेय आपकी सरकार लेना चाहती है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, सरकार को जो जवाब देना है वह दे। मैं बहुत अदब से निवेदन करता हूं, आपको अपनी बात कहने की पूरी छूट होगी, आप कहें।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, 1300 करोड़ की योजना 2300 करोड़ तक पहुंचा दी, यह उपलब्धि रही।

डा. के. सी. चौधरी : एक हजार करोड़ रुपये का कास्ट एस्केलेशन आपकी इनएफीशिएंसी से हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : ढाई सौ करोड़ से जो इन्दिरा गांधी नहर शुरू हुई, मैं आज कहूं कि आपने 2200 करोड़ तक पहुंचा दी इसका कोई मतलब है? 2200 करोड़ खर्च हो गये, 2000 करोड़ और खर्च होंगे। योजनाएं यदि आगे चलेंगी, बढ़ेंगी, मुद्रा स्फीति चलेगी तो निश्चित रूप से योजनाओं का मूल्य तो बढ़ेगा। इसलिए आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि जितनी परियोजनाएं आपने शुरू कीं उन सबको आप पूरा कर लें।

सभापति महोदय, बहुत बातें कर रहे हैं कि हमने यह किया, हमने यह किया, आपने लघु सिंचाई परियोजनाओं के साथ जो काम किया उसका ब्यौरा थोड़ा मेरे से सुन लीजिए। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था सिंचाई का 87 नम्बर का, उसका 28

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मार्च को जवाब आया। 28 मार्च को इस सरकार ने जो जवाब दिया उसमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं की लिस्ट दी गयी है, 56 की। उसमें में 10-5 को पढ़ता हूं सिद्धमुख और रतनपुरा वृहत् हनुमानगढ़ जिले में, थीरनाल फिर रतनसागर भीलवाड़ा, बुर्ज चित्तौड़गढ़ ऐसी 54 योजनाएं चित्तौड़ की, कांकरोली की, उदयपुर की, सलूम्बर की, दरियावड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, पाली, जालौर, सिरोही, हनुमानगढ़, बूंदी की हैं। सभापति महोदय, इन 56 योजनाओं में कुल स्वीकृति 141.39 करोड़ की है। माननीय वित्त मंत्रीजी, मेरी तरफ देखें या सभापति महोदय की तरफ देखें, 141.39 करोड़ की योजना, मैं दशमलव 39 छोड़ देता हूं, 1999-2000 में और 2000-2001 में; सब में खर्चा जीरो, जीरो, जीरो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो योजनाएं आपने दिखाई हैं जो भारत सरकार से स्वीकृत हैं रावतसर ड्रेनेज परियोजना हनुमानगढ़। कुल एस्टीमेट 460 लाख का। इसमें खर्चा हुआ 95.13 लाख। भारत सरकार ने रुपया दिया, आपने खर्च कर दिया। गंगनहर आधुनिकीकरण योजना 44579 लाख की और 9 करोड़ भारत सरकार ने दिये। फिर 3 करोड़ कृषि मण्डियों से दे कर 45 करोड़ तक पहुंचाया। वह कहानी इस सदन के सामने हैं। जो सरकार बनने के बाद 141 करोड़ की लघु सिंचाई योजनाओं में जीरो, जीरो, जीरो खर्च कर सकती है, मैं सदन के द्रा पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस लघु सिंचाई योजनाओं पर आप अपनी सरकार की नीति को जरा समझें। यह न सिर्फ सिंचाई योजनाओं का प्रश्न है, सभापति महोदय, विद्युत पर अभी परसों बहुत लंबी-चौड़ी बहस होने वाली है। मैंने एक सवाल पूछा कि मेरे क्षेत्र में कितने 33 के.वी. के सब ग्रिड स्टेशन हैं। सभापति महोदय, जवाब आ गया कि 23 हैं, उसकी लिस्ट आ गई। मैंने पूछा एक-एक सब ग्रिड स्टेशन पर कितने लोग होने चाहिये, जवाब आ गया 6 होने चाहिए। 138 कर्मचारी जहां होने चाहिए वहां सरकार ने जवाब दिया है 65 कर्मचारी पदस्थापित हैं।

श्री सभापति : ऊर्जा की बहस आएगी उस दिन कह लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं जो भी बजट है आंकड़ों के नीचे हैं। फील्ड में सब ग्रिड स्टेशन पर जहां लगने हैं 6 और लगे हुए हैं 3 से भी कम। सभापति महोदय, जहां तक मेडिकल का सवाल है, प्राइमरी हैल्थ सेंटर मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र लूणकरणसर का, उसमें वेकेंसी कितनी हैं? कनिष्ठ विशेषज्ञ की एक वैकेंसी, नर्स श्रेणी प्रथम दो वैकेंसी और कुलमिलाकर दस की वैकेंसी। इस तरीके से प्राइमरी हैल्थ सेंटरों को चलाया जा रहा है, सब ग्रिड स्टेशन पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 962 व्याख्याताओं के पद महाविद्यालयों में रिक्त हैं और यह भी कहा है कि इसमें से

(श्री मानिक चन्द सुराना).

92 व्यक्ति तो लंबी छुट्टी पर या डैपुटेशन पर चले गये हैं। यह कहा है कि हमने जो नये विद्यालय खोले उन 1999-2000 में प्रारम्भ किये गये नवीन महाविद्यालयों के लिए सेवानिवृत्त/डैपुटेशन/पार्ट टाइम व्याख्याताओं के द्वारा ही अध्ययन कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नये महाविद्यालय खोल दिये और कर्मचारी एक नहीं लगाएंगे। रिटायर्ड लगाएंगे, डैपुटेशन पर लगा देंगे, पार्ट टाइम लगा देंगे। जिस प्रकार से नयी शिक्षा नीति को माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी अंजाम दे रहे हैं यह मैंने उसका एक उदाहरण आपके सामने रखा है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैंने बाई द वे पूछा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस वर्ष तो आपने उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक कोई भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किये, न सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किये। तो कहा कि इस साल तो कंसोलिडेशन करेंगे। इस साल तो उसका संग्रहण करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राज्य का 24 हजार कुछ करोड़ का बजट है उस राजस्थान के 200 निर्वाचन क्षेत्रों में राजीव गांधी पाठशालाएं 3000 खोली हैं। उसका स्वागत है। मैं दूसरी उच्च प्राथमिक.... (व्यवधान) अभी 13,000 खोले हैं, आपको 3000 नये खोलने हैं। हाई कोर्ट का स्टे देकर आपको पुराने खोलने से रोक दिया गया, वह भी आप खोलेंगे। इस साल तो तीन हजार खोल रहे हैं। मेरे कहने में कोई अशुद्धि हो तो उसको शुद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं....

(15.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, मैं भी जानकारी करना चाहूंगा कि जहां पर कमियां हैं उनको पूरा करना बैटर है या कोई नयी और खोल लेना ठीक है?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कमियों को पूरा करें। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 6000 मास्टरों की वैकेंसी है आपके ढाई साल राज करने के बाद में। आपने दो साल किया क्या? आपने उन वैकेंसीज को पूरा क्यों नहीं किया? क्या आपका दायित्व उन वैकेंसीज को पूरा करने का नहीं है? ढाई साल बाद आप कहेंगे, इस साल हम कंसोलिडेशन करेंगे। तो नतीजा क्या निकला? कि इस साल कुछ नहीं हो पाया। अगले साल फिर आप कोई क्षेत्रवाइज पांच-पांच स्कूलों को क्रमोन्नत कर देंगे, पांच उच्च प्राथमिक में कर देंगे, पांच मिडल में कर देंगे। माध्यमिक में दो-दो कर देंगे। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, राजस्थान का सौ-डेढ़ सौ रुपया खर्च हो लेकिन उच्च प्राथमिक स्कूल खुलने चाहिए, क्रमोन्नत होने चाहिए। सैकण्डरी भी क्रमोन्नत होनी चाहिए। सीनियर सैकण्डरी क्रमोन्नत होनी चाहिए और जहां पर महाविद्यालय खुलने हैं वे भी खुलने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं तो पार्टी का टाइम ले रहा हूं, आप देख लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने दो, साहब, इनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप नहीं बोलेंगे? नहीं, आप बहुत उदारता से बोल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपकी उदारता का बता रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अभी तो आप हैं, कटारियाजी, भैरोंसिंहजी हैं। कटारियाजी तो बोलेंगे अभी....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, जिन मुद्दों को मैंने उठाया, उद्योग पर इस सदन में चर्चा नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं। अकाल और बिजली पर तो चर्चा होने की सम्भावना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग के बारे में उद्योग मंत्रीजी क्या कर रहे हैं और उद्योगों के बारे में राज्य सरकार की नीति क्या है। एक प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार कह चुकी है कि 21989 उद्योग रुग्ण है। जिलेवार फिगर आपने दे दिए। जयपुर में शहर में 1680 और ग्रामीण में 515, चूरू में 874, बीकानेर में 937, झालावाड़ में 541, गंगानगर में 565 वगैरह-वगैरह करके 21989 उद्योग रुग्ण हैं। इस रुग्णता का क्या इलाज कर रहे हैं? मैंने पूछा है कि आपने इसके लिए क्या योजना बनाई है? प्रश्न में जवाब आया कि औद्योगिक नीति, 1998 में रुग्णता को रोकने एवं रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु विशेष सहायता पैकेज तैयार किया गया है। औद्योगिक नीति, 1998 में उल्लिखित सहायता। पैकेज में निम्नांकित बातें प्रमुख रूप से सम्मिलित की हैं। जो इकाई बी.आई.एफ.आर. की परिधि में नहीं आती हैं उनके पुनर्जीवन पुनरुद्धार के मामले के निस्तारण हेतु बी.आई.एफ.आर. के ढांचे के अनुरूप एक पृथक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बजट भाषण में, राज्यपाल के भाषण में जो बी.आई.एफ.आर. की श्रेणी में उद्योग नहीं आते हैं उनके लिए आपने कहा कि 1998 की उद्योग नीति के अनुसार हमने यह तय किया है कि हम बी.आई.एफ.आर. की तरह कोई संस्था बनाएंगे। वह संस्था आप क्यों नहीं बना रहे? उस संस्था को बनाने में क्या रुकावट है? आखिर 21000 उद्योगों में जो रुपया लगा है यदि आपने उन्हें रुग्णता से नहीं उबारा तो नतीजा क्या होगा? आपने आखिर में कहा है इस प्रश्न के डिटेल में कि रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवीकरण, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए, आर.एफ.सी. रीको वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेंगी। आज तक तो कोई योजना नहीं बनी। आपने लिख दिया कि पुनर्जीवीकरण अवधि में ऋण स्थगित रखा जाएगा और आर.एफ.सी. और रीको की बाकी किस्तों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रीको और वित्त निगम दोनों को बुलाकर जरा बात तो करें कि वे जितनी भी रुग्ण इकाइयां हैं उनकी किस्तों को किस तरह से पुनर्निर्धारण करना चाहते हैं। वे तो यह कहते हैं कि वन टाइम सैटलमेंट में आ जाइए, एक मुश्त रुपया दे दीजिये। छोटे उद्योगपति के पास एक मुश्त रुपया ही होता तो वह निश्चित रूप से आपका इंतजार क्यों करता? एक मुश्त रुपयां ऋण और ब्याज चुकाने के लिए उसके पास होता या उससे चौथाई भी होता तो वह उस उद्योग को चला लेता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों के बारे में आपकी जो नीति है वह नीति कहीं भी कारगर नहीं है। उसको बचाने के लिए आज तक आपने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी से और सरकार से मेरा निवेदन होगा—

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इस पर गम्भीरता से कुछ करें।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों जोशीजी यहां विराजे हुए हैं। वार्ड सभाएं भी बनाई और ग्राम सभाएं भी बनाई और उसका जस्टिफिकेशन दिया। मैं ग्राम सभा का भी हामी हूं, वार्ड सभा का भी हामी हूं। मुझे सैद्धांतिक रूप से वार्ड सभाएं और वार्ड सभाएं जिसमें काम न हुआ हो और उसमें प्राथमिकता से काम हुआ हो, बहुत खुशी होती है। मैं माननीय जोशीजी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने विकेन्द्रीकरण किया है लेकिन इस बात से आंख मत मींचिए कि जो सरपंच नाम का व्यक्ति पद पर आ गया है वह कोई भी मीटिंग सही नहीं करता है। वार्ड पंचों को यह नहीं बताता कि सरकार से कितना रुपया मिला है, कोई हिसाब-किताब दिखाने को वह तैयार नहीं है। कलक्टर को उसकी शिकायत करें तो वह भी बेबस है, वह कुछ करने में समर्थ नहीं है। ज्यांदा से ज्यादा एक चिट्ठी भेज देगा कि वार्ड पंचों को यह दिखाया जाए। ग्रामीण विकास के मामले में जिस तरीके से पंचायत समितियों में आपने स्थाई समितियां बनाई हैं, मंत्री महोदय, स्थाई समितियां पंचायतों में भी बनाने का कष्ट करें ताकि यह एकाधिकार जो सरपंच के पास आ गया है और जिसका दुरुपयोग हुआ है, 90 प्रतिशत अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है—

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : पंचायत तक कर दिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 90 प्रतिशत अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : पंचायत समिति ही नहीं पंचायत तक स्थाई समिति का प्रोविजन कर दिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : पंचायत में कर दिया न। अभी उसको आपने कागजों में कर दिया होगा, व्यावहारिक रूप से उसको कहीं नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप जैसे समृद्ध, जागरूक विधायक को यह मालूम नहीं है तो फिर साधारण आदमी को कैसे मालूम होगा? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जब साधारण आदमी को मालूम नहीं है। आपने तो अभी-अभी यह कहा था कि मास्टरों का ट्रांसफर सरपंच कर देगा, और 10 दिन बाद वापस आदेश ले लिए। आपके आदेशों की जिस तरह दुर्गति हो रही है, आप उसको भी देखें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किसमें?

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने आदेश दिया कि सरपंच मास्टरों का ट्रांसफर कर देगा, यह उसका पंचायत क्षेत्र है। (व्यवधान) बिलकुल, आदेश जारी हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : कापी हो तो दे दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह अखबारों में आया है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अखबारों में बहुत-सी चीजें आई हैं, आपके पास कापी हो तो दे दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिलकुल अखबारों में आया है। उसके बाद आपने खुद ने कहा है कि नहीं, उसको...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपके पास कोई कापी हो तो मुझे देना।

श्री मानिक चन्द सुराना : कापी की जरूरत नहीं है, अखबारों में जो खबर है...

श्री सी. पी. जोशी : अखबारों में, I have not consulted them.

श्री मानिक चन्द सुराना : या तो आप कहिए कि मीडिया में आपका कोई भरोसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह मेरा काम नहीं है। मीडिया में भरोसा है या नहीं, यह आपका काम है, मेरा काम नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप खण्डन कर देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खण्डन तो करते।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप खण्डन कर देते कि यह गलत आया है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा काम नहीं है खण्डन करने का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अखबारों में मुखपृष्ठ पर यह समाचार आया था।

श्री सी. पी. जोशी : मैं इस सदन में बोल रहा हूं, वह आपको समझ में नहीं आ रहा, सदन में बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा, खण्डन करूं तो समझ में आ जाएगा? सदन में मंत्री के रूप में कह रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा और अखबारों में खण्डन कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जानकारी में कोई कागज सर्कुलर हों तो मुझे जरूर देना। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपको अखबारों की कटिंग भेज दूंगा जो मेरी जानकारी में है।

श्री सी.पी. जोशी : I say, you please give me the papers as orders. अखबारों की कटिंग की जरूरत नहीं है। अखबार की कटिंग आप अपने पास रखिए, मुझे तो कोई आर्डर की कापी हो तो दे देना।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं भेज दूंगा, कटिंग पड़ी है। अब इस पर विवाद मत करिए। (व्यवधान) कटिंग पड़ी है, कटिंग भेज देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो दुरुपयोग विकेन्द्रीकरण के नाम पर सरपंच अपने अधिकारों का कर रहे हैं, 90 प्रतिशत स्थितियों में उसको राज्य सरकार को रोकना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान) आप बाद में कह दें, साहब, आप उनकी तरफदारी कर लें और सारे वोट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मैं कह रहा हूं 40 लाख रुपये माननीय विधायकों को मिलते हैं, क्या आप विधान सभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहते हैं कि मैं कहां लगाऊं ये पैसे?

श्री मानिक चन्द सुराना : बिलकुल। माननीय रामसिंह जी विश्नोई साहब, उसमें जितना वाइडर कंसल्टेशन मेरा है, मैं क्षेत्र में 10-12 दिन लगाता हूं। आप मुझे वैसे न समझें। मैं आपकी पूरी सरकार के विरुद्ध, आपके 10 मंत्रियों के कैम्पेन करने के बाद जीत कर आया हूं उप चुनाव में। आप मुझे कागज का नहीं समझे, हमने बहुत वाइडर कंसल्टेशन किया है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : ये सारे जीत कर आये हैं, ये यूं ही नोमीनेट होकर नहीं आये हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उप चुनाव अलग चीज है। आपके 10-12 मंत्री घूम रहे थे, चन्द्रभानजी घूम रहे थे, मुख्य मंत्रीजी घूम रहे थे।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारी सहानुभूति आपके साथ थी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

श्री नाथूराम अहारी : दूसरे कोई नोमिनेटेड हैं क्या? मैं भी चुनाव जीता हुआ हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय, आप जीत कर आये हो उसमें 22000 वोट तो बहुजन समाज पार्टी के आये हैं। बहुजन समाज नहीं आता तो आप नहीं जीतते। हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जगतसिंह जी, आपकी पार्टी के वोट और कांग्रेस के वोटों से भी मेरे वोट ज्यादा हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, नहीं, बिलकुल ज्यादा हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने खुद ने मुझे धन्यवाद दिया था कि दायमाजी आप—(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : धन्यवाद देने का मेरा काम है केवल इसलिए आप— (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आगे-आगे समय आ रहा है। माननीय खेतसिंहजी राठौड़ कहते हैं कि जगत सिंह, मेरे खिलाफ आपने एक कैंडीडेट लड़ाकर 11000 वोट ले गये। दोनों का बैलेंस कर दूंगा अगली बार।

श्री धर्मपाल चौधरी : अच्छा हिण्डौली में कितना बैलेंस किया? अभी हिण्डौली में उप चुनाव हुआ उसमें कितना बैलेंस किया आपने?

श्री मानिक चन्द सुराना : आपका तो राज बनने वाला है, भाई जगत सिंहजी। तीसरी शक्ति का राज बनेगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हिण्डौली में तो हम लड़े ही नहीं, आपको मालूम नहीं है क्या?

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, इसीलिए तो कह रहा हूं कि वहां क्यों नहीं लड़े?

श्री जगत सिंह दायमा : वहां तो इसलिए नहीं लड़े कि हम नहीं लड़े।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं तो उसका बताओ न फिर क्यों नहीं लड़े? वहां गुर्जर था इसलिए नहीं लड़े?

श्री जगत सिंह दायमा : हां, गुर्जर था इसलिए नहीं लड़े।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, ठीक बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकार हमें विकेन्द्रीकरण के माध्यम से दे रहे हैं उसका भी सामूहिक उपयोग पंचायतों के बहुमत के द्वारा किया जाना चाहिए न कि सरपंच यह समझे कि वह उसको उसकी कोई व्यक्तिगत बपौती मिल गई पांच साल के लिए। मैं इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत विस्तार से दस-बीस सरपंचों जहां कि इन्दिरा आवास

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के रुपये उन्होंने मनमर्जी से रोक रखे हैं, उनकी लिस्ट भेजूंगा, नामजद करके भेजूंगा। मेरा निवेदन यह है कि अभी कलक्टर भी असहाय महसूस करते हैं क्योंकि डी.आर.डी.ए. का फण्ड उनके खातों में जा चुका है। जब दो बार कलक्टर कह दें और वह उस इन्दिरा आवास के रुपयों का वितरण नहीं करे तो कोई अधिकार तो होना चाहिए कि कलक्टर उस रुपये को वापस मांग ले और जिसका अधिकार है उस गरीब आदमी का उस रुपये पर वह उसको दे दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक आखिरी निवेदन है, अनुसूचित जनजाति—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आखिरी ही है, एक मिनट में—(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक ही पाइंट पर बोलूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : पाइंट नहीं, एक मिनट में। पाइंट पर तो आप एक घंटा ले लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : अनुसूचित जाति के सारे उसमें 8.12 फीसदी भाग जनजाति क्षेत्रों पर खर्च होगा और महाराष्ट्र पैटर्न पर यह खर्च होगा, ये बातें अभी-अभी इस सदन में कही गई हैं। यह निर्णय राज्य सरकार ने किया है, अनुसूचित जाति की एक परामर्श समिति बनाई गई है ढाई साल के बाद पर, माननीय सभापति महोदय, जन लेखा समिति ने जो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में कहा है, कि इस योजना में आबंटित धन का उपयुक्त कार्यों में उपयोग की अपेक्षा सरकारी सम्पत्तियों के निर्माण में लगा दिया गया जिससे जनजाति क्षेत्रों के विकास की अवधारणा को गहरा धक्का लगा। हमारी जन लेखा समिति ने यह रिपोर्ट दी है। सभापति महोदय, 1985 से 91 तक की अवधि में स्वीकृत 723 लाख रुपयों में से मात्र 180.61 लाख का व्यय होना बताया गया है। माननीय सभापति महोदय, 1985 से 90 तक कांग्रेस की सरकार थी और 1991 में भैरोंसिंहजी आ गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1990 में आ गये।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, 1990 में आ गयी तो 1990-91 अलग कर लीजिए। 1985 से 90 का यह जो सारा विश्लेषण जन लेखा समिति ने किया है जिसमें हां, पक्ष और ना पक्ष के सभी लोग बराबर बैठते हैं, जन लेखा समिति ने कहा है कि योजना के तहत परिवारोन्मुखी कार्यक्रम के लिए, भूमि हस्तान्तरण, ऋण बंधकता से मुक्ति, कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार आदि की अपेक्षा आयुक्त के कार्यालयों के निर्माण, वाहनों के क्रय तथा रिग्स मशीनों के क्रय में खर्च कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के प्रति

जिनकी निष्ठा नहीं है, अनुसूचित जाति के प्रति भी जिनकी निष्ठा नहीं है, अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों के प्रति उनकी निष्ठा का विश्लेषण जन लेखा समिति ने किया है। मैं इसी विश्लेषण के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जिस विनियोग विधेयक के मार्फत 24,598 करोड़ 52 लाख 29 हजार रुपये खर्च करने की इजाजत इस सदन से चाही है, मैं अपनी बात शुद्ध रूप से इस विनियोग विधेयक के प्रावधानों तक ही सीमित रखूंगा। पिछली सरकारों ने आज की सरकारों के मुकाबले क्या किया और क्या नहीं किया, इस बात से आज के इस संदर्भ में कोई लेना-देना नहीं है। जो हाथ में आता है सरकार वह अपना काम करती है। मैं न कोई राजनीतिक भाषण देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं शुद्ध रूप से इस विनियोग विधेयक जो हम ला रहे हैं, उसके प्रावधानों पर अपनी बात रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पहली हमारी मान्यता यह है कि जो रुपया हमसे मांगा जाए, इस विधान सभा से जिस रुपये की स्वीकृति चाही जाए वह रुपया खर्च होना चाहिए और उस मद में खर्च होना चाहिए जिसके लिए यह रुपया चाहा गया है। समयबद्ध प्रोग्राम से वह खर्च होना चाहिए। हमारे पिछले साल का अनुभव, उससे पिछले साल का अनुभव थोड़ा इससे विपरीत रहा है। बहुत-से मद ऐसे हैं जिनमें बजट प्रावधान रखे गये, बजट प्रावधान के बाद सदन से मंजूरी ली गई लेकिन वह रुपया उन मदों में हम खर्च नहीं कर पाये। कोई भी कठिनाई हो सकती है लेकिन वे कठिनाइयां बजट बनाते वक्त भी हमारे सामने होनी चाहिए। लेकिन बजट बन गया, प्रावधान हो गये कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण से हमें उन प्रावधानों को बदलना पड़े, वह दूसरी बात है लेकिन सामान्यतया हमें उसको बदलना नहीं चाहिए। आज अकाल है, हम सब जानते हैं और आज का जो बजट बना है वह आज की अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बना है। बजट में जो रुपया हमने शिक्षा के लिए, पशुपालन के लिए, औषधालयों, अस्पताल, डिस्पैंसरी, चिकित्सा और भी बहुत से मद हैं जिनके लिए रखा है, लेकिन ये ऐसे मद हैं जो जनता को फायदे में पहुंचा सकते हैं और जनता का आक्रोश भी हमारे ऊपर ला सकते हैं। वह रुपया हमने खर्च नहीं किया। पिछली बार स्कूलें खोलीं लेकिन उनमें हम अध्यापक नहीं दे पाये। कुछ भी कारण हो सकते हैं लेकिन जब पूछा गया तो वित्त विभाग ने स्वीकृतियां नहीं दीं। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप हम से जो रुपया मांगते हैं, हम दिल

(श्री शिवनाथ सिंह)

खोल कर आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिपार्टमेंट रुपये आपसे मांगे, उतना रुपया आपको उनको देना चाहिए। संक्रमण काल नहीं हो तब तक उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, रुपया जो खर्च हो उसमें हमारी अपनी प्राथमिकताएं हमने रखी हैं। इस सरकार ने ढाई साल के समय में तीन बजट पेश किये हैं, तीनों बजटों में उत्तरोत्तर प्रगति इन मदों में करने की चेष्टा की है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है। समाज के लिए उपयोगी कृषि है, विद्युत है और जो कमजोर वर्ग है जिसकी आज तक किसी ने पीड़ा की चिन्ता नहीं की, उन वर्गों पर हमने ध्यान दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा सभी माननीय सदस्यों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, मुख्य मंत्री कोष बना है उन निर्बलों के लिए जो अनाथ हैं, अपनी चिकित्सा का कार्य नहीं करा सकते। उनके लिए लाखों रुपये का प्रावधान उसमें है और सबसे अधिक राशि उसमें हमने खर्च की है। बहुत सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी हमने प्रावधान रखे हैं। अभी कल-परसों समाज कल्याण मंत्रीजी कह रहे थे, बहुत खुशी का एक अच्छा प्रावधान उन्होंने रखा है। किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ में अत्याचार होता है तो एक लाख रुपये का प्रावधान उस महिला को देने का हमने रखा है। उसका वह सम्मान तो हम वापस उसको दिला नहीं सकते, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिरी है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस महिला को आर्थिक मदद देकर हमने उसको कुछ न कुछ राहत दी है। एक बात माननीय मंत्रीजी जवाब देते वक्त कह गये, मैं चाहूंगा कि वह उसमें सुधार करें। इधर से सुराणा साहब ने पूछा था कि पचास हजार रुपये क्या एफ.आई.आर. लाज होते ही दे दिये जाएंगे, तो माननीय मंत्री महोदय के मुख से निकल गया, हां, एफ.आई.आर. लाज होते ही दे दिये जाएंगे। इसमें सुधार करना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एफ.आई.आर. लाज होना दूसरी बात है, कोर्ट में चालान होना दूसरी बात है। इसलिए इसमें यदि राज्य सरकार माने मेरे सुझाव को, तो अच्छा है। चालान की प्रक्रिया को हम जल्दी करें, 15-20 दिन में ही उसको हम ले जाएं, लेकिन एफ.आई.आर. लाज होते ही देने में कठिनाई आएगी। कल मान लो वह केस खतम होता है, इसलिए यह मेरा सुझाव है। मैं उन महिलाओं के लिए बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनको सहायता मिलनी चाहिये। लेकिन जैसे ही आप नियम बनाएं। उस वक्त ऐसा प्रावधान हो कि इसका चालान होने के बाद दिया जाए और पचास प्रतिशत उसका अन्वेषण हो जाए उसके

(श्री शिवनाथ सिंह)

बाद दिया जाए तो यह ठीक रहेगा। बाकी इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापतिजी, कुछ बातें हैं जो अधिक प्रावधान करते हुए भी हम परसेंटेज के हिसाब से गिरते जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वह 1998-99 में कुल का 68.81 प्रतिशत था और अब 65.43 प्रतिशत पर आ गया। इसमें गिरावट आयी है। नोन टैक्स रेवेन्यू भी जो 15.78 प्रतिशत था, 13.80 प्रतिशत हो गया। इसमें भी गिरावट आयी है। यह हमारे लिए कोई अच्छा लक्षण नहीं है। जो रेवेन्यू होनी चाहिये उसका हमें पूरा फायदा मिलना चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कहीं न कहीं लीकेज है और इस लीकेज को हमें रोकना चाहिये, वरना टैक्स रेवेन्यू और नान-टैक्स रेवेन्यू में गिरावट का कोई कारण हमारे सामने नहीं है।

माननीय सभापतिजी, मैं एक्सपेंडिचर की बात पर आता हूं। जो जनरल सर्विसेज हमारी हैं उनका खर्चा बढ़ा है और जो सोशल सर्विसेज हैं, दूसरी विकास की सर्विसेज हैं उनमें हमारा प्रतिशत घटा है। एक्सपेंडिचर के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनरल सर्विसेज में 1998-99 में टोटल एक्सपेंडिचर का 39.63 प्रतिशत जो खर्चा था वह बढ़कर 2000-2001 में 43.42 प्रतिशत हो गया और इस बजट में हमने उसको 44.90 प्रतिशत सम्भावित किया है। यह जनरल सर्विसेज का जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके मुकाबले सोशल सर्विसेज में 1998-99 में हमारा जो खर्चा था वह 42.53 प्रतिशत था और घटता-घटता इस बजट में हमने प्रावधान किया है 40.26 प्रतिशत। सोशल सर्विसेज की रकम बढ़ी है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर है परसेंटेज में, वह हमारा घटा है। चिन्ता का विषय है यह।

माननीय सभापतिजी, मैं इसी तरह से निवेदन करना चाहूंगा विकास और गैर-विकास व्यय के बारे में। विकास व्यय जो है वह 1997-98 में 60.54 प्रतिशत था और अब वह आ गया है 55.10 प्रतिशत। विकास व्यय का जो कुल प्रतिशत है वह कम हुआ है। यह चिन्ता का इसलिए विषय है कि राजस्थान एक विकासोन्मुखी पथ पर आगे बढ़ने वाला प्रान्त है। माननीय मंत्रीजी, आज यह जो आपने अध्ययन करने के लिए दिया है, उसमें मैं पढ़ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास की दर को, राजस्थान के विकास को हमें कायम रखना है तो हमारे टोटल बजट प्रोविजन में इसका जो परसेंटेज गिर रहा है उसमें हमें सुधार करना चाहिये।

माननीय सभापतिजी, इसी तरह से सामान्य सेवाओं में हमारा प्रतिशत बढ़ा है

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेकिन सामाजिक सेवाओं पर घटा है। सामाजिक सेवाओं पर 1998-99 में 42.53 प्रतिशत था, इस बजट में हमने उसको 40.26 प्रतिशत पर लाकर रख दिया। ये ऐसे मद हैं जिनमें टोटल बजट का परसेंटेज घटता है तो यह चिन्ता का विषय है। माननीय वित्त मंत्रीजी, इसको ध्यान देकर और मेरे खयाल से आगे आने वाले सालों में इस प्रयत्न को और गाढ़ा करके असेंशियल सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, हमारी जो विकास की सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में अधिक धन परसेंटेज के हिसाब से रखने की चेष्टा करें। यह मेरा इनसे सिर्फ निवेदन है, कोई आलोचना के लिए नहीं। जो एक नक्शा हमारे सामने आया है, उसको देखकर हमें सोचना चाहिए और इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमें धन मिलता है, चाहे सैंट्रल मदद हो, चाहे बाहरी मदद हो, उसका उपयोग सही ढंग से होना चाहिये। एक मानसिकता बन गयी जनता में भी और अधिकारियों में भी, कि जो बाहरी मदद आती है वह दान-पुण्य का रुपया है। उसको खर्च करने में हम पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जापान के सहयोग से अरावली वृक्षारोपण की योजना हमारे यहां आयी, चली। लेकिन हम देखते हैं उसमें कितना घोटाला हुआ, कितनी जाचें हुई, कितने अधिकारी उसमें सस्पैण्ड हुए। तो यह प्रवृत्ति आज भी चालू है।

शिक्षा के मद में चाहे साक्षरता का हो, सम्पूर्ण साक्षरता का हो, उत्तर साक्षरता का हो, विदेशों से हमको सहायता मिलती है। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि जो भी टीम आती है, सर्वे होता है कि कितने लोगों को हमने साक्षर कर दिया। इसमें कोई आज की सरकार का दोष नहीं है, लेकिन सब आंकड़े फर्जी तैयार होते हैं। मुझे ज्ञान है और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। दिल्ली से टीम आती है, घूमती-फिरती है, देखती है और जहां साक्षरता के कार्यक्रम को चैक करने जाती है वहां रामू, श्यामू, धोला, भूरा, काला इस नाम से, और लड़कियां धापा, सूगली, फलानी दूसरी पढ़ी-लिखी लड़कियों को लाकर वहां खड़ा करते हैं और उनके हिसाब से उनकी गिनती कराते हैं। यदि वास्तविकता देखी जाए तो इस साक्षरता के कार्यक्रम में बहुत बड़ा घपला है। यह होता आ रहा है। आज ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले से ही होता रहा है। लेकिन आज हमको उसको रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए मेरा संक्षेप में यह निवेदन करना है कि बाहर से जो मदद आती हो, सैंट्रल संक्षेप में यह निवेदन करना है कि बाहर से जो मदद आती हो, सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हों, उनके ऊपर पैसा खर्च करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापती जी, हमारे कुछ मद ऐसे हैं जिनमें खर्चा तो होता है लेकिन उसकी वसूली नहीं हो रही है। दो मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मैंने पहले भी कहा था, अब भी निवेदन करना चाहूंगा। एक तो आबकारी है आबकारी के अंदर चाहे हमारी नीति हम नहीं बदलें, लेकिन मोनोपोली सिस्टम आ गया। मोनोपोली सिस्टम के कारण से बड़े-बड़े ठेके बड़े-बड़े ठेकेदार लेते हैं, लेकिन पूरी रकम जमा नहीं कराते हैं। आज भी आबकारी के ठेकेदारों में अरबों रुपयों की बकाया है। मैंने प्रश्न पूछा था उसके जवाब में यह मिला कि किस-किस समूह में कितना-कितना रुपया बकाया है। यह अरबों में जाता है। और यह भी कहा गया कि जिसमें बकाया है उसको हम ठेका नहीं देंगे। लेकिन भिन्न-भिन्न नामों से आदमी वही आता है। इसलिए इसमें भी हम को ध्यान देना चाहिए। यह जो आबकारी का ठेकेदारी प्रथा का सिस्टम है इसमें कोई न कोई सुधार हो। हम एक ठेकेदार माफिया पैदा कर रहे हैं। भू-माफिया पर नियंत्रण हुआ इस सरकार के आने के बाद। इसी तरह से आपको आबकारी माफिया में भी सुधार करना चाहिए, देखना चाहिए और आबकारी नीति में सोच-समझकर कोई न कोई प्रयत्न होना चाहिए। शराब बिकेगी, यह सर्वमान्य सत्य है। शराब को कोई आज तक बंद नहीं कर सकता लेकिन जब सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध हो कि हमें आमदनी पूरी होनी चाहिए तो इसमें सुधार हो सकता है। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा आपका माइनिंग का है। इसी तरह से आपके दूसरे क्षेत्र हैं। उनमें वसूली हमारी बहुत बकाया है, उसको हमें वसूल करना चाहिए। वसूल करने के बाद हमारा बजट संतुलित हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, टैक्स होना चाहिए क्योंकि आज जो लोग सम्पन्न बने हैं, टैक्स देने की हैसियत में आये हैं वे इस समाज के कारण आये हैं। पूरे समाज ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है, सरकार ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है जिसके कारण से उनके रिसोर्सेज बढ़े हैं। उनको टैक्स लिमिट में लाया जाना चाहिए जो टैक्स देने लायक हों। हमें सख्ती से टैक्स वसूल करना चाहिए और जिन लोगों की आमदनी नहीं है, जो गरीब हैं, पीड़ित हैं उन पर उसको खर्च करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने बहुत से काम किये गरीबी उन्मूलन के। बी.पी.एल. का सर्वे हुआ, और भी कार्यक्रम हमने किये गांवों के देहात में लड़कों हो हमने बैंकों से ऋण दिलाने की चेष्टा की। सब-कुछ हुआ है लेकिन उसके बाद भी हमारी बी.पी.एल. लाइन वहीं की वहीं है, वह ऊंची नहीं आ रही है। क्या कारण है इस बात का? सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी अच्छी योजनाएं होते हुए, इतना धन खर्च होने के बाद भी आज हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

कर पाये हैं जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए। सभापति महोदय, इसी के संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार को अपनी सर्विसेज पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत-सी ऐसी असेंशियल सर्विसेज हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। जो हम उनको साधन दे रहे हैं उन साधनों के अनुरूप उनसे हम को काम लेना चाहिये।

ए.सी.डी. का मैंने पहले जिक्र किया था, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना बड़ा अमला होते हुए भी आज ए.सी.डी. का सक्सैस परसेंटेज बहुत कम है। आज धारणा यह बन गयी है कि पकड़ लो और मिल-जुलकर उसको छुड़ा लो। आज कितने मामले ऐसे हैं जिसमें ट्रैप होते हैं? ट्रैप होने के बाद कोई छोटा-मोटा कर्मचारी उसमें फंसा रहा तो दूसरी बात है, लेकिन बड़े-बड़े लोग उसमें नहीं फंस पाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए हमने उनको जो सर्विसेज दे रखी हैं उस पर भी हम को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, आखरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने बिजली के मामले में बहुत धन लाने की चेष्टा की, रुपया भी खर्च हुआ है। इन दो-ढाई साल के अन्दर बहुत रुपया हमने खर्च किया। खास तौर से जो यह सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है, उसके बाद में चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, और किसी से भी हो, हम बहुत रुपया लाये हैं, लेकिन उसको खर्च करने में जो संतुलन होना चाहिए वह संतुलन हमने नहीं रखा है। जी.एस.एस. बने हैं लेकिन जो कंजूमर को राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है। आज हमारी लाइनें वैसी ही हैं, आज हमारे काम करने वाले वैसे ही हैं। इन जी.एस.एस. बनने से ही कोई हम बहुत ऊंचे हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी.एस.एस. की गिनती हो सकती है और यह उपयोगी चीज भी है लेकिन संतुलन बराबर होना चाहिए।

सभापति महोदय, आज हो क्या रहा है? यह नियामक आयोग बन गया, बिजली की कम्पनीज बन गयीं, वितरण के लिए कम्पनीज बन गयीं, उनकी हालत क्या है? मैं अखबार की दो-चार लाइनें सुनाना चाहता हूं-नियामक आयोग के निर्देश बिजली कम्पनियों को भारी पड़ने लगे। सभापति महोदय, उन्होंने कहा है, जानकार सूत्रों ने बताया है कि इतनी कम रकम आने से यह भी आशंका है कि अगले माह वेतन भुगतान में परेशानी पैदा हो जाएगी। इस पूरे में उन्होंने यह भी चित्रण किया है कि जो नियामक आयोग के आदेश-निर्देश थे कि हर दो महीने के बाद हर कंजूमर का मीटर दुरुस्त किया जाएगा, बदला जाएगा और यदि बदला नहीं जाएगा तो 5 परसेंट उसको रिबेट देनी पड़ेगी, अभी तक वह कार्यक्रम हुआ नहीं है। जी.एस.एस. बना दिया, वह अच्छा काम है लेकिन मीटर चैन्ज नहीं है और इन कम्पनियों को 5 परसेंट रिबेट देनी पड़ेगी, वह करोड़ों में जाएगी। आज जो वसूली इनको करनी चाहिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिजली की जब बहस होगी उस समय आप ध्यान दिलाओगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : यह विनियोग विधेयक है, उसी के प्रावधान के अन्दर मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमको ख़र्चा किस तरह से करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं दो मिनट में खतम कर देता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो वसूली इनको करनी चाहिए थी, राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों की अनुपालना में बिजली वितरण कम्पनियां महीने भर बाद भी अपने को अक्षम पा रही हैं। हालात ये हैं कि तीनों बिजली कम्पनियों ने अप्रैल में अपना राजस्व लक्ष्य चार करोड़ रुपये रखा था और अब तक मात्र 150 करोड़ रुपये उन्होंने वसूल किये हैं। यह नक्शा उनका है जिसके लिए हमने कम्पनीज को अधिकार दिया कि आपके रेट बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय, आखिरी बात निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से कि इनको सब्सिडी का प्रावधान इस बजट में रखना चाहिए था। नहीं रखा, अभी रखना चाहिए, और वह इसलिए कि बिजली की दर बढ़ेगी, कोई इसको नकार नहीं सकता। बिजली जितनी है उतनी ही मिलेगी, यह बात भी सही है। हम कहीं से बिजली प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहे, सो यह बात नहीं है, हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं। जितनी बिजली है उतनी मिलेगी, रेट भी बढ़ेगी लेकिन रेट किस प्रकार से बढ़ेगी? सब्सिडी का मामला मैं इसलिए रख रहा हूं, सभापति महोदय, यह प्रचारित हुआ कि कुल मिलाकर 16.76 परसेंट हमने बढ़ोतरी की है बिजली के मामले में। यह अखबारों में बहुत आया, माननीय मंत्रीजी ने भी बहुत इसके भाषण दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ोतरी क्या हुई है। 70 पैसे से 90 पैसे पर यूनिट किसान से इन्होंने लिया है, प्रावधान किया है और यह बढ़ोतरी आती है 29 परसेंट। सभापति महोदय, फ्लैट रेट 60 रुपये से 85 रुपये प्रति हार्स पावर कर दी है, यह बढ़ोतरी है 42 परसेंट। सभापति महोदय, 1975 से पहले जो शहरी क्षेत्र में कुएं आते थे उनकी रेट 95 से 175 रुपये कर दी गयी, इसकी बढ़ोतरी आती है 83 परसेंट। सभापति महोदय, यह जो 16.76 परसेंट आम बढ़ोतरी हुई है, किसान इसके लिए आज कुछ कहने का हकदार नहीं है, लेकिन जो बढ़ोतरी 16.76 परसेंट से अधिक हुई है या तो इस बढ़ोतरी के कारण से किसी को बहुत बड़ी रिलीफ दी गयी है और रिलीफ दी गयी है किसान को भी रिलीफ मिलनी चाहिए। 16.76 परसेंट से अधिक जो किसान के लिए बिजली की दर बढ़ी है, उसमें रिबेट मिलनी चाहिये। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी जब हम से सुधार कार्यक्रम का बिल पास करवा रहे थे तो बहुत जोर देकर कहा था कि सरकार कृतसंकल्प है, किसान पर वजन नहीं डालेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह प्रोसिडिंग है क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : यह प्रोसिडिंग मेरे पास है, सभापति महोदय, सिर्फ पांच मिनट की इजाजत दे दीजिये, मैं सब पढ़ देता हूं। सभापति महोदय, इजाजत दे दें तो मैं दो-तीन लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, प्रोसिडिंग पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो खुद ही ज्ञानी हैं, वित्त मंत्रीजी इसका उत्तर तो दे नहीं सकेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इसी सदन में ऊर्जा मंत्रीजी ने क्या वक्तव्य दिया और आज हालत क्या है, इसका अगर स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपने ज्ञान को माननीय सदस्यों में बांटना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : जब ऊर्जा पर बहस होगी, माननीय सदस्य, मंत्रीजी को आप बतला देना।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बारबार उसमें भाग लेना नहीं चाहता, सभापति महोदय, दो मिनट के लिए ही कहना चाहता हूं। मैं अपने ज्ञान को सभी माननीय सदस्यों में बांटना चाहता हूं। मैं निवेदन करूं, माननीय मंत्रीजी ने कहा था मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में रैगुलेटरी कमीशन में जो मैम्बर बनेंगे उन मैम्बर की नियुक्ति कौन करेगा, सरकार करेगी उनकी नियुक्ति और राजस्थान के रहने वाले होंगे। क्या वे हमारी बात को नहीं मानेंगे? फिर वो कहते हैं। सभापति महोदय, एक मिनट में खतम कर देता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उस दिन ही करें तो ठीक रहेगा, उस दिन आपको उत्तर भी सही मिल जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : टैरिफ ज्यादा निर्धारित करता है तो फिर सरकार को यह छूट होगी कि वह वर्ग विशेष को अनुदान दे सके। यह उन्होंने कहा है, साहब, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कमिटेड है। 16.76 प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी जो कृषि क्षेत्र में की गयी है उसके लिए सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए और रिबेट देनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुरजोर मांग करता हूं कि यह सब्सिडी का अधिकार किसान को इसलिए ही नहीं है कि वह किसान है, सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और इस प्रदेश की बहबूदी बढ़ाने के लिए यह सरकार किसान को रक्षा देगी तो बढ़ पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अकाल की छाया, आर्थिक विषमता के बीच जो बजट अपनी कुशलता के साथ पेश किया उस पर हम एक पखवाड़े से विभिन्न सुझावों और प्रस्तावों के साथ चर्चा कर रहे हैं।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के जो सुझाव दिए हैं मैं समझता हूं सरकार उन पर चिन्तन करे। कैसे हमारे प्रदेश के संसाधन बढ़ें और संसाधनों में कहां लीकेज है उसको ठीक करके सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में जिसकी आज इस प्रदेश में काफी आवश्यकता है, उस दिशा में हम अग्रसर हो सकें, यह हमारी अवधारणा रहनी चाहिए। माननीय सदस्यों के मौलिक और रचनात्मक सुझाव वित्तीय संसाधनों के बारे में और अन्य संसाधनों के बारे में भी काफी सार्थक हो सकते हैं कि राजस्थान के लिए किस तरह सुधार सकते हैं, जन आंकाक्षाएं पूरी कर सकते हैं।

राजस्थान को हम सबने पचास सालों में देखा है। जिस प्रकार राजस्थान पुरानी व्यवस्थाओं से मिला उस राजस्थान में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के काम पर हम दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से यह श्रेय कांग्रेस को जाएगा। धोरों की धरती पर जहां पानी मीलों तक नजर नहीं आता था, उस पर जीवनदायिनी इन्दिरा गांधी नहर को लाना, सुदूर आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में नदी का निर्माण, हाड़ौती की धरती पर चम्बल, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज जैसी इस प्रकार की अनेक योजनाओं का निर्माण इन्होंने राजस्थान की तकदीर को बदला है, राजस्थान के लोगों को खुशहाली के दरवाजे पर पहुंचाया है और शस्य श्यामला धरती पर आज हरित क्रांति नजर आती है। ये कुछ उपलब्धियां हैं जिनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। राजस्थान में सड़क शिक्षा और बिजली सबको हम देखें तो पचास वर्षों की एक लम्बी योजनाओं के बीच राजस्थान लगातार आगे बढ़ा है और हमें इस बात का गौरव है। यह सब इसके बावजूद कि राजस्थान को प्राकृतिक रूप से अकाल की काली छाया से ग्रसित रहना पड़ता है। इसलिए हम राजस्थान में स्थाई तौर से अकाल प्रभावित जनता को राहत देने की योजनाओं को प्राथमिकता देंगे। राजस्थान में अभी भी बहुत सारा पानी राजस्थान की धरती से बाहर जाता है, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं आज इस बारे में सबसे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। आज राजस्थान में बिजली की समस्या, फ्लोराइड युक्त पानी पीने की मजबूरी हमारे सामने है। इसके लिए दूरगामी दीर्घकालीन योजनाएं किस प्रकार से बन सकती हैं, इस बारे में प्रयास करने की आवश्यकता है।

आज भी चम्बल का पानी कोटा से नीचे होकर राजस्थान की धरती से जा रहा है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहन लाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे और स्वर्गीय लड्ढा साहब सिंचाई मंत्री थे तब इस बारे में काफी विचार-विमर्श हुआ था। चम्बल का पानी बनास में डालना ताकि इन चार, पांच, छह जिलों में भी सिंचाई के साधन बढ़ें, पेयजल की समस्या मिटे, उस समय केवल यह सोचा गया था। किन्तु उस समय भी यही सवाल सामने आया कि बहुत बड़ा इसमें खर्चा होगा। किन्तु आज मैं समझता हूं आवश्यक हो गया है कि चम्बल के

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पानी का राजस्थान की धरती पर कैसे उपयोग किया जाए और राजस्थान की प्यासी जनता को किस तरह इस समस्या से निजात मिले। सुबह माननीय मंत्रीजी ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि आज इसमें सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान में यद्यपि वृहत् मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं का हजारों की संख्या में निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण होने के बाद उन योजनाओं में सिल्ट जमा होने से उनकी क्षमता में कमी आयी है, नहरों का संधारण नहीं होने और टूट-फूट होने से कमी आयी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको वापस किस तरह से संधारित किया जाए जिससे जल ग्रहण क्षमता बढ़े। नहरों को दुरूस्त इस तरह से किया जाए कि अधिक से अधिक खेतों को पानी मिल सके जिससे अकाल और दूसरी समस्याओं से लोग जूझ सकें। सिंचाई मंत्री महोदया ने अभी बताया था डिमाण्ड के जवाब में, आज आवश्यकता इस बात की है कि मास्टर प्लान सिंचाई का बनना चाहिए प्रत्येक जिले का, प्रत्येक क्षेत्र का भी कि उसमें किस तरह से बांध बन सकें, किस तरह से एनीकट बन सकें। सर्वे एण्ड इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट को सक्रिय बनाकर अधिक से अधिक उसका विस्तार किया जाए जिससे सिंचाई के साधन राजस्थान में अधिक से अधिक बढ़ सकें। यही एक ऐसा काम होगा जिससे राजस्थान में अकाल की समस्या से हम स्थाई तौर से राहत पा सकेंगे। अभी आपने दो सौ-ढाई सौ एकड़ तालाब पंचायती राज संस्था को देने की बातें सोची है, मैं पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देने के बारे में कोई एतराज या आपत्ति का दृष्टिकोण नहीं रखता हूं परन्तु मेरा यह मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो तालाब हमने पहले दिए हैं उनका संधारण होना तो दूर उनकी सिंचाई की दरें भी वसूल नहीं की जा सकीं। संसाधन स्टाफ और कई तरह की उसमें व्यवस्थाएं हैं, कई प्रकार की उसमें स्थानीय दिक्कतें आती हैं, उसके लिए हमारी मशीनरी सुगठित की जाए। पेयजल योजनाओं की बात मैं आगे करूंगा, केवल सिंचाई की बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सिंचाई के साधनों के विस्तार की दृष्टि से वर्तमान प्रबन्ध ठीक प्रकार से कर सकें। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधीनस्थ ही ये सारे तालाब रखे जाकर इनका संधारण करने की बात सोचनी चाहिए। इसके बिना आज राजस्थान में कोई रास्ता दिखता नहीं है कि हम पानी और सिंचाई के साधन के बिना राजस्थान के गांवों को, गरीबों को ऊंचा उठा सकें।

साथ में मैं पेयजल की बात भी कहना चाहता हूं। आज बीसलपुर की चर्चा बहुत हुई। मैं उस समय बोलना भी चाहता था मगर उस समय काफी माननीय सदस्य बोलने के कारण वह बात नहीं बता सका। बीसलपुर सिंचाई परियोजना में करीब डेढ़ सौ-सवा सौ किलोमीटर के भीलवाड़ा जिले के गांव आते हैं। आश्चर्य यह है कि जिस भीलवाड़ा जिले की सीमा पर बीसलपुर बांध है उसी की चार-पांच तहसीलें ऐसी हैं

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जिनमें सबसे ज्यादा फ्लोराइड का पानी है। सर्वे के हिसाब से पेयजल के लिए वह उपयुक्त नहीं पाया जा रहा है। उसके बावजूद चर्चा हो रही है। जिसका सर्वाधिक कैचमैंट एरिया भीलवाड़ा जिले का आता है उससे आज वंचित है वही भीलवाड़ा जिला। इसलिए मैं चाहूंगा कि योजना इस प्रकार की बनायी जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, जयपुर की सिंचाई, पेयजल की समस्या है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, सभी एम.एल.एज. के परिवार वालों को, जैसे ताम्बीजी के बेटे नरेन्द्र महाजन को जमीन मिली है इनके हस्ताक्षर से, ऐसे सबको जमीन मिल जाए ताकि यह पानी का वेस्टेज नहीं हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मिल जाएगी। मैं यह जमीन आपके हवाले कर देता हूं, ढूंढ लेना जाकर।

श्री मदन दिलावर : मैं ऐसे नहीं लेता हूं।

श्री रतन लाल ताम्बी : आप रोज करते रहोगे। आपको झुनझुना पकड़ा रखा है, पकड़े रखो रोज। आपके सामने यही आया है मामला। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री मदन दिलावर : नरेन्द्र महाजन को इन्होंने अपने दस्तखत से गलत तरीके से जमीन आवंटित कर दी, ऐसी योजना बता रहे हैं।

श्री सभापति : आप एक मिनट बिराजो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर कैचमैंट का पानी और उसके क्षेत्र में आने वाला पानी कैचमेंट के अन्तर्गत...

श्री सभापति : आप और माननीय किरोड़ी लालजी यही बात कर रहे थे क्या?

श्री रतन लाल ताम्बी : यह कोई तरीका तो नहीं है कि किसी सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाए। यह तरीका वाजिब तो नहीं लगता मुझे। आप सब लगा चुके आरोप।

डा. किरोड़ी लाल : मेरे को कैसे कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा था।

श्री रतन लाल ताम्बी : जब मैं बोलूं आप खड़े हो जाएं, यह कोई अधिकार है सदस्य का? ढाई लाख जनता ने चुन कर भेजा है, वैसे नहीं आ गया हूं मैं बैठे-बैठे यहां...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, बिराजो आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने जिन्दगी में न तो ऐसा कोई गलत काम किया है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जमीन आवंटित करने का अधिकार दिया था क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर का मामला ऐसा है कि भीलवाड़ा जिले की चार-पांच तहसीलें हैं जिनके फ्लोराइड के गांव काफी बड़ी तादाद में हैं और जहां पेयजल समस्या काफी गम्भीर है, तो पड़ोस में तो कुंआरा रहे, वह कहावत है ना "घर का पूत कंवारा डोले पाड़ोसी के फेरा' वह हालत हो रही है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले का क्षेत्र भी बीसलपुर योजना में शामिल किया जाए। जयपुर की समस्या का स्थायी समाधान ईसरदा बांध है जो कम लागत में और कम खर्चे में फ्लोराइड के काफी गांवों को बीच में पानी देता हुआ जयपुर को पानी सप्लाई कर सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को पूरा देखा जाना चाहिए। साथ में चम्बल का पानी बनास में डालना और इन चार-पांच जिलों में सिंचाई अथवा पेयजल की दृष्टि से ऐसी वृहत योजना राजस्थान में बनाने की आवश्यकता है जिससे इस समस्या का समाधान स्थाई तौर से हो सके।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने एक चिन्तन किया। चिन्तन यह किया कि हम भौतिक विकास कितना ही कर लें जब तक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज के पिछड़े, गरीब और दलित तबके का उत्थान यदि हम नहीं करेंगे तो कोई सरकार लोक कल्याणकारी सरकार नहीं कहला सकती। इस दिशा में राजस्थान की सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में काम किये हैं, खास तौर से दीन-हीन गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन वृद्धि का काम एक उल्लेखनीय कार्य इस राजस्थान की सरकार का रहा है। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष गरीबों के लिए एक वरदान के रूप में रहा है। इस प्रकार की योजनाएं इस संवेदनशील सरकार ने राजस्थान में लागू करके जनता का विश्वास अर्जित किया है, यह मेरा मानना है।

लेकिन इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो अनदेखी की गयी है इसके बारे में मुझे निवेदन करना है। राजस्थान ने देश में साक्षरता के क्षेत्र में काफी अच्छी ऊंचाइयां, बुलंदियां प्राप्त की हैं और इसका श्रेय राजस्थान की सरकार को है। मगर इस वर्ष जब बजट हमारे सामने आया उसमें हमने देखा कि कालेज नहीं खुलेंगे, नये हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल नहीं खुलेगें, नये मिडिल स्कूल नहीं खुलेगें। मैं समझता हूं यह एक अच्छा सोच नहीं है। जिन मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को दो हजार, तीन-चार तक साक्षर बनाने का एक संकल्प ले रखा हो, जिन शिक्षा मंत्रीजी ने उस संकल्प को पूरा करने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी स्कूलें खोल कर गरीबों में एक अलख जगा दिया हो शिक्षा के प्रति, उस राजस्थान सरकार का यह बजट शिक्षा विहीन बजट नजर आए, मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं है। वित्त मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आप पुनरावलोकन करें सारे बजट का। अन्य कई खर्चों में आप कमी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कर सकते हैं, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में आप कमी करके राजस्थान को पीछे ले जाने की सोच रखते हैं, ऐसा लोग मानेंगे। इस बारे में आज बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, जैसे मेरा इलाका है जहां 700-800 जनजाति, शिड्यूल्ड कास्ट, फौजी लोग हैं। हमारे इलाके में काफी फौजी भी हैं जो वहां से दूर-दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी हम उम्मीद रख रहे थे, उसमें नाम नहीं, बजट में प्रावधान नहीं। इसी तरह हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल का है, पिछली सरकार ने हमारे जैसे क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज हम इतने पिछड़े हुए हैं उसके बाद भी सैकण्डरी स्कूलों की बड़ी मांग है। अब अगले साल एक-दो खोल देंगे उससे क्या होना है? पिछड़े को पहले होना चाहिए था। इस साल ज्यादा खोलने की आवश्यकता थी। मैं समझता हूं यह प्रावधान रखने की आवश्यकता है। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल जहां-जहां भी कुछ आवश्यकता है वहां इस साल आपको किसी न किसी रूप में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

पिछले दो वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने कोई प्राइमरी हैल्थ सैण्टर नहीं खोले। पिछली बार माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब मंत्री थे, हमने बहुत अनुरोध किया कि 1989-90 में कांग्रेस सरकार खोल कर गयी थी वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आपने बंद कर दिये चौदह। चौदह की मैंने लिस्ट भी दी। विधान सभा में प्रश्न भी उठाया, वे चौदह यह रहे। इनके पास सात-आठ दफा मैं गया, मांग की, कहा, वायदे भी बहुत किये मगर वह एक भी नहीं खुला और अब इन दो सालों में भी नहीं खुल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि कम से कम वे जो आपने बंद किये थे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1989-1990 में कांग्रेस सरकार के टाइम राजस्थान में तेरह-चौदह बंद किये गये थे, उनको तो आप वापस खोल दें। वहां की जनता उस सरकार से नाराज थी इसलिए तो ये चले गये कि जो खोले उनको बंद कर दिया। कटारिया साहब शिक्षा मंत्री आये, हमने सोचा बड़ी उम्मीद है इनसे, स्कूल खोलेंगे। इनसे भी हम कहते चले गये। मिडल स्कूलें जरूर खोलीं, मैं गलत नहीं कहूंगा परन्तु सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूलें नहीं खोलीं। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि शिक्षा के बजट की तरफ भी आप कोई न कोई रास्ता निकालें जिससे राजस्थान पीछे नहीं रहे।

मैं अकाल के मामले में बात करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : शिक्षा मंत्री जी तो ताम्बी जी की तरफ + + + गये हैं।

श्री सभापति : अकाल के ऊपर तो आप अकाल की जब चर्चा होगी उस समय बोलें, अभी तो समाप्त करें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब तो आप जमीन अलाटमेंट में बोल दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो।

श्री रतन लाल ताम्बी : इस मौके पर आपसे मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, यह आ गया सम्बन्धित। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे।

श्री रतन लाल ताम्बी : ए.सी.एम. कोर्ट आज जहाजपुर में नहीं है, मुकदमेबाजी के लिए बाहर जाना पड़ता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। चर्चा न करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : जमीनें अलॉटमेंट की पावर दे दें, साहब...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेवाड़ के टाइम जिला हैडक्वार्टर था, वहां राजस्व न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, सिविल सारे न्यायालय थे। वहां एस.डी.एम. सात-आठ साल पहले तोड़ दिया गया, फिर एस.डी.ओ. शाहपुरा के अन्तर्गत इलाके को लगा दिया, हनुमानगढ़ के लगा दिया। ए.सी.एम. मजिस्ट्रेट वगैरह, न तो पेशियों पर आते हैं हजारों केस हैं, परेशानी लोगों को हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ए.सी.एम. कोर्ट जहाजपुर में पुनः आरम्भ किया जाय, यह बहुत आवश्यक है। ए.सी.जे.एम. कोर्ट जहाजपुर में इस साल प्रावधान, रिपोर्ट होकर आयी, हाईकोर्ट ने भी, सबने उसके बावजूद भी नहीं खुला। मैं चाहूंगा कि वहां यह खोला जाना चाहिए।

इसी तरह आई.टी.आई का मामला है। मैं समझता हूं आई.टी.आई. जहाजपुर क्षेत्र में न होना...

श्री धर्मपाल चौधरी : फिर तो प्राब्लम हो जाएगी। अगर ए.सी.एम. कोर्ट खुल जाएगा तो वहीं की वहीं जांच शुरू हो जाएगी, प्राब्लम हो जाएगी आपको।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, हो जाएगी तो अच्छा है। (व्यवधान) इसी तरह मैं माननीय सभी विधायकों की भावनाओं के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि निर्माण कार्य की लागत इन वर्षों में बढ़ी हैं, संस्थाएं बढ़ी हैं और विधायक कोष के रूप में चालीस लाख रुपये का ही वर्तमान में प्रावधान है। अन्य कई राज्य सरकारों का प्रावधान या छोटे-छोटे जो प्रांत हैं मेघालय जैसे, वहां का भी पचास लाख का है और हमारे यहां चालीस लाख का है। करोड़ की बात सब कर रहे थे, पर हालात को देखते हुए करोड़ नहीं दे सके, कोई कारण हो तो मैं चाहता हूं दस, पांच, पन्द्रह लाख कम करके 80-85-75 लाख जो भी आप उचित समझें वह आप विधायकों को दें ताकि क्षेत्र की जो आम समस्या होती है रोज सामने, वह पूरी हो सके।

श्री मदन दिलावर : यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इस मौके पर राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान— (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वित्त मंत्री जी एक करोड़ देना चाहते हैं, इनकी मुस्कान से लग रहा है। वित्त मंत्रीजी की मुस्कान से लग रहा है कि एक करोड़ देना चाहते हैं और माननीय सदस्य—

श्री सभापति : आप बिराजो।

श्री मदन दिलावर : सारी जनता का नुकसान कर रहे हैं। सत्तर लाख देने से क्या होगा? मुस्करा रहे हैं एक करोड़ से भी, एक करोड़ देना चाहते हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : पिचहत्तर लाख ही दे दें तो—(व्यवधान) मैं इस मौके पर आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हुआ कहना चाहता हूं कि जिन विधायकों ने अभी मेरे बोलने के बीच में व्यवधान खड़ा किया, आपत्ति जाहिर की, जमीन के अलाटमेंट की बात बार-बार कहते हैं, उस गांव में मेरी, मेरे परिवार की, बच्चे की कोई भी जमीन हो तो इनको समर्पण करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे सभी सम्माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-सी बातों में हो सकता है कि हमारे विचार आपस में नहीं मिले, परन्तु मैं कुछ ऐसा नहीं करने जा रहा हूं और जो मेरी जेब में है वह मैं कर रहा हूं। मैं अपने विचार रख रहा हूं, कोई सहमत नहीं हो तो वह अपने तक ही इसको रखे और कृपया व्यवधान पैदा नहीं करे।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, भारतीय संविधान जो देश के आजाद होने के पश्चात् से— अपनी सम्पूर्ण व्यवस्था का मूल मंत्र है, वह संविधान डा. भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। आज हम उसी से भटक गये हैं। सामने बिराजे कांग्रेस के माननीय सदस्य और मेरी साइड में राइट हैण्ड को बिराजें भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, ज्यादातर— (व्यवधान) हम तो तीसरी शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पहले ही हाथ जोड़ता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ देखकर चर्चा करें तो ठीक रहेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, ज्यादातर हमारा समय इसलिए खराब होता है कि हम एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, आपके शासन में यह हुआ, आपके शासन में यह हुआ और करते-धरते कुछ नहीं हैं। बजट पर बोलना

(श्री जगत सिंह दायमा)

चाहता हूं, विनियोग बिल पर, इसलिए मैं अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस देश में आजादी के बाद कितने ही बजट रखे गये, चाहे प्रदेश में और चाहे केन्द्र में, परन्तु जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए थे वे पूरे देश में न विधान सभा के जरिये मिल रहे हैं और न लोक सभा के जरिये मिल रहे हैं। उसका क्या कारण है, इसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। परिपाटी चलती रही कि इस-इस तरह का यह बजट बना दो, उससे यह हो जाएगा, उससे यह हो जाएगा, वह कुछ नहीं हो रहा है। आज जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है उसकी हालत वही है जैसी कि 50 साल पहले थी। देश आजाद हुआ उस वक्त जैसी हालत थी आज उसकी हालत वैसी की वैसी है। आज भी उनके मन में उनके दिमाग में विचार बेशक चाहे ये आ गये हैं कि आजाद हो गये हैं, परन्तु वे आज भी आजादी का मजा नहीं चख पाये हैं। हम करोड़ों-करोड़ों, अरबों-अरबों रुपये लगा चुके हैं परन्तु उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों को जब तक हम बराबर नहीं लाएंगे तब तक इस देश में न अमन-चैन होगा, न कानून-व्यवस्था ठीक से होगी और न ही इस देश की तरक्की हो सकती है। सभापति महोदय, एक व्यक्ति विधान सभा पर खड़ा है और उससे कहा जाता है कि आप जाकर एयरोड्रम पर पहुंचे और एक व्यक्ति जो पुरानी विधान सभा थी वहां खड़ा हुआ है जो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है, वह पुरानी विधान सभा, बड़ी चौपड़ के पास खड़ा है और दोनों को एक ही टाइम दिया कि आप आधे घंटे के अंदर-अंदर एयरोड्रम पहुंचे। मुझे समझ में नहीं आता कि वह जो बहुत दूर खड़ा है वह इतने टाइम में कैसे पहुंच पाएगा।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए दिया कि इनको भी आगे लाइये तब जाकर यह देश तरक्की कर पाएगा, उसके लिए बहुत-से लोग अड़ंचन बने हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, तब मैं मंत्री था तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था कि हमारी सरकार बीच में चली गयी। परन्तु मैंने बाद में सोचा कि यह सरकार क्यों गयी। इसलिए गयी कि एक तो अयोध्या के मामले पर और दूसरा मैंने सोचा कि आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं दिया जा रहा था इसके ऊपर। तो मुझे खुशी हुई कि जो सरकार अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी ऐसी सरकार चली जाए तो बहुत अच्छा है।

सभापति महोदय, आगे बड़ी आशा लगायी थी पिछड़े वर्ग ने कि जो यह कांग्रेस आ रही है हमें इसको वोट देना चाहिए और इसको शासन में लाना चाहिए। दलित वर्ग ने, पिछड़े वर्ग ने, अल्पसंख्यक वर्ग ने मिलकर कांग्रेस को 153 की संख्या पर पहुंचाया। बड़ी आशा

(श्री जगत सिंह दायमा)

थी पिछड़े वर्ग के लोगों को कि हमें कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सहयोग आगे बढ़ने में मिलेगा। मैं एक रिपोर्ट उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहता हूं, यूं तो इतनी रिपोर्ट्स है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को कुछ मिल नहीं रहा है। 21 परसेंट हमारा आरक्षण है जबकि हम 54 परसेंट इस राजस्थान में बसते हैं। सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर अभी पुलिस विभाग में और आर.ए.सी. में 2200 पद निकले हैं, इनमें से अन्य पिछड़े वर्गों को 21 परसेंट मिलना चाहिए। उसके लिहाज से हमको 462 पद कम से कम मिलने थे। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है और मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि उनके समय में भी आज पिछड़े वर्ग को मात्र 250 पद दिये जा रहे हैं। सभापति महोदय, कोटा शहर, बूंदी और बारां में अन्य पिछड़ा वर्ग को एक भी पद नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय रामकिशन जी वर्मा से चाहूंगा कि यह आपका क्षेत्र है और आपको इस बारे में मिलना चाहिए। यह कोई मतलब नहीं रखता है कि आप मंत्री बने हैं। आप पिछड़े वर्ग से मंत्री बने हैं, आप अपने इलाके का हक कटवा रहे हैं। हाड़ौती इलाके में क्या पिछड़ा वर्ग नहीं रहता है? कब काम आएगी आपकी मंत्रिमण्डलशिप और आपका प्रभाव? आप अपने क्षेत्र में भी पिछड़े वर्ग को हक नहीं दिला पा रहे हैं। शांतिलाल जी को तो मजा आ रहा है, वह तो ठीक कर रहे हैं, परन्तु आप क्या कर रहे हैं? रेलवे रेंजर में बारां, टौंक, सिरोही में अनुसूचित जाति और जनजाति को एक भी पद नहीं दिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता। पिछड़ा वर्ग आशा लगाये बैठा था कि कांग्रेस के शासन में हमें कुछ न कुछ मिलेगा। मुझे दुःख होता है कि आज पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस भी वही साबित हो रही है जो दूसरे वर्ग पहले हो रहे थे।

सभापति महोदय, तुलना में हम एक दूसरे को कहते हैं कि आपके राज में यह हुआ, बी.जे.पी. कहती है कि आपके राज में यह हुआ। आज हम इस राजस्थान की तरक्की करना चाहते हैं तो इसके साथ-साथ में दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों को मान और सम्मान मिले, वे कैसे आगे बढ़े इसका भी खयाल रखा जाए। उसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था पर भी ध्यान रखा जाए। सभापति महोदय, मेरी पार्टी का समय कम है पर मैंने माननीय जगमाल सिंह जी से पूछा, वह बोले कि आप ले लेना टाइम, आप बोल लेना, मैं नहीं बोलूंगा। अभी आये थे, आकर चले गये। बोले, आप बोल लेना। मैं मार्के की बात कहूंगा, कोई कटाक्ष नहीं करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पहली बार है जब कांग्रेस शासन में ही कोई ओ.बी.सी. की कमेटी बनी है विधान सभा में जिसका चेयरमैन डा. साहब को

(श्री सभापति)

बनाया गया है। ओ.बी.सी. का सारा ध्यान वह रखेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मुझे खुशी है इस बात की।

मोहम्मद माहिर आजाद : ज्ञापन दे-देकर बनवायी है। (व्यवधान) अल्पसंख्यकों के लिए भी दिया था उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं इस बात को कि माननीय डा. करण सिंह जी तो अब की बार आये हैं, उससे पहले-पहले मैंने विधान सभा में इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। सभापति महोदय, मैंने आज नाम देखा आंख फाड़-फाड़ कर, मेरा उसमें नाम ही नहीं है। याचिका मैं ही कर रहा हूं, माननीय डा. करण सिंहजी को बना दिया, मैंने कहा कि उनका राज है कोई बात नहीं, मैं सहमत हूं उनसे क्योंकि वह भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। परन्तु मैं चाह रहा था कि सदस्य तो मेरे को भी ले लिया जाए। परन्तु मुझे याचिका में फंसा रखा है कि यह कुछ न कुछ आंकड़े लाकर परेशान न कर दे। मेरा इसमें नाम ही नहीं है।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं—(व्यवधान) सामने बिराजे जो कांग्रेस के सदस्य हैं—

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, आप अपनी यह इच्छा अध्यक्ष जी तक पहुंचा दें, कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : आप ही सुन ले मेरी तो। यहां मैं एक बात और कहूंगा, ये दोनों तुलना करके यह कहते हैं कि हमारे उसमें यह हुआ बी.जे.पी. कहती है कि हमारे उसमें यह हुआ, आप लोग 153 की संख्या में पहुंचे हैं, आपके सामने प्रशासन ऐसा चलना चाहिए। उसको भय होना चाहिए कि ये 153 की संख्या में पहुंचे हैं तो जैसे पहले हालत खराब थी कानून-व्यवस्था की, अगर उससे बेहतर रिजल्ट नहीं लाकर दिए तो आपके ये जो स्टार लगा रखे हैं, यह खींच ली जाएगी सभापति महोदय, जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अब आपके राज में कितना क्या है। दहेज हत्या—1998 में 433 मामले दर्ज हुए, 1999 में 443, 2000 में 429, दहेज आत्महत्या के 1998 में 105, 1999 में 88, 2000 में 99. (व्यवधान) मुझे बोलने दो। महिला उत्पीड़न में 4947 मामले 1998 में दर्ज हुए, 1999 में बढ़ कर 5425 और 2000 में 5437. बलात्कार के मामले 1998 में 1266, फिर घटे 1999 में 1198 और फिर बढ़ गए 1242. छेड़छाड़ के मामले 1998 में 2908, 1999 में 3109, मतलब छेड़छाड़ बढ़ रही है और 2000 में 3092. अपहरण के 2499 मामले 1998 में, 1999 में 2652, 2000 में 2682 मामले दर्ज हुए। एक समझ में नहीं आया,

(श्री जगत सिंह दायमा)

सभापति महोदय, इसमें लिख रखा है 'अन्य', अन्य में 1998 में एक मामला दर्ज हुआ, परन्तु अन्य में 1999 में 59 और 2000 में 69, यह अन्य क्या बीमारी है, उसका मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है।

सभापति महोदय, जब कांग्रेस का राज था, प्रतिपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत दो बातों पर जोर दिया करते थे। कहते थे, ओ ग्रामीण भाइयों, ओ शहरी भाइयों। आज आपको पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, आपको स्कूल में पूरे टीचर नहीं मिल रहे हैं, आपको स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिल रही है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रशासन के ऊपर कांग्रेस का नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। वह कहते थे कि जब तक यह भ्रष्टाचार की खिड़की बंद नहीं होगी तब तक न आपको पानी मिलेगा, न बिजली मिलेगी, न आपको बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, न नौकरी मिलेगी। सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब उनका राज आया, मैं कांग्रेस के माननीय विधायकों को कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं कि आप राजी हो रहे हैं परन्तु माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत का राज दो-तीन कारणों से गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं फैलने दूंगा। भ्रष्टाचार उससे पहली बार तो काफी कंट्रोल में था, पिछली बार भ्रष्टाचार ऐसे-ऐसे पनपा कि कई डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनमें एक भी कार्य बिना पैसे के नहीं होता था। सभापति महोदय, कानून व्यवस्था और बलात्कार का भी यही हाल रहा कि उसमें दो-चार पांच ऐसे काण्ड हुए जिनसे माननीय भैरोंसिंह शेखावत को अपना राज गंवाना पड़ा। परन्तु, सभापति महोदय, आपके राज में क्या हो रहा है? आप संख्या में इतने ज्यादा आ गए हो कि आप पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो। भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। हालत यह है जिसे मैं आज कहना नहीं चाहता, उससे आपका मनोबल डाउन होगा, परन्तु हो तो हो, आपके बहुत-से सदस्य इस बात को कहते हैं। सभापति महोदय, मैंने कहा न कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, आप लोग डिजायर पर ले रहे हैं। सभापति महोदय, कहते हैं कि अबकी बार मौका है, अगली बार तो आना नहीं है। सभापति महोदय, यह चीज आपको कहां ले जाएगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनका राज रहा और आपका राज है, दलित और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार उधर भी होते थे और इधर भी होते हैं, उसमें आपके कोई कमी नहीं आई है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी दलित वर्ग पर अत्याचार का केस बनता है तो जो दरोगा थाने में बैठा है वह एक तो एफ.आई.आर. नहीं लिखता, एफ.आई.आर. लिख दी तो ऐसी कमजोर एफ.आई.आर. कि वह आगे जाकर बरी हो जाता है और

(श्री जगत सिंह दायमा)

हाथोहाथ एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। **सभापति महोदय,** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि **आजादी** के 50 साल बीत जाने पर **भी न बी.जे.पी.** ने दलित वर्ग के लिए कुछ दिया न मान दिया, न सम्मान दिया, न **कांग्रेस** ने दिया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : **एट्रोसिटी** एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का **प्रावधान** है?

श्री जगत सिंह दायमा : और भी **अत्याचार** हैं कई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में अगर एक भी अत्याचार किया गया तो आपकी ए.सी.आर. खराब कर दी जाएगी। उसका उत्तरदायित्व बनना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। सभापति महोदय, हम कहते हैं कि जिस दिन बी.एस.पी. की सरकार आएगी और इस तरीके से किसी घोड़ी पर से दूल्हे को उतारा, किसी को पानी भरने में छेड़छाड़ की, किसी औरत के साथ बलात्कार किया तो हम पुलिस को अच्छी तरह से मजबूत करेंगे और उनको कहेंगे कि यह जो अपराधी आया है इसके चेहरे और यहां से इसकी मोटाई नाप लो, चौड़ाई नाप लो और जब थाने से निकले तो घर वालों को बुलाना कि क्या यही आपका पुत्र है। उनको कहना चाहिए कि यह मेरा पुत्र नहीं है। जब तक सख्ती से आप नहीं निपटेंगे, जुल्म होते रहेंगे। बर्दाश्त कब तक करें हम लोग? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ न कुछ परिवर्तन आना चाहिए। दलितों पर आप कितना पैसा लगा रहे हैं फिर भी व्यवस्था वैसी की वैसी, कोई परिवर्तन नहीं। बजट लगा रहे हैं करोड़ों, करोड़ों रुपए और तीन चौथाई आंबादी का जो भाग है आज भी उसकी हालत खराब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, पांच मिनट ही लूंगा। और तो हमारे माननीय सदस्य सड़क पर, बिजली पर बोलते मैं भी विधायक हूं पांच मिनट में सटासट खींच देता हूं अपनी बात को।

सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने राजस्थानी सम्मेलन सितम्बर, 2000 में बुलाया। अब आप देखिए, उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कहा कि आप हमारे हो, आप हमारे यहां आकर उद्योग लगाइए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक उसका क्या रिजल्ट आया? कितने लोगों ने यहां आकर आपको एप्लीकेशन दी कि हम यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि आजादी के 50 साल में 40 साल तो आपके साथ रहे, लगभग 10 साल इनके साथ रहे, आपके यहां के मारवाड़ी लोग बंगाल में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं। सभापति महोदय, वहां उनको सहूलियतें दी जा रही हैं और आप बड़े से बड़ा लिटरेचर निकाल रहे हैं, उद्योग भवन में एक विभाग आपने बनाया ब्यूरो

(श्री जगत सिंह दायमा)

ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन, राजस्थान, उसने बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी किताब निकाली है। आप देखे, सभापति महोदय, कितना बढ़िया कागज है। लिटरेचर निकाला कि हम उद्योगपतियों को यह सुविधा देंगे, क्या खाक देंगे? न आपके पास बिजली, न आपके पास पानी, न पेयजल। हम आपको यह देंगे, दे-दे कर करोड़ों-करोड़ों रुपए का आपने यह और निकाल दिया उद्योगपतियों के लिए। सभापति महोदय, कल मैं एम.आई. रोड पर गणपति प्लाजा के सामने एक दुकान है वहां पर गया, ढेर सारा लिटरेचर आपका रद्दी के भाव दुकान में पड़ा हुआ था। करोड़ों-करोड़ों रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। सभापति महोदय, यहां से मारवाड़ के जो लोग उद्योग लगाने पंजाब में गये या बंगाल में गये या बिहार में गये हैं, किसी ने इस तरह का लिटरेचर निकाला था? सभापति महोदय, कोशिश यह की जा रही है किस तरीके से सरकार के लोगों को बेवकूफ बनाकर, माफ करना, मैं बेवकूफ वर्ड यूज कर रहा हूं बेवकूफ बनाकर कोई इस तरीके का काम किया जाए जिससे कि योजना बने, योजना में पैसा आए और पैसा आए तो अपनी जेब में पैसा कैसे पहुंचे। (व्यवधान) सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति : अब समाप्त करें। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, ऐसा मत करो।

श्री सभापति : आजाद साहब, आप कागज-वागज मत दो इन्हें।

श्री जगत सिंह दायमा : यह हो गया मेरा। मैं अच्छी-अच्छी बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : दोनों का समय मिलाकर ही समय दिया गया है।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, आप ग्रामीण विकास करना चाहते हैं, मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो ध्यान नहीं है। ग्रामीण विकास करना चाहते हो—

श्री सभापति : वह तो आपने 20 मिनट तक कह दी।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे गांव में ज्यादातर लोग किसान हैं और किसान के घर में 4-4, 5-5 लड़के-लड़कियां होते हैं। सभापति महोदय, आज जमीन हमारे अंदर इतनी है कि वहां पर एक लड़का, किसान का एक बच्चा आराम से खेती कर सकता है। सभापति महोदय, कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि तीन बच्चे उसके हैं वे भी कृषि में ही लग रहे हैं। सरकार ऐसा कुछ कार्यक्रम करे, उसके तीन बच्चों की कोई ऐसी योजना बताएं छोट-छोटे लघु उद्योग लगाकर, छोटे-छोटे काम देकर जिससे उनकी व्यवस्था ठीक हो। ग्रामीण विकास तभी ठीक हो सकता है। सभापति महोदय, आज गांव में 70 परसेंट लोग बसते हैं—सभापति महोदय, सुनना अब आप आज भी हम जाते हैं तो हमारी मां और बहनें सड़कों पर लेट्रिन बैठती हैं। बस आयी, उठ कर मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। किसके लिए काम हो रहा? बजट किसके लिए है? किसके लिए पैसा लग रहा है? आज मैं इसलिए हंसी का पात्र हूं, सभापति

(श्री जगत सिंह दायमा)

महोदय, कि मैं छोटी-छोटी बात करता हूं। मेरी पार्टी छोटी-सी है, आपकी तरह 153 पर नहीं है, इसलिए मैं हंसी का पात्र भी बन सकता हूं। लेकिन इन 70 परसेंट में मैं मनुवादियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो सब लोगों की बात कह रहा हूं कि 70 परसेंट लोग जो गांव में रहते हैं, आज भी उनकी हालत बद से बदतर है। आज भी महिलाओं के लिए आप कह रहे हो, पंचायत मिनिस्टर न जाने क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं, यह कर रहे हैं, लेकिन देश की आजादी के 53 सालों के बाद भी वहां पर शौचालय नहीं बनाये गये। क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। सभापति महोदय, आपको ग्रामीण विकास करना है तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आप सारी चीजों को धीरे-धीरे प्राइवेट सैक्टर में दे रहे हैं, पब्लिक सैक्टर से प्राइवेट सैक्टर में। उदाहरण के तौर पर बिजली विभाग जो पब्लिक सैक्टर में था, धीरे-धीरे आपने इसको कम्पनियों में बदल दिया। आज मैं कह रहा हूं, सभापति महोदय, कल यह चीज सामने आएगी कि ये कंपनियां नहीं चलेंगी, कंपनियां भी घाटे में रहेंगी। घाटे में रहेंगी तो ये प्राइवेट कंपनियों को बेची जाएंगी। उस दिन क्या हालत होगी इस कंज़्यूमर की, इस फार्मर की, जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा? सभापति महोदय, पब्लिक सैक्टर में अगर कोई कार्य होता है तो हम इस बात को मानते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार भी होता है, परन्तु बहुत लोग इसकी सुविधाएं लेते हैं। परन्तु प्राइवेट सैक्टर में अगर चली जाएगी—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा, दो मिनट और करता हूं। तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, एक मिनट में आप विराज जाएं।

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा सभापति महोदय, आपको तो मुझे कहना पड़ेगा।

श्री सभापति : माहिर आजाद साहब को आप बोलने नहीं देना चाहते।

श्री जगत सिंह दायमा : अंत में मेरा वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए विधायक विकास कोष एक करोड़ रुपया कर दें। आपके ऊपर जितनी भी सारी बात हुई है, हमने खून का घूंट भर कर आपको माफ किया है। एक करोड़ रुपया नहीं किया तो आपको माफ नहीं करेंगे, देख लो, आज बता रहे हैं आपको। हमने माफ कर दिया इस बात के लिए। सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि—

श्री सभापति : इसके बाद में आप कुछ न कहें तो ठीक रहेगा, माननीय वित्त मंत्रीजी को याद रहेगी। इसलिए बात समाप्त करें।

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा, सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 पर चर्चा हो रही है। विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार संविधान के अनुच्छेद 204 में जो सरकार का दायित्व है उस दायित्व को पूरा कर रही है। वित्त मंत्रीजी ने सदन में 24,598 करोड़ 52 लाख 29 हजार रुपये की राशि को राज्य के कंसोलिडेटेड फण्ड से व्यय करने की अनुमति चाही है। वित्त मंत्रीजी, आप जो विधेयक लेकर आये हैं, निश्चित तौर पर कुछ घंटों की बहस के बाद, आपका प्रचंड बहुमत है, पारित हो जाएगा। पर मैं बड़े नम्र शब्दों से आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार का तीसरा बजट है, आपकी सरकार ने इस सदन के

(16.25 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

अंदर तीन अभिभाषण राज्यपाल महोदय के मुख से करवाये, बजट के अंदर आपने अनेक घोषणाएं कीं, राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से आपने घोषणाएं करवायीं, परन्तु बजटीय घोषणाओं और राज्यपाल के अभिभाषण की घोषणाओं का किस तरह का परिणाम निकला है? वित्त मंत्रीजी, अगर इसी तरह इसी रफ्तार से सरकार चलती रही तो बजट प्रस्तावों का जो महत्व बुद्धिजीवी लोगों के अंदर है—लोग इंतजार करते हैं कि कब बजट प्रस्तुत होगा, किस तरह का टैक्सेशन होगा, किस तरह के आर्थिक हालात राजस्थान के हैं यह बात जनता के बीच में इस बजट के माध्यम से जाएगी, उन सारी चीजों पर से लोगों का भ्रम टूट जाएगा। वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंकड़ों का मायाजाल, यह छद्म् तरीके से आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने की जो आदत आपने बना ली है, आप भूल जाते हैं कि इससे पहले बजट आपने प्रस्तुत किया या आपसे पहले जो चंदन मलजी बैद ने बजट प्रस्तुत किया उस बजट में कौन-कौनसे घाटे को अपूरित छोड़ दिया गया था और उनकी पूर्ति कैसे हो। आप बजटीय घाटे को छिपा जाते हो, आप राजस्व घाटे को छिपा जाते हो। मैं समझता हूं, वित्त मंत्रीजी, इन आंकड़ों के मायाजाल के अंदर जो राजस्थान की असली आर्थिक तस्वीर है उसको छिपा कर आप ठीक काम नहीं कर रहे हो। बजट प्रस्ताव सदन के सामने आते हैं और बजट प्रस्तावों के बाद संशोधित प्रस्ताव आते हैं, उन दोनों के आंकड़ों में इतना भारी अंतर आता है कि पूरी तस्वीर बदल जाती है। मैं यह नहीं कहता कि इससे पहले जिस भी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उसके बजट प्रस्ताव और संशोधित प्रस्तावों में अंतर नहीं आया, अंतर निश्चित तौर पर आता है, सभापति महोदय, पूरे साल के अंदर जिस तरह खर्चा होता है, आय-व्यय होता है, हैड्स में भी चेंज करना पड़ता है, किंतु जबसे इस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया पिछले दो सालों में, खास तौर पर, वित्त मंत्रीजी, आपने, इतना भारी अंतर आप उठा कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देख लें, कभी आय-व्यय अनुमान और संशोधित अनुमानों में नहीं आया।

मैं दो-तीन बातें, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से माननीय वित्त मंत्रीजी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, आप 1999-2000 के बजट एट ए ग्लांस को देख लें, आपने उसमें बोरोइंग एंड अन्दर लाइबिलिटीज का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। आपका बजट एस्टीमेट था 7120 करोड़ 70 लाख रुपये, अब संशोधित अनुमान में आप आएं तो बढ़ कर हो गया 12294 करोड़ 76 लाख रुपये। सभापति महोदय, अंतिम लेखे जो अब आए, जो इस बार के बजट एट ए ग्लांस में हैं वे हैं 12,984 करोड़ 74 लाख रुपये। यानी बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट में अंतर हो गया, 5,174 करोड़ का और अंतिम लेखों में हो गया 5,869 करोड़ का।

सभापति महोदय, अब इसी तरह 2000-2001 के अंदर इन्होंने बजट एट ए ग्लांस के अंदर दिये हैं उसमें फिर बजट अनुमान था 7025 करोड़ का। हमारी कितनी लाइबिलिटीज रहेंगी, उधार और देनदारियां प्रदेश पर कितनी होंगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते और रिवाइज एस्टीमेट में फिर ये आये तो 12,439 करोड़ का लेकर आये। फिर वही 70 परसेंट और 5,414 करोड़ का इस तरह अंतर आया। मैं आपकी नैट बोरोइंग्स की बात नहीं कर रहा। और इससे आप इस बात को कह कर बच नहीं सकते कि यह तो रोज का है, लेन-देन का है, इस खाते के अंदर मिड टर्म लोन भी है, शार्ट टर्म लोन भी है। आप बड़ा लवाजमा लेकर बैठे हो, वित्त विभाग के सारे लोग बैठे हैं, आप इतना अंदाजा नहीं लगा सकते? साल की शुरूआत में बजट अनुमान जो हम प्रस्तुत करें तो असली तस्वीर सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए हम क्यों अपने आपको यह महसूस करते हैं कि हमने असली तस्वीर सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की। सभापति महोदय, यही बात नहीं, यह तो मैंने उधारी और देनदारियों की बात की, आज उधारी और देनदारियों में हम चुकाएंगे कितना, इस बार वित्त मंत्रीजी ने बजट एट ए ग्लांस दिया उसमें कुछ आंकड़े दिये हैं। उधारी और देनदारियों को चुकाने के लिए आपने 2000-2001 में जो बजट एस्टीमेट रखा, आपको मालूम था पूरे साल के अन्दर जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियों से राजस्थान गुजर रहा है, हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटीज आई, कितना हम उधार लेंगे और उन उधारियों के चुकारे के लिए हमारा कमिटमैंट कितना है। हम आंकड़ों का मायाजाल सारा फैला कर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर आर्थिक हालात के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने शासन छोड़ा तो काली तस्वीर थी और इन्होंने बड़ी उजली तस्वीर प्रस्तुत की है। श्वेत पत्र के माध्यम से इन्होंने राजस्थान के लोगों को ठगने की कोशिश की, श्वेत पत्र के माध्यम से सदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को गुमराह करने की कोशिश की, परन्तु अब असली चेहरा आपका सामने आ गया है, वित्त मंत्रीजी। आपने बजट एस्टीमेट उधार की देनदारी को चुकाने के लिए मात्र 1178 करोड़ रखा, मात्र 1178 करोड़ का, और रिवाइज एस्टीमेट के अन्दर आपने देखा होगा, इन आंकड़ों का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया उसका कोई अर्थ ही नहीं है, 7163 करोड़ का अन्तर है। इस बार बजट एस्टीमेट में आपने कहा हम उधार चुकाएंगे 4928 की और आप जब रिवाइज एस्टीमेट में आएंगे तो तस्वीर क्या बनेगी? वित्त मंत्रीजी, आप जब भाषण का उत्तर दे रहे थे तो आपने राजस्थान की तस्वीर सदन में रखी थी। आपने खुद ने यह कहा था कि प्रदेश में वेतन, मजदूरी, पेंशन, ऋण पर ब्याज, ऋण भुगतान व अनुदान देने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। 1997-98 में यह खर्चा कुल राजस्व प्राप्तियों का 96.75 परसेंट है, 1999-2000 में 125.67 परसेंट हो गया। हम किस तरह के ट्रैप में फंस गये हैं? सभापति महोदय, यानी हमारी टोटल रिसीप्ट चली जाए तो भी हम मात्र वेतन चुकाएंगे, पेंशन चुका पाएंगे, और ऋण जो हमने लिया उसका ब्याज चुका पाएंगे। और ऋण किस तरह चुका पाएंगे? आज हो क्या रहा है? इन सारी परिस्थितियों के अन्दर हमको दो काम करने चाहिए। जिस तरह आपने, सभापति महोदय, सदन के सामने एक बात रखी थी, बड़ी यथार्थ बात रखी थी। आपने यह कहा था कि अपनी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इनको बढ़ाने के लिए इसमें जो लीकेज हैं इनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आज हो क्या रहा है? सभापति महोदय, स्टेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही कम होते जा रहे हैं। 2000-2001 में बजट एस्टीमेट था स्टेट टैक्स रेवेन्यू का 5005 और इसके रिवाइज का 5347, यानी 158 करोड़ कम हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का 1860 से 1725 रह गया, यह 135 करोड़ कम हो गया। मेरी समझ में नहीं आता, जब राजस्थान के इस तरह के हालात हैं तो आपको निश्चित तौर पर उन सारी चीजों की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए कि हमारा टैक्स किस तरह बढ़े।

सभापति महोदय, टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा कम्पोनेंट है एक्साइज टैक्स। टैक्स के अन्दर जिस तरह के हालात राजस्थान में हुए हैं मैं समझता हूं, वित्त मंत्रीजी, आप पर दोहरी जिम्मेवारी है, आप वित्त मंत्री भी हैं, आबकारी मंत्री भी हैं। परन्तु आपने जिस तरह कानून को ताक में रखकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज रेवेन्यू का जो नुकसान किया है, राजस्थान का तो नुकसान हुआ ही है, इसके साथ एक बात और प्रचारित हो गयी कि राजस्थान में चाहे कितना ही टैक्स रेवेन्यू का एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान होता रहे, हमें जिनको फायदा पहुंचाना है उनको हम फायदा पहुंचाएंगे। राजस्थान की विधान सभा में सवाल उठे, समाचार पत्र में प्रकाशित हुए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु जिस रास्ते पर आबकारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री और वित्त मंत्री चल रहे थे उसी रास्ते पर चलते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? 2000-2001 की बात कर रहा हूं मैं, टोटल स्टेट एक्साइज रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, अनुमान किया था 1171 करोड़ का और फिर जब रिवाइज पर आप गये तो आपने कहा, नहीं, इतना नहीं होगा, यह 1075 के आसपास रहेगा। सभापति महोदय, फरवरी के अन्दर जो आंकड़े आये हैं उसके अनुसार एक्साइज का जो हमारा स्टेट रेवेन्यू है वह कम होकर रह गया 823.24 करोड़ यानी 348 करोड़ का नुकसान। यह 348 करोड़ का नुकसान क्यों हुआ? सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस बार नयी एक्साइज पालिसी लेकर आये हैं, एक वर्ष का ठेका इन्होंने दिया है। पहले जो आबकारी बन्दोबस्त होता था वह दो वर्ष का होता था और दो वर्षों के ठेके के लिए जो निविदाएं आमंत्रित की जाती थीं उन निविदाओं में कुछ शर्त हुआ करती थीं। सभापति महोदय, एक सवाल हमने पूछा था कि ठेकेदारों में इन दो वर्षों में कितनी राशि बकाया है, जवाब में सरकार की तरफ से आया कि 273 करोड़ रुपये राजस्थान के अन्दर दो वर्षों में ठेकेदारों में बकाया है। राजस्थान का पैसा लेकर ठेकेदार भाग गये। उसके पीछे कारण था। उनको भागने का रास्ता हमने दिखाया। निविदाएं आमंत्रित कीं, शर्तें लगायीं कि जो भी ठेकेदार निविदा डालेगा उसमें रिजर्व प्राइस की 5 परसेंट राशि नकद डालेगा धरोहर राशि के रूप में। कुल साढ़े 17 परसेंट धरोहर राशि का निविदाओं की शर्तों में उल्लेख किया गया था, 30 परसेंट सोलवेंसी और जमानत का उल्लेख किया गया था। वित्त मंत्रीजी, आपको बुरा लगेगा, परन्तु आपने दो तरह के कानून बनाये, आपका हाथ जिन पर था आपने उन ठेकेदारों को 5 परसेंट धरोहर राशि पर ठेका चलाने की इजाजत दे दी। धरोहर राशि थी नहीं, गारंटी थी नहीं, ठेकेदार सरकार का पैसा लेकर भाग गये और आज असहाय के रूप में आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर का ठेका 132 करोड़ में चला, राजस्थान की विधान सभा में सवाल उठते रहे, क्या कारण था कि 5 परसेंट धरोहर राशि पर उस ठेके को चलाने की आपने इजाजत दे दी? मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब दें तब बताएं भी। आज राजस्थान के सबसे बड़े ठेकेदार जयपुर का ठेका जिसने चलाया, कितनी राशि बकाया छोड़ कर गये हैं? यह राशि आप कैसे वसूल करेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर आबकारी जोन की, इसमें मंत्री महोदय, 9 समूह हैं। आपको 41 करोड़ रुपये की राशि धरोहर राशि के रूप में उनसे लेनी चाहिए थी, आपने ली कितनी? आपने मात्र 12 करोड़ ली। आज 29 करोड़ रुपया सरकार का लेकर ठेकेदार तो काम खतम करके चले गये और सरकार असहाय बनी हुई देख रही है। मैं, वित्त मंत्रीजी, एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं, समाचार पत्रों में भी आया, निश्चित तौर पर आपकी जानकारी में होगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्योंकि आपकी बिना जानकारी के ऐसा काम हो नहीं सकता।

एक, सभापति महोदय, ठेकेदारों की कम्पनी है बन्नालाल गिरधारी सिंह एण्ड पार्टी, इन्होंने कभी ठेका चलाया होगा। सरकार का इस पर पांच करोड़ रुपये बकाया है। इनका एक अकाउंट था मालवीय अरबन को-आपरेटिव बैंक, टौंक रोड पर। चूंकि सरकार का पैसा बकाया है, एक्साइज का पैसा बकाया है, एक्साइज महकमे ने कागजों में दिखा दिया कि हमने इनका अकाउंट अटैच कर लिया। मार्च के महीने में बन्नापाल गिरधारी सिंह एण्ड पार्टी को, सभापति महोदय, डेढ़ करोड़ रुपया इनकम टैक्स से वापस मिलता है, इनकम टैक्स से जो राशि रिफण्ड हुई वह इनके बैंक में जमा होती है और 23 मार्च को जिस खाते को एक्साइज विभाग कहता है हमने अटैच कर रखा है, सारी की सारी राशि अटैच खाते से निकाल कर ठेकेदार ले जाता है। मैं, वित्त मंत्रीजी, इसको क्या समझूं? इसको आपकी नादानी समझूं, आपका षड्यंत्र समझूं या राजस्थान की जनता के साथ अन्याय समझूं? राजस्थान अकाल से जूझ रहा है, पानी से जूझ रहा है, आप रोज कहते हैं हमें सहयोग चाहिए प्रतिपक्ष का, किस तरह सरकार का राजस्व बढ़े, भ्रष्टाचार मिले, और यह दीये के तले अंधेरा हो रहा है। आपके अगर हिम्मत हो तो आप कहना कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा कि किस तरह यह पैसा निकल कर चला गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब आप राजस्थान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, निश्चित तौर पर आज देश में राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों में शराब माफिया पनपते जा रहे हैं। इसी का परिणाम निकला उत्तर प्रदेश में, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उनको शराब माफिया का रैकेट तोड़ने के लिए एक-एक दुकान को नीलाम करना पड़ा। पिछली आबकारी नीति में 67 ग्रुप थे, आपने 29 ग्रुप कर दिये क्योंकि कुछ लोगों को दो-दो जिले बनाकर ठेके आबंटित करने थे। आज हालात क्या बन गये? अगर पिछली जो आपकी आबकारी नीति थी उसके अनुसार आप चलते तो 1999-2000 में आपको रिजर्व प्राइस मिलती 811 करोड़। 2000-2001 में जो पिछली नीति थी उसके अनुसार 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का प्रावधान था, वह हो जाती 933 करोड़। उसके बाद आप इस पर 10 प्रतिशत बढ़ाते तो हो जाती 1027 करोड़ रुपये। परन्तु मिला कितना है? 705 करोड़ रुपये। क्योंकि आपने लक्ष्य ही 836 करोड़ का रखा था। सभापति महोदय, 836 करोड़ में परमिट फीस, लाइसेंस फीस, ठेकेदारों को लाभ देने के लिए इन सारों को सम्मिलित कर दिया। सरकार को 56 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो देशी शराब का उठाव था 85 प्रतिशत उसको बढ़ा कर 90 प्रतिशत कर दिया। सरकार को 30 करोड़ का नुकसान लगा। यानि 322 करोड़ का नुकसान। जहां एक-एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पाई के लिए राजस्थान तरस रहा है, राजस्थान के लोग कहते हैं कि राजस्थान कर्ज में डूब गया, यह आप 322 करोड़ का नुकसान एक गलत एक्साइज पॉलिसी के कारण बना रहे हैं, शराब माफिया को पनपाने का काम आप कर रहे हैं।

मैं सेल्स टैक्स के बारे में भी कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। सुबह जब रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सारे तथ्य इस सदन के सम्मुख 295 के प्रस्ताव के माध्यम से रखे तो आपने कहा कि मैं जांच कराऊंगा। परन्तु किस किस की जांच कराओगे? वित्त मंत्रीजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस विजय सोल्वेंट की बात इन्होंने की है उस विजय सोल्वेंट ने दोहरे बिल काट-काट करके राजस्थान को कोई एक लाख नहीं, दो लाख नहीं, तीन लाख नहीं, राजस्थान को लगभग 16 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। हिम्मत हो तो आप किसी ईमानदार अफसर को भेजकर सारी जांच कराओ और दूध का दूध व पानी का पानी कराओ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री सभापति : समय कम है, कागज बहुत हैं, आपके पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वित्त मंत्रीजी को पिछले वर्ष का एक भाषण दो मिनट में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने पिछले वर्ष अपना भाषण देते हुए कहा कि "हमारा पूरा जोर राजकोषीय समीकन पर रहेगा, वित्तीय अनुशासन पर रहेगा। हम प्रभावी कार्यकारी योजना बनाकर राजस्व घाटे को तीन वर्ष में समाप्त कर देंगे। और जहां तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसका सीमा से अधिक होना चिंता का विषय है। इस वर्ष बजट अनुमान हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.84 प्रतिशत है और संशोधित अनुमानों के अनुसार 8.51 रहने की सम्भावना है। आगामी कुछ वर्षों में हमारा राजकोषीय-घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक सीमित हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे।" आप किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, आपका राजस्व घाटा बढ़ रहा है परन्तु आप आंकड़ों को छिपाना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज हमारा राजकोषीय घाटा इतना हो गया है कि हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट से हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। आज 13139 करोड़ का राजकोषीय घाटा है और 12507 करोड़ की हमारी रेवेन्यू रिसीट। यानि हमारा स्टेट आज हाई फिस्कल स्ट्रैस के स्टेट में सम्मिलित हो गया।

यहां लम्बी-चौड़ी बातें हुई। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बड़ा क्रांतिकारी कदम कर दिया, अशोकजी आये हैं, अशोक महान की सरकार में सारे गरीबों की गरीबी दूर हो गयी, अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण हो गया। मैं निवेदन करूं, यह आर्थिक समीक्षा आपने सारे माननीय सदस्यों को दी है, इस आर्थिक समीक्षा के पेज 80 और 81 की तरफ दृष्टि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डाल लें। उसमें आपने लिखा है कि सामुदायिक विकास केन्द्र वार्षिक लक्ष्य था 13 और वास्तविक खोले जीरो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्य था 12, खोले जीरो। अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता लक्ष्य था 237665 और आपने सहायता दी 72625 को। यानि 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, ये सारी बातें इस बात को कहती हैं कि राजस्थान की सरकार दो मुंह रखती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। ये दो चेहरे बनाकर आप राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम बात यह कहूंगा कि राजस्थान के विकास की कल्पना प्रत्येक सरकार करती है परन्तु कभी आपने यह नहीं देखा कि योजनागत व्यय आपका लगातार कम होता जा रहा है। 1998-99 में 22 प्रतिशत था, 2000-2001 में 15 प्रतिशत हो गया और अब 13 प्रतिशत हो गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा। वित्त मंत्रीजी, आप और कुछ नहीं कर सकते परन्तु बार-बार एक सवाल आता है और समाचार पत्रों में भी छपता है कि ग्रामीण विकास की सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीमों में जो राशि है तो कम से कम आप उपयोग कर लें। मैं कुछ आंकड़ें आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी, कि जो बात मैं सदन के सम्मुख जिम्मेदारी से प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप अपना उत्तर दें जब इस बात को स्पष्ट करें। 1999-2000 में केन्द्र सरकार ने राशि दी 396 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का जो हिस्सा था, राज्य सरकार ने जो राशि जारी की वह थी 224.68 करोड़। गत वर्ष 1998-99 की बिना खर्च हुए जो राशि उनके पास पड़ी थी, वह थी 197.16 करोड़ रुपये। वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार के पास कुल उपलब्ध फण्ड था 818.72 करोड़ रुपये का, और राज्य सरकार ने खर्च कितना किया? 556.80 करोड़। यानि अनस्पैंट अमाउंट था इनके पास 1999-2000 के वित्त वर्ष के अंत में 261 करोड़। कुल उपलब्ध राशि का 68 प्रतिशत ये खर्च करते हैं। पैसा केन्द्र सरकार का, पैसा भारत सरकार के प्रधानमंत्री भेजे और ये इसको खर्च नहीं करें। 2000-2001.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : इससे पूर्व के सालों के आंकड़े भी बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी बता दूंगा। वह अभी प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे तो बताएंगे। वर्ष 2000-2001 में सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का पैसा केन्द्र सरकार ने जारी किया 381 करोड़, राज्य सरकार ने जारी किया 235 करोड़, कुल 616 करोड़, पिछले वर्ष का अनस्पैंट अमाउंट था 185 करोड़ कुल फण्ड उपलब्ध हुआ 802 करोड़, सरकार ने खर्च किया 415 करोड़, शेष बची राशि 386 करोड़ यानि 51 प्रतिशत।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह असली तस्वीर है राजस्थान की सरकार की जो अपने आपको कहते हैं कि हम ग्रामीण की चिंता करेंगे, गरीब की चिंता करेंगे। इनको चिंता सिर्फ अपनी है।

इसलिए, सभापति महोदय, जो वित्त विधेयक सदन में विचारार्थ है इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा, वित्त मंत्रीजी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको दोहरे-दोहरे दायित्व मिले हैं। यह समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस समय के अन्दर कुछ ऐसा मत कर जाओ। आपका शानदार राजनीतिक इतिहास रहा है, आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, आपका राजनीतिक इतिहास कलंकित हो रहा है। बजट लीक हो गया। मैं समझता हूं कि बजट आपने प्रस्तुत किया या नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया, राजस्थान के इतिहास में बजट लीक करके आपने अपने नाम को काले पृष्ठों में अंकित करा दिया है। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम अहारी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

(16.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या-3) पर विचार

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। महोदय, मैं शिक्षा से प्रारम्भ करूंगा। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है और साक्षरता के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उन्नति की है। गत साल सीनियर स्कूलें, माध्यमिक स्कूलें, मिडल स्कूलें और गांव और ढाणियों में राजीव गांधी स्कूलें काफी खोलीं, इससे लोगों में इस तरह का उत्साह बढ़ा है कि कभी भी इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई। 13 हजार के करीब राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती स्कूलें और इतने ही भवन तैयार किये गये हैं, इनमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। इस साल झुग्गी झोपड़ियों के लिए शहरों में 3000 स्कूलें खोलने का प्रावधान रखा है यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की उन्नति के लिए कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार को और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

(श्री नाथूराम अहारी)

महोदय, सीनियर स्कूल, माध्यमिक स्कूल और मिडल स्कूल इस साल बजट में नहीं हैं, यह बहुत ही गम्भीर विषय है क्योंकि हम लोग गांवों को और राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वर्ष बजट में इसका प्रावधान नहीं होना बहुत ही गलत है। मैं मेरे क्षेत्र में दो स्कूल सीनियर के लिए प्रस्तावित करता हूं, आंतरी और देवल। मेरे यहां मिडल स्कूल और सीनियर स्कूल से भी ज्यादा माध्यमिक स्कूल की जरूरत है। मेरे यहां पाल मांडव, पांतली, कहांरी, डोजा, हिरातां, आसेला, भाटड़ा, वागरी (रतनपुरा), सवगढ़, पीपलादा, खेमारू, मेताली, रोहनवाड़ा, शिशोद, रामपुर, नवलश्याम, बिलड़ी, वागदरी ये ग्रामीण स्कूलें हैं और पहाड़ी क्षेत्र में होने के नाते इनको क्रमोन्नत करना बहुत ही जरूरी है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जो भी पंचायत हैडक्वार्टर पर मिडल स्कूल हैं उन सबको माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया जाना बहुत जरूरी है। मेरे डूंगरपुर में एक महाविद्यालय है उसमें मैंने शिक्षा मंत्रीजी को एक एप्लीकेशन दी थी जो कालेज के छात्रों ने दी है। वहां पर संस्कृत में स्नातकोत्तर की कक्षाओं की बहुत आवश्यकता है। वहां लैक्चरार मौजूद है और भवन भी मौजूद है, इसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी मांग है कि डूंगरपुर में जो महाविद्यालय है आप उसमें बहुत ही गम्भीरता से लेकर संस्कृत विषय खोलने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। भाजपा शासन में जनजाति में एक पी.एच.सी. खोलनी थी, इनके दिमाग में फितूर आया और उसको डूंगरपुर शहर में खोलने की कोशिश की। ग्रामीण लोगों ने इस बारे में विरोध किया। माननीय भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी ललित किशोरजी चतुर्वेदी गांव में जो पी.एच.सी. क्रमोन्नत करनी थी उसको शहर में करने के लिए उद्घाटन करने के लिए पहुंच गये थे। लोगों ने इसमें केस कर दिया और फाइनल यह हुआ कि डूंगरपुर में इसे नहीं खोला जाए, ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाए तो फीता काटते-काटते वापस चले आये। भाजपा के लोगों का यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र को देते हैं, गरीब एरिया को देते हैं। लेकिन इनका यह उदाहरण है, इन्होंने जो गांवों में था उसको शहर में खोलने की कोशिश की। लेकिन भगवान ने सहयोग नहीं दिया। डूंगरपुर में डाक्टरों की काफी कमी है। भाजपा के शासन में इन्होंने काफी कुछ सब-सेंटर्स, पी.एच.सी. और डिस्पेंसरी खोली थीं, लेकिन वहां स्टाफ नहीं दिया था इसलिए वहां बहुत परेशानी है। इन रिक्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना आवश्यक है।

डूंगरपुर में नगरपालिका के बारे में कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर में कांग्रेस शासन में 100 के ऊपर, करीब 105 बीघा जमीन अवाप्त कराई गयी थी। डूंगरपुर में हास्पिटल है उसको पास में मालपुर गांव है उसमें ले जाने के लिए यह जमीन अलाट कराई थी। उस जमीन पर हास्पिटल ले गये लेकिन उस जमीन में से 20 बीघा

(श्री नाथूराम अहारी)

जमीन भी नहीं छोड़ी, सारी जमीन को बेच डाला। मालपुर के काश्तकार जो पंचायत के थे, नगरपालिका से लेकर उनकी सारी जमीन को बेच डाला। आज काश्तकार अपने घरों में ही सिमट कर रह गये हैं। इसके आजू-बाजू की सारी जमीन को इन्होंने बेच दिया। जितनी भी जमीन पड़ी है उस जमीन पर नजर डाले हुए फीता लेकर दौड़ते फिरते हैं, इनका यह धंधा रह गया है। मालपुर के काश्तकारों की जमीन को अवाप्त किया गया उसमें बहुत ही कम मुआवजा तय किया है और उन काश्तकारों को बिलकुल पैसा नहीं दिया गया है। इनके पास एक कौड़ी पैसा नहीं है, सारा का सारा पैसा ठेकेदार को काम देकर और फर्जी काम करके भाजपा का कोष बढ़ाया है। मेरे खयाल से लाखों रुपया बढ़ाया है, लेकिन नगरपालिका के पास एक पैसा नहीं है। मेरी मांग है, क्योंकि अभी हमारी सरकार है, नगरपालिका में इन लोगों की जो जमीन गई है उस जमीन का जो मुआवजा तय किया है वह बहुत कम किया है, उसे पेमेंट किया जाए।

डूंगरपुर में पेयजल की समस्या है। मैंने पेयजल के बारे में प्रश्न किया था, उत्तर आया है कि जो स्रोत नगरपालिका में पानी के लिए है, वह स्रोत गांव में है और वह स्टोरेज है, गांव का एरिया है, सजल बनाये रखने के लिए स्रोत है। लेकिन उन दोनों तालाबों से पानी लिया जा रहा है, उस पानी से पूरा जिला सूख गया है, जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। मेरी मांग है कि नगरपालिका के लिए अलग से इसका स्रोत किया जाए। डूंगरपुर शहर के नजदीक एक नदी है उसके पास में एनीकट बनाकर, कुओं को खोदकर उससे डूंगरपुर शहर के लिए पानी दिया जाना चाहिए तभी जाकर यह दो तालाबों का पानी बच सकेगा और एरिया को फायदा हो सकेगा, यह आपसे मेरी रिक्वैस्ट है।

जिले में पी.एच.सी. सब-सेंटर्स, डिस्पेंसरी की बहुत जरूरत है। इस वर्ष बजट नहीं है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी एरिया होने के कारण वहां ज्यादा से ज्यादा पी.एच.सी., डिस्पेंसरी, सब-सेटर्स खोले जाएं, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

सिंचाई के लिए मेरा यह निवेदन है सरकार से कि डूंगरपुर एरिया पहाड़ी है, वहां पर काफी नदी-नाले हैं, उन नदी-नालों में जल स्तर कायम करने के लिए छोटे-छोटे बांध, एनीकट और तालाब बनवाये जाएं जिससे कि डूंगरपुर में जल स्तर कायम किया जा सके। डूंगरपुर में आसपुर क्षेत्र में सोम कमला अम्बा है, वहां डैम ब्रांच को तोड़ डाला है और उसको कोटा ले जाया गया है। चपरासी से लेकर सारे के सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को कोटा में स्थानान्तरित कर दिया गया है। मेरी मांग है कि इसे उदयपुर डिवीजन में कहीं भी सैट करें ताकि छोटे-छोटे कर्मचारियों की जो समस्या है वह दूर की जा सके।

भ्रष्टाचार के बारे में बढ़-चढ़ कर बातें करते हैं हमारे भाजपा के साथी। जब

(श्री नाथूराम अहारी)

भैरोंसिंहजी शेखावत शासन में आये उस समय अपने बजट भाषण में बताया कि मैं भ्रष्टाचार को नाक से निकाल दूंगा, लेकिन आप जुगताराम कांड भूल गये क्या? जनजाति के लोगों को नाक में नकेल पहना दी, वह भूल गये क्या? जनजाति के गांवों को पूरा का पूरा नष्ट कर दिया गया था, वह भूल गये क्या? जयपुर में युग निकल गये, जयपुर में आपने हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा कराया, यह भूल गये क्या? आप इस तरह की बात करते हैं विधान सभा में, यह अच्छा नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं लम्बे समय से यहां आता हूं, हमारे भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ माननीय सदस्य हो सकते हैं लेकिन आप लोगों ने ऐम बना रखा है कि कोई भी प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता तो केवल प्रश्न पुकारने के बाद रह जाता है और एक के बाद एक, दूसरे इस तरह से खड़े होकर सारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। केवल दो या तीन प्रश्न आने देते हैं और आसन की तरफ से भी मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था नहीं है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : इनको पाबंद किया जाए। आज विधान सभा के सैशन के बाद 43 दिन हो गये लेकिन मैं समझता हूं, 10 दिन भी—

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। बिराजें, बिराजें।

श्री नाथूराम अहारी : कल कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग थी उसमें यह कह रहे थे कि पांच दिन की और बढ़ा दो।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो। विराजिये, माननीय सदस्य। लास्ट हो गया, अब विराजो।

श्री नाथूराम अहारी : लास्ट में मेरी मांग है कि हमारा एम.एल.ए. का जो कोटा है उसको चालीस से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाए।

यह मेरी मांग है इस पर ध्यान दिया जाए, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात पहले कहते। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कुछ बढ़ेगा, एक करोड़ नहीं बढ़ेगा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग विधेयक नम्बर-3 की मांग पर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसका 60 प्रतिशत रेगिस्तानी, पहाड़ी व जनजाति बहुल है। यह एक विकट राज्य है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि रजवाड़ों को मिलाकर इस राज्य का गठन हुआ, तो निश्चित इसका तंत्र उससे प्रभावित है। मान्यवर, आर्थिक विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। अभी पक्ष-विपक्ष के लोग सरकार की चर्चा कर रहे थे, मेरा ऐसा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मानना है कि विकास एक सतत् प्रक्रिया होती है। सिर्फ इतना ही होता है कि उस विकास की गति में हम किस तरह से बूस्ट कर पाएं, एक्सिलरेशन दे पाएं, इकोनोमिक एक्सिलरेशन। यह उस सरकार के श्रेय में जाता है कि किस तरह से उस इकोनोमी को बूस्ट करके स्वावलम्बी इकोनोमी वह बना पायी। इस हेतु मैं यह कहूंगा कि वर्तमान सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि किस तरह से उस गति को बढ़ाकर राजस्थान के आर्थिक तंत्र को मजबूत करें। हमारे कुछ मित्र राजस्व घाटे की चर्चा कर रहे थे कि तीन हजार करोड़ से अधिक जो राजस्व घाटा है, पूंजीगत खाते से उसको माइनस करके बजट डेफिसिट 283 करोड़ का बताया है। वह उतना ही है, यह देखने का अवसर मिला। प्रायः सभी सरकारें ऐसे प्रयास करती रही हैं, कोई नयी बात इस सरकार ने नहीं की है। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि किस तरह से यह अर्थ तंत्र मजबूत रहे। जो गत सरकार से 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा मिला था इस सरकार को विरासत में, कुछ मित्रों ने कहा कि उसको हजार करोड़ और बढ़ा दिया गया। जो योजनाएं हमने हाथ में ली हैं उस हेतु आयोजन करना आवश्यक बनता है। निश्चित आयोजन के बारे में चर्चा की, जो नाइंथ पंचवर्षीय योजना हमारी 27 हजार करोड़ की थी उसमें 20 हजार करोड़ तक हम सीमित रह गये और प्रतिवर्ष चार हजार या 4200 करोड़ की हमारी योजना रही। जिस तरह से प्रथम वर्ष से की, उसी का परिणाम है कि उसी हालत में हम रहे। वर्तमान तीन वर्ष से लगातार राज्य में अकाल की परिस्थिति है। गत वर्ष 500 करोड़ से अधिक राशि अकाल में खर्च करनी पड़ी। मैं कहूंगा, मुझे कहने में शंका नहीं है कि 18 लाख श्रमिकों को अकाल में मजदूरी देकर एक कीर्तिमान इस सरकार ने कायम किया है। मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस बड़े पैमाने पर अकाल राहत के कार्य कराके उन्होंने राज्य के अकाल पीड़ित लोगों को सहायता दी है।

मान्यवर, कुछ चर्चा आई हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर हमने जो योजनाएं बनाई उनकी। दो वर्ष में हमने कई सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल और कालेज खोलने की भी व्यवस्था की। इस बजट में कई मित्र कह रहे थे कि नये प्रपोजल नहीं दिये गये हैं, हम कहेंगे कि कंसोलिडेशन का यह वर्ष हमने माना है, हम अपने अर्थ तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। पर इसके मायने ये नहीं हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ पर हम अपने मद में कमी करेंगे, निश्चित उस ओर हमें आगे बढ़ना है।

जहां तक ग्राम स्वराज की चर्चा की, ग्रामीण विकास की बात की, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्री महोदय को कि ग्रामीण विकास की योजनाएं इन्होंने प्रारम्भ की हैं। जिस तरह से मंत्री महोदय एक वर्ष में चार बार ग्राम सभाएं कर-करके ग्रामीण स्वराज की कल्पना को साकार कर रहे हैं, वह धन्यवाद के पात्र हैं। कई आयोजन हमने

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

लिये हैं, कच्ची बस्ती नियमन, नगर नियोजन, कार्यक्रम चल रहे हैं वर्तमान सरकार के, हर क्षेत्र में उसकी सराहना की जा रही है कि किस तरह से गरीब आदमी को कहने का हक मिल रहा है। यही हमारी नीति है। उद्योग के बारे में चर्चा की, एकल खिड़की योजना से कई रुग्ण उद्योगों को लाभ मिल रहा है। खनिज की चर्चा करें तो हमने प्रयास किया है, विशेष कर मेरे क्षेत्र में सोनू लाइम स्टोन, आर.एस.एम.एम. और आर.एस.एम.डी.सी. के जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं; हम चाहते हैं कि किस तरह से वह काम करें। ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में पवन ऊर्जा के तीन प्लान्ट्स लगाये जा चुके हैं। रामगढ़ के प्लांट में तीन सौ करोड़ की योजना बनी है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में सभी पहलुओं पर बात करके उत्पादन के बारे में प्रयास किये जा रहे हैं, वास्तव में यह सरकार सराहना की पात्र है कि इस तरह से वह काम कर रही है। गत दो वर्षों में 180 करोड़ खर्च करके जो बिजली खरीद की गयी है, निश्चित ही काश्तकारों को लाभ पहुंचा है। वास्तव में इस सरकार को यह श्रेय जाता है।

मान्यवर, खनिज ऊर्जा आदि क्षेत्रों में जिस तरह इकोनोमिक डवलपमेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं, वास्तव में सरकार की नीति हम उसे कहेंगे। परन्तु एक बात जो मैंने कल भी कही थी, आज भी कहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर में जो हमारे बजट में कमी की है, माननीय वित्त मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि 115 करोड़ का जो प्रोविजन रखा है उस प्रोविजन को बढ़ाना चाहिए। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें दो हजार करोड़ लगाने के बाद में प्रति वर्ष कृषि उत्पादन 1600-1700 करोड़ कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में जो कमी की है वह थोड़ी खेदपूर्ण है, जो कमी की है, इन्दिरा गांधी नहर के आयोजन में, वह बढ़ानी चाहिए। दो वर्ष पूर्व बी.ए.डी. प्रोग्राम के आठ करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर में दिये गये थे। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस वर्ष प्रयास करके बी.ए.डी. प्रोग्राम का पैसा डाइवर्ट करके 2005 तक यदि हम इन्दिरा गांधी नहर को पूरा कर पाएं तो राजस्थान ही नहीं, देश के कृषि उत्पादन में बहुत बड़ी क्रांति होगी।

मान्यवर, दो वर्षों की चर्चा करें तो हमारे मित्र माननीय सुराना साहब यहां विराजे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि दो वर्ष में उपनिवेशन क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया है। राजस्थान कैनाल एरिया में 18 हजार नये काश्तकारों को, सन् 1985 से जिनके आबंटन लम्बित पड़े थे वे हमने निबटाये हैं। गरीब किसानों को जमीन मिली है, 18 हजार नये किसान उस क्षेत्र में गये हैं। वर्तमान सरकार को श्रेय जाता है इन सारे कामों में।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्रीजी को दूंगा। हमारा प्रशासन बहुत हावी हो चुका है। जैसलमेर जिले में आज से बीस वर्ष पहले केवल दो अधिकारी हुआ करते थे आर.ए.एस. के जिनसे हम सरकार का संचालन करते थे, वर्तमान में

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

15-20 की लाइन खड़ी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस अधिकारी के पास क्या काम है। कृपया उस ओर आप ध्यान दें। चार-चार डी.एफ.ओ. मेरे जिले में बैठे हुए हैं वन विभाग के। आयोजन के अलग-अलग काम हैं। क्या हम बात करके विचार नहीं कर सकते? माइन्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि सेनू माइन्स में दस करोड़ का वेस्ट पड़ा हुआ है, क्या उसका उपयोग नहीं कर सकते? इस तरह की सुझाव है। हमारा मुख्य ध्येय है कि राजस्थान विकास करे। हर स्तर पर हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम हमारे अर्थतंत्र को मजबूत कर पाएं, घरेलू उत्पाद को बढ़ा पाएं और हमारे जो भी विकास के काम हैं उस ओर प्रगति कर पाएं। इसी के लिए हमने यह आयोजन रखा है। इन शब्दों के साथ जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने एप्रोप्रिएशन बिल रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक-3 पर चर्चा सब लोग कर रहे हैं। मैं आंकड़ों पर आज विशेष रूप से अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्यों ने काफी कुछ इस विषय में कहा है, लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से कुछ चीजें जरूर जानना चाहूंगा। हम हर वर्ष इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा राजस्व घाटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कोई भी बजट सत्र ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें हमारे पक्ष ने या विपक्ष ने इस बात की आलोचना नहीं की हो, लेकिन आज दिन तक हम उसका कोई कारगर उपाय नहीं कर पाये। चन्दन मलजी की हार्दिक इच्छा थी और उन्होंने कहा था कि अगले तीन वर्षों में इस राजस्व घाटे को घटा देंगे, तो निश्चित रूप से उनके मन में कोई न कोई कल्पना थी। उस कल्पना को चूंकि आपकी सरकार चल रही है, आप उस पर विचार करें, उनसे भी विचार करें। इस राजस्व घाटे को जब तक हम नहीं घटा सकेंगे तब तक हम किसी प्रकार की उन्नति करने का जो रास्ता देखते हैं वह नहीं बना पाएंगे। तो इस राजस्व घाटे को कैसे कम किया जाए, कम से कम आपके दिमाग में कहीं अगर सोच हो तो वह आज अपनी रिप्लाई के समय अवश्य दें।

लगभग ढाई साल बीत गये, अब ढलाव पर आपकी गाड़ी चलेगी और ढाई वर्ष किसी पांच साल की सरकार के लिए कोई कम नहीं होते। ढाई वर्ष में हमने क्या प्राप्त किया, इसका थर्मामीटर कहां है? इसका थर्मामीटर है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनका समर्थन जनता करती है कि नहीं करती है। आपने देखा होगा, आपकी सरकार जब 153 में आयी तब आप सब लोगों को आसमान नजर आया था, कहा कि हम अपनी काबिलीयत से जीतकर आ गये। अगर काबिलीयत से जीत कर अगली बार आएंगे 153 जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आंधी में आप आये हो, उस आंधी को लोगों ने झटका तो पहली बार लोक सभा के समय में ही आपको देकर दिखाया था। आपने सब प्रकार के प्रयास किये तो भी 16 एम.पी. प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जीते तो थोड़ा बहुत आपको एहसास हुआ होगा कि जनता की नब्ज का मामला कोई दूसरा है। उसके बाद पांच लोक सभा की सीटें जो हमारी खाली हुई और पांच लोक सभा सीटों में जब चुनाव हुए तो आपका केवल एक सदस्य जीता और एक 11 वोट से जैसे-तैसे करके दूसरी गिनती में चलो जीत गया, कोई बात नहीं। तो यह है आपकी उपलब्धि। उसके बाद दो विधान सभा के उप चुनाव और हुए, उन दो उप चुनावों में भी जनता ने आपको थोड़ा बहुत तो एहसास कराया होगा। अगर कोई समझदार राजनीतिज्ञ है और थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करता है तो निश्चित रूप से उप चुनाव में सत्ता पक्ष ही जीतता है, लेकिन दोनों विधान सभा के चुनाव एक 21 हजार वोटों से हारे और दूसरा हिण्डौली का चुनाव भी आप 8 हजार से अधिक वोटों से हारे। यह इस बात का एक टैस्ट है। इसके बाद भी अगर आपको अभी तक 153 का अभिमान आसमान में चढ़ा हुआ है तो चढ़ा हुआ रखें, हमें कोई एतराज की बात नहीं है। नगरपालिका के चुनाव लीजिये, अगर आप वोटों के परसेंटेज को गिनें कि टोटल मतदाता किधर ज्यादा मिले तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने प्रतिपक्ष को ज्यादा वोट दिये। यह जरूर है कि पंचायत समिति और पंचायतों में वोटों का आपका परसेंटेज ज्यादा था, पर वह बहुत ज्यादा नहीं था, 10-12% एक दूसरे के बीच में डिफरेंस था। तो ये सब चीजें आपको इंगित कर रही हैं आपके ढाई वर्षों की, आप बहुत आसमान में उड़कर जिनका प्रचार कर रहे हैं वस्तुस्थिति में जनता उससे बिलकुल विमुख हो रही है। आज की तारीख में राजस्थान का किसान हाहाकार कर रहा है। अगर आज की तारीख में मत कराएं तो उसमें पीछे से एका हट जाएगा, केवल 53 की स्थिति भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि आज किसान बहुत दुःखी हुआ है।

आप कई बार यह कोशिश करते हैं कि हमने यह रियायत दी, हम किसान को कितनी रियायत दें, वह जो फसल पैदा करता है मार्केट में आती है, मार्केट में आने के बाद पैसों का रोटेशन चारों तरफ चलता है, बाजार में घूमता है उससे एक जगह से नहीं हमें 10 जगह से टैक्स मिलता है। हम किसान को अगर सब चीजों में भी छूट दें न, तो भी उस पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एहसान तो हम अपने आप पर कर रहे हैं कि उसकी आमदनी बढ़ा कर उसकी जेब में जो पैसा जाएगा वह बाजार में और हर दुकानदार के पास जाएगा और वह कहीं न कहीं से टैक्स इकट्ठा करके देगा। लेकिन आज वह दुःखी है। इस तरह से आपने देखा मजदूरों की दशा हो रही है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग अपने रोजगार से महरूम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होकर बाहर बैठे हैं। एक नहीं, हजारों-लाखों की तादाद में मजदूर हाहाकार कर रहे हैं और रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं। यह हमारी ढाई साल की उपलब्धि है।

श्री रतनाराम चौधरी : यह सेंटर की सरकार की नीति के कारण....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रेवतरामजी।

श्री रतनाराम चौधरी : ...छोटी-मोटी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। भाव बिलकुल डाउन हो गये इस कारण से हाहाकार मचा हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्द्धन किया। वह भी आपके पूर्वजों की देन है, आपको ध्यान है कि नहीं? यह आपके पूर्वजों के कर्मों का फल भुगत रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : यह पाम ऑयल मंगा कर किसानों की तो बिलकुल कमर तोड़ दी है सैन्ट्रल सरकार ने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज विद्यार्थी परेशान, कर्मचारी परेशान और बेरोजगार परेशान, ये सब इस बात को इंगित कर रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : डालडा, अरण्डी सबके भाव बिलकुल डाउन हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रेवतरामजी, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और उसका कारण यह है कि अपने प्रशासनिक तंत्र को जितना मजबूती से कसना चाहिए वह हम नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्रीजी, आप अपने जवाब में यह बताएं कि राजस्थान में करोड़ों रुपये लोगों में बकाया हैं चाहे वे इण्डस्ट्रियल के पास हों, रीको का लोन हो, चाहे एक्साइज का पैसा हो, चाहे और किसी प्रकार की रायल्टी का पैसा हो, करोड़ों-करोड़ों रुपये आज की तारीख में लोग लेकर बैठे हुए हैं। छोटा-सा मुकदमा कोर्ट में कर देते हैं और हमारी सारी वसूली को वर्षों तक रोक कर बैठ जाते हैं। हम उसका कोई कारगर इलाज नहीं कर सकें? हमारा जो कुछ भी लोगों से लेना है उसको हम समय पर नहीं ले पाते हैं, इसमें किसका दोष निकालेंगे हम? अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हमें निश्चित रूप से हमारा जो करोड़ों रुपयों का बकाया है, वह वसूल करना चाहिए। वह भी कोई दो-चार करोड़ नहीं है, लगभग 8-9 सौ करोड़ रुपये लोगों पर बकाया निकलता है। लेकिन आप उसको समय पर वसूल नहीं कर सकते हैं। बिजली की चोरी को आप रोक नहीं सकते। मतलब जो काम आपको करना चाहिए, जिसके कारण से राज्य की आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। यह हमारे हाथ में है, हमारे अधिकार में है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन बिजली की चोरी को लेकर हम करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहे हैं। और दुर्भाग्य क्या है कि चोरी करने वाले मजे लूट रहे हैं और जो बाकी लोग हैं उन पर उनकी चोरी का दण्ड बांटा जा रहा है। आपका नियामक आयोग जिस प्रकार से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहा है, चोरी कोई कर रहा है, छीजत कहीं हो रही है और दण्ड उस आदमी को जो ईमानदारी से आपका पैसा चुका रहा है। उसके ऊपर आप दण्ड लगा कर और अधिक पैसा वसूल करने का काम कर रहे हैं। इसको आप नहीं रोक सकते। इसके बारे में आप क्या कारगर कदम उठाने वाले हैं, इसके बारे में बताएं जिससे हमारा यह सही हो।

भ्रष्टाचार तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा जुड़ गया है कि राजनीति में और इस लोकतंत्र में शायद भ्रष्टाचार कभी काबू होगा नहीं, ऐसा लगता है। क्या हम सब लोग नहीं जानते जो रोज अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कि कौन-सा डिपार्टमेंट है जिसमें 13%, 18%, 15% पैसा लिये इधर से उधर हिसाब होता है। दुर्भाग्य तो यह है कि अब हमारी स्थिति जाते-जाते ठेठ गांव की नाली तक चली गयी कि किस प्रकार से हर कदम पर बिना पैसा दिये सरपंच आपके वहां से अपनी सैंक्शन निकलवा कर नहीं ला सकता है। इसके बारे में कौन अंजान है? यहां भाषण देने के लिए भले ही कह देना कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है। क्या हम कोई ऐसा फूलप्रूफ मैथड तैयार नहीं कर सकते जिसके कारण से इसको रोका जा सके? कोई तरीका नहीं निकाला जा सकता? इसके लिए कोई अलग प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती? जो नल योजना अपना विभाग बनाता है 35 लाख में, वहीं नल योजना गांव के लोगों के द्वारा जब हमने बनवाई थी अपना गांव अपना काम योजना के तहत, तो वह साढ़े चार लाख में बन गयी। साढ़े चार लाख में बनने के बाद ढाई सौ कनेक्शन भी दे दिये और आज दिन तक एक दिन भी बिना खंड पड़े हुए उस गांव में ढाई सौ कनेक्शन की नल योजना चल रही है। केवल 24 रुपये एक-एक कनेक्शन के लेने के बाद भी सालाना 5-7 हजार रुपये उसके पास बचते हैं। कभी इसके बारे में विचार किया कि हमारा पैसा है यह फोकट का पैसा आता है क्या कि जो सारे डिपार्टमैंट के लोगों को खिलाने के लिए है? हम इतनी मेहनत करके गरीब से तो टैक्स वसूल करें और उससे वसूल करने के बाद हम जिस प्रकार की सैंक्शन निकालें उसमें से आधा रुपया धरती पर नहीं लगता, और बाकी सब लोगों की जेब में चला जाता है। 50 साल की देश की आजादी के बाद यहां लोकतंत्र की दुहाई देकर भाषण देने के बाद भी हम इस बात का कोई कारगर उपाय नहीं निकाल सकते हैं कि ये लूटखोर जो हमारी तनख्वाह के आधार पर जिन्दा रहते हैं, वे ही हमारे पैसे को सारा लूट कर खा जाते हैं और हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कोई चिन्ता नहीं कर सकते। हमें नहीं लगता कि हम गरीब जनता के 1-1 पैसों को कैसे इकट्ठा करते हैं और किस तरह आदमी अपने पैसे को देकर राज के खजाने को भरता है। राज के खजाने को भरते हैं पांच करोड़ लोग और मुश्किल से 5-50 हजार लोग चूना लगाकर सारे धन को बरबाद कर देते हैं। सारे के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सारे राज्य कर्मचारी चोर नहीं हैं। यह कहना गलत है केवल कुछ चुने हुए लोगों के आधार पर सारा का सारा राज भ्रष्टाचार में डूबा है और आप और हम पर रोज छींटे लगते हैं। हम इतने से लोगों को काबू नहीं कर सकते। हम उनकी सम्पत्ति का कोई असैसमैंट नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर छापे नहीं मार सकते। आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं अगर हमारा मन इस बात के लिए तैयार है? आखिर यह लुटेरा लेकर कहां जाएगा, रखेगा तो कहीं न कहीं। क्या उसका कोई हिसाब-किताब नहीं ले सकते हम? हम उसके ऊपर छापे नहीं मार सकते। हम छापे मारते हैं तो उसके बाद भी भ्रष्टाचार विभाग से हमारी कार्यवाही इतनी पोची होती है कि हम अगर सौ केस पकड़ते हैं तो 10-12 केस में सजा कराते हैं, बाकी हाथों-हाथ सबके सामने रैंड-हैण्डेड पकड़े हुए लोग भी बरी होकर हमारे मुंह पर एक तमाचा और मार कर जाते हैं। यह है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। इस प्रशासनिक व्यवस्था को हम इतने लोग बैठकर इतने सालों तक चर्चा करने के बाद भी काबू नहीं कर सकते। इस पर विचार करना होगा, चाहे वह राजनेता हो, चाहे कोई भी हो। यह दुनिया को दिखता है कि कौन बेईमान है और कौन चोर है। अगर आप गांव के लोगों को एक लिस्ट बनाने के लिए कहो कि आपके गांव में कौन-कौन चोर हैं, तो वे आप सबकी तस्वीर खोल कर रख देंगे कि उनकी निगाह में कौन चोर है और कौन साहूकार है। लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। हम इस भ्रष्टाचार के दानव को सब कुछ करने के बाद भी आज दिन तक मार नहीं सके, हमारे सब प्रयास बेकार चले गये हैं।

आपकी आबकारी नीति पर आओ। मुझे समझ में नहीं आया कि हम आबकारी से इतना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं लेकिन हमारा रेवेन्यू घट रहा है। हम वसूल ही नहीं कर पा रहे हैं। हम जितना सोचते हैं उसके अनुपात में हमें पैसा नहीं मिलता है। मुझे तो दुःख इसलिए है कि मैं चित्तौड़ जिले से आता हूं। आप विचार कीजिए, आबकारी मंत्रीजी, हमारे यहां जो अफीम का डोडा बचता है उसका आप ठेका करते हो। ठेके में ठेकेदार चाहे वह एक करोड़ में छुड़ाता हो, चाहे दो करोड़ में छुड़ाता हो, लेकिन उस किसान को क्या मिलता है, कभी उसकी पीड़ा देखी है? 2 रुपये किलो में अपना डोडा बेचता है और वह बाजार में डेढ़ सौ रुपये किलो के भाव से बिकता है। इससे ज्यादा किसान का और क्या शोषण हो सकता है? क्या आप इतने साल में इस पर विचार नहीं कर सकते कि इस नीति को कहीं बदला जाए? कोई न कोई उसमें मिनिमम प्राइज तो फिक्स की जाए कि उसका डोडा 12 रुपये में बिकेगा या 14 रुपये में बिकेगा। ठेकेदार गुण्डागर्दी के आधार पर उससे कोड़ियों में माल छीन कर ले जाता है और उल्टे उस पर केस और बना देता है क्योंकि आपने एक सीमा बांध रखी है कि फलां तारीख तक तुम्हें डोडा चूरी बेचकर खतम करना पड़ेगा या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास घर में डोडा मिल गया तो आप पर मुकदमा बनेगा। जिसके पास 5-50 किलो डोडा है वह तो आपकी और हमारी निगाह में चोर और बेईमान गिना जाता है और जो तस्करी करके माल को एक परमिट से 4-4 परमिट लेकर जाते हैं उन हत्यारों को पकड़ कर हम सजा नहीं दे सकते। तो हम किस बात का कानून और किस बात की व्यवस्था करते हैं? मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम इस डोडा-चूरी के बारे में सोचें। जब यह बाजार में डेढ़ सौ रुपयें में बिकता है, सवा सौ रुपये में बिकता है तो कम से कम उस किसान को भी मिनिमम प्राइज राजस्थान की तरफ से तय होनी चाहिए कि 15 रुपया, 18 रुपया से कम उस किसान का जबरन खरीद कर नहीं ले जाएगा और उस किसान को नहीं लूटेगा। लेकिन हम उसके बारे में भी शायद ही कुछ कर पाएंगे।

आपने रायल्टी का ठेका दिया, कल्पना क्या थी रायल्टी के ठेके की? कल्पना यह थी कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि रायल्टी की चोरी हो रही है। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, रोज देखते हैं कि रायल्टी की निश्चित रूप से चोरी होती है। इस रायल्टी की चोरी के लिए आपने ठेके नीलाम किये, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि सब खरीदने वाले लोग मिल गये। मिलने के बाद सबने अपना अपना पैसा जमा करके शेयर पूंजी उसमें जमा करायी और एक को हटाने के लिए दूसरे ने नकद 5-5 लाख रुपया सबको बांट दिया और उसके बाद आपका ठेका चला गया। कितना पैसा ज्यादा मिला पिछले साल से? डेढ़ करोड़ रुपया। मतलब हमने उस आदमी को चोर कहा और उससे कुछ पैसा वसूल करने की योजना बनाई। हमारी रायल्टी का ठेका पहले अगर 38 करोड़ में जाता था और अब 80 करोड़ में जाता तब तो हम समझते कि हमने कोई अच्छा काम किया। लेकिन आपने उनसे तो पैसा वसूल किया और चोर, बेईमान, लुटेरों की राजस्थान में एक नयी गैंग खड़ी कर दी। जिस प्रकार के अपराधियों को खड़ा किया उसका परिणाम राजस्थान के हित में नहीं हुआ। वह अपने डंडे के जोर पर रायल्टी से जितनी ट्रकें आती हैं उनका पैसा वसूल जरूर कर लेगा, उसकी आमदनी जरूर बढ़ जाएगी। बाकी लोगों को हटाने के लिए 2-4 करोड़ रुपया सबको बांटकर, सबको आउट करके जिस प्रकार का गैंगवार चल रहा है इस ठेका प्रथा में, आप इसका कोई फूलप्रूफ तैयार करो अपनी तरफ से। इसको हर नाके के हिसाब से दो और अपना फिक्स अमाउंट रखो कि यह नाका मैं 3 करोड़ में ही दूंगा तो 3 करोड़ में ही दूंगा, न इससे ज्यादा दूंगा न इससे कम दूंगा। फिर जो योग्यतम व्यक्ति आपके पास आए उसको आप लो। नीलामी बोली के आधार पर राजस्थान में शराब तस्कर पैदा कर दिये, गैंग तैयार कर दी और यह जो बचा-खुचा रायल्टी का था उस रायल्टी में भी आपने नये गैंग को तैयार कर दिया है। मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप जवाब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दें तो बताएं कि पिछले साल राजस्थान की रायल्टी के ठेके जब नीलाम नहीं हुए थे तब उन ठेकों से हमें आमदनी कितनी थी और इस बार ठेके नीलाम करने के बाद हमको कितनी ज्यादा रायल्टी मिल रही है। इस बात को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कुछ चंद लोगों को पालने के लिए बाकी सब लोगों की जेबों को खींच-खींच कर वाह-वाही लेना चाहते हैं, जबकि वस्तुस्थिति उससे बिलकुल भिन्न जा रही है।

क्या आप और हम यह अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि टैक्स कम होता है उतनी आमदनी घटती है? माननीय भैरोंसिंह शेखावतजी जब मुख्य मंत्री थे, सब प्रकार के टैक्सों में 3 परसेंट, 4 परसेंट, 8 परसेंट नीचे आने के बाद भी रेवेन्यू घटी क्या? जब रेवेन्यू नहीं घटती है तो हम यह टैक्स बढ़ा कर भी कुछ नहीं करेंगे। जो चोर नहीं है उसको चोर बनाने का रास्ता निकालेंगे और वास्तव में हो यही रहा है। जितने भी मकानों की लीज है वह लीज इसलिए जमा नहीं कराता, आपकी लीज का पैसा इतना अधिक है कि वह सोचता है कि जमा कराने से क्या मतलब है। मुझे एक साल में 3000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, अगले साल अगर समय पर 3000 जमा नहीं कराये तो मुझ पर 1800 रुपये की और पैनेल्टी लग जाएगी, मैं 4800 रुपया कहां से जमा कराऊंगा। हमारा जो टैक्स का तरीका है यह टैक्स का तरीका बदलिए, जितना इसको हम सरल करेंगे, कम करेंगे उतना ही आदमी ईमानदारी से पैसा देगा। रजिस्ट्री का 11 परसेंट आपने कर दिया, क्या 11 परसेंट की रजिस्ट्री कराने वह जाएगा? जहां तक हो सकेगा आपसे में एडजस्टमैंट करेगा। वह रजिस्ट्री करा कर उस कागज को नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसने 10 लाख की प्रापर्टी खरीदी उस हिसाब से जितने का उसे स्टाम्प खरीदना पड़ता है। हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसका कोई रास्ता नहीं निकालते हैं। हम आंकड़ेबाजी करना चाहते हैं केवल, इससे यह हो जाएगा तो यह हो जाएग। क्या आपको पता नहीं कि रजिस्ट्री बिना पैसे भी होती है? हममें से कोई भी आदमी यह कह दे ईमानदारी से, जिसे इस बात की जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्री कराने के लिए जो आदमी जाएगा उसकी जेब काटी नहीं जाएगी? अगर जेब नहीं कटी तो उसकी रजिस्ट्री वहां रोएगी और वह साल-साल, दो-दो साल तक तड़पेगा तब भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। क्या हम इसका कोई तरीका नहीं निकाल सकते? क्या हम इस तरीके के आधार पर आमदनी बढ़ाकर इस बेईमानी को नहीं रोक सकते?

ट्रांसफर पर कभी आपने हिसाब लगाने की कोशिश की कि राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर के टी.ए., डी.ए. में वर्ष में कितना खर्चा होता है? हर साल यह खर्चा बढ़ रहा है। कोई ट्रांसफर बहुत बड़ी सजा है क्या? कोई आदमी बेईमान है, बदमाश है तो उसे आप सजा दो, लेकिन इस ट्रांसफर के बिजनस के आधार पर आपने सारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है और हमारा बहुत कुछ पैसा केवल टी.ए., डी.ए. में चला जाता है। ट्रांसफर भी हमसे कराया जाता है और टी.ए., डी.ए. भी हमसे लिया जाता है, बड़ा आश्चर्य है। इस ट्रांसफर में जो करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, जब आप कह रहे हो कि हम खर्चे को कम करना चाहते हैं तो इसको भी कम करने की सोचे।

जो मेडिकल के बिल बनते हैं, क्या आप और हम सब लोग नहीं जानते हैं कि मेडिकल बिल किसी तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकते? अगर राज्य कर्मचारी सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसे दवाई वहीं से क्यों नहीं मिल सकती? उसका कोई मेडिकल बनाने की जरूरत नहीं है। डाक्टर एक बुखार नहीं चढ़ा तो 500 रुपये की दवाई धड़ाधड़ लिख देगा। उसको तकलीफ नहीं हो रही है, पर राज्य के गरीब टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही है। उसके पैसे को चाहे जिस प्रकार से दवाई लिखकर बरबाद करने का काम किया है। इस मेडिकल के बारे में भी आपको कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। अगर फिक्स अमाउंट करना है फिक्स अमाउंट करो, लेकिन मेडिकल के नाम पर जिस प्रकार की लूट है उसे बंद करें। बहुत कुछ लूट पर तो सरकारी दवाखानों से दवाई मिलने के कारण कंट्रोल जरूर हुआ है लेकिन अब भी इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है।

विकास के हमारे जितने तरीके हैं, उन विकास के तरीकों को बदलिए और विकास को जन सहभागिता से जोड़िए। गांव का गोपीचंद लगेगा तो गांव वाले उसको चार नहीं आठ निगाहों से देखेंगे, नहीं तो यह सोचते हैं कि फोकट का पैसा आया, फोकट में गया। राज्य के पैसे को तो समझता है जैसे धर्मादे का आया धर्मादे का लगे तो ठीक, एक कमरा दो लाख में बने तो ठीक और छह महीने में गिर जाए तो गिर जाए, पट्टियां पड़े तो पड़े, चाहे लेवड़े उतरें, उसको क्या चिंता है। इसको आप जन सहभागित से जोड़िए, गांव की सहभागिता से जोड़िए। उनकी देख-रेख में अगर सारे विकास के काम को कराएंगे तो हमारे एक रुपये में सवा रुपये का काम होगा। अभी हमारे एक रुपये में 55 पैसे, 60 पैसे का काम हो रहा है। यह आप और हम सब लोग जो यहां सदन में हैं उन सबको अपनी आंखों से दिखता है, उसके बाद भी हम इतने साल सब प्रयास करने के बाद भी किसी प्रकार से रोक नहीं पाये।

जलदाय विभाग की तो इतनी दुर्गति है और इनके अधिकारियों का जिस प्रकार का हालचाल है, मैं यह कह रहा हूं कि आप एक दिन 5-50 अधिकारियों पर रेड डालो, आपको पता लग जाएगा कि एक-एक के पास क्या-क्या माल है। इधर तो हम प्यासे मरते हैं, हम एक-एक बूंद के लिये रोते हैं, आपको आकर हाथ जोड़ते हैं कि एक हैण्ड पम्प हमारे गांव में लगा दो, हम प्यासे मर रहे हैं, और जैसे ही कोई 20-25 हजार रुपये मिलते हैं उसमें से भी टांका मारने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का काम होता है और हम कह रहे हैं कि हम यहां बैठे हैं, हम कानून बनाते हैं। हम क्या कानून बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं, धरती पर कुछ और है, हम यहां कुछ और हैं। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वित्त मंत्रीजी, इतने सालों के प्रयास करने के बाद भी, 53 साल की देश की आजादी के बाद भी गरीब आदमी टुकर-टुकर पानी और रोटी के लिए रो रहा है और हम यहां कानून बना बना कर थक गये। उसके बाद भी जो कुछ लुटेरे हैं जो सारी गरीब जनता के पैसे पर शौक और आनंद कर रहे हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकें, यह हमारा दुर्भाग्य है।

आपने देखा होगा सिंचाई योजना बनाते हैं, मैं समझ नहीं पाता। चार-पांच तरीके से बनाएं, जितना पानी गांव से बह कर जा रहा है उस पानी को गांव में रोकने का काम करें एक साल में हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाए, अगले साल तो किसानों को उससे पानी मिल जाए। क्यों हम एक प्रोजेक्ट पर 100-100, 200-200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं? क्यों एक नदी को बांधते हैं? हमने नदियों को बांध कर नीचे वाले को उजाड़ दिया, उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। हमने यह विचार नहीं किया कि यह जो बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा यह कुछ एरिया में तो लोगों को सरसब्ज और हरा-भरा करेगा, लेकिन उसकी बैल्ट में बह कर जाने वाले नदी के किनारे बसा हुआ गांव रोता है, तड़पता है। आज भी मुझे याद है कि रेलमगरा जो कभी उदयपुर जिले का गंगानगर कहलाता था, वह पानी के लौटे के लिए मोहताज हो गया, क्योंकि हमारी योजना डिफैक्टिव है। हम कुछ लोगों को तर करने के लिए बाकी सबको उजाड़ने का धन्धा करते हैं। हमने इतने वर्षों में कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया। मैं आज भी कहता हूं उदयपुर क्षेत्र जो अरावली से घिरा हुआ है, उसका पानी जैसे ही पहाड़ पर गिरता है बह कर निकल जाता है। आज 250 को छोड़कर 500 फीट तक कहीं पर आप ट्यूबवैल लगाइये, पीनें के लिए पानी की एक बूंद नहीं निकलती है। जहां बरसात होती है वह भूखा और प्यासा मरता है और हम आगे जाकर कहीं प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बंद कीजिए पांच साल के लिए। इतना ही प्रोजेक्ट बनाइए जिससे उस गांव की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और गांव में किसी प्रकार से पानी का सेजा बन जाए। आप पांच लाख, दस लाख, बीस लाख का प्रोजेक्ट बनाएं जो एक साल में तैयार हो जाए और अगले साल उसकी उपलब्धता प्राप्त हो जाए। अगर आप जाकर देखना चाहते हो तो साबरकांठा, गुजरात में देखिए। उन्होंने केवल एक माडर्न तहसील तैयार की, इस माडर्न तहसील में 1000 एनीकट्स लगाये एक साथ एक तहसील में। पिछले साल जो उनकी स्थिति अकाल के समय थी, आज जाकर देखिए वहां किसान कितना हरा-भरा है। केवल कौड़ियों में। अगर हम एक-एक विधान सभा में पांच-पांच करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपये भी लगा दें पांच वर्षों में तो मैं सोचता हूं कांस्टीट्यूएंसी से बहकर जाने वाली पानी की एक-एक बूंद को हम रोक लेंगे। हमारे जो पुराने तालाब हैं उनको हम ठीक कर देंगे ताकि किसी तरह से हमारे पानी का स्टोरेज बढ़े। जरूरी नहीं कि नहर में पानी पिलाकर रात में जाकर सो जाओ और पानी को छोड़ कर बरबाद कर दो, उसके लिए हम बाकी लोगों का सब खोस लें। यह कोई हमारी योजना नहीं हुई। हमें निश्चित रूप से इर्रिगेशन की योजना पर ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा कि पानी की एक-एक बूंद का हम कैसे उपयोग करें और उसका कम से कम खर्च में कैसे उपयोग करें।

अब आपने कहा कि हमने खर्चा कम किया है, बचत की है। ये कहने के लिए बहुत अच्छे शब्द हैं। हम लिखते हैं कि हम हमारे प्रशासनिक खर्चे कम करेंगे, कृपया आप इतना हिसाब दे दें कि दो साल में जो प्रशासनिक खर्चे कम करने के लिए आपने अभियान शुरू किया उसके कारण से आपको कितने करोड़ रुपये का लाभ हुआ, कितना बचा पाये। केवल प्रचार करने के लिए प्रचार हो सकता है लेकिन किसी अधिकारी से उसके कुछ साधन खोस लेने से यह सोचेंगे कि यह हमको पांच सौ रुपये की बचत हो जाती है, अगर आपका घर का टेलीफोन तीन दिन ऑफ कर दें तो आपको पता लग जाता है कि इससे दो सौ रुपये का मीटर नहीं चलता है, यह— (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं, सच बोलने पर भी 10 प्रतिशत हो गया है क्या? हलफनामा, सच बोलने का हलफनामा दस रुपया कर दिया, क्या आप उससे सहमत हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : सबसे बयान करता हूं कि मैं यूं, मेरे बाप का नाम यह है और मेरी मां का नाम ये हैं, उसका भी 10 प्रतिशत कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये। आप बोल चुके।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, सच बोलने के लिए भी, उस पर सहमत हैं क्या आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस खर्चे को आपने किसी तरह से अगर कम किया है तो आंकड़े देखकर बताइये कि यह साधन हमने इनसे ले लिया, उसमें हमारी इस साल की बचत इतनी हुई, तो हम लोगों के मन में विश्वास होगा। वास्तव में इसमें कुछ सुधार होने से हमने कुछ पैसा बचा लिया तो लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मिलेगा, नहीं तो केवल शब्दों के आधार पर नहीं बढ़ेगा।

ट्यूबवैल के आधार पर किसान बरबाद हो रहे हैं। आप अगर यह घोषणा करोगे तो नाराजगी तो मोल जरूर लोगे, लेकिन एक ट्यूबवैल यहां लगाया 10 दिन पहले, पानी आ गया और उसने प्रसाद बांट दिया। दूसरे दिन उसके बाजू में दूसरे ने ट्यूबवैल लगाया, वह रो गया, यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

छीनाझपटी का खेल चल रहा है और इस छीनाझपटी में मेरे उस क्षेत्र में तो 90 प्रतिशत किसान रो रहा है। ट्यूबवैल को चार-चार, पांच-पांच बोर करने के बाद भी 15 दिन पानी आता है और सोलहवें दिन खतम हो जाता है। इसके लिए भी सरकार को कोई न कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। इससे घबराना नहीं चाहिए कि लोग नाराज होंगे या राजी होंगे, लेकिन कोई न कोई मापदण्ड जरूर बनाना चाहिए। जमीन के अंदर जो पानी है उसमें भी छीनाझपटी का पैसे वालों के लिए एक नया खेल तैयार हो गया। गरीबों के कुएं जो उनके बाप-दादाओं ने खुदाए थे जो 80 फीट गहरे हैं, भाटों को देख कर वे रो रहे हैं। जो जागीरदार माने जाते थे किसी जमाने में, आज उनके कुएं में एक बूंद पानी नहीं है। इस प्रकार की नीतियों पर भी हमें निश्चित प्रकार से विचार करना पड़ेगा।

वन हमारे पास इतनी बड़ी सम्पदा है कि अगर हम हमारी वन सम्पदा को ही ठीक प्रकार से कर लें तो वन क्षेत्र में रहने वाले लाखों-लाखों लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। मैंने कई बार सदन में भी कहा है और लोक सभा में भी मैंने इस बात को कहा कि जैसे आप खातेदारी हक जमीन का देते हैं वैसे ही फोरेस्ट का भी ठीक प्रकार से तैयार करके उसको खातेदारी हक दे दिया जाए तो जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और उनकी पीढ़ियों-दर पीढ़ियों का पालन पोषण होगा। हालांकि केन्द्र का कानून है, लेकिन सरकार यदि मन बनाएगी और सब प्रकार से आग्रह होगा तो मुश्किल नहीं है। हमारे क्षेत्र में अकाल तो पहले भी पड़ता था, लेकिन जंगल के अन्दर जो कुछ होता था उससे वह पेट भर लेता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि जंगल में भी पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। वह लकड़ी लाकर अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता, आज की स्थिति यह आ गयी है। आज तो स्थिति बद से बदतर बन गई है। पहले उन खेतों में रहने वाला निराश नहीं होता था।

मैं आपसे प्रतीक्षा करता हूं, वैसे तो लोग कहेंगे कि यह ठीक नहीं है लेकिन जो पब्लिक स्कूल हैं, क्या आप इन पब्लिक स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए इन पर किसी प्रकार का कानून का कोई शिकंजा नहीं डाल सकते, जो अपने घर की बपौती समझ कर एक-एक से एक-एक दो-दो लाख रुपया महीना कमाते हैं? क्या आपके और हमारी आंखों में यह नहीं है? हम उनको टैक्स नहीं कर सकते? वे हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। वहां पढ़ता है तो अमीर का बच्चा पढ़ता है जो एक हजार रु. फीस देता है। हमारा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, जहां पर न टाटपट्टी है, न बैठने की जगह है। वास्तव में अगर हम जनता के प्रति आश्रित हैं तो कोई 10 प्रतिशत लोगों के लिए तो नहीं हैं कि उनकी सुविधाओं के लिए हमें निश्चित रूप से आमदनी करनी चाहिए और बाकी बच्चों की व्यवस्था करने के लिए_(व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आप तो स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हो, आपके जमाने में यह आइडिया नहीं आया क्या कि हमें पब्लिक स्कूल पर कैसे नियन्त्रण रखना चाहिए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा आइडिया भी है और मैंने जितनी... (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : उस वक्त आया था फिर कर क्यों नहीं कर पाये?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जितनी मीटिंग की हैं उसकी सारी प्रोसिडिंग्स मंत्री महोदय को ध्यान में होगी। मैंने सारे पब्लिक स्कूलों से बुलाकर तीन बार इसके बारे में मीटिंग ली। मन से यह चाहता हूं कि अगर भले ही वे हजार रु. भी लें तो कम से कम अपनी ऑडिट रिपोर्ट हर साल विभाग को भेजें कि उसने हजार रुपये फीस ली, वह खर्चा कहां किया या नहीं किया। उसमें पढ़ाने वाले मास्टर को चार हजार रुपया नहीं दे पाये और स्वयं लाखों रुपया कमाता है। यह शोषण का नया स्वरूप खड़ा...

डा. के. सी. चौधरी : तो माननीय सदस्य, आप उस वक्त इसको क्यों नहीं कर पाये?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कानून बनाना पड़ता है। इतनी आसानी से नहीं बनता है, इतनी असानी से कंट्रोल नहीं होता है। मन की इच्छा यह है कि निश्चित प्रकार से इन इंस्टीट्यूशन को, नर्सिंग होम को जिन्होंने इसे व्यवसाय बनाया, उनके ऊपर हमें यह निश्चित करना है,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, समाप्त कीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कर्जा कितना लिया, क्या नहीं लिया, सारे आंकड़े सामने हैं। हमारे माननीय सदस्य ने भी आपके सामने रखा है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी अगर कर्जा लेकर भी प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ा देते हैं तो हमें ज्यादा दुःख नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति विकास का जो पैसा खर्च होता है, वह घटा है। हमने जितनी योजनाएं बनायी हैं तोड़ा-मरोड़ा है। अकाल या और कोई विभीषिका आ गयी, जिसमें बजट को तोड़कर दूसरी जगह लगा दिया। दुर्भाग्य तो यह है कि जो बजट हम देते हैं उसकी भी हम बराबर मानिटरिंग नहीं करते कि वह समय पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई विभाग इसके बारे में चिन्तित नहीं है कि जो बजट हम पास करके दे रहे हैं उसकी महीने दो महीने में कहीं मानिटरिंग होती हो कि अब तक कितना अमाउंट खर्च हुआ और कितना अमाउंट खर्च नहीं हुआ। इतने साल के प्रयास के बाद भी हम इसको फूलप्रूफ नहीं बना सके, कि हमने प्लान बनाया तो क्यों बनाया, बाद में अगर इसको खर्च नहीं कर पाये तो क्यों नहीं कर पाये। इसमें कौन दोषी है, किसका दोष है, इसके बारे में जब तक आप किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं करेंगे, उस संस्था का जो हैड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है उसको इसके लिए आप लायबल नहीं बनाएंगे तब तक आपका दिया हुआ बजट भी समय पर खर्च नहीं होगा। लोगों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं वह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसलिए वित्त मंत्रीजी, मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, बाकी सारी बातों को छोड़ दिया है।

राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए अभी कई रास्ते हैं जिन रास्तों से हम राज्य की आमदनी बढ़ा सकते हैं, सब पर टैक्स मारने के बनिबस्त हम दस-बीस प्रतिशत लोगों को ही इंगित रखकर, उनको टार्गेट बनाकर हम टैक्स तय करेंगे तो हमें निश्चित रूप से आमदनी भी होगी और 80 प्रतिशत लोगों को मदद करके उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा सकेंगे और जो प्रति व्यक्ति आय है उसको भी बढ़ा सकेंगे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर अभी माननीय सदस्य इस तरह से बोल रहे थे। हमारी कल्याणकारी सरकार जनहितकारी सरकार, संवेदनशील सरकार राजस्थान में जबसे आयी है, कीर्तिमान स्थापित किये हैं और सारा हिन्दुस्तान जिसका अनुसरण कर रहा है। ऐसी हमारी लोकप्रिय सरकार की आलोचना कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एम.एल.ए. कोटे से माननीय विधायक ने कीर्तिमान स्थापित किया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता इसलिए करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया ध्यान से सुनें। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जब से आई है, माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, 750 मेगावाट बिजली दो साल में पैदा की है और बी.जे.पी. सरकार के समय में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई थी, क्या यह सत्य नहीं है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सच को सच कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर मैं हमेशा यह निवेदन करता रहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में आप 33 के.वी. के ट्रांसफार्मर...

श्री मदन दिलावर : एम.एल.ए. कोटे से विधायक रामस्वरूपजी के खेत की दीवार बनी।

श्री रामस्वरूप : यह, साहब, क्या हो रहा है यहां पर? बिलकुल ही अनुशासन ही खतम हो गया सदन का? हमारे सदस्य चुप बैठे रहते हैं और ये हावी हो जाते हैं, यह कोई बात है? बार-बार इस तरह से टोकते हैं। हम इनके बीच में बोलते ही नहीं हैं और यह बार-बार टोक रहे हैं, साहब।

(श्री रामस्वरूप)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार आने के बाद मैंने 33 के.वी. का ट्रांसफार्मर मांगा, उसका हमारे माननीय मंत्रीजी ने उद्‌घाटन किया। उसके बाद में मैंने 132 का मांगा, उसकी भी माननीय मंत्रीजी ने घोषणा कर दी। इससे लोकप्रिय सरकार का पता लगता है कि हमारी सरकार है। यह तो एक विधायक का उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने विधायकों के क्षेत्रों में काम हुए। और ये ऐसा कहते हैं कि अभी तक कोई भी, मतलब बिजली में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जब से आई है इतनी बिजली राजस्थान में पैदा की है कि आज तक किसी ने भी इतनी पैदा नहीं की। उसके लिए माननीय विद्युत मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही हमारे सड़क मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, उनको भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न कोई पार्टीबाजी का खयाल किया, न कोई बी.जे.पी. और कांग्रेस का खयाल किया, उन्होंने एक ऐसी सड़क नीति तैयार कर दी कि प्रत्येक विधायक से 50-50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के आप प्रस्ताव मांग रहे हैं।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में पचास किलोमीटर पक्की रोड ही नहीं है तो प्रस्ताव कहां से देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने दे। काहे को दखल कर रहे हो, आप विराजो न।

श्री नाथूलाल गुर्जर : अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में रोड ही नहीं है तो वह प्रस्ताव क्या देंगे ? आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

एक माननीय सदस्य : अब आप राजीव गांधी पाठशाला के लिए बोले।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने 50-50 किलोमीटर के आपसे प्रस्ताव मांगे हैं, उसमें यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कांग्रेस के देंगे या बी.जी.पी. के देंगे। उसके अन्दर भी आप पेवर सड़क के लिए 600 करोड़ रुपये की घोषणा की है। 600 करोड़ हमारी लोक कल्याणकारी सरकार सड़कों के लिए खर्च करेगी बिना किसी पार्टीबाजी के। आपकी सरकार के समय में तो इतने गड्ढे सड़कों पर पड़ गये थे कि 9 साल के अन्दर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया था। और वे गड्ढे ही नहीं पड़े, डामर का अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ था और हमारी सरकार ने आते ही 600 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत किये।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस नादौती उपखण्ड के लिए लगातार लड़ाई लड़ता हुआ चला आ रहा था दस-पन्द्रह साल से, धरने तक मैंने विधान सभा में

(श्री रामस्वरूप)

दिये, हमारी लोक-कल्याणकारी सरकार, आदरणीय गहलोत साहब की सरकार में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने टोडाभीम में उपखण्ड खोल दिया और जल्दी ही आप उसका उद्‌घाटन करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको टोडाभीम की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपखण्ड खोल दिया तो उसका आदेश कहां है? अगर उपखण्ड खोल दिया है तो उसका आदेश कहां है? आपने धरने कितनी बार दिये, यह भी सदन को अवगत कराओ। **(व्यवधान)**

श्री धर्मपाल चौधरी : उस टाइम पर आप पढ़ रहे थे कि मेरे यहां उपखण्ड खोला जाए, हमने सिफारिश की है आपकी। आपको देखकर आना चाहिए यह (व्यवधान) असत्य उतना ही बोलो जितना चले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? आप विराजिए प्लीज। यह क्या हुआ?

डा. किरोड़ी लाल : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य की हर मांग सरकार ने पूरी की है, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बोल रहे हैं तो यह डिस्टर्ब क्यों करते हैं?

डा. किरोड़ी लाल : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को अगर मंत्री पद का भी शपथ ग्रहण करा दी जाए तो पूरा सदन प्रसन्न हो जाएगा इस बात से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : पूरा विपक्ष एकमत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों टाइम खराब करते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम इसका समर्थन करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। इतने लायक आदमी हैं, इनको मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप सिफारिश करेंगे तो इनको मिलता हुआ होगा तो भी नहीं मिलेगा। आप कृपा करो, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भावना है। आपसे इतनी-सी प्रार्थना है कि हमारी सबकी भावनाएं आप मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हैं कि नहीं हैं ऐसा हो। विराजो।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, यह तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कराओ। यह तो, उपाध्यक्षजी, कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर : हमारी भावनाओं को भी उनकी भावना में सम्मिलित कर लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी, रामस्वरूपजी की सब इच्छा पूरी हुई है, एक मंत्री बनाने की सबकी इच्छा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूपजी, आप तैयार हो न मंत्री बनने के लिए? माननीय सदस्य, आप तैयार तो हैं न, बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : तैयार तो हैं न मंत्री बनने के लिए। तैयार हैं कि नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मंत्री बनने को तैयार हो कि नहीं?

श्री धर्मपाल चौधरी : बताओ, बजा देते हैं ताली।

एक माननीय सदस्य : ताली तो बजा दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष को इतनी क्यों तकलीफ है? वह तो इनका नम्बर आएगा तो अपने आप आएगा, इसमें क्या है, काबिलीयत से। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : तकलीफ इसलिए है कि रामस्वरूपजी ने सबकी जमानत जब्त कराई है वहां से।

डा. किरोड़ी लाल : हम चाहते हैं। हमारा प्रस्ताव है, आगे वह मूव कर रहे हैं मोशन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह चाहते नहीं हैं वह आएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी मांग है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आपकी मांग इनको नुकसान पहुंचाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी प्रार्थना है। रामस्वरूपजी, आप तैयार तो हो न? आप तैयार तो हो न मंत्री बनने के लिए? फिर आप खड़े होकर कह दो, संकोच क्यों करते हो? खड़े होकर कह दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : रामस्वरूपजी, बताओ इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. के. सी. चौधरी : आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, प्लीज हो गया, बहुत हो गया।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि नादौती में उपखण्ड कार्यालय आपने खोला और हमारे यहां पर पचास-पचास किलोमीटर की सड़कें आप दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में दो तहसील हैं—टोडाभीम और नादौती। आप सबमें ही पचास-पचास दे रहे हैं, एक तहसील में पचास दे रहे हैं तो मेरे तो दो तहसील हैं, एक बार में आप 100 किलोमीटर मुझको दीजिए। मेरे सड़कों की लम्बाई है, 391, उसी हिसाब से आप मेहरबानी करें बड़ी कृपा मेरे ऊपर अब तक होती आई है आपकी, ऐसी ही कृपा आप मेरे ऊपर बनाये रखें।

(श्री रामस्वरूप)

दूसरा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अन्दर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वह गरीब जो ढाणी के अन्दर रहता है, जो अशिक्षित है, वे महिलाएं जिनकी बच्चियां कहीं पर पढ़ने नहीं जाती थीं उनकी शिक्षा के लिए आप राजस्थान के अन्दर ग्यारह हजार, ग्यारह हजार पुनः और तीन हजार स्कूलें दुबारा खोलने जा रहे हो, इसके लिए राजस्थान की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी है, ढाणियों की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी है। जय-जयकार मचा रही है। आपने भवन भी साथ में ही बना दिये। राजीव गांधी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, आपने भवन बनाकर उनकी याद को ताजा करवाया। सारा देश आज उनको इन विद्यालयों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आपने 600 सैकण्डरी स्कूल खोले और इसके साथ ही हर जिले में आप 22000 एवं 3000 अब खोलेंगे ढाणियों में...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको कितने मिले ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने 14 कालेज खोले। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, 14 कालेज आपने खोल दिये, इतने बढ़िया शिक्षा मंत्री हो, आप बहुत अच्छा भला राजस्थान में कर रहे हो, दिन के दस बजे से लेकर रात्रि दस बजे तक कार्यालय के अन्दर बैठे मिलते हो, किसी को भी किसी काम की मना नहीं करते, उसके बावजूद भी बड़े दुःख की बात है कि मेरा टोडाभीम जो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी व सारी पार्टियों की जमानत जब्त की है, उसमें आज तक आपने कालेज नहीं खोला, मेरे कोई मंत्रियों को ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेहंदीपुर बालाजी किसके क्षेत्र में है ? वहां पर पी.जी. कालेज है।

श्री रामस्वरूप : विराजमान हो आप तो, साहब, मेहरबानी करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेहंदीपुर बालाजी वहां पर जो पी.जी. कालेज चल रहा है, बालाजी ट्रस्ट की तरफ से वह है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : यह दोनों डिस्टर्ब करते हैं आपको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह देखो, खिलाफ बोल रहे हैं। आपने ही मंत्रीजी को भर रखा है, नहीं तो अब तक खोल देते, इतने मेहरबान हैं मेरे ऊपर। आज मुझे पता लगा कि मंत्रीजी की इतनी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है फिर भी यह क्या चक्कर पड़ रहा है, कालेज यहां नहीं खोला और दूसरी जगह खुल जाता है। अब मुझे भरोसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : रामस्वरूपजी, 1985 का चुनाव कौनसी पार्टी से लड़ा था आपने ?

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस से लड़ा था, साहब, मैं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम की जनता माननीय शिक्षा मंत्रीजी की ओर निहार रही है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, टोडाभीम में जहां नगरपालिका में तीनों बार निर्विरोध आये, जहां की पंचायत समिति में कांग्रेसी निर्विरोध आये, वहां लगातार कांग्रेस का गढ़ जो जीतता चला हुआ आया है वहां पर कालेज नहीं हो? आपके वक्त में नहीं होगा तो दुबारा कभी मेरे कालेज होना भी नहीं है। आप पूर्ण मेहरबानी हैं, आप न्यायकारी हैं, आप बड़े कल्याणकारी हैं, आप बड़े दयालु भी हैं इसलिए मुझे भरोसा है कि टोडाभीम में जरूर आप कालेज खोलेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो करो। दया करो, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बालाजी में साइकेट्रिस्ट सेंटर तो है।

एक माननीय सदस्य : इससे आपका क्या मतलब है?

श्री रामस्वरूप : इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करौली, जिला, सवाईमाधोपुर जिला और दौसा जिला, तीन जिलों की अगर सबसे बड़ी कोई योजना है तो वह है इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना जो राहू घाट चम्बल के ऊपर बनाई गई। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो हमारा दौसा जिला भी इससे लाभान्वित होगा, पानी और सिंचाई दोनों व्यवस्थाएं हो जाएंगी। करौली जिला पूरा लाभान्वित होगा, सवाईमाधोपुर जिला पूरा लाभान्वित होगा और इसके साथ-साथ हमारा दौसा जिला भी इसमें लाभान्वित होगा। इतने जिलों के लोग लाभान्वित होंगे। ऐसी इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए अगर आप 200 करोड़ रुपये मंजूर करा देते हैं तो इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान में सबसे बड़ी योजना होगी। दिल्ली सरकार से भी मांग की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार से पुनः राजस्थान सरकार ने कहा है, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करें और इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना को जल्दी से जल्दी मंजूर कराएंगे।

इसके साथ ही अकाल राहत में हमारी सरकार जब से आयी है—

श्री उपाध्यक्ष : अकाल राहत पर परसों। अकाल राहत परसों।

श्री रामस्वरूप : बस एक मिनट, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : योजना, अकाल राहत पर परसों बोल लेना आप।

श्री रामस्वरूप : 14 लाख लोगों को मजदूरी दी है। जून में 18 लाख लोगों को मजदूरी दी है जबकि इनके समय पर 6 लाख लोगों को मजदूरी दी गयी। इसी प्रकार हमारी सरकार आयी है तब से आरक्षण बढ़ा है। 8 से लेकर 16 प्रतिशत एस.सी. का बढ़ा है, 6 से 12 प्रतिशत एस.टी. का बढ़ा है। 21 प्रतिशत ओ.बी.सी.

(श्री रामस्वरूप)

का मेडिकल छात्रवृत्ति में बढ़ा है। 450 रुपये से 675 रुपये छात्रवृत्ति भी हमारी सरकार ने बढ़ायी है।

इसके साथ ही अभी विधि मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, आपने टोडाभीम के अंदर एक बहुत बड़ी मांग जो मुंसिफ कोर्ट की चली आ रही थी, मैं आपको इस सदन में टोडाभीम की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और बार-बार धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने वहां मुंसिफ कोर्ट खोल कर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी को दूर किया है, भगवान आपकी परेशानी को दूर करे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, हो गया। आखिरी बोल दो।

श्री रामस्वरूप : अब मेरा आखिरी एक निवेदन है। यहां माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी विराजमान हैं, कितने बढ़िया मंत्रीजी, हमेशा हंसमुख रहते हैं। एक किसान के बेटे हैं, हर पीड़ा को जानते हैं। मैं लगातार उप खण्ड की मांग करता आ रहा था और टोडाभीम में एक मांग मैं लगातार करता आया हूं। माननीय मंत्रीजी, आप जब सवाईमाधोपुर पधारे थे, ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पहली बार दोनों जिलों को बुलाया, सारे विधायकों को इकट्ठा किया और हमारी सारी समस्याओं को आपने बड़े आदर के साथ सुना था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन मैं बोला था। आपने कहा था नादौती में जरूर आपके उप खण्ड होगा। मैं जान गया, यह ऐसे मंत्री हैं जो सत्यवादी हैं। सदन में कहते हों, चाहे किसी मीटिंग में कहते हों, यह हमेशा सत्य बोलते हैं।

"चन्द्र टरे, सूरज टरे, टरे चकत व्यवहार,

और माननीय मंत्रीजी टरे न सत्य विचार।

आपका वह सत्य विचार कभी नहीं टल सकता, आज भी मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है आप यहीं सदन में घोषणा करेंगे इस बात की, कि निश्चित रूप से मेरे नादौती में उप खण्ड होगा। जिसमें 80 योजनाएं लगातार काम कर रही हों, जिसमें सारे लोग दुखी हो रहे हों, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से उप खण्ड हमारे नादौती में होगा। आखिरी में, आपने जो मुझे समय दिया मेरी भावनाएं तो बहुत थीं, लेकिन आपने थोड़ा-सा समय मुझे दिया, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाददेना चाहता हूं कि इन्होंने भी मुझे सुना, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको दो मिनट और दे दें। मंत्री वाली बात।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री बनना है कि नहीं बनना? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं आपको भी करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि तुलसीदासजी ने आपको भी प्रणाम किया है और आपको तो किया ही है, खैर, इसलिए मैं आपको भी निवेदन कर रहा हूं, मेहरबानी करके

(श्री रामस्वरूप)

ऐसी मेहरबानी बनाये रखें। पुनः आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जिस प्रकार की चर्चा हो रही है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। बजट वैसे तो एक कर्मकाण्ड है। आरम्भ से लेकर अब तक जिस प्रकार से बजट की प्रक्रिया रही है, बजट बना है इसमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। अलग-अलग विभाग, इन विभागों में कितना-कितना धन लगेगा, इसका निर्धारण कितना खर्च हुआ, ये सब बातें बतायी जाती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आज देश के सामने और प्रदेश के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, इस दृष्टि से इस बजट में तनिक मात्र भी कोई ध्यान नहीं दिया है।

पहली समस्या है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, हम कितनी ही योजनाएं बनाएं, कितने ही विकास के काम करें, अगर इसी प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो जितनी हम अपेक्षा करते हैं कि इन सारी योजनाओं का हमको इतना लाभ मिलेगा, प्रदेश इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, वह केवल स्वप्न ही रह जाएगा।

इसी प्रकार दूसरी समस्या है। यह समस्या तात्कालिक भी है। इस समस्या का हमने तत्काल समाधान नहीं किया और इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की तो मैं समझता हूं हर जगह उसको लेकर एक तनाव उत्पन्न होगा। यह समस्या है डब्ल्यू. टीओ. के एग्रीमेंट की।

इसी प्रकार तीसरी समस्या है, चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सब कर्जे के जाल में फंस रहे हैं। इस कर्जे से कैसे मुक्त हुआ जाए, यदि इसकी चिन्ता नहीं की तो इसके भी बहुत खतरे उत्पन्न होंगे।

जहां तक जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न है, मैंने इस बजट को इस दृष्टि से नहीं देखा कि आपने इस दृष्टि से कोई प्रावधान रखा है या नहीं रखा। रखा है तो कितना रखा। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि जहां 1951 में एक करोड़ की जनसंख्या थी राजस्थान में, वह आज लगभग साढ़े पांच करोड़ की हो गयी। इससे अंदाजा लगा लें कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार के इंसेटिंव और डिसइंसेटिंव का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनमें कितना व्यय होगा। अगर हमने इस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण कर लिया तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह व्यय बहुत ही सार्थक होगा। ऐसे व्यय के लिए हमें यदि और खर्चों में कटौती करनी हो तो उन खर्चों में कटौती भी की जा सकती है और ऐसी कटौती स्वागत योग्य होगी। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से चिन्तन नहीं हो रहा है। यह हमारा सबका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की समस्या की ओर हम तनिक मात्र भी विचार नहीं कर रहे हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तीसरी बात जो मैंने कर्जे की बतायी। आज भारत सरकार भी कर्जे में डूबी हुई है। लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ का तो एक्सटरनल डैट है भारत सरकार पर। इसी तरह से इंटरनल डैट है। इसी तरह राजस्थान सरकार पर भी लगभग 39 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। अब हम इस कर्जे को लेकर किसी प्रकार की आलोचना करें, लेकिन हम कर्जे के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। आप इस संबंध में चिन्तन कर लें। चाहे हिन्दुस्तान की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जब से हम डब्ल्यू. टी. ओ., गैट, इन सब चीजों के आधार पर काम करने लगे हैं, इस समय हिन्दुस्तान को एक मार्केट समझ कर सारी दुनिया उस मार्केट का शोषण करना चाहती है और उस मार्केट पर अपना अधिकार जमाने के लिए सरकार को साफ्ट लोन या सब प्रकार के लोन देने के लिए तैयार रहती है। राजस्थान में भी हमने कई विदेशी बैंकों से कर्जा लिया है, विदेशी संस्थाओं से कर्जा लिया है। मजबूरी से कर्जा लिया है, यह भी मान सकता हूं। लेकिन इस कर्जे के पीछे कितनी शर्तें लगायी हैं, उन शर्तों के आधार पर हम देखें तो शायद कर्जा देने वाले की नीयत यही है कि इनके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, कर्जे का ब्याज बढ़ता रहे। लेकिन इतने धन से जो उपलब्धि होनी है वह किसी प्रकार से उपलब्धि नहीं हो, वे इसी स्थिति में बने रहें।

(18.00 बजे)

अब इन तीन बातों को लेकर मैं सदन का ध्यान भी आकर्षित कर रहा हूं और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस संबंध में मैं आपको सुझाव भी देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न आता है जनसंख्या का। मैं ऐसा समझता हूं हमारे संविधान में जीने का अधिकार तो हमें मिला है, लेकिन जीने के लिए जिस प्रकार के उपकरण चाहिए वे उपकरण हमको नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यह तो कह दिया कि लिबर्टी आफ लाइफ, यह तो कांस्टीट्यूशनल राइट है। लेकिन जब तक लिवलीहुड की पूरी व्यवस्था नहीं होगी तब तक आदमी जिंदा रहेगा, इस बात के अधिकार को लेकर कोई विशेष बात नहीं कर सकते। अब किस प्रकार से व्यक्ति को हम जीवित रखें? मैं आज मुख्य मंत्रीजी से यह कहूं कि जो आबादी बढ़ी है उन सब लोगों को आप एम्प्लायमेंट सरकार में दे दें, यह सम्भव नहीं है। मैं कहना भी नहीं चाहता लेकिन यह तो विचार करना पड़ेगा कि यदि भूख ज्यादा बढ़ी, बेकारी ज्यादा बढ़ी, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर रही तो कोई देश ऐसा नहीं है जो उसके कारण से जो आग पैदा होगी उस आग में झुलस नहीं जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि आज बेकार चाहे किसी प्रकार के हों, पढ़े-लिखे बेकार हों, चाहे अनपढ़ बेकार हों, आज मैं कह सकता हूं, मुझे विश्वास है कि अगर मैं चाहूं तो राजस्थान में सारे बेकारों की जमात को लेकर इस राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शांति और व्यवस्था को भंग कर सकता हूं। लेकिन विचार यह आता है कि अगर यही काम मेरे जिम्मे आ गया तो मैं इस काम को किस प्रकार से पूरा करूंगा। इसलिए उस जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, पांच-साढ़े पांच करोड़ की आबादी राजस्थान में हुई है, इसके बारे में आपको बांटना पड़ेगा कि हम सरकारी क्षेत्र में कितने आदमियों को रोजगार दे सकते हैं, हम निजी क्षेत्र में कितने आदमियों को रोजगार दे सकते हैं, सैल्फ एम्प्लायमेंट की व्यवस्था किस प्रकार से कर सकते हैं, लोगों की बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या पैदा नहीं हो उसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि इन तीनों बातों के लिए इस बजट में तनिक मात्र भी विचार नहीं किया गया। न बेकारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए उस पर विचार किया गया है, डब्ल्यू टी.ओ. के कारण से जो समस्या आने वाली है उसके ऊपर विचार नहीं किया गया, और कर्जा कम हो और अन्य साधनों से हम अपने आर्थिक संसाधन जुटा लें, इसके ऊपर विचार नहीं किया गया। मैं तीनों के सम्बन्ध में सरकार के सामने अपने सुझाव रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं, मेरे ज्ञान से राजस्थान में सबसे बड़ा एम्प्लायमेंट कहीं मिलता है तो खेती में मिलता है, कृषि में मिलता है लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आज कृषि लाभदायक धंधा नहीं रहा। जो किसान नहीं है वह सोचता है कि किसान की पैदावार बहुत है लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि किसान की पैदावार कितनी ही हो, किसान यदि साइड बिजनस नहीं करे तो चाहे कितनी ही बड़ी धरती का मालिक हो वह सब सड़क के ऊपर गरीबों की श्रेणी में मिलेगा। कोई दुकान करता है, कोई और धंधा करता है, और उसके कारण से किसान थोड़ा दिखता है। कितने ही किसान दिखते हैं लेकिन वे बहुत कम हैं, नगण्य संख्या में हैं। आम किसान गरीबी का शिकार हो रहा है। किसान को, उसकी खेती को हम किस प्रकार से उन्नत बनाएं, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। खेती की पैदावार, जैसे रतनारामजी बोल रहे थे कि खेती की पैदावार के भाव नहीं मिलते, मैं आज आपको कह सकता हूं कि जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट खुल जाएगा, डब्ल्यू.टी.ओ. के एग्रीमेंट के आधार पर किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, आपको इंटरनेशनल काम्पीटीशन में जाना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है कि इराक को हमने लाखों टन गेहूं का सौदा किया था। वहां लोड भी हो गया। इराक की सरकार ने गेहूं देख कर कह दिया कि इस गेहूं की कोई क्वालिटी नहीं है इसलिए हम इस गेहूं को रिजैक्ट करते हैं, वापस जाएगा। आज हमें विचार इस बात का करना पड़ेगा कि जितने भी फूड ग्रेंस हैं, फूड आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी किस प्रकार से इम्प्रूव हो। यदि हमने क्वालिटी इम्प्रूव नहीं की तो इंटरनेशनल मार्केट के अन्दर हम नहीं टिक सकते।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दूसरी बात इसके अन्दर यह भी कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके काम्पीटिशन में जाना है तो एग्रीकल्चर में कास्ट आफ प्रोडक्शन है इसको कम करना पड़ेगा। यदि कास्ट आफ प्रोडक्शन इस प्रकार से बढ़ती गयी तो कास्ट आफ प्रोडक्शन के कारण से हम इंटरनेशनल मार्केट में खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई हो, बिजली की रेट बढ़ाएं यह आपकी मर्जी की बात है, सिंचाई की रेट बढ़ाएं वह आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आपको इस उपक्रम को इस रूप में लेना पड़ेगा कि इन सब के कारण से कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो आप किसान को नहीं मारते, आप देश को मारते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहता हूं, भारत सरकार समर्थन मूल्य तय कर रही है। आप लोग भी यहां कई बार चर्चा करते हैं, मुख्य मंत्रीजी खास तौर से चर्चा करते हैं कि अनाज सड़ रहा है, अनाज को समुद्र में फेंका जा रहा है, अनाज को जलाया जाना चाहिए। मेरे पास सारे अकाउंट हैं कि किस-किस साल में कितना अनाज खरीदा, गोडाउंस में रखा गया, किस साल में समर्थन मूल्य से और उसमें एडीशन हुआ और किस साल और आगे कितना एडीशन होगा। इस सारे एडीशन के आधार पर यह कह सकता हूं कि कोई अनाज का भण्डार इन दो वर्षों में भरा हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लगातार वर्षों से अनाज के भण्डार भर रहे हैं, उनका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उसके कारण से भण्डार में जो अनाज पड़ा है उसकी पड़े-पड़े कीमत बढ़ रही है और पड़े-पड़े कीमत बढ़ेगी तो जहां वह अनाज जाएगा वह काम्पीटिशन में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कोशिश इस बात की करनी पड़ेगी कि अनाज की कास्ट आफ प्रोडक्शन कम हो।

इसके साथ ही हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, उपाध्यक्ष महोदय, इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं तो यह नहीं है कि आज गंगानगर का किसान यह पता लगा सके कि हमारी कौनसी चीज की मांग इंटरनेशनल मार्केट में है। उस दृष्टि से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि चाहे कितना ही खर्चा लगे, हमें इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल मार्केट की हम को जानकारी मिले और उस जानकारी के आधार पर हम यह सोचे कि गेहूं की मांग ज्यादा है तो गेहूं पैदा करे, यदि हमें मालूम है कि जौ का निर्यात हो सकता है तो जौ का निर्यात करे, यदि ग्वार का निर्यात करने की जानकारी मिलती है तो ग्वार का निर्यात करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं नहीं कहता कि राजस्थान में नहीं है, मेरी ऐसी मान्यता है कि किसी राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है कि हम किसान को यह बता सके कि इंटरनेशनल मार्केट की बेसिस पर आपको इस प्रकार की पैदावार करनी चाहिए। पानी की कमी हो तो हम जरूर कह देंगे कि गेहूं की खेती मत करो, पानी की कमी हो तो हम कह देंगे सोयाबीन की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खेती मत करो, हम कह देंगे चावल की खेती मत करो। वह तो एक मजबूरी के कारण से कह रहे हैं, लेकिन किसान को प्रोत्साहन देने के लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप मान कर चलिये, कई बार किसी चीज की पैदावार ज्यादा हो जाएगी, उसके भाव गिरेंगे। काश्तकार रोएगा और सरकार के पास उसका कोई समाधान नहीं होगा। यह एक ऐसा असेंशियल एलिमेंट है कि उस एलिमेंट को यदि हमने क्रिएट नहीं किया तो उससे बहुत बड़ा घाटा होगा, जनता के सामने बहुत प्रकार की परेशानी होगी।

दूसरा जो कुछ हम आज की स्थिति में कर रहे हैं, मैं समझता हूं राजस्थान में इस प्रकार का मानिटरिंग सैल होना चाहिए कि वह देखे कि कौनसी चीज की आवश्यकता है, किस प्रकार से वह पैदा होगी, कैसे नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम ठीक प्रकार का बीज सप्लाई नहीं कर सकते, हम खाद शुद्ध नहीं दे सकते। हम खाद नहीं दे सकते, हम बीज नहीं दे सकते, हम पेस्टिसाइड शुद्ध नहीं दे सकते। यह गलती किसान की है क्या? यह गलती हमारे लोगों की है। मैंने इसलिए कल एक प्रश्न पूछा था जब कृषि मंत्रीजी बोल रहे थे कि एडलटरेशन के मामले में आपने किसी को आज तक जेल भेजा है क्या। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि घटिया बीज के कारण किसान रो-रोकर मर गया, मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि घटिया बीज के कारण से जो कुछ किसान ने खेती में इंवेस्टमेंट किया है, उसका एक पैसे का रिटर्न नहीं आया। सरकार की जिम्मेदारी है। मैं नहीं कहता कि सरकार यह कहे कि हमने कोई घटिया किस्म की चीजें दी हैं। हमारी विवशताओं में से घटिया चीजें निकली हैं। चाहे एडलटरेशन कहीं भी हो, घी का हो, चाहे दूध का हो, चाहे तेल का हो, चाहे मसालों का हो, किसी भी प्रकार का एडलटरेशन होता है तो कानून को बदल दीजिये। भारत सरकार ने कानून बना रखा है, हम भी उस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि उस आदमी को चाहे जो एडलटरेशन का मामला हो, चाहे सीड का हो, फर्टिलाइजर का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसको निश्चित रूप से जेल की सजा होगी। एक-दो बार हमने एग्जम्प्लरी सजा ठोक दी तो मैं समझता हूं यह मिलावट करने का और किसान को रद्दी माल बेचने का कोई भी किसी प्रकार से साहस नहीं करेगा।

ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी। आज आप मेरी बात सुनें या नहीं सुनें, मेरी आलोचना कर लें, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमने नहीं किया तो मैं अकेला ही नुकसान में नहीं रहूंगा, हम सारे के सारे इस प्रकार की स्थिति में फंस जाएंगे। हम इंटरनेशनल मार्केट तो क्या बड़े-बड़े मुल्क डवलपमेंट कंट्रीज को इस प्रकार की स्थिति में लाकर खड़ा करने वाले हैं कि हम भिखारी के रूप में उनके बनाये हुए माल को खरीदते रहे और उसी के ऊपर जिंदा रहे। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों के साथ बैठें, किसी के साथ बैठें, जो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, उन बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें और उनको जल्दी से जल्दी कराएं। टाइम नहीं है। टाइम केवल दो वर्ष का है। दो वर्ष में यदि हम व्यवस्था नहीं कर पाये तो क्वांटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हों चाहे कोई भी चीजें हों, उनको लागू नहीं कर सकते। जब इंटरनेशनल मार्केट का पूरा आयात-निर्यात का खाका खुल जाएगा, यह डम्पिंग लाबी हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें चलना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आता है स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज जिसके अन्दर उद्योग कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी, माफ करना, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम गांव-गांव में कृषि आधारित उद्योग खोलेंगे। मैं आज आपको पूछ रहा हूं कि ढाई वर्ष में आपने सड़कें बना दी हों, बिजली आपने खूब पैदा कर दी हो, स्कूल आपने खोल दिए होंगे, आप बता सकते हो क्या, आपकी जानकारी में है क्या या किसी भी मंत्री की जानकारी में हो कि हमने राजस्थान में ढाई वर्ष में इस प्रकार का कृषि उद्योग खोला हो जिससे कृषि उत्पादन का डिस्पोजल वहां हो जाए, उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाए, वह दूसरी किस्म में कन्वर्ट हो जाए। नहीं है। बल्कि उलटे बन्द हो रहे हैं। आज चाहे तेल का मामला हो वह बन्द हो रहा है, चाहे और चीज हो वह धीरे-धीरे बन्द होती जा रही है। इसलिए एक व्रत लें। हम कृषि के क्षेत्र में विकास तब ही कर सकते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग हम स्थापित करें। वहां उद्योग कैसे स्थापित हो सकते हैं उस पर बैठ कर विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, मुख्य मंत्रीजी कई बार अपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हैं, इस घोषणा पत्र में कई बातें लिखी हैं, या तो मुख्य मंत्रीजी को याद नहीं होंगी और याद हैं तो मैं इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात की चर्चा हुई कि कर्जा माफ करके हमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसान के ऊपर कर्जा या आम जनता के रूप में कर्जे में आ गया पर कैपिटा डैट बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। उसी आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स का कर्जा। वह काफी कर्जदार है। उसके उपरान्त भी पूरा हिसाब लगाएं तो पिछले तीन वर्षों में या ढाई वर्षों में साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपये की फसल नष्ट हुई है। साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की अकाल के कारण से हुई है, ज्यादा सिंचाई का पानी नहीं मिला और खेती नहीं कर सका उसके कारण से हुई, सोयाबीन में लट लग गयी उसके कारण से नुकसान हुआ। उस नुकसान देने वाले किसान के लिए, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुआवजा दिया जाएगा। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने एक कौड़ी भी आज तक मुआवजा दिया है क्या? यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं। इसी प्रकार से आपने कहा है कि यदि किसान को आपदाओं के कारण से कोई संकट खड़ा होगा तो क्षतिपूर्ति की जाएगी। न तो क्षतिपूर्ति की और न किसी प्रकार का भुगतान किया। इसलिए मैंने जो भूमिका आपकी आपके सामने रखी है, किसान को अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। कोई भूकम्प नहीं आएगा कि उस कर्जे के अन्दर उसको किसी न किसी प्रकार की राहत दें।

मंत्रीजी बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैंने कोआपरेटिव सैक्टर की बहुत पत्रावलियों और कोआपरेटिव सैक्टर को देखा है। आप जानते हैं, बहुत वर्षों पहले एक व्यवस्था थी कि किसान से मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा। मैंने सारा हिसाब देखा है। मुख्य मंत्रीजी, मूलधन से ब्याज लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो शार्ट टर्म लोन है, जिस समय चुकाया जाता है उस समय हिसाब देखा जाता है। उसके बाद वही शार्ट टर्म लोन मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय उसको एक्सैप्शन नहीं मिलती। यह शार्ट टर्म लोन से ट्रांसफर होकर इसमें आया कि नहीं, लेकिन उससे कर्जा उसी प्रकार से वसूल किया जाता है। यदि आप नहीं माने तो आपके जो कैम्प लगे थे उन कैम्प में जो निपटारे हुए हैं, इसी बात के ऊपर ज्यादा विवाद था कि हमसे इतना कर्जा वसूल नहीं किया जाए। लेकिन कर्जे की किसान को जरूरत है। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कर्जे से मुक्ति दिलाने का एक तरीका है। हमारे यहां जितने भी कामर्शियल बैंक्स हैं उनमें डिपोजिट हमारे यहां बहुत है और डिपोजिट के अगेंस्ट में हम लोगों को उस बैंक की सहायता बहुत कम मिलती है। डिपोजिट और इन दोनों के रेशों में लगातार अन्तर बढ़ रहा है। मैंने भी एक बार बहुत कोशिश की थी, कोशिश करने के बाद में कुछ कामयाब भी हुआ लेकिन कामर्शियल बैंक्स आज किसान को देता है 12 या साढ़े बारह प्रतिशत के इन्टरेस्ट से और कोआपरेटिव सैक्टर से उसे मिलता है 18 प्रतिशत के हिसाब से। अगर हम यह कोशिश करे कि किसान को 12 प्रतिशत के हिसाब से कामर्शियल बैंक से कर्जा दिलाएं तो कोई ऐसा बैंक नहीं होगा कि सरकार जिसके पीछे पड़ जाए और वह बैंक इतनी हिम्मत कर ले कि हमको 12 प्रतिशत कर्जा नहीं देंगे। 6 प्रतिशत किसान को इससे लाभ होगा। लाभ होगा तो मैं जो कह रहा हूं, कास्ट आफ प्रोडक्शन किसान की कम होगी। वह कास्ट आफ प्रोडक्शन होने का तरीका है। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि दो-तीन दिन में ही आप क्रेडिट और डिपोजिट रेशो के आधार पर और जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर्जे की व्यवस्था है उन बैंक्स के प्रोग्राम में जो व्यवस्था है उसका शत-प्रतिशत इम्प्लीमेंटेशन कराएं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शत-प्रतिशत इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो किसान को कर्जे से मुक्ति हम दिला नहीं सकेंगे और मैं यह कह सकता हूं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन किसी भी हिसाब से गिरेगा नहीं। ऐसी स्थिति में मैं आपको आपके घोषणा पत्र की याद दिलाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि घोषणा पत्र में आपने जो बातें लिखी हैं वे साहसिक बातें हैं, आपने साहस किया है। इन साहसिक बातों को यदि आप भूल जाएं तो मैं ऐसा समझता हूं—

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि घोषणा पत्र के आधार पर जो उपलब्धियां हुई हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय उसके ऊपर भी कुछ कमेंट्स कर दें तो अच्छा रहेगा। जहां तक क्रेडिट और डिपोजिट रेशो की बात है इसके लिए हम लोग दो मीटिंग कर चुके हैं। मैं खुद चाहता हूं कि राजस्थान के सर्वाधिक किसानों को लाभ मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है, मैं बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी उपलब्धियां तो रामस्वरूपजी ने बता दीं, मैं क्या बताऊं? कोई उपलब्धि छोड़ी हो तो बता दूं, सब तरह की उपलब्धियां बता दीं। उपलब्धियों को बताने के सन्दर्भ में एक माननीय सदस्य ने तो हमारी सरकार की तुलना की 1956 से कि 1952 में क्या था और आज क्या हुआ। 1952 में और अब में बहुत फर्क है। अब इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं। वह इस बात की भी तारीफ कर गये कि राजस्थान में आप जैसा मुख्य मंत्री कोई नहीं आया। मैं मान सकता हूं कि आप जैसा मुख्य मंत्री नहीं आया लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि राजस्थान में मुख्य मंत्री टीकाराम पालीवाल पहले बने, उनके बाद जयनारायण व्यास बने, उनके बाद मोहन लालजी सुखाड़िया बने, उनके बाद हरिदेव जोशी बने, उनके बाद जगन्नाथ पहाड़िया बने—

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले तो आप बने, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बरकत साहब बने।

श्री उपाध्यक्ष : आप बने न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो इनके मुकाबले में नहीं मानते हैं वह, लेकिन मैं उनका कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया साहब, बरकत साहब, जोशीजी, माथुर साहब जिन लोगों ने राजस्थान की नींव रखी है, राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है उस विकास की भूमिका बनायी है, उन भूमिका बनाने वालों को अगर कांग्रेस के लोग यह कहे कि आपसे वे अच्छे नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह किसी ने नहीं कहा है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है, आप रिकार्ड निकाल लीजिए, सदन की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए। आज मैं पूरे वक्त सदन में मौजूद था, ऐसा नहीं कहा है, आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूपजी ने एक बार नहीं, वित्त मंत्रीजी, आप रामस्वरूपजी का निकाल लें, उन्होंने तो पूरा का पूरा अशोक पुराण पढ़ दिया।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने तो पब्लिकली हमारा आई.आर.सी. हुआ तब भी कहा था—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपके लिए नहीं कहा। आपने नहीं कहा है, मुझे मालूम है।

श्री अशोक गहलोत : आपके सबके नाम लेकर, आप सबका कन्ट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान को बनाने के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसका बड़ा एहसानमंद हूं और आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आपके लोग यहां कहें—

श्री अशोक गहलोत : लोग क्या कहें, अगर उनका अनुसरण करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपके लिए कभी कहूंगा नहीं और मैं यह मानता भी नहीं कि आप यह कह सकते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो अच्छी बात है न। उनसे अच्छे अगर सिद्ध होते हैं तो यह खुशी की बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों में से एक बटा दो प्रतिशत की यह राय हो भी कि इन जैसे मुख्य मंत्री कोई नहीं हुए तो इसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कहां आपत्ति है?

श्री रामनारायण चौधरी : तो फिर आप कह रहे हो न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब, आप भी कभी किसी जमाने में मंत्री थे अब मैं आपके मुकाबले में किसी को खड़ा कर दूं कि रामनारायणजी से बहुत अच्छा था, कैसा लगेगा आपको?

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छा लगेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आपको उस समय मंत्री बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशंसा करें लेकिन हम इस बात को भूले नहीं कि जिन लोगों ने काम किया है राजस्थान के लिए, मुझे मालूम है, काम कोई छोटे-मोटे नहीं किए हैं। बाइस रजवाड़ों को एक साथ करना, बाइस राजा-महाराजाओं के राज से प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाना, जागीर रिजम्पशन करना-ये मामूली बातें नहीं हैं। आज उन मामूली बातों के सामने अगर हमने एक यहां हैण्ड पम्प लगा दिया, एक पाइप लाइन कर दी, 20 किलोमीटर सड़क बना दी, वह कार्य नहीं आते। आज मैं बता दूं, कोई भी राजस्थान में बेसिक चीज किसी ने की हो तो मैं तारीफ करूंगा। कांग्रेस पार्टी का राज था लेकिन जागीर रिजम्प्शन हुआ, जमींदारी का रिजम्प्शन हुआ। ये सब कुछ जितने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी लैण्ड रिफार्म्स किये, राजस्थान में शांतिपूर्वक तरीके से हुए। जितने भी राजस्थान में नये कानून बने हैं, आज इन कानूनों में हम कभी अमेंडमेंट लाते हैं, कुछ करते हैं, ये कानून उस समय बने। राजस्थान की योजना क्या है, राजस्थान का भविष्य क्या है, उस भविष्य के बारे में रूपरेखा बनायी। आज हम उनको भुलाकर आपकी तारीफ करें। मैं भी तारीफ करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं तो यह कहता हूं कि यह कांग्रेस में जितनी फौज है उनमें से ये सबसे बढ़िया हैं। उसमें कोई मुझे कुछ नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तो वह मुख्य मंत्री बने ही हैं और इधर श्रेष्ठ आप थे आप बने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताया न आपको। आप बैठ जाओ। मैंने तो तारीफ की है। आज 153 हैं, उन 153 में सबसे बढ़िया हैं।

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने तो बैठा ही दिया और आप और बैठा रहे हो चौधरी साहब को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं कोई बात वैसे नहीं कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई नासमझ आदमी है वह बोल देता है उनकी ना-समझी को माफ कर देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, वह नहीं कर पाये। फसल बीमा को प्रोत्साहन किया जाएगा, अब आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं भारत सरकार के साथ मिलकर हम करेंगे। घोषणा पत्र में लिख देते, भारत सरकार ही करेगी तो हम भी कर लेंगे। लेकिन आपने तो इंडिपेंडेंटली किया सारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। और आगे, कृषि उपज की बाजार की प्रतिस्पर्धी शक्तियों के कुप्रभाव से बचाने के लिए, किसानों के लिए समुचित भण्डारण की व्यवस्था की जाएगी, वह भी की नहीं है। किसान अपनी फसल को भण्डार, यह तो कर रहे होंगे। ग्राम स्तर पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, यह भी नहीं किया। राज्य के लिए कृषि नीति बनाकर, कृषि नीति बनाने में कौनसी परेशानी थी? राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, इस कृषि प्रधान प्रदेश में आप कह रहे हैं कि हम कृषि नीति बनाएंगे। मैं समझता हूं बनायी जा सकती थी और इसके साथ हो सकता था।

अब उपाध्यक्ष महोदय, फिर आपने लिखा। कृषि के साथ केवल कृषि ही नहीं है, कृषि के साथ पशुपालन भी है। पशुपालन के लिए मैं कह सकता हूं कि इस विभाग की उपेक्षा, जिसके लिए मैं अपने आपको, आप भी जिम्मेदार मानता हूं, इस विभाग की जितनी उपेक्षा राजस्थान में हुई है, कोई भी कृषि प्रधान प्रदेश में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इसका परिणाम है कि आज पशुधन की कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पशुधन से शायद ही इस मंत्रालय को, सब्जैक्ट टू करेक्शन, दो करोड़ रुपये की आय है। इससे ज्यादा आय नहीं है। खर्चा भी तीन-साढ़े तीन करोड़ का होगा। आज यह एक ऐसा सहारा है किसान की उन्नति करने का, राजस्थान की उन्नति करने का। कई बार प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने इस सम्बन्ध में कुछ लोगों से जानकारी की, कुछ किताबें भी पढ़ीं। मेरे मन में भी वहम था। वहम यह था कि हमारी गाय या भैंस के जो दूध होता है उसमें फैट कंटेन्ट कम होता होगा। लेकिन मालूम यह हुआ कि यह जरसी, होलस्टीन जब से राजस्थान में इम्पोर्ट हुई हैं, लोग आज सबसे ज्यादा इन गायों को खरीदते हैं। खरीदने के दो रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट तो इसको बछड़ा हो गया तो सिवाय कसाई खाने के उसको और कहीं जगह नहीं मिलती। वह न हल में काम आता, न गाड़ी में काम आता, न कुएं पर काम आता। ऐसी स्थिति में हम अगर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जितनी भी नस्लें हैं, आज खेतसिंहजी जानते हैं जैसलमेर के अन्दर राठी गाय, उस नस्ल के मुकाबले में संसार में बहुत कम नस्ल की गायें होंगी। आज उनका हम इम्प्रूवमेंट करें तो जर्सी से ज्यादा दूध देंगी। उस दूध में फैट कंटेन्ट बिलकुल कम है। हमारी एवरेज का फैट कंटेन्ट जितना है उससे कम फैट कंटेन्ट आज जरसी, होलस्टीन का है। लेकिन हम उनको ला रहे हैं। दूध का उत्पादन बढ़ेगा। दुर्भाग्य से उस गलती में मैं भी शामिल हुआ कि एन.डी.डी.बी. में जितनी भी इस प्रकार की गायें आयीं उससे दूध का उत्पादन उनका बढ़ा। अब मुझे जानकारी मिली है कि दूध का पाउडर इम्पोर्ट करके उस दूध के आधार पर वे अपना कारोबार करते थे। आज उससे नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ है। उस नुकसान की पूर्ति करनी पड़ेगी।

इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे कहना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं क्योंकि आप मारवाड़ के रहने वाले हैं। हरिसिंहजी यहां नहीं बैठे हैं, मैंने कांफ्रेंस अटेण्ड करके इनको बुलाया और बुलाकर मैंने इनसे बातचीत की। मैंने कहा आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट पिकअप कर लो, आप जैसलमेर कर दें, थारपारकर और राठी होगी। कानून बना दें कि इसमें दूसरी नस्ल का बुल नहीं होगा। उसका जैस्टेशन होगा या उस बुल को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से आप दूसरी जगह कर लीजिए। नागौर में नागौरी बैल का कर दीजिए, सांचौर में कांकरेज का कर दीजिए और कहीं गीर है उसका कर दीजिए। कुल छह डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमारी नस्लें सबसे बढ़िया हैं, उत्तम नस्ले हैं। उन उत्तम नस्लों के बारे में यह काम कर दीजिए। अब करने में, उपाध्यक्ष महोदय, बुल्स तो इतनी जल्दी मिल नहीं सकते। बुल्स के बारे में कई स्कीम्स बनीं हैं। ऐसा नहीं है कि स्कीम नहीं बनी हैं, कई स्कीम्स बनी हैं बुल्स के सलैक्शन की। बुल्स को कैसे तैयार किया जाए, कैसे रख-रखाव उनका किया जाए, उसमें हमने कई तैयारियां की हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर वह तैयारियां नहीं हुई। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में यदि कोई खर्चा करना चाहे तो ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है लेकिन इस सारे राजस्थान के गौधन में सुधार लाने के लिए यदि काम किया जाए तो पैसे मैं भी लाऊंगा। पहले एक जगह आप काम शुरू कर दीजिए और उसी जगह काम शुरू कर दीजिए जहां पर चारे की भी कमी नहीं हो, जहां पीने के पानी की भी कमी नहीं हो। जैसलमेर में दो ब्रीड है थारपारकर और राठी, इन दोनों ब्रीड का सुधार करने के लिए उस एरिया को आप कानूनी दृष्टि से बैक करिये। उसी प्रकार से ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करना है। बिना कानून के नहीं हो सकता। कानून आपको बनाना पड़ेगा, कानून नहीं है। किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की ब्रीड हो, आज कोटा और उदयपुर है, माफ करें, वहां के पशुओं की नस्लें अच्छी नहीं है। हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब इम्प्रूव कैसे करें, इसके बारे में तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। लेकिन आज तो दुर्भाग्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन के लिए हमें लिक्विड नाइट्रेट नहीं मिल रहा है। हास्पिटल में सब कुछ है, लेकिन कोई किसी के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता। मैं समझता हूं यदि हमने बुल्स का सलैक्शन किया और बुल्स के आधार पर अलग-अलग जिले बांटे और बांटने के बाद में आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन से भी हमने कोशिश की तो हमारी नस्ल का सुधार हो सकता है और नस्ल सुधरेगी तब मैं आपको कह सकता हूं, इसके कारण से किसान की इन्कम बढ़ेगी, किसान के सामने चारे की समस्या है वह ज्यादा नहीं रहेगी। किसान का कैटल फीड बढ़ाने के लिए मैंने शांता कुमारजी को कहा था, आपसे भी मेरी बात हुई थी कि आपके पास जितना भी राटन गेहूं है, यू.पी. के अन्दर मौलेसिस सरप्लस और कुछ इनग्रेडियेंट्स को शामिल कर लीजिए, और कैटल फीड बनाकर सारे हिन्दुस्तान में जानवरों के लिए उसका बंटवारा करिये, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी। यह अनाज जो सड़ेगा, सड़ने से बचेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। इसलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं, खेती के साथ-साथ आप चाहे जितनी हमसे मदद लेना चाहें, मदद मैं देने को तैयार हूं। व्यवस्था में भी और साधन जुटाने में भी लेकिन राजस्थान के गौ-धन को, पशुधन को आप इस स्थिति में ले जाएं कि यह पशुधन राजस्थान की एग्रो इकोनोमी को एक प्रकार का डायरेक्शन दे सके, एक प्रकार से इसको बूस्ट कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ों का मामला है। अब भेड़ें राजस्थान में कैसी हैं, राजस्थान पहले खाली था। राजस्थान में नाड़े, जोहड़े, बीड़ सब थे, आज न कोई नाड़ा है न कोई जोहड़ा है बल्कि श्मशान भूमि का भी हमने लोगों को अलाटमेंट कर दिया। फोरेस्ट कुछ है नहीं। ऐसी स्थिति में एक करोड़ के करीब, कितनी होंगी, डेढ़ करोड़ के करीब भेड़ें आज मध्य प्रदेश के दरवाजे पर खड़ी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार उनको घुसने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं देती। हमने मध्य प्रदेश की सरकार को कहा, आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि इनकी चराई का पैसा हम जमा कराएंगे, इनको चरने दो। लेकिन चरने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे साथ एक घटना हुई, उपाध्यक्ष महोदय, आज के चार-पांच वर्ष पहले, उस समय मैं मुख्य मंत्री था। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के विधायकों की बैठक थी उस बैठक में मैं गया। जहां बैठक में पहुंचा मैं और सब लोग कहने लगे कि भेड़पालक से हम तो भयभीत हैं, भेड़पालक नहीं आने चाहिए, भेड़ें नहीं आनी चाहिए, उनके कुत्ते नहीं आने चाहिए। मैंने पूछा बीमारी क्या है? ये गोफन चलाते हैं। मैंने कहा आज उनको मारते हो तो गोफन ही चलाएंगे और क्या होगा। लेकिन आज सारी जनता में धीरे धीरे भगवान जाने कैसे विरोध बढ़ा है। न जनता चाहती, न सरकार चाहती। अब हमारे फोरेस्ट में जो जाने दिया जाता है, कितना किस तरह से उनका हरेसमैंट होता है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। करौली से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि भेड़पालकों की कितनी परेशानी है। जहां भी जाते हैं भेड़पालक वर्सेज लोकल रेजीडेंट, उन पर सब प्रकार से झगड़े होते हैं जिससे यह ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन और बिगड़ती है। मुख्य मंत्रीजी, कहना चाहूंगा कि आपने उसमें कोई विभाग नहीं रखा है। इसको मजाक में मत लीजिये, मेरे कहने से आप कृषि और पशुधन ये दोनों विभाग ले लीजिए और खां साहब को यदि देना हो तो चाहे गृह मंत्रालय दे दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री जगत सिंह दायमा : आप पशुओं के लिए बोल रहे हैं इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार आए या आपकी आए, जब गधों का मेला भरता है तो कोई उद्घाटन करने को नहीं जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां तो आपने ठेका ले रखा है उद्घाटन करने का, मैं क्या करूंगा? हमारा नम्बर ही नहीं आता।

ऐसी स्थिति में, मैं यह मजाक में या व्यंग्य में नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि आज राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है तो कृषि और पशुपालन है। इसके ऊपर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से यह मान सकता हूं कि किसानों को बीज, खाद, पानी, बिजली, किसानों के पशुओं को चारा यह सब कुछ उपलब्ध होगा और राजस्थान की रूरल इकोनोमी में एक ऐसा जबरदस्त बूस्टअप आएगा जो हम किसी भी तरीके से नहीं ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो चीजें अच्छी हुई, साक्षरता में और गरीबी में, गरीबी में संख्या कम आयी है, गरीबी में 27 प्रतिशत से हम 15 पर आये हैं और साक्षरता में 38 प्रतिशत से हम 61 प्रतिशत तक चले गये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके साथ फिर आता है, गरीबी मिटे, यह गरीबी मिटने की चीज इस तरह से तो है नहीं कि आज कोई आदमी ने नाइन्थ पास कर ली और पास करने के बाद वह मैट्रिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में ही जाएगा, आठवीं में नहीं आएगा। यह चीज ऐसी है कि अगर हमने सारी व्यवस्था नहीं की तो गरीबी बढ़ने में भी देर नहीं लगती। व्यवस्थाएं कीं तो गरीबी घटने में भी देर नहीं लगती।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा यह सारा बजट एक प्रकार से कर्मकाण्ड है। मैं उन आर्थिक बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहता जिनका माननीय सदस्यों ने काफी अच्छी तरह से जिक्र किया है। मुझे इस बात का अफसोस है, आप चाहे माने या नहीं मानें कि आपने प्लान साइज छोटी करके राजस्थान का अनर्थ किया है। हमारे वित्त मंत्रीजी कई बार कह जाते है कि बिना साधनों के आपने साढ़े 27 हजार करोड़ का बना दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि साढ़े 11 हजार करोड़ की जिस समय योजना बनाई थी उस समय भी 2700 करोड़ रुपये ए.आर.एम. के रूप में मेरा कमिटमेंट था, 2700 करोड़ रुपये इकट्ठे किये। इस योजना में जो साढ़े 27 हजार करोड़ की है, 3200 करोड़ के ए.आर.एम. का कमिटमेंट था। 3200 करोड़ के अगेंस्ट में आपको जितने टैक्स लगाने थे लगा लिये, लगभग 2 हजार करोड़ के आपने टैक्स लगाये हैं और 2 हजार करोड़ का मतलब 4 वर्षों में, आप 5 वर्ष नहीं लें, 4 वर्षों में लें तो 8 हजार करोड़ रुपये के टैक्स होते हैं। मैंने तो 3200 का कमिटमेंट किया था। अगर इसमें बिजली और मिला दें तो 1762 करोड़ रुपये वह होते हैं। 8 नहीं कितने करोड़ों के अंदर चला गया। ऐसी स्थिति में आपने प्लेन साइज छोटी की।

मुझे दुःख इस बात का भी है, अभी चर्चा कर रहे थे कि जन सहयोगिता से काम चले। हमने 'अपना गांव अपना काम' योजना चलाई थी, यह कोई नाम की नहीं चलाई थी ''अपना गांव अपना काम' योजना के पीछे एक मुद्दा था पब्लिक का, कोआपरेशन हो, फिजिकल कोआपरेशन भी हो, मनी से भी कोआपरेशन हो। एक एजेन्सी बनती है, एक भावना पैदा होती है कि मैंने इस काम में 100 रुपये लगाये हैं तो 100 रुपये का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाए। इसलिए हमने 'अपना गांव अपना काम' योजना चलाई। उसी प्रकार से '32 जिले और 32 काम' यह योजना चलाई। और तीसरी योजना, मैं गुलाब चन्दजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भामाशाह योजना चलाई। शुरू-शुरू में मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन जब स्कूल खुलने लगे, कालेज खुलने लगे, हास्पिटल बनने लगे, सब प्रकार के विकास के काम होने लगे तो हमने फिर योजना बनाई कि इन भामाशाहों को बुलाएं, इनका सार्वजनिक रूप से सम्मान करें, इनको मीमेंटो दें। यह योजना जन सहयोग प्राप्त करने के लिए की गयी थी। मुझे दुःख है कि इन योजनाओं में पिछले दो वर्षों में आपने कुछ पैसा खर्च नहीं किया। लोगों की जो फीलिंग थी, मैं आज भी कहता हूं कि राजस्थान का यदि सर्वांगीण विकास करना है तो केवल सरकार नहीं कर सकती है। सरकार को जन सहयोग मिले तो हमें जन सहयोग के लिए वातावरण बनना पड़ेगा। वह वातावरण बना हुआ था, वह दुर्भाग्य से रुक गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसी स्थिति में योजना का आकार आपने छोटा किया, साढ़े 27 हजार करोड़ की योजना अब शायद 20-22 हजार पर अटकेगी। लेकिन आपका मन तो शुरू से अटका हुआ था। योजना इस समय आकर अटक जाती कि हमारे पास साधन नहीं हैं इसलिए 22 हजार करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन आप तो जिस दिन से आये हैं उस दिन से योजना बड़ी बता रहे हैं। इस योजना के आकार को बिना साधनों का आकार आपने बता दिया। आप भी जानते हैं, मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं, जिस समय योजना बनाई गई थी उस समय पे-कमीशन का इतना भार आएगा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। मैं तो बैठक में था, उसमें उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि पे-कमीशन के कारण से 11 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, आप लोग अपनी तरफ से किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं कर लेना। सब मुख्य मंत्री थे, सबने कमिटमेंट कर लिया। लेकिन जिस समय झटका लगा, 29 हजार करोड़ के ऊपर यह पे-कमीशन की लाइबिलिटी आयी है। अगर मैंने उस समय लाइबिलिटी को चुकाने के लिए बजट में या और किसी प्रकार से कोई व्यवस्था की है तो वह परमानेंट व्यवस्था नहीं हुई है। आज राजस्थान का भाग्य योजना से जुड़ा हुआ है और योजना में आपने जो कटौती की है, राजस्थान के विकास के ताला लगाने की चेष्टा की है। मैं आज भी चाहता हूं कि हम बैठें, आपस में विचार करें कि क्या यह योजना साढ़े 27 हजार करोड़ की चल सकती है। इस योजना में सहभागिता का अंश शामिल करें और इस योजना को बढ़ाएं। आप यह नहीं कह सकते हैं, कई बार हमारे वित्त मंत्रीजी भाषण दे जाते हैं कि आपने कर्जा लिया, उस कर्जे से जो साढ़े 11 हजार करोड़ की योजना का आपने पोषण किया है। कर्जे का मतलब क्या है? आज उस योजना में क्या किसी की जेब में पैसा रखने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैंने आपको कहा न कि भारत सरकार पर चार लाख साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का एक्स्टर्नल डैट है, इसी तरह से इंटरनल डैट है। आप पर 39 हजार करोड़ का कर्जा है। मैंने अपने शासनकाल में कुल 15 हजार करोड़ का कर्जा आठ वर्ष में लिया था, आपने दो वर्ष के अंदर 16 हजार करोड़ का कर्जा लिया है। उससे आप अंदाजा लगा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, अगर आपकी इजाजत हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप थोड़ा रैस्ट ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट री पेमेंट के साधन ओवरड्राफ्ट में आ जाएंगे, आपको परेशानी आएगी। भारत सरकार के पास एक रहता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, हमारे पास नहीं है। किस सीमा तक कर्जा लें, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डाल दें, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए प्रसन्न हूं कि आप भी यह चाहते हैं, मैंने दिल्ली में भी हमारे प्रधान मंत्रीजी को कहा है कि आज इस कर्जे की सीमा निर्धारित करें और प्रद्युम्न सिंहजी, आपको भी कहना चाहता हूं कि यह कर्जे की आपको ऐसी छूट नहीं दी जा सकती कि जिस कर्जे के कारण राजस्थान की पूरी जनता कर्जदार हो जाए और उसका चुकारा करने के लिए उसके विकास के धन की बलि दी जाए। यह कोई बरदाश्त नहीं करेगा। इसलिए आपने अच्छा कहा। आप कानून आज भी ले आएं, कल भी ले आएं लेकिन कानून लाकर इस विधान सभा को पाबंद करना पड़ेगा। कोई भी सरकार विकास की कास्ट के ऊपर कर्जा ले, वह समझ में आता है, लेकिन कर्जे के नाम पर कर्जा ले लें। अब आपने एडीबी. से लोन लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने लोन लिया, लेकिन प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। कोई नाराज नहीं हो तो मैं आज कहना चाहूंगा, आज जयपुर में 7 पुल बना दिये, क्या यह सरकार की प्राथमिकता है? जिस प्रकार की जनता की पर कैपिटा इनकम गिर रही है, जिस सरकार की जनता का पर कैपिटा कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिस सरकार का पर कैपिटा प्लान इनवैस्टमेंट कम हो रहा है, क्या उस सरकार की यह प्राथमिकता है कि हम 7 पुल बनाएं? उस पुल पर गाड़ी चलेगी, मोटर गाड़ी या ट्रक चलेंगे, गरीब का तांगा तो नहीं जाएगा, गरीब की साइकिल नहीं जाएगी, गरीब का रिक्शा नहीं जाएगा। ज्यादा आदमी तो उस पुल के नीचे और पुराने रास्ते से जाएंगे। लेकिन अमीरों के लिए आपने सुविधा कर दी। अब यही पैसा जो आप कह रहे हैं यदि प्लान में शामिल कर लिया जाता तो क्या व्यवस्था होती?

श्री प्रद्युम्न सिंह : We have not provided any funds. It is J.D.A.'s fund. हमने एक पैसा इसके लिए नहीं दिया है। एडीबी. से अभी इस पेटे कोई पैसा नहीं आया है...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाएं। प्रद्युम्न सिंहजी, इतना सीधा मत समझें मुझे आप, जो आप यह कहें कि जेडीए. का पैसा हम नहीं ले सकते थे। जिस समय भी संकट आता है तो जेडीए. हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, संकट आता है तो उसका समाधान करने के लिए फण्ड्स के बैस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हम कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई कानून हमको नहीं रोकता है। आज आप यह कहें कि नहीं, यह पैसा जेडीए. का है, वह हम खर्च कर सकते हैं तो मुझे मालूम है, जेडीए. का पैसा कितना आपने पीडी. अकाउंट में जमा किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बहस का विषय है कि जयपुर में आबादी बढ़ी है, जयपुर में ट्रैफिक प्राब्लम है। यह तो लम्बी बहस का विषय है, इस पर अलग से बहस हो जाए तो बेहतर रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहस का विषय नहीं है, यह प्राथमिकता का विषय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। जिस सरकार के पास एक-एक पैसे की कमी है उस सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। प्राथमिकता तय नहीं करेगी सरकार और केवल शिलान्यास और उद्घाटन इन दोनों के साथ जुड़ी हुई रहेगी तो मैं आपको कहता हूं कि यह जनता—

श्री रामस्वरूप : विधान सभा की क्या जरूरत पड़ी? उस समय आपने ही रखा प्रस्ताव।

श्री जगत सिंह दायमा : विधान सभा बिक सकती है एक हजार करोड़ में।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : विधान सभा की शुरूआत नहीं करते, 90 करोड़ रुपए पड़ चुके हैं, इसकी शुरूआत नहीं करके जाते आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मान गया न। समझ गया मैं। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार ने प्राथमिकता तय नहीं की है उस सरकार को कर्ज लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप पहले प्राथमिकताएं तय करो कि राजस्थान में किस प्रकार की हमें व्यवस्था करनी है और उसके लिए कितना धन चाहिए। आप उसके लिए कर्जा लो। आज आपको बता देता हूं, मुख्य मंत्रीजी, यह संसार तैयार बैठा है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी नाम से कर्जा ले ले, कोई भी सेण्ट्रल गवर्नमेंट किसी नाम से कर्जा ले ले, वे तो कर्जदार बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं, हमको कर्जदार बनाकर अपना मार्केट यहां पर खोलना चाहते हैं। वैसी स्थिति में जहां आवश्यक हो, वहां उस तरह की बात चले तो मेरे भी समझ में आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का उत्पादन गिर रहा हो तो कृषि का उत्पादन बढ़े यह प्राथमिकता है या यह पुलिया बने, यह प्राथमिकता है? कृषि का उत्पादन बढ़े यह प्राथमिकता है या सड़कों पर दो-दो, तीन-तीन बार काला कारपेट किया जाए यह प्राथमिकता है? वह प्राथमिकता मैं नहीं मानता, आप मानते होंगे। फिर मैं आपको कहता हूं कि ये चीजें ऐसी हैं कि चुनाव के मौके पर लोग उस पुलिया को वोट नहीं देते, उस सड़क को वोट नहीं देते हैं। आपको सड़क की ज्यादा चिंता थी तो आप अपने छह सौ करोड़ रुपए जो इस समय आपने सड़क के काम में लिए हैं, मैं इस गवर्नमेंट पर चार्ज लगाता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपने घोषणा पत्र में स्वीकार किया है कि जनता के शासन में सड़कें टूटी हुई थीं इसके कारण से एक्सीडेंट ज्यादा हुए, लोग बहुत ज्यादा मरे। आप घोषणा पत्र देखना चाहते हैं तो मेरे पास पड़ा है। उस घोषणा पत्र के आधार पर आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि सड़कें टूटी हुई पड़ी थीं लेकिन इन दो साल में, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सड़क पर चले जाएं, दो में से एक चीज टूटेगी, या तो कमर टूटेगी या गाड़ी टूटेगी। उस समय तक आपने कोई व्यवस्था नहीं की, आज आपने छह सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी। इन छह सौ करोड़ रुपए की भी आपने पूरी व्यवस्था नहीं की है, धोखे में मत रहना।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुछ तो मण्डी समिति से मदद ले रहे हैं, कुछ लोगों से कर्जा लेंगे या व्यवस्था करेंगे, नाबार्ड से पैसा लेंगे। अब नाबार्ड से पैसा लेकर यदि सड़कों की मरम्मत होती है तो कराइए। लेकिन मण्डी समिति में कुल 124 करोड़ रुपए की जो इनकम होती है उस 124 करोड़ रुपए की पूरी इनकम को आप खा जाओगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मण्डी समिति में जिन्होंने पैसा जमा कराया है उनका अधिकार कहां जाएगा? आप दो बरस में लेंगे। मैंने कल एक भाषण सुना था कि हम मण्डी समिति से पैसा और लेंगे। भगवान जाने, यही सुना था, मुझे याद नहीं रहा। ऐसी स्थिति में जब तक हम प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तब तक आप यह मानकर चलिए, हमें बहुत बड़ी कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजना के लिए मैंने कहा, डैट-लाइबिलिटी के बारे में मैं बोल चुका हूं, मुझे कहना नहीं है। टैक्सेशन के बारे में मैं कह देता हूं। कल फाइनेंस बिल पर तो मेरा बोलना नहीं होगा लेकिन आज बता देता हूं। जितना हार्श टैक्सेशन होगा, जितना कैपेसिटी के बाहर टैक्सेशन होगा, आप भरोसा रखकर चलिए, आमदनी भी उतनी ही कम होगी। मुझे भी अफसरों ने घेरा था कि अमुक प्रकार की चीज पर टैक्स लगाओ, अमुक प्रकार के टैक्स लगाओ। मैंने लगभग दो हजार करोड़ रुपए की टैक्सेज में रियायत दी, लेकिन उसके कारण से मेरी जो आमदनी होती थी, वह आमदनी किसी प्रकार से रुकी नहीं। इसलिए आपकी यह थ्योरी गलत है कि हम बहुत ज्यादा टैक्सेशन करके कोई इनकम कर सकते हैं। वह इनकम नहीं होगी। आप देख लीजिए चुभने वाला न हो। आज सारा राजस्थान घूम लीजिए, लोग कहते हैं कि इंसपेक्टर राज वापस आ गया, इंसपेक्टर राज वापस आ गया। इस इंसपेक्टर राज को खतम कीजिए। नहीं खतम करना है तो ट्रेड और इण्डस्ट्री आपके नहीं चलने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में कहते हैं दूसरा आइटम होता है जिससे हम अनएम्प्लायमेंट को दूर कर सकते हैं। राजस्थान में हमने आई.आर.सी. किया, बहुत जोरों से प्रचार हुआ। बहुत जोरों से प्रचार हुआ। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने उनके स्वागत में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। जो आदमी अपने घर से दूसरे घर जाने के लिए रिक्शा और तांगा में जाता था, उसको सबसे बढ़िया गाड़ी आपने उपलब्ध करवाई। जो आदमी अपने जीवन में कभी थ्री स्टार होटल में नहीं ठहरा उसको फाइव स्टार होटल में आपने ठहराया। अच्छा है, राजस्थान आवभगत के लिए मशहूर है। आपने उनका स्वागत किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपको मिला क्या? आपने कहा था कि उद्योग लगेंगे। उद्योग कहां गये? एक-दो उद्योगपति को—

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को इस बात की जानकारी है फिर भी वह इस बात को हाउस में कहना चाहते

(श्री अशोक गहलोत)

हैं इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। यह बात हम लोग आई.आर.सी., 2000 के आयोजन के पहले क्लीयर कर चुके थे पूरी प्रेस के सामने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार, कि हमारा कोई एम नहीं है, हम खाली उनको बुलाकर यह उम्मीद करें कि वे आएंगे तो हमारे यहां इंवेस्टमेंट बढ़ेगा। जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा कोई इंवेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। यह बात पहले भी हमने कही, उसके बाद में भी कही। आपकी जहां तक बात है, आपको इस बात को लेकर जलन है कि वह इतना कामयाब क्यों रहा। इसके पहले आपने कई योजनाएं बनाई उसको फेल करने के लिए, काले झण्डे फहराने के लिए आह्वान किया। फिर आपने देखा कि माहौल पूरा आई.आर.सी. के पक्ष में है, इस प्रदेश की जनता भी और पूरी प्रेस भी, तब आपने फिर उस बात पर बोलना बंद कर दिया, नम्बर एक।

नम्बर दो, मैं कहना चाहता हूं कि आई.आर.सी. में खर्च हुआ उसको लेकर काफी बार चर्चा हुई। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितना हमने खर्चा किया उतना तो एक पार्टी ने ट्रस्ट के माध्यम से पशुओं के चारे की व्यवस्था कर दी गांव-गांव में। हमारा जो एम था, एक तो हम चाहते थे कि वे राजस्थान में आएं और राजस्थान से उनका जो सम्बन्ध है 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, वह किसी प्रकार से वापस मजबूत बने। उसमें हम कायमाब रहे।

दूसरा मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमारा एम यह जरूर था कि जो गांव-गांव में बैठे हुए प्रवासी राजस्थानी, चाहे वे त्रिपुरा में हों, चाहे नागालैण्ड में, उन सबको लाना चाहिए। हम गांवों में जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं, अस्पताल की बिल्डिंग बनाते हैं, गायों की रक्षा करते हैं या छोटे-मोटे काम में मदद करते हैं तो उनकी सेवाओं को सरकार ने पहली बार रिकाग्नाइज किया। उसमें हम कामयाब रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी एक बात में एक्सपर्ट हैं। मैं समझता हूं कि आपसे विद्या मुझे सीखनी चाहिए, नहीं सीखी उसका नुकसान मैंने उठाया है। विद्या क्या है कि कुछ हो या न हो, एडवरटाइजमेंट जबरदस्त हो। बहुत जबरदस्त एडवरटाइजमेंट। (व्यवधान) मीडिया मैनेजमैंट में आप एक्सपर्ट हो, मेरे से बहुत आगे निकल गए। मैं कुछ नहीं। आपके मुकाबले में कुछ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं है, इस बात को देख कर मैं शिक्षा लेने की कोशिश नहीं करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी किस प्रकार से मैनेजमैंट कर रहे हैं। लेकिन आप कर रहे हैं। मैंने सारा साहित्य पढ़ा है, एक लाइन नहीं होगी कि आई.आर.सी. के पहले और आई.आर.सी. के बाद में, जितना भी सरकार की तरफ से साहित्य निकला है, मैंने एक-एक अक्षर पढ़ा है, कहीं आप मुझे बता दें कि हमने स्कूल और दवाखाने खुलवाने के लिए, कोई सहायता लेने के लिए यह आई.आर.सी. कर रहे हैं। आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहा है कि औद्योगिक वातावरण बनेगा। मैं भी जानता हूं कि औद्योगिक वातावरण बन सकता है, बना भी होगा लेकिन आज आप यह कहे कि हमने तो उनको स्कूल और दवाखाना खुलवाने के लिए, मुख्य मंत्रीजी, आपकी ऐसी हैसियत है, मेरी सुन लीजिए—

श्री अशोक गहलोत : मंशा यह थी, उसको जाहिर वहां भी नहीं किया। आज भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सम्बन्ध बनते हैं तो उनको लगता है कि हमारी सेवाओं को सरकार ने रिकाग्नाइज किया है। यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आपके उनसे अब तक सम्बन्ध नहीं थे और आई.आर.सी. नहीं करते तो आपको न वे जानते, न आप जानते उनको। (व्यवधान) मजबूती है या मजबूरी है?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : एक सैकण्ड। मैं पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप रहने दो। उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप राजस्थान के बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या इससे इमोशनल हॉर्मनि नहीं बनी? भावनात्मक एकता तो बनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखिए, वह तो मैं सब समझ गया। आप बैठ जाओ। भावनात्मक एकता यह बनी कि तीन बड़े उद्योगपतियों ने उस कांफ्रेस में क्या कहा था? उन तीन उद्योगपतियों ने कहा हम राजस्थान के हैं इसलिए राजस्थान में उद्योग नहीं लगाएंगे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और हमको फायदा होगा वहां उद्योग लगाएंगे। मुख्य मंत्रीजी, आपको याद होगा, यह कहा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं—

श्री अशोक गहलोत : मैंने ताइद किया है। उन्होंने कहा है तो मैंने खुद ने उनको सपोर्ट किया है मेरी स्पीच के अंदर। शायद आप उस मीटिंग के लास्ट में नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है, आप तो सपोर्ट करते। यों नहीं कि आपको कहा कि आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप निश्चित रूप से उनका सपोर्ट करते कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं है। आपने उनको यह कहा। एक एस. कुमार आये, बड़ा प्रचार किया गया कि 500 करोड़ का इंवेस्टमेंट देकर जा रहे हैं। उस एस. कुमार का पता है क्या आपको कि कहां है? बहुत प्रचार हुआ, आपके अखबारों में आया कि इतना इंवेस्टमेंट तो ये कर ही गये। और उस समय एक लिस्ट निकली कि तीन हजार करोड़ रुपये के लिए तो लोगों ने नाम लिखा दिये, जमीन खरीदने का काम शुरू कर दिया। दुर्भाग्य यह है कि—

श्री अशोक गहलोत : क्षमा करें, आप मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। एस. कुमार की बात हमने कभी नहीं कही, न एस. कुमार यहां पर कोई आया। अगर प्रेस वालों ने अपने हिसाब से, आने की उम्मीद जिनसे थी उनसे सीधा सम्पर्क किया हो,

(श्री अशोक गहलोत)

उनका इंटरव्यू लिया हो और छापे हो तो इसमें आप इसको कोट नहीं कर सकते इस प्रकार से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बात नहीं है, प्रेस वालों ने छाप दी, उनकी गलती है, यह मान लूं मैं। मैं इतना कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगीकरण के लिए जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट करें। उसके बिना कोई नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट करने के लिए यदि हम कोई प्लान बनाकर चले कि तीन वर्ष में अमुक काम कर लेंगे, आप देखिए, मैं आपको बिजली का भी देता हूं, हमको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। हम अमुक प्रकार का काम कर सकते हैं, उसका प्रचार हो तो समझ में आ जाए, लेकिन मेरा फोटो छपे या गुलाब चन्दजी कटारिया का फोटो छपे, आपका छपे और चन्द्रभानजी का छपे, इस एक फोटो को देखकर कोई उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिए नहीं आएगा। वह तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप फोटो दे। आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं उसका फोटो छापे, उसका विज्ञापन दे। उस विज्ञापन के आधार पर ही कोई सारे आ जाएं, उस प्रकार की स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि आई.आर.सी. के बाद में राजस्थान में जितने भी उद्योग रुग्ण हैं उनका रिवाइवल होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, राजस्थान में कुल उद्योग 20,021 हैं उनमें से 983 बंद पड़े हैं। वृहत् और मध्यम उद्योग की 364 इकाइयां हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, एक मिनट टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या-3 पर विचार)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वृहत् और मध्यम उद्योग की 364 इकाइयां हैं इनमें से 184 इकाइयां रुग्ण हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप यह तो मानेंगे कि आई.आर.सी. के बाद में कोई मल्टीनेशनल कम्पनी नहीं आयी, कोई लार्ज इंडस्ट्री नहीं आयी। यह तो आप मानते हैं, कोई नहीं आयी है? आप पूछ लीजिएगा चन्द्रभान को। हमारे यहां मिनी सीमेंट प्लांट 18 हैं और 18 मिनी सीमेंट प्लांट में रीको की 2,899 लाख रुपये की प्रोपर्टी ब्लाक्ड है। यह बंद है। खाद्य तेल उद्योग में 30 में 18 इकाइयां बंद पड़ी हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1,085 लाख रुपया रीको का इसमें बकाया है। ग्रेनाइट उद्योग में 16 इकाइयां हैं इनमें से 13 रुग्ण हैं। इनमें 600 लाख रुपये की बकाया है। राजस्थान में अब सब चीजें कैसे होंगी ?

मुख्य मंत्रीजी ने एक वन विण्डो सर्विस की बात कही। जबसे ये आये हैं वन विण्डो सर्विस, वन विण्डो सर्विस। हम तो बाद में समझे कि वन विण्डो सर्विस का मतलब क्या है, लेकिन वन विण्डो सर्विस का बहुत प्रचार हुआ। आप खुद ही बता दीजिए —

अनेक माननीय सदस्य : वन विण्डो नहीं, सिंगल विण्डो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिंगल विण्डो सर्विस, वन विण्डो सर्विस कुछ भी कह दीजिए। उस सिंगल विण्डो सर्विस चालू करने के बाद आपने जो जमीन एक्वायर की थी उद्योग लगाने के लिए उसमें कितनी डिएक्वायर की? एक तरफ तो उद्योग लगाने का वातावरण बना रहे हैं दूसरी तरफ जो जमीने अवाप्त की थीं कि यहां उद्योग लगेंगे वे जमीने डिएक्वायर की जा रही हैं। वह वन विण्डो सर्विस का—

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने एक नोट भेजा था चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, जो फाइलों पर मौजूद है कि अंधाधुंध जमीनों का एक्विजिशन नहीं किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने लिखा था कि इण्डस्ट्रियल एरियाज बन गये हैं, जहां अलाटमेंट हो गया है, उन सब चीजों की निगाह के अंदर अंधाधुंध जमीनों पर एक्विजीशन न किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह कह दीजिए आपने फाइल पर लिखा था, आपने मेरे हुक्म की तामील की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, आपका—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी अच्छी बात थी, मैंने उद्योग मंत्री की हैसियत से इसको स्वीकार किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रीको का अरबों रुपया जमीन के अंदर फंसाने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसान की जमीन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां आवश्यकता है वहां जमीन ली जाए, बाकी सारी जमीन को डिएक्वायर किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, समझ गया न, आप भाषण क्यों दे रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि एक मंत्री मेरा हुक्म मान रहा है, मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं आपसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी करना चाहता हूं कि कितनी जमीन का डिएक्विजीशन किया आपने?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब मैं उद्योग मंत्री था वह नोट आया, जब मैं पूरा रिव्यू कर रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ठीक है, आप तो बता दीजिए कि इतना किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको बता देता हूं करीब पांच हजार या छह हजार बीघे जमीन का हमने कहा कि यहां आवश्यकता नहीं है, प्लाट बिके नहीं हैं, उसी जगह पर आप फर्दर जमीन एक्वायर कर रहे हैं तो इस रकम को फंसा कर होगा क्या? किसानों की बुराई बंधेगी, प्रोडक्शन कम होगा और आज जमीन बिक नहीं रही है, ब्याज का कितना बोझ पड़ेगा। तो एक नीतिगत फैसला आ गया कि जहां आवश्यकता नहीं है वहां जमीनों को डिएक्वायर कर दिया जाए। उसी को मेरे बाद के उद्योग मंत्रीजी ने फालो किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बहुत ठीक किया। (व्यवधान) चन्द्र भानजी।

डा. चन्द्रभान : एक सैकण्ड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल लेना बाद में। आपने ठीक फैसला किया। आपने डिएक्विजीशन किया, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं। मैं इस बात को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि उद्योग लगाने के लिए नहीं, जिनके लिए जमीन अवाप्त की थी वह भी हमने छोड़ दी और आपने इसको मंजूर कर दिया, यह सबसे बड़ी बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे....

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : एक सैकण्ड, सर। आप ठीक कह रहे हैं, जहां उद्योग नये स्थापित नहीं हो सकते थे और पहले आवश्यकता से ज्यादा जमीन को एक्वायर कर लिया वहां पर डिएक्वायर किया गया है। ऐसा नहीं है। कई नयी लैण्ड भी एक्वायर की गई है, जैसे अभी दिल्ली से लोग आ रहे हैं तो भिवाड़ी के नजदीक नया एरिया डवलप किया है, वहां लैण्ड एक्वायर की है। नीमराना में की है, जयपुर में दो जगह की है और राजस्थान के कई हिस्सों में लैण्ड एक्वायर भी कर रहे हैं। यह तो कंटीन्युअस प्रोसेस है। यह बात सही है जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा, आपके समय से ही आपने भी यह व्यवस्था शुरू की कि कई जगह बेवजह किसानों की एक अनुमान लगाकर ज्यादा जमीन एक्वायर कर ली , उसको डिएक्वायर भी किया गया है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ-साथ चल रहे हैं, जहां जरूरत है वहां एक्वायर कर रहे हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां डिएक्वायर कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा था...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका और मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये आपके हितचिंतक हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत शुभचिंतक हैं। आप नहीं हैं क्या? कोई नयी बात थोड़े ही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो ठीक बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि राजस्थान में उद्योग लगे यह हमारी भी इच्छा है, औद्योगिक वातावरण बने यह हमारी इच्छा है। उद्योग चाहे स्माल स्केल हों, चाहे टाइनी इंडस्ट्रीज हों, ये जब तक नहीं लगेंगी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, तब तक इस साढ़े पांच करोड़ जनता में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेरा और कोई मतलब नहीं था। अब एक तरफ जमीन एक्वायर की जाए, दूसरी तरफ जमीन एक्विजीशन के बाद में छोड़ी जाए तो, प्रद्युम्न सिंहजी, बुरा न माने, लोग अंगुली उठाते हैं। मैं नहीं कहता, लेकिन लोग अंगुली उठाते हैं। (व्यवधान) आप सुने तो सही पहले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट सर, प्लीज, प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अंगुली को एक्सप्लेन करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपकी बात को, इस रिकार्ड को स्प्रेड करने के लिए, आपने खुद ने सोच-समझकर आर्डर किया था, आपके पास शिकायतें आयी होंगी, निश्चित रूप से आपने फाइल के ऊपर आर्डर किया था। मैंने खुद ने महसूस किया कि अंधाधुंध जहां आवश्यकता नहीं है वहां जमीनों का एक्विजीशन नहीं होना चाहिए। जहां औद्योगीकरण की बात है, अभी दिल्ली से लोग आए, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, भिवाड़ी में आवश्यकता है, भिवाड़ी में ले रहे हैं, नीमराना के अंदर ले रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो बोलने का नम्बर मिलेगा, मेरा जवाब दीजिए धड़ाके से। बीच-बीच में आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं एक औद्योगिक वातावरण बने। मैं यह भी चाहता हूं, मैंने जो बात कही कि राजस्थान कर्जा नहीं ले। मैंने जो बात कही कि राजस्थान अपने साधनों से आगे बढ़े। हमारे पास तीन तरह के साधन हैं और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि प्राकृतिक सम्पदा के आधार पर राजस्थान गरीब प्रदेश नहीं है, हिन्दूस्तान का सबसे धनी प्रदेश है। अब मैं आपको बताउंगा प्राकृतिक सम्पदा हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। इससे पहले मैं एक जिक्र करना चाहता हूं, कमलाजी उठकर गयीं, मुख्य मंत्रीजी, जरा ध्यान से देखें कि सिंचाई और सिंचाई के संबंध में अन्तरराज्यीय समझौते हैं, पहले तो इस सदन की हमेशा की चर्चा का एक विषय था, कई दिनों से उस पर चर्चा नहीं हुई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि रावी-ब्यास, सतलज के लिए हमारा 1955 में सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था। फिर खोसला कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद में भाखरा पानी का बंटवारा हुआ। उस संबंध में एक एग्रीमेंट हुआ 1971 में, जब जोशी जी थे तब एक एग्रीमेंट हुआ। इस सदन के पुराने सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जिस समय यह एग्रीमेंट हुआ था उस समय विधान सभा तीन दिन तक नहीं चली थी, हम धरने पर बैठे थे और हम यहीं पर सोये थे। उस एग्रीमेंट में एक कमी थी, पानी तो 8.6 हो गया।

(19.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उस समय 8 था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने बता दिया न। यह हमारे भी सावधान हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही को याद है।

मैं इसलिए कह रहा हूं, 8.6 था। उस समझौते में एक मंजूर कर ली बात कि जब तक राजस्थान की क्षमता इस 0.6 एम.ए.एफ. को यूज करने की नहीं बनेगी तब तक पंजाब इसका इस्तेमाल करता रहेगा। 1971 की बात है और आज 2001 है, कितने वर्ष हो गये? और कोई नहीं कह सकता, आज आंकड़ों के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि राजस्थान की इतनी क्षमता नहीं बनी है। लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उस पानी के कारण से जो टोटल पोंडेज में हमारा शेयर 52 परसेंट होना चाहिए, वह 52 परसेंट की जगह 49 परसेंट है। अब ये दो ऐसे मामले हैं कि इनका यदि कोई दुकान पर बैठकर इकोनोमिक केलकुलेशन करे कि यह पानी हमको मिलता तो राजस्थान में कितने हजार करोड़ रुपये की और इनकम होती, अपने आप ही सामने आ जाता। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि यह पानी मिले, यह क्यों नहीं मिलेगा?

आज गंग कैनाल के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं, गंग कैनाल 1923 में बनी थी। कंकर, बजरी और उसके कारण से लाइनिंग भी हुई और बैड भी बना। 1923 में बनी और 27 में चालू हो गयी। आज मैं कह सकता हूं कि 1927 के बाद इस नहर की मरम्मत नहीं हुई। हमने पैचेज में मरम्मत कराई है। इस नहर में ढाई फीट सिल्ट जमी हुई है। उस सिल्ट को निकाल दें तो भी इस नहर को पूरी कैपेसिटी के हिसाब से तो हम चला ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर से यह सारी टूटी हुई पड़ी है। मैं देख कर आया हूं एक-एक इंच को और देखने के बाद कह सकता हूं कि इस नहर की मरम्मत नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे हमने माडर्नाइजेशन की स्कीम बनाई है। ठीक है, आपने माडर्नाइजेशन की स्कीम आज दी है। यह मैं समझता हूं हरिदेवजी जोशी जिस समय मुख्य मंत्री थे उस समय 86 करोड़ की बनी थी, आज साढ़े 4 सौ है। 79 में बनी होगी। साढ़े 4 सौ करोड़ की यह योजना बन गई और साढ़े 4 सौ करोड़ में, अब मुझे याद आ गया कि आपने साढ़े

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

4 सौ करोड़ की जो खर्च करने की बात कही है उसमें फिर मण्डी समिति का पैसा लेंगे, इस प्रकार की इस सदन में चर्चा की गयी है। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं, गंगासिंहजी ने जिस समय नहर बनाई थी उस समय बीकानेर स्टेट का बजट 83 लाख का था, केवल 83 लाख का। भावलपुर की रियासत से बात करके रेजीडेंट से समझौता करके जब वह वहां बीकानेर आये तो उन्होंने अपनी केबिनेट की मीटिंग बुलाई और केबिनेट में कहा कि मैं तो इस नहर को बनाऊंगा। उस समय नहर का खर्चा कोई 84 या 85 लाख के करीब था, ढाई करोड़ था, ढाई करोड़ का खर्चा करके यह नहर लाये। नहर लाये उस समय केबिनेट ने कहा, हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं भीख मागूंगा, बैग, बारो ओर स्टील, यह उन्होंने कहा था केबिनेट में, मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगा लेकिन लाऊंगा। मैं आज आपको, मुख्य मंत्रीजी, कहना चाहता हूं, प्राथमिकता के आधार पर यदि आप राजस्थान कैनाल की मरम्मत कराएं, प्राथमिकता के आधार पर यदि गंग कैनाल की मरम्मत कराएं तो पैसे की कमी नहीं है। इसको तीन वर्ष के लिए पोस्टपोन मत कीजिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों डूब जाएंगे। इधर ओटू बांध पर हरियाणा ने अपना बांध बना लिया है। आज तक तो हम केवल हरिके के ऊपर ही परेशान होते थे। लेकिन अब परेशान हम इस घाघर के पानी के लिए भी होंगे। ऐसी स्थिति में रुपया कहीं से निकालो लेकिन गंग कैनाल की मरम्मत जल्दी से जल्दी कराओ।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी बात, मैं फिरोजपुर हैड और उसके बाद हुसैनीवाला गया। फिरोजपुर हैड में उस समय के फाटक बने हुए हैं और हरिके के फाटक बने हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, हरिके हैड से पानी निकल कर फिरोजपुर जाता है, फिरोजपुर से पानी दूसरी जगह डाइवर्ट भी होता है, नहरों में उसके नीचे से पानी जाता है। मैंने वहां जाकर देखा, उसका रबड़ निकल गया है और रबड़ निकल गया है तो लो लो से या पत्थर पर लो टिक जाए उस कारण से पानी का सीपेज नहीं रुकेगा। आज मैं कहता हूं हजार क्यूसेक्स पानी हरिके से और फ़िरोजपुर से यह सीपेज होकर बाहर जाता है। कुछ आर्मी के लिए रुकता है और कुछ पाकिस्तान जाता है। यहीं बैठे हैं गंगानगर के एम.एल.ए. साहब, इस समय कल्ला साहब बैठे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : शुरूआत तो कर दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, शुरूआत कर दी, वह ठीक है। मैं आपके लिए थोड़े ही कह रहा हूं। आप पूरी भी नहीं कर सकते और शुरू भी नहीं कर सकते, मैं मुख्य मंत्रीजी को कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिकताओं का जब प्रश्न आता है तो मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई प्राथमिकता है तो गंग कैनाल की मरम्मत है।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हमने कई बार कहा है और अभी जब यह डिमाण्ड थी उस वक्त भी कहा है कि अभी जितना सा हमने प्रावधान किया है, वह काम को स्टार्ट करने की दृष्टि से किया है। जितने ज्यादा मोमेंटम से हम काम करा सकते हैं और करा सकेंगे, वह भरपूर ढंग से कराएंगे, उसमें पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। यह गंग नहर के आधुनिकीकरण के बाबत में मैंने कहा है। और जो पानी हरिके बैराज से जा रहा है उसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली, एक हजार के करीब क्यूसेक्स पानी जा रहा था जिसको पाबंद कराया। अब 300 क्यूसेक्स उसमें से जाता है। पंजाब का कहना यह है कि यह हम तभी रोक सकते हैं जब हम पानी के संचालन को रोकें। जब हम रोकने के काम करेंगे तभी हमारे ये फाटक सही हो सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स ने भी कहा है कि अगर अभी अपन फाटकों की रिपेयर के लिए कहेंगे तो पानी का आवागमन बंद हो जाएगा। इसलिए अभी इन 300 क्यूसेक्स की तो मजबूरी है, बाकी हजार में से 700 क्यूसेक्स हमने बंद करवाया है। जितना भी डाइवर्जन पंजाब करता है, जितना भी बी.बी.एम.बी. के कब्जे को मिसयूज करता है, जितना भी इनके हैडवर्क्स के कंट्रोल को मिसयूज करता है उसके बारे में बराबर हम तकाजा करते आ रहे हैं। आप भी करते रहे, उससे पहले हम भी करते रहे, आज भी हम कर रहे हैं लेकिन आज अपर रीचेज में जिस तरह के नैचर से कोई स्टेट काम करती है उसको जितना सा जैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वह सारे तौर-तरीके हम अपनाते हैं, चिट्ठी लिखने का, बात करने का, उनको तकाजा करने का। उसके बाद भी उनकी जो सोच है वह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि गंग कैनाल का पानी हमारे हिस्से का, आप दो बात बता दीजिए, 2700 क्यूसेक्स पानी उसमें आना चाहिए उसकी आज कैरींग कैपेसिटी कितनी है?

डा. (श्रीमती) कमला : इसीलिए तो उसके आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा है। नहीं तो यों ही थोड़े ही कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है न? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 2700 क्यूसेक्स पानी हम उस नहर से खेतों में पहुंचाएं उसके कारण से कितना लाभ होगा? रिटर्न्स मिलेंगी, इमीजिएट रिटर्न्स मिलेंगी। अब वहां, उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूं, मैंने वहां पूछा, पंजाब के इंजीनियर्स थे, लीकेज का सारा हिसाब मैंने देखा। हिसाब देखा है कि लीकेज हो रहा है, लीकेज रुक सकता है। कमलाजी, मैं आपको बता दूं, मुझे कहा है, हो या नहीं हो, मैं नहीं कह सकता, यह कहा है कि 3 करोड़ रुपये यदि खर्च कर दिये जाएं तो हरिके और हुसैनीवाला दोनों के लीकेज को बंद किया जा सकता है। अब आप अंदाजा लगा लें।

डा. (श्रीमती) कमला : नेता महोदय, अभी तक एक चिट्ठी भी, एक लाइन भी, एक टेलीफोन भी पंजाब सरकार ने हमें यह नहीं कहा है कि अगर आप इतना पैसा हमको उपलब्ध करा दें तो हम यह रोक सकते हैं। हमको यही कहा है उन्होंने कि हम अगर इसको रिपेयर कराते हैं तो हम क्लोजर कर लेंगे। क्लोजर लेने की अभी स्थिति नहीं है इसलिए यह बात हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, आपको पंजाब की सरकार न्योता देगी कि यह जो पानी की हम चोरी कर रहे हैं, आप रोकें? मैं समझता हूं मैं तो उम्मीद नहीं करता। यह लीकेज का पानी जो हरिके से जाता है उस पानी में ज्यादा हिस्सा पंजाब का है, वे जो लीकेज होता है उसका हिस्सा लेते हैं। वे आपको क्यों कहने वाले हैं? आपको निमंत्रण देंगे कि हम चोरी कर रहे हैं, आप पुलिस लेकर आ जाओ? आपकी बात सुनकर आज तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह हमारा काम है, हम जाते और देखते मुख्य मंत्रीजी। वहां पर सारे इंजीनियर्स बैठे थे, मैंने कहा, यह ढाई फीट सिल्ट है इस सिल्ट को निकाल दो तो आज पोंग डैम में पानी जितना इम्पाउण्ड हुआ है वह हमको मिलेगा, उस मात्रा में पूरा पानी हम ले सकते हैं। तो पंजाब के इंजीनियर्स कहते हैं कि इस सिल्ट को निकाला जा सकता है और राजस्थान के इंजीनियर्स कहते हैं कि इस सिल्ट को नहीं निकाला जा सकता। मैं आपको आज कहता हूं, आप मरम्मत कराओ या नहीं कराओ, इस सिल्ट को निकालने से राजस्थान का हिस्सा जो गंग कैनाल में आना चाहिए वह निश्चित रूप से आएगा।

अब तीसरा प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने पत्र तो बहुत लिखे, बादल साहब से मिलीं क्या? गरज अपनी है, मिलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। बादल साहब से मिली हैं क्या?

डा. (श्रीमती) कमला : बादल साहब से मिलने के समय के लिए कई बार उनको सूचना करायी है। अभी तक आपके मित्र ने जवाब नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मेरा मित्र है लेकिन मेरे मित्र—

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष और मैं समझता हूं कि पूरे सदन की यही भावना रहती है, एक तरफ तो 8.6 एम.सी.एफ.टी. पानी में दशमलव 6 जो झगड़ा था वह नयी बात तो है नहीं कि दो साल में पैदा हुई हो, आपके वक्त का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नयी नहीं है, मैं कह रहा हूं, नहीं है। मेरे वक्त का नहीं है। जोशीजी और हम भी शासन कर गये।

श्री अशोक गहलोत : आपसे मतलब आपके 8 साल के शासन में भी आप उसमें कुछ नहीं कर पाये, जबकि विपक्ष में आप थे तो इसको आपने इश्यु बनाया था, धरने दिये थे, यह सब जानते हैं। 8 साल

(श्री अशोक गहलोत)

में आप कुछ नहीं कर पाये। और जैसा कि अभी बात चल रही थी, आप सब जानते हैं कि आपके बहुत ही अच्छे करीबी मित्रों में हैं वहां के मुख्य मंत्री, फिर भी कुछ नहीं कर पाये थे। अभी आप वहां पर पधारे, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आप देखकर भी आये। आपके अपने अनुभव हैं, उनके सुझावों का सदन भी लाभ लेगा और मैं भी लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो बात आपको मालूम है कि सरकार की टाप प्रोयोरिटी में हमने लिया है गंग कैनाल की मरम्मत कराने का काम। उसके बाद में कोई इश्यु रहता ही नहीं है। अब आप कहते हैं कि सी.एम. से मिले क्या, तो मेरी बात उनसे 2-3 बार व्यक्तिगत हो चुकी है, जयपुर में भी हो चुकी है, दिल्ली में भी हो चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कभी बैठकर चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारी उनसे बात चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने गुड आफिसेज को काम में लें। अगर यह सम्भव हो सके और झगड़ा मिटाने में आप कुछ मदद कर सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : अब के इनको साथ ले जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहीं जाने को तैयार हूं। मुझे कोई राजस्थान के इंटरेस्ट में कुएं में डाले तो वहां चला जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इंजीनियर्स बैठे हैं पूछ लीजिये कि 1971 के उस एग्रीमेंट में जो एक क्लाज है कि जब तक राजस्थान की क्षमता इस पानी को यूज करने की—

डा. (श्रीमती) कमला : 71 नहीं 81 है, 1981 है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, 81. बहुत अच्छा किया, आपने करेक्ट कर दिया। मैं यह कह रहा हूं कि जब तक राजस्थान इस पानी 8.6 को यूज करने की क्षमता नहीं रखेगा उस समय तक दशमलव 6 का उपयोग पंजाब करेगा। यही है न एग्रीमेंट? अब आप और आप, दोनों मुझे बता दीजिये कि आपकी क्षमता कब पैदा हुई थी?

डा. (श्रीमती) कमला : हम पंजाब सरकार से पिछले—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिखने की बात नहीं कह रहा हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : आप भी जब से लिख रहे हैं, हमने भी लिखा है कि हम वह नैटवर्क तैयार कर चुके हैं, आप हमें अपना पानी दे दीजिये। यह 1991 से लगातार लिखाई-पढ़ाई हो रही है। आपके राज में भी और हम जब से आये हैं तब से हम भी तीन फोरम पर इसको उठा चुके हैं। आमने-सामने बैठ कर भी उठा चुके हैं, चिट्ठियां लिख कर भी उठा चुके हैं, लेकिन उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, कल्लाजी यहां बैठे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, मैं मुंह पर कहना नहीं चाहता, खोट क्यों पैदा होती है, आपस में रिलेशंस क्यों डवलप होते हैं, गुरजंट सिंह जी की शादी में जब बादल साहब आये तब आपने क्या कहा, कि बादल साहब, जो पाकिस्तान को पानी जा रहा है वह हमको दे दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि आप और माननीय मुख्य मंत्रीजी और कमलाजी के साथ मीटिंग रखी जाए तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही जोधपुर अथवा जयपुर आ जाऊंगा। मैंने कहा कि जोधपुर राजधानी नहीं है, आप जयपुर पधारें।

डा. (श्रीमती) कमला : इन्होंने यह कहा कि आप राजस्थान का पानी राजस्थान को नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप तो वहां थीं नहीं। मेरे सामने जो बात हुई है, मैं बैठा था, बादल साहब बैठे थे, ये बैठे थे। अब इस तरह से—

डा. श्रीमती कमला : ऐसे कहेंगे क्या? यही कहेंगे कि हमको दे नहीं रहे हो और पाकिस्तान को दे रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहा है न, मैं कह रहा हूं न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह, ठाकुर साहब, हम मानने को तैयार नहीं हैं। यह पण्डित इतना भोला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं और बता दूं। पण्डित भोला है या नहीं है लेकिन पण्डित पुष्करणा है और पुष्करणा होकर गलत बात कह गये, इसका मुझे अफसोस है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, दूसरा मामला, फिर तीसरा मामला, बात करके हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कहूंगा।

डा. (श्रीमति) कमला : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि जब जब बादल साहब राजस्थान में आते हैं उस भावना से, उन उद्‌गारों से, उन वक्तव्यों से जो हमको कहते हैं वह की वह भावना, वह के वह उद्‌गार, वह के वह तौर तरीके अगर वे पंजाब में वापस जाकर रखें तो राजस्थान का बहुत कुछ भला हो सकता है। आप इस तरह की कुछ प्रेरणा उन्हें दें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी, वे तो बादल में पैदा हुए हैं, बादल गांव है उनका, मैं खाचरियावास में पैदा हुआ हूं, आप बैराठ में पैदा हुई हैं और आप जोधपुर में पैदा हुए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, मैं तो झुन्झुनूं में पैदा हुई हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैराठ नहीं, सारी, झुंझुनूं ज़िले में सम्बन्ध बनाये जा सकते हैं। अब यह किसने लिखा है, अपोजिशन ने कहा क्या कि आप बादल साहब से सम्बन्ध मत बनाओ? मैं आज मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन विवादों के मामले में कभी बादल साहब से आपकी बात हुई है क्या? आप पत्र लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।

श्री अशोक गहलोत : बात हुई है। मैं यह कह रहा हूं कि तीन बार मेरी बात हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात हुई लेकिन समय नहीं मिला।

श्री अशोक गहलोत : मैंने कहा कि तीन बार मैं व्यक्तिगत बात कर चुका हूं, जयपुर मेरे निवास स्थान पर कर चुका हूं, दिल्ली में दो बार कर चुका हूं। और जहां तक सम्बन्ध बनाने की बात है, आप तो अनुभवी हैं; आपके सम्बन्ध बने हुए हैं तभी काम नहीं आये तो हमें तो बनाने में टाइम लग जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। आप बनाने में जब तक कायमाब होंगे तब तक राजस्थान डूब जाएगा।

श्री अशोक गहलोत : यह आपकी सोच हो सकती है।

डा. (श्रीमती) कमला : क्यों डूबेगा, आप खड़े हैं न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी सोच नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि अब ऐसी स्थिति में एक तीसरा इश्यु और है। फिर अपन इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे अर्ज करूंगा। एक है पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, सैक्शन 79, उसका पार्ट-सी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि हैडवर्क्स का कंट्रोल बी.बी.एम.बी. का होगा। यह तो आप सब जानते हैं, कमलाजी भी जानती हैं, खेतसिंह जी, आप जानते नहीं हो तो कल्लाजी से पूछ लो। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस मामले में कितनी कोशिश की। मैं केवल एक बार कामयाब हुआ हूं जब मोरारजी भाई हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री थे। चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस थी या उनके घर पर कांफ्रेंस थी, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उस समय मैंने प्रधानमंत्रीजी से कहा कि आप एक्ट का पालन नहीं करा सकते इससे बड़ी आपकी क्या कमजोरी होगी। उन्होंने, मुझे याद है इट इज आन रिकार्ड कि सात दिन के अन्दर-अन्दर यह बी.बी.एम.बी. को हैंडओवर कर दिया जाए। सात दिन के अन्दर बादल साहब की गवर्नमेंट चली गयी, नहीं, या मोरारजी भाई चले गये, वह नहीं हो पाया। मैं आज कहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक मामला है रिम का। जो अवार्ड हुआ इराडी कमीशन का, उस इराडी कमीशन के अवार्ड में अपने एग्रीमेंट पर तो सब उन्होंने मोहर लगा दी। 1955 का हो, 1971 का हो, सब पर मोहर लगा दी। पंजाब बार-बार उसका जिक्र कर रहा था कि 1955 का समझौता गलत हुआ है, इसमें कोई मिनिस्टर नहीं था, यह इंजीनियर्स का समझौता था। लेकिन इराडी कमीशन ने उस पर मोहर लगा दी। उसके बाद में वह अपना काम पुख्ता है। बिलो दि रिम जो पानी है उसके बारे में हमने चिंता नहीं की। चिंता नहीं की तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उस पानी को कलैक्ट करना और उस पानी को लाना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत खर्चीला काम है। मैं इन तीनों बातों के लिए आपको कहना चाहता हूं, आज राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की विधान सभा में मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूं, आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, कमलाजी सिंचाई मंत्री हैं, तीनों हम और 4-5 और मिल लें, मिलकर बादल सरकार को दें और देने के बाद में क्या परिणाम निकलता है उस परिणाम के आगे फिर बात करेंगे। एक बार जोइंट डैपुटेशन लेकर चलें।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत मामले हैं। ये तो रावी-व्यास-सतलज के मामले हैं, इसके अलावा नर्बदा का मामला है। मैं अभी गुजरात गया, गुजरात में मैंने नर्बदा बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत की, वहां इंजीनियर्स से बातचीत की और मैं आज आपको कहता हूं इस साल के अंत में कच्ची नहर से पानी राजस्थान के बार्डर पर आ जाएगा। मैं देखकर आया हूं कि वह पानी एक साल में आ गया तो उस पानी को लेने के लिए हमारे यहां व्यवस्था नहीं हुई। आज वह प्राथमिकता है।

मैं इसी आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि 1954 से यमुना नदी के पानी का विवाद चल रहा है, 1994 में फैसला हुआ और 1994 में फैसला होकर जो कल्पना नहीं कर सकते उतना पानी हमको मिला। लेकिन आज जो यमुना का हमारा हिस्सा है उस हिस्से से हम नहीं ले पाये। हम भाखड़ा का हिस्सा नहीं ले पाये, हम राजस्थान कैनाल का हिस्सा नहीं ले पाये, हम गंग कैनाल का हिस्सा नहीं ले पाये, हम नर्बदा का पानी नहीं ले सकते, हम यमुना का पानी नहीं ले पाये और चम्बल में भी कई बार गड़बड़ होती है उसको तो छोड़ें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप दोनों भाई थे। बादल और आप 8 साल तक रहे, आप कुछ नहीं कर पाये।

डा. (श्रीमती) कमला : हम भी तैयार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आठ साल के अन्दर आप एक बूंद नहीं ला सके थे, दो साल के अन्दर आप हमें कह रहे हैं कि—

डा. (श्रीमती) कमला : बहुत अच्छी प्रोग्रेस का काम कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं, अपना पानी नर्बदा से लाने के लिए। आप शुरूआत तो करें।

श्री रामनारायण चौधरी : बादल और आप भाई-भाई, एक ही विचारधारा के और एक ही प्लेटफार्म के, अपने ही बस की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात तो सुन लो। मैं सारे हाउस को चुनौती देता हूं, जब मैं मुख्य मंत्री था, गंग कैनाल में पानी कम आया हो, भाखड़ा में पानी कम आया हो, या राजस्थान कैनाल में पानी कम आया हो। रामनारायण जी, बिना जानकारी के ही आप खड़े हो जाते हो। पानी आया या नहीं, बल्कि समस्या कई बार यह हो गई ...(व्यवधान) आप कैसे आगे आ रहे हैं, नहीं, मैं जल्दी ही खतम करूंगा, मैं भी थक रहा हूं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कोई पार्टी के नाते आपसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिक्र नहीं कर रहा हूं, यह राजस्थान के इन्टरेस्ट का मामला है और राजस्थान के इन्टरेस्ट के मामले में आप चाहे बादल साहब के पास मुझे ले चलो, चाहे प्रधान मंत्रीजी के पास ले चलो, सबके पास जाकर हम इस मामले को उठाएं, राजस्थान का हिस्सा लें, इस बात की कोशिश करने को तैयार हूं। आप आगे होंगे और मैं पीछे होऊंगा, इस मामले में हम सफलता प्राप्त करेंगे। अब, उपाध्यक्ष महोदय...

डा. (श्रीमती) कमला : बिलकुल ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। आगे आकर इनको निमंत्रण दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी तो कहें, मुख्य मंत्रीजी तो बोले। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप साथ जाकर परनाला का पानी वहीं गिरवाएंगे, वही तय कर रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि यह इस तरह का आइडिया रहा, मेरी सुनिये, इस तरह का आपका विचार रहा न तो उसी का परिणाम है, वरना आप जैसा योग्य और पापुलर यह आदमी कभी का मुख्य मंत्री बन जाता, जो वहां बैठे हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं सदन इसको सीरियसली ले। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा कि राजस्थान हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों से सबसे ज्यादा सम्पन्न है बशर्ते कि उस सारे आधार पर हम एक्सप्लायट कर सकें। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हाइड्रो कार्बन हमको प्रकृति ने दिया है। सर्वेक्षण से ऐसे संकेत मिले हैं कि राजस्थान में 50 बिलियन टन लिग्नाइट, 15 बिलियन टन हैवी आयल और बिटुमन और भारी मात्रा में आयल नैचुरल गैस और मीथेन उपलब्ध हैं। इन सबसे 39000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आप चाहें तो मेरे पास इनकी डिटेल्स हैं, कि सारा किस तरह से, किस ढंग से किसमें कितना उत्पादन होगा। लिग्नाइट डिपोजिट से लगभग 22000 मिलियन टन का अनुमान है। परम्परागत तरीके से 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इससे हो सकता है। मुख्य मंत्रीजी, मैं यह कह रहा हूं, कोशिश मैंने भी बहुत की थी, पलाना में, बरसिंहसर में ये प्लांट लगे, इस संबंध में हमने कई समझौते भी किये, बातचीत भी की। हमारे चन्द्रभान जी तो कई बार कहते हैं कि आपने इतने समझौते किये, आज भी कोई बोल रहा था कि चिमनी का समझौता किया, यह किया। मैं आज आपको बता दूं, उस समय 1900 या 2900 मेगावाट के केवल पी.पी.ए. हुए थे। वे पी.पी.ए. एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुए, उसका एक मूल कारण है कि सारे जितने भी कारखाने थे वे सारे नेफ्था बेस्ड थे और नेफ्था का अलाटमेंट भारत सरकार को करना था। भारत सरकार ने अलाटमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करने में डेढ़ वर्ष से तीन वर्ष तक लगा दिये। अब आप अंदाजा लगाएं कि कोई पी.पी.ए. कर जाए और उसमें बिजली की टैरिफ कितनी होगी उस पर आज के दिन समझौता करें और कई दिन तक वह मिले नहीं तो? निश्चित रूप से यह समस्या आपके सामने भी खड़ी हुई—

डा. चन्द्रभान : वह नेफ्था वाले तो नहीं लगे, यह राज्य के हित में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं लगे, वह ठीक है। अच्छा हुआ न, उसकी तारीफ तो करो कम से कम कभी।

अब ऐसी स्थिति में हमने लिग्नाइट की पूरी कोशिश की। आज आपको, मुख्य मंत्रीजी, कहना चाहता हूं कि हम रिस्क उठाएं, रिस्क उठाना पड़ेगा और मेरा विश्वास है कि आप कोशिश करेंगे, मैं आपके साथ होऊंगा तो नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पास इस समय लिक्विड फण्ड्स बहुत ज्यादा हैं, वे राजस्थान में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं।

श्री अशोक गहलोत : मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के चेयरमैन मुझसे मिल चुके हैं और केन्द्र सरकार के मंत्री के संग मिल चुके हैं। वे खुद चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेवें। हमारी पूरी तैयारी है, बहुत हमारे पास फण्ड्स हैं, अगर जो मिस्टर आर.पी. मोदी हैं जिनको आपके समय में दिया गया था, अगर आप उनको कंविंस कर सके तो वे तो तैयार बैठे हुए हैं, कोई करने की बात ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर.पी. मोदी कंविंस होने वाले नहीं हैं। वह मैं आपको भी बता दूं, क्यों आपको धोखे में रखूं। वे नेवेली से चाहते हैं कि जो कुछ मैंने वहां इंवेस्टमेंट कर दिया उस इंवेस्टमेंट की क्षतिपूर्ति मुझे मिले। वह कोई भी कम्पनी आएगी, आसानी से नहीं करेगी। प्राइवेट कम्पनी तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले में आप और हम बैठकर बात करें तो मोदी को किस प्रकार से कंविंस किया जा सकता है, मोदी से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, यह दोनों बात करने को तैयार हैं, बशर्ते कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन बिलकुल यह कमिटमेंट कर दे कि हमारे सामने केवल एक ही हर्डल है, इस हर्डल को दूर कर दिया जाए तो लिग्नाइट बेस्ड यह सारा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गैस अथोरिटी आफ इण्डिया के अनुमान के अनुसार इस सूटेबल लिग्नाइट का यदि गैसिफिकेशन हो जाए, 25000 मेगावाट वह 29000 मेगावाट में ही शामिल है, 25000 मेगावाट इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इसके नीचे मीथेन गैस है, उस मिथेन गैस को हम एक्सप्लोर करें। कर लेंगे, आज नहीं तो 5 वर्ष बाद में करें, कर लेंगे। उसके कारण से चीपेस्ट पावर जनरेट कहीं हो सकती है तो इस मीथेन से हो सकती है। आज हमारे पास में वह साधन है, इसलिए मैं बार-बार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहता हूं, राजस्थान किसी से भूखा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, शैल कम्पनी बाड़मेर और जालौर में खुदाई का काम 1955 में इसको दिया था। 1999 में इन्होंने पहली बार दो कुएं खोदे, उसमें 2000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल मिल रहा है। इसके उपरांत शैल कार्य करना बंद कर दिया। इन्होंने ईजिप्ट में दूसरा काम शुरू कर दिया। सारे अपने साधन ईजिप्ट में लगा दिये इसलिए कि वहां पर आयल ज्यादा इनको मिला। वह ज्यादा आयल के हिसाब से वहां चले गये। दूसरा पार्टनर इनका कैंस था, इन्होंने काम किया, 2 डी और 3 डी सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, इसका सर्वेक्षण कार्य जारी है। तो मैं आपको कह रहा हूं, राजस्थान में ये सारे साधन हमको भगवान ने दिये हैं, प्रकृति ने दिये हैं, इन साधनों को हम किस प्रकार से एक्सप्लोर कर सकें, उसमें कार्यवाही करनी चाहिए। आप यह कहेंगे कि आपने क्यों नहीं किया। मैं तो पीछे पड़ा हुआ था। आखिर में मैं आपको बता दूं, मुझे पांच मिनट और लगेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, 1965 में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद मैं जैसलमेर के शाहगढ़ इलाके में गया था। वहां फ्रैंच कम्पनी काम कर रही थी, वह एरिया है सूई का और मोरी, यह पाकिस्तान का एरिया है। वहां पर सूई गैस निकालती है, उसी जगह पर पहले रशियन आये। रशियन ने कुछ स्पोट्स चुने और चुनने के बाद फ्रैंच कम्पनी आई। जिस समय युद्ध चला, 1965 से हो सकता है आदमी के दिमाग में यह वहम आया हो और लोगों के दिमाग में वहम उत्पन्न हुआ हो कि जो यह कम्पनी वहां काम कर रही थी और यह कम्पनी यहां काम कर रही है, तो उसके कारण से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह कम्पनी जाने लगी। जाने लगी तो मेरे से जयपुर में मिली और जयपुर में उस कम्पनी के एक आदमी को लेकर मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला। इसलिए नहीं मिला कि इस कम्पनी को कांट्रेक्ट दे दिया जाए। एक कम्पनी सारे इक्विपमेंट जो कुछ भी इसके पास हैं, वे सारे इक्विपमेंट 50 प्रतिशत के बेसिस पर हमको सेल करना चाहती है। वरना समुद्र में फेंकेगी और ले जाएगी। इनका किराया ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद में फिर कहा कि 75 प्रतिशत पर आ जाएं। 75 प्रतिशत इनको दे दिया, वे तो समुद्र में फेंकने वाले थे, 75 प्रतिशत तय हो गया लेकिन बाद में ऐसे कारण हो गये जिनके कारण से हम फ्रैंच कम्पनी से माल नहीं ले सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम चल रहा है 1965 से। 1965 के बाद में यह कम्पनी गई, हमने यह काम ओ.एन.जी.सी. को दिया। इन्होंने मामूली काम किया। रामगढ़ में हमें गैस मिली। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए भी युद्ध करें। जब आसाम के अन्दर हम इस प्रकार से एक्सप्लायटेशन में, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी एक पार्टनर है तो राजस्थान को पार्टनरशिप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्यों नहीं मिली? आसाम को गैस सस्ती मिलती है तो हमको गैस सस्ती क्यों नहीं मिली? ये इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को लेकर यदि अपोजिशन और सरकार दोनों मिलकर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कोई न कोई चीज को एचीव नहीं कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैसा मैंने कहा, कोई कमी नहीं है। यहां पर तेल खुदाई का काम शैल और कैंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में सूई और मोरी गैस के संबंध में मैंने आपको बता दिया है। मैं आगे और कहना चाहता हूं कि पैट्रोलियम के मामले में ग्लोबल इकोनोमी चलेगी, ग्लोबल पोलिटिक्स चलेगी। आज जैसा मैंने कहा आपको कि दो कम्पनियां बांग्लादेश और पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनका इन्टरेस्ट वहां है। इन्टरेस्ट क्रिएट हो सकता है कि हिन्दुस्तान में गैस नहीं मिले; हिन्दुस्तान में क्रूड आयल नहीं मिले, हिन्दुस्तान के अंदर मिले तो इसमें देरी की जाए ताकि हमको मार्केट मिल जाए पाकिस्तान की चीजों को बेचने का। आज के दो वर्ष बाद में इन पर आप किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। करना है तो इन दो वर्ष में करें। जो ये कम्पनियां काम कर रही हैं शैल और कैंस और ओ.एन.जी.सी. वगैरह सब, आप जाकर इनको कहिये कि आप जल्दी से जल्दी काम करिये। काम जल्द नहीं करेंगे, दो वर्ष के बाद में हमारे सामने इंटरनेशनल प्रोब्लम्स खड़ी होंगी और मार्केट इकोनोमी में यही कम्पनियां हमारा शोषण करेंगी। उस शोषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यहां सोने का भण्डार है, यहां यूरेनियम का भण्डार है, यहां पन्ने का भण्डार है। इतने भण्डार हैं जिन भण्डारों के ऊपर यदि हम एनर्जी लगाएं और उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्खनन किसी प्रकार से किया जाए तो राजस्थान में आपका एक बजट नहीं, पचास बजट एक ही झटके में बन सकते हैं। राजस्थान की एक योजना साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ की नहीं, बल्कि एक लाख साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ की योजना बना सकते हैं। इन छुटपुट बातों को छोड़ कर हम दो चीजों पर कंसन्ट्रेट करें—एक, पानी हमें पूरा मिले, एक हमारी जो प्राकृतिक सम्पदा है इस सम्पदा का उत्खनन कर राजस्थान का विकास किस प्रकार से करें। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों मामलों में जो आप उचित समझे, मेरा सब प्रकार से सहयोग मिलेगा। एक मिनट में ही खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां करप्शन की बात आई। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में, मुख्य मंत्रीजी, आपने भी देखा होगा, मैंने इस पर कई कमीशंस की रिपोर्ट्स पढ़ी है, कई कानून पढ़े हैं, कई लोकायुक्तों की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। सब का अध्ययन करने के बाद मैं मानता हूं कि आज जो व्यवस्था है, चाहे वह विजिलेंस कमिश्नर की हो, उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यवस्था से करप्शन नहीं रुक सकता। लेकिन अब रुके कैसे? आज मैं एक नया एक्सपैरिमेंट करने के लिए आपको कहता हूं, आप इसकी शुरूआत करिये विधान सभा से। विधान सभा में कोई आरोप लगाया जाए उस आरोप की इंक्वायरी विधान सभा की कमेटी के थ्रू करवाइये। दो लाभ होंगे, अनर्गल आरोप नहीं लगेंगे और आरोपी पंजे से निकल कर बाहर नहीं जाएगा। शुरूआत करिये, एक एक्सपैरिमेंट है। मैं नहीं कहता कि इससे हम हण्ड्रेड परसेंट कामयाब होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है, इस सदन का स्तर ऊंचा होगा, सदन में कही हुई बात का काग्नीजेंस लिया जाए, इस प्रकार की जनता को जानकारी मिलेगी, विश्वास पैदा होगा। इन सब बातों के ऊपर मैंने आपका समय तो बहुत ले लिया, लेकिन मेरी इच्छा यह थी कि मैं राजस्थान के हित में भी आपके सामने कुछ बातें रखूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : प्रकाश सिंह बादल से मिलने जाएं न दोनों आप, तो साथ में मेरे को ले चलना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का और खास तौर से प्रतिपक्ष के नेता महोदय का बहुत आभारी हूं कि विनियोग विधेयक (संख्या-3) पर उनके सुझाव और उनके विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों का जवाब बजट चर्चा के समय काफी विस्तार से मैंने यहां पर दिया था। उनमें से कुछ मुद्दे पुनः आज यहां सदन के अंदर उठाये गये हैं, मैं चाहूंगा कि संक्षेप के अंदर उनके ऊपर भी अपनी राय या जो मेरे विचार हैं उनसे मैं आपको अवगत कराऊं। कुछ नयी चीजें यहां पर कही गई हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम प्रतिपक्ष के नेता को सम्मान देते हुए, उन्होंने कुछ मुद्दे यहां पर उठाये, उनका जिक्र मैं यहां पर आपके समक्ष करना चाहूंगा। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि की बात कही राजस्थान के अंदर। डब्लू.टी.ओ. एग्रीमेंट की बात कही उन्होंने यहां पर और तीसरी बात, कर्जे के जाल में फंसे हैं, यह बात भी उन्होंने यहां पर सदन के अंदर कही। इन तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात को विस्तार से रखा यहां पर। आबादी के संग उन्होंने एम्प्लायमेंट की बात कही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कही यहां पर, विकास की बात की उन्होंने, बहुत सारी बातें यहां पर उन्होंने कहीं। अब मैं सर्वप्रथम जनसंख्या से शुरू करना चाहता हूं। अच्छा होता, प्रतिपक्ष के नेता महोदय अगर पहले बोल जाते तो कुछ समय मिल जाता मुझे, इतने अनुभवी व्यक्ति का जवाब मैं भली प्रकार दे सकता। लेकिन जो कुछ थोड़ी-बहुत जानकारी मुझे है, जो थोड़ा-बहुत अनुभव मेरे पास है उसके आधार पर मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम देश के अंदर बढ़ती हुई आबादी के ऊपर जो गंभीर चिंतन शुरू हुआ, वह कांग्रेस के राज में श्रीमती इन्दिरा गांधी के वक्त में शुरू हुआ। सबसे पहले गम्भीर चिंतन श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में शुरू हुआ। एफोरेस्टेशन की बात थी, जनसंख्या की बात थी, चाहे शहरों में एनक्रोचमेंट हटाने की बात थी, इन सब चीजों की तरफ इन्दिराजी के वक्त में संजय गांधी ने बहुत जोर-शोर से काम शुरू किया था। एक अच्छा मूवमेंट था जिसको कि बहुत गम्भीरतापूर्वक चलाया जा रहा था लेकिन बदकिस्मती से उसको राजनीति से जोड़ दिया गया। राजनीति से जोड़ा गया इसको, और तरह-तरह की भ्रांतियां देश के अंदर फैलाई गई। यह 25-26 साल पुरानी बात है। आज जो सौ करोड़ से ऊपर आबादी गई है, आप कल्पना कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, 25 साल पहले अगर वह मूवमेंट मोमेंट्स पकड़ा जाता तो आज देश का नक्शा कुछ दूसरा होता आबादी के मामले में। मैं इसको राजनीति में नहीं ले जाऊंगा कि आपने नहीं पकड़ने दिया और आप जनता दल के घटक थे, अपना वजूद सत्ता के लिए खतम करके आप जनता दल में मिल गये थे। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता। लेकिन यह बात निश्चित है कि आपने विरोध किया, झटका लगा इस मूवमेंट को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोग्राम का विरोध नहीं किया। प्रोग्राम में जो एट्रोसिटीज हुई, उनका विरोध किया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। एट्रोसिटीज की भी बात कही यहां पर, नेग्लीजेंस कहीं होगी। बढ़ा-चढ़ाकर लोगों में भ्रांति फैलाई गई, डिसइन्फोर्मेशन, अफवाहों का बाजर गर्म रहा, दूल्हे को पकड़ कर काट डाला।

एक माननीय सदस्य : सही है तो यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बिलकुल गलत है। मैं चैलेंज करता हूं इसको। इसीलिए मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता था। मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन इतना कहूंगा कि जिस किसी ने भी इस मूवमेंट का, एक तरह का आंदोलन था, जिस किसी ने भी विरोध किया, आज उसके नतीजे देश को भुगतने पड़ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हकीकत यह है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज देश को उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। आज देश की आबादी—

श्री उपाध्यक्ष : खेतसिंह जी, आप क्यों खड़े हुए हो, आप तो इसके शिकार ही नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस उम्र के लोग शिकार हुए थे उस समय। जो मिला, जहां मिला वहीं काट डाला।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन जिलों का इंचार्ज था और वहां दौरा करता था, ठाकुर साहब ने यह प्रचार किया कि ये तो काट-काट कर चीलों को फेंक रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है, हालांकि लाइटर मोमेंट है हाउस का, लेकिन यह निश्चित है कि उस मूवमेंट को बहुत जबरदस्त धक्का लगा। आप दिल में तो उसको स्वीकार करते होंगे। आप मान में इसको समझते हैं और सारे लोग समझते हैं, उसका नतीजा यह हुआ कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आयीं हिचकने लगीं इस काम को हाथ में लेने से। प्रचार-प्रसार हुआ, करोड़ों रुपये इसके ऊपर खर्च किये गये लेकिन जो वांछित सफलता थी वह हमको प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, यह आप जो एलीगेशन लगा रहे हैं तो इसका असर साउथ में क्यों नहीं हुआ, यह बताइये आप, वह भी हिन्दुस्तान का हिस्सा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजिये। आप तशरीफ रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो अपनी बचत के लिए कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्योंकि सन् 1977 के अन्दर...

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) के लोग थे ...(व्यवधान) आपके चक्कर में आ गये।

श्री रामप्रताप : आपके पास में डाक्टर साहब बैठे हैं, राजस्थान के वरिष्ठ डाक्टर है, इनसे पूछें, इनको जानकारी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आपको ध्यान है, डाक्टर साहब...

श्री रामप्रताप : The movement was without motivation, इस वजह से फेल हुआ। It was without motivation.

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, मैं आपको निवेदन करूं, देखिये...

श्री हरिसिंह (महुवा) : डाक्टर साहब, आप तो उस समय यूथ कांग्रेस में थे न?

श्री रामप्रताप : नहीं, उससे कोई लेना-देना नहीं है।

श्री हरिसिंह महुवा : नहीं, लेना-देना कैसे नहीं है? यह पूरा प्रोग्राम यूथ कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था।

श्री रामप्रताप : आप सुने। आपके बस की बात नहीं है। यह एक बहुत अच्छा आइडिया था लेकिन It was without motivation. डाक्टर साहब बैठे हैं, उनसे पूछें। लोगों को जानकारी नहीं दी गयी थी।

डा. के. सी. चौधरी : यह एक पहला मूवमेंट था जो रिजल्ट ओरियेंटेड था।

श्री रामप्रताप : और इस उम्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, आप इससे इन्कार करते हैं क्या कि यह मूवमेंट रिजल्ट ओरियेंटेड था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) हमारी बात भी सही है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसका एकमात्र कारण यह था...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बताइये, इस तरह की एट्रोसिटी आप लोगों के खिलाफ तो नहीं हुई थी न? नहीं हुई न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेतसिंह जी के साथ हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने लोगों ने नसबन्दी करवायी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, मैंने करायी थी। नसबंदी मैंने करायी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रचार आपने किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नसबंदी मैंने करायी थी। शर्म आ रही है क्या इस हाउस में कहने में? मैंने करायी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये चील-कागलों वाली करायी थी या और कहीं करायी?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मेरे तो एक लड़की ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डिसइन्फोर्मेशन का असर था, डिसइन्फोर्मेशन का कैंपेन किया गया। जहां दक्षिण की बात अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, मैं इससे आगे चलता हूं, इसका सम्बंध लिटरेसी रेट से भी है। मैं उसको एडमिट करता हूं। जहां लोग लिटरेट थे, केरल के अन्दर लिटरेसी रेट ज्यादा थी, दक्षिण के प्रान्तों में लिटरेसी रेट उत्तर के प्रांतों से अधिक थी वहां इस डिसइन्फोर्मेशन का असर नहीं पड़ा। 1977 के रिजल्ट कहते हैं कि इन्होंने जो कैंपेन चलाया था, नफरत का जो कैंपेन चलाया था उसका असर 1977 के बाद विंध्या के उस पार दक्षिण के प्रांतों के अन्दर नहीं फैला और उसके नतीजे— साफ हैं आपके सामने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप तो यह बताएं कि उस कैंपेन के बाद में आपने क्या किया?

श्री रामप्रताप : वित्त मंत्री जी, वे लिटरेट थे इसलिए सैल्फ मोडिवेटेड थे। आप मेरी वाली बात कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : No. I don't agree.

श्री रामप्रताप : और इन लोगों की एजुकेशन कम थी इसलिए मोटिवेशन की जरूरत थी। आपके पीछे डाक्टर साहब बैठे हैं—

श्री प्रद्युम्न सिंह : There may be difference of opinion.

श्री रामप्रताप : आप एक्सपर्ट ओपीनियन ले लें, वे पीछे बैठे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : न-न।

श्री रामप्रताप : आपके बस का काम नहीं है ये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खैर, उपाध्यक्ष महोदय, उसके नतीजे—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने सार्वजनिक रूप से यह कहा हो कि संजय गांधी का पंच सूत्री कार्यक्रम यदि लागू हो जाता तो इस देश की कई समस्याओं का समाधान हो जाता। आपने कभी कहा है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छा है, आप स्वर्गीय संजय गांधी के स्वर्गवास के बाद आज उनके समर्थक हो रहे हैं, वरना—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही नहीं कह रहा हूं, हमेशा ही कहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : —संजय गाधी की नीतियों को पानी पी-पी कर कोसने वाले आपके दल के लोग थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई नहीं था। ये ही दल के लोग थे।

श्री जुगल काबरा : उस जमाने में तो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप भी कोस रहे थे। उस जमाने में आपने कभी भी संजय गांधी की प्रशंसा नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि—(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री जुगल काबरा : मैंने उस जमाने में आपकी कई आम सभाएं सुनी हैं— (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपने मेनका गांधी को निकाल दिया इसलिए हमने नहीं किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, यहां पर जो भी कह रहा हूं मैं व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय आपने— (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आप तो ये मुक्त हो गये कि उस समय विरोध किया था। इसलिए पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। आपका यही है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो उसके वांछित नतीजे मिलते 25 साल पहले, मैंने यह कहा आपसे, उसके नतीजे हमारे सामने नहीं आये, उपाध्यक्ष महोदय, और आज देश की आबादी सौ करोड़ पार कर गयी। जमीन के ऊपर प्रेशर बढ़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पानी नीचे चला गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : निश्चित रूप से यह सारी आबादी का जो विस्फोट हुआ है उसके कारण से तो बहुत सारी समस्याएं देश के समक्ष आयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज एम्प्लाटमेंट को आपने जोड़ा, जमीन का फ्रैग्मेंटेशन हुआ, जमीन बंटती चली गयी।

श्री रामप्रताप : लिटरेसी रेट बढ़ाई नहीं, यह किसकी गलती है फिर? लिटरेसी रेट कम रही, यह किसकी गलती है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठें।

श्री रामप्रताप : नहीं, बैठें कैसे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कंट्री की लिटरेसी रेट की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है।

श्री रामप्रताप : पूरे इण्डिया की कर रहे हो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, तो फिर आप राजस्थान के इतिहास में चलिये। रजवाड़ों का राजस्थान जहां पर न स्कूल थे, जहां पर ब्रिटिश इण्डिया के स्टेट थे आप उनसे कंपेरीजन करना चाहते हैं? राजस्थान का उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं, बंगाल से करना चाहते हैं, आप मद्रास से करना चाहते हैं, बॉम्बे प्रेसीडेंसी के उस पुराने जमाने से करना चाहते हैं, आप राजस्थान की क्या बात करना चाहते? धौलपुर रियासत के अन्दर एक दसवीं कक्षा का स्कूल था और 8वीं के 4 स्कूल थे पूरी रियासत के अन्दर। आप किस जमाने की किसकी बात करना चाहते हैं? किन रजवाड़ों की और राजस्थान की बात करना चाहते हैं आप? उपाध्यक्ष महोदय, वह एक इश्यु अलग है, अगर आप चलना चाहते हैं तो फिर वहां से राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे आप।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यहां पर कहा, टू कट शार्ट, आज एम्प्लायमेंट की प्राब्लम—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने इसमें क्या किया परिवार नियोजन में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी के दबे रहे क्या उसमें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, उस पर आज लगा आज जिस गति से चल रहा है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है गति ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, गति से चल रहा है, आज प्रोविजन है, आज लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ी है। मेरे पास फिगर नहीं है अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिटरेसी रेट पर मत जाइये, आप तो परिवार नियोजन के सम्बंध में बजट में क्या किया है, यह बताइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बजट में क्या किया है, मेरे पास अभी है, नहीं, मैं अभी निकलवा कर बता दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यहां पर आयी बात यह कि बेरोजगारी बढ़ रही है प्रांत में। यहां पर यह कहा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कि राज अकेला नौकरी दे नहीं सकता। कृषि का उत्पादन बढ़े, औद्योगीकरण हो, सैल्फ एम्पलायमेंट की योजनाएं आएं तब जाकर प्रदेश का विकास हो, बेरोजगारी की समस्या दूर हो। डब्ल्यू.टी.ओ. को उससे जोड़ा गया। अब मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात के ऊपर आता हूं। आज डब्ल्यू.टी.ओ. के मामले में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर देश में काफी विस्तार से चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का मानना यह है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण जो देश में परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उससे किसान की उपज का उसको रेमुनरेटिव मूल्य नहीं मिलेगा। रेमुनरेटिव मूल्य को लेकर आपने बिजली की बात के भी यहां की पासिंग रेफरेंस दिये, लेकिन फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े उसका जिक्र आपने नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पैट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स की जो इन्कम की—

श्री प्रद्युम्न सिंह : यस-यस, मैंने तो दो-दो पैसे बढ़ाये, आपके तो वहां 4-4 रुपये बढ़ा दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप करो कम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने तो 5 पैसे, 7 पैसे, 20 पैसे बढ़ाये पैट्रोल के ऊपर। 5-5 रुपये डीजल के ऊपर, 4 रुपये फर्टिलाइजर के ऊपर, यूरिया पर, डी.ए.पी. पर आपने किसके ऊपर नहीं बढ़ाये? अपन बहस में नहीं पड़े—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो पड़ ही रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी मजबूरी थी, ऑयल पूल में घाटा था। आप यह कहेंगे इंटरनेशनल प्राइसेज—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गयी थीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां तो फिर, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं। आपके पास है, लेकिन साइमलटेनियसली प्रोडक्शन की सब्सिडी क्यों नहीं दी फिर? आप हमसे यहां पर बिजली सब्सिडी की बात करते हैं, आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी क्यों कम की? आपने आयल पूल की सब्सिडी में क्या किया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज तक इतनी देखी है क्या? कभी दी है क्या आपने किसी पर भी? चना, सरसों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी बढ़ी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सपोर्ट प्राइस भारत सरकार तय करती है। (व्यवधान) आप मेरा निवेदन सुन लीजिए, तय हमने की थी, भारत सरकार ने की थी। नार्म्स बने हुए हैं, आज से नहीं बरसों से होती आ रही है। मेरी शिकायत तो यह है कि मैंने अपने बजट भाषण में यह बात कही थी, मैं विज़ुअलाइज कर रहा था इस चीज को कि भारत सरकार ने अपना झण्डा उतार कर राज्य सरकारों पर डाल दिया है कि राज्य सरकारें खरीदेंगी इसको। अब तक जो आपकी सारी व्यवस्था थी—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ली क्यों?

श्री प्रद्युम्न सिंह : It was thrust upon. थौंप दी गई, ली किसने? एक तरफ यहां भाषण दिया जाता है, अगर केन्द्र

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करेगी तो क्या राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने मर्जी से लिया ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह बात कही थी और उसको मैं विजुअलाइज कर रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके पहले कृषि मंत्री ने बैठकें ली हैं उन बैठकों में यह तय हुआ है, बजट में बाद में आया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तय नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती कोई चीज थोंप दें और कह दें कि हमने तय कर लिया। सारी स्टेट ने इसका विरोध किया, सारी स्टेट ने मना किया कि हमारी हैसियत नहीं है, यह भारत सरकार हमारे ऊपर क्यों थोंप रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह बात आई, प्रोडक्शन बढ़े तो कैसे बढ़े। डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट के तहत यहां पर मैंने उस दिन कहा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय जो कि एक बहुत हाई पावर कमेटी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उनके अनुभव का और उस अध्ययन का लाभ राज्य को भी मिलेगा। आज उसी संदर्भ में यहां आपने भाषण दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो स्टडी आल इण्डिया बेसिस पर आप करेंगे उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से राज्य को भी मिलेगा। मुझे आज 30 साल हो गये इस सदन में आते आते, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर पर और एनिमल हजबैण्डरी पर—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है क्या कि डब्ल्यू.टी.ओ. से हिन्दुस्तान को बाहर निकाल दिया जाए?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठे, तो मैं बताऊं। उपाध्यक्ष महोदय, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से हम लेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई यह देख कर कि जो हमेशा अन्तरराज्यीय मुद्दों पर, अन्य बातों पर बात करते थे, मेरे इतने लम्बे राजनीतिक जीवन में आज पहली दफा इन्होंने एग्रीकल्चर और एनिमल हडबैण्डरी पर विस्तार से बात की है। अच्छी बात है, एक नयी दिशा है जो उन्होंने ली है। उस जिम्मेदारी के ऊपर जिसका लाभ हम निश्चित रूप से लेंगे, उन्होंने कहा है तो मैं खुद भी लूंगा और उन्होंने सुझाव दे डाला कि मुख्य मंत्रीजी इस महकमे को सम्भाले, अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह मत समझो कि वह काबिल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैंने यह नहीं कहा। ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप डब्ल्यू.टी.ओ. से निकलने की बात यहां पर कह रहे हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में आज संसार के जहां तक मेरी जानकारी है, 5-4 देशों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को छोड़कर करीब-करीब सारे देश ही डब्ल्यू.टी.ओ. के मैम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 123 देश हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्य की बात तो कुछ है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके खयाल से नहीं होगी उनके कहने में तथ्य की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया, साहब, हम संतुष्ट हैं, हम सब संतुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो रिकार्ड पर आ जाओ और यह रिकार्ड पर नहीं आएं, ऐसे थोड़े ही होता है। आप विराजो।

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो आप एक करोड़ रुपये की घोषणा कर दो बस। आपको ज्यादा मिलेगा 153 करोड़।

राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या-3) पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि कभी-कभी जब बातों का उत्तर आता है तो राजेन्द्र सिंहजी को अच्छा नहीं लगता, उनकी इच्छा रहती है कि यह बोले ही नहीं, हमने जो कह दिया वह सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे अकेले के पीछे क्यों पड़े हो, यह पूरा हाउस बोला है, इनका भी जवाब दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आपके पीछे नहीं, साहब। मैं तो आपके मान-सम्मान के लिए आपकी बात का पहले उत्तर देना चाहता हूं। बाद में बाकी लोगों का भी उत्तर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ऐसा मत करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, दूंगा, साहब, बिलकुल दूंगा। आपकी बात का नहीं दूंगा तो आप बहुत फील करेंगे कि मेरी बात का काग्नीजेंस ही नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात कर लेंगे हम।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक घंटा बोले तो यह तीन घंटे बोल सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्ज की बात भी आपने कही।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैं संक्षेप में ही कहूंगा क्योंकि मैंने पिछली दफा बहुत विस्तार से प्लान के बारे में उत्तर दिया था तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा प्लान के बारे में। आपने सिर्फ इतना ही कहा है, यह बात भी निश्चित है कि एट्थ प्लान में आपने बहुत बड़ा जम्प लिया और आप सक्सैसफुल भी रहे, लेकिन यह भी निश्चित है कि साढ़े 11 हजार करोड़ में 9 हजार से ऊपर का लोन कम्पोनेंट था उसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यस, मैं हाउस में कह रहा हूं। जो कह रहा हूं वह बात बिलकुल 16 आने सही कह रहा हूं। नहीं तो मुझे मालूम है कि आप कभी मेरे खिलाफ प्रिविलेज ठोक दोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। आपको कल ही बता दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : है मेरे पास, I will give you the figures. ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता दो कि यह प्लान कौनसे साल में शुरू हुआ था, साढ़े 11 हजार करोड़ वाला प्लान?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1997 से पहले ले लीजिए, 1992-97 का होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1997 से तो यह चल रहा है, पहले वाले 5 निकाल दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, यह चल रहा है, पांच साल का 1992-97.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1992 में है ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप मुझे बता दो कि हमारे कर्जे का अमाउंट कितना था, हमने कितना कर्जा लिया था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, मेरे पास फिगर्स है। कोई एक साल में 1992 में ही तो कर्जा नहीं ले लेंगे। पांच साल के ड्यूरेशन में लेंगे तो, कोई एक साल में थोड़े ही कर्जा लेकर बैठ जाएंगे आप। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्लान साइज की बात कही। मैंने पूर्व में बताया, मैं आज भी उस बात को दोहराता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मान लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आज उस बात को फिर दोहराता हूं कि आपने संसाधनों का ध्यान रखे बिना 27,500 करोड़ का नाइंथ प्लान बनाया। उस दिन मैंने विस्तार से बताया था कि आप का शार्ट फाल कहां-कहां रहा। उपाध्यक्ष महोदय, अब जहां तक कर्जे की बात रही, आपने स्वयं ने अपने भाषण में कहा कि सारी राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार और आप स्वयं, मैंने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उस दिन भी उत्तर में बताया था कि हमारे असेंशियल एक्सपेंसेज क्या हैं जिनको मीट आउट करने के लिए हमको कर्जा लेना पड़ रहा है और उसके अलावा प्लान साइज को फण्ड करने के लिए हमको करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अन्तरराज्यीय समझौतें की बात भी आपने कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कमलाजी दे देंगी साहब, आपको पता तो है नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कमलाजी का तो टर्न आएगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने मान लिया, कमलाजी से हमारी बात हो गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुन ले, थोड़ा बहुत मुझे भी याद है, आपको 1967 से सुना है हमने। आपको सुन-सुन कर ही हमको ज्ञान पैदा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा सब्जैक्ट ले लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय नहीं चाहते कि मैं बी.बी.एम.बी. का जिक्र करूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, करो ना आप जिक्र, अच्छा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि बी.बी.एम.बी. का इश्यु यमुना वाटर्स, नर्बदा वाटर्स, नाथपा झाकड़ी आपका बड़ा पैट सब्जैक्ट था। वह आप भूल गये, मैंने आपको याद दिलाया। नाथपा झाकड़ी का आपका एक बड़ा पैट था, सदन में कोई अवसर नहीं जाता था जब आप नाथपा झाकड़ी का, आपकी थ्योरी यह थी कि जब जल के बंटवारे में हमारा हिस्सा है तो उस जल के माध्यम से जो बिजली पैदा होगी उसमें भी हमको हिस्सा प्राप्त होना चाहिये।

(20.00 बजे)

जिसको आपने बहुत जोर-शोर से प्रोपाउण्ड किया। नाथपा झाकड़ी, मैं बिलकुल राजस्थान के हित में स्वीकार करता हूं। In the interest of the State, I accept it. मुझे याद है कि सन् 1981 के अन्दर आपने एक प्रश्न पूछा था, वह नाथपा झाकड़ी का प्रश्न था। नाथपा झाकड़ी का पहला सवाल था और पूरे एक घंटे तक मुझे उसका जवाब देना पड़ा था सिंचाई मंत्री की हैसियत से। इधर आप बैठे हुए थे और उधर, आज के अध्यक्ष, माननीय परसरामजी मदेरणा वहां सदन में कोने की सीट पर, आप दोनों ने एक घंटे तक वह सवाल पूछा था मुझसे। लेकिन आपने अपने राज में क्या किया? उस नाथपा झाकड़ी के इश्यु का आपने क्या एफर्ट किया, क्या नहीं किया। आज आपने उन मुद्दों को उठाया। बी.बी.एम.बी. कंट्रोल की बात—

श्री रामप्रताप : वित्त मंत्रीजी, आपके राज में हरियाणा और राजस्थान दोनों

(श्री रामप्रताप)

गवर्नमेंट इस समझौते के खिलाफ इस बात के लिए एग्री हुए कि यह सुप्रीम कोर्ट के जज से फैसला होगा। केन्द्र में भी आपका राज था और यहां भी आपका राज था, उसको आप रैफर नहीं कर सके इस वजह से अटका हुआ था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाथपा झाकड़ी के बारे में मैंने कहा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाथपा झाकड़ी क्या है यह तो सदन को बता दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाथपा झाकड़ी हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट है। इसमें जो शेयर की बात थी, मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं और दो-चार लोग और समझ रहे हैं इस चीज को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता दीजिए, हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज के बारे में यहां पर भी मामला उठा कि 2000-2001 में बंदोबस्त के अंदर एक्साइज की रेवेन्यू गिरी। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 800 करोड़ रुपये आये सिर्फ आपके। यह फिगर आपके पास गलत है। 2000-2001 में टोटल रेवेन्यू फ्राम एक्साइज वाज 1118 करोड़ रुपये अपने आप में आल टाइम रिकार्ड है। जहां तक 2000-2001 के बंदोबस्त का सवाल है, यह बात सही है कि 1999-2000 का बंदोबस्त बहुत प्राब्लम के अंदर आया। बहुत ठेके कैंसिल हुए, लोगों के ऊपर बकाया भी रही, काफी बड़ी बकाया रही जिसको हम वसूल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। पूरी चेष्टा है कि उसको वसूल लें। कुछ लोगों ने एडवांस चैक भी दिए हैं। काफी बड़ी संख्या में ठेकेदारों के ऊपर पैसे बकाया रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी It was a record.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने बाकी रहे हैं, आप बता दीजिए?

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लीज, अभी मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं कि पैसा बाकी है, उसकी पूरी वसूली करेंगे। यहां तक कि 2000-2001 का एक्साइज सैटलमेंट का प्रश्न है, पहली दफा कांग्रेस का राज आने के बाद 1999-2000 और 2001-2002 का है, जितनी ट्रांसपेरेंसी इस सैटलमेंट के अंदर रही है उतनी आपकी सरकार के वक्त में नहीं रही। ट्रांसपेरेंसी से मेरा अभिप्राय यह है कि हमने नेगोशिएशन के जरिए एक भी ठेका अवार्ड नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन सदस्यीय मंत्रिमण्डल समिति बनाई थी, जिसमें मैं, गृह मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी, हम तीन आदमी सदस्य थे। हमारे सामने भी आया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, मैं माफी चाहूंगा, आप तो यह बता दीजिए कि इस बार के बंदोबस्त में आपने रिजर्व प्राइस कितनी बार घटाई और कितनी घटाई?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, घटाई। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए घटाई। मंत्रिमण्डल का एप्रूवल था, मंत्रिमण्डल ने एप्रूव कराई एक्साइज पालिसी। पिछले बंदोबस्त में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने रिजर्व प्राइस को घटाया। उसके बावजूद भी नहीं आई। पांच-पांच, छह-छह दफे हमने टेण्डर, छह-छह दफे टेण्डार निकालने के बाद भी टेण्डर नहीं आए। अन्ततोगत्वा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, मोनोपोली बिजनस की तरफ ले गए आप पालिसी को, आपने 67, ग्रुप की जगह 26.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मोनोपोली विजनस की तरफ ले जाते तो हमारे पास आफर था। हमारे एक्साइज कमिश्नर को दो करोड़ रुपये का चैक थमा दिया कि पूरा राजस्थान हमको दे दो, जितना आपको रुपया चाहिए लीजिए, और कुछ रुपया और ज्यादा ले लीजिए लेकिन राज्य हित में हमने कहा कि हम एक पार्टी को पूरा राजस्थान नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब भी वही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब होगा, हमने तो अलग-अलग जिलों के ठेके दिए हैं। (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है श्रीमान्...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह ठेकेदार थे? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे नहीं मालूम यह ठेकेदार थे कि नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो कभी नहीं रहा। जिन्दगी में नहीं रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर एक सवाल गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया...

श्री उपाध्यक्ष : हमसे डाइवर्ट होकर उधर चले गए। आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यहां पर एक बात जो आई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया, जो आपने भी कहा और बड़ा ताज्जुब है कि आपने कहा। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य की भावना को मैं समझता हूं, उन्होंने बहुत जिनाइन बात कही कि राजस्थान के अंदर शराब माफियाओं को पनपने नहीं देना चाहिए। आपने भी यही बात कही। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। यह बात भी सही है कि पहली दफा राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश के कुछ ठेकेदार आए और यहां के ठेकेदारों ने मिलकर, उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने यहां पर ठेके लिए। यह बात सही है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक दफा प्रतिपक्ष के नेता मुख्य मंत्री थे और यह सवाल विधान सभा में उठा था कि इन ठेकेदारों की मोनोपाली और इन माफियाओं को पनपने से बचाना चाहिए, अन्यथा राजनीति के अन्दर हस्तक्षेप बढ़ता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चला जाएगा। कर्नाटक की सरकार और आन्ध्रा की सरकार को अर्क माफिया ने गिरा दिया। यह अपने आप में बड़ी गम्भीर बात है। लेकिन न तो वह कुछ कर पाये क्योंकि धन की कमी, राजस्व की कमी रही। राज्य के पास धन के अभाव के कारण राज्य कभी कोई बोल्ड स्टैप नहीं उठा पाया। पिछली सरकार ने भी बंदोबस्त में आई कठिनाइयों के लिए चाहे वह 1993-95 का रहा हो 1995-97 का रहा हो, 1997-99 का रहा हो, मजबूरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी को बलाए-ताक रखकर उन्होंने भी सैटलमेंट किया नेगोशिएंशन के आधार पर। I am not imputing any motives.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल गलत, बिलकुल गलत। या तो आपको साबित करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी को अलग रखकर आपने यह काम किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बता रहा हूं, आप बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताइए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वर्ष 1997-99 के वर्षों में दो वर्ष के ठेकों के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये का सैट-आफ दिया गया है। देखिए, अब हमने ट्रांसपेरेंसी कैसे रखी, बताता हूं आपको। आपने सैट-आफ दिया, सैट आफ आपने कैसे दिया? ठेकेदार आया, जयपुर नहीं उठा, कि आप अलवर के मेरे बढ़े हुए दाम हैं वह कम कर दीजिए, मैं जयपुर भी उठा लूंगा। आपने अलवर के बढ़े हुए दाम कम किए और साथ में यह भी कहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय वित्त मंत्रीजी, माफी चाहूंगा, रिजर्व प्राइस कभी कम हुई है क्या? आरक्षित दर कम हुई है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बात सुनिए, मैंने कहा, I am not imputing any motivies. साथ में मैंने क्वालिफाई क्लाज लगाया। (व्यवधान) हां, हां नहीं है। आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी का बैस्ट सिस्टम तो आप देते, आप अखबार के जरिये ट्रांसपेरेंसी मांगकर देते जो हमने किया। हमने पांच दफे, छह दफे ठेके निकाले, चार बार निकाले।

मेरा निवेदन यह है कि यहां पर शराब माफ़ियाओं से राजस्थान को बचाने की बात कही। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जब मुख्य मंत्री थे, आपकी गैर हाजिरी में जब आप बाहर थे, मैंने कहा कि इन्होंने खुद स्वीकार किया कि यहां इनको रोकना चाहिए, आपका भाषण है। आपका रिकार्डेड भाषण है, आपने कहा। मैं भी स्वीकार करता हूं। उत्तर प्रदेश ने कई बार हमारी नेबरिंग स्टेट के रूप में दुकानें वहां पर चालू कीं। हम इंतजार कर रहे हैं उत्तर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रदेश के नतीजे। महाराष्ट्र में भी कुछ उन्होंने बदलाव किए हैं, आन्ध्रा में भी कुछ बदलाव किए हैं। मैंने कहा एकसाइज कमिश्नर को कि जून-जुलाई के महीने में एक टीम लेकर जाएं, दक्षिण के प्रांतों में जाएं। और उत्तर प्रदेश के नतीजे हम दिसम्बर-जनवरी तक देखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे अच्छे रहे, सक्सैसफुल रहे तो हम भी अगले साल से राजस्थान के अंदर अपनी पालिसी में बदलाव लाने के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सी.एस.एस. की बात आज चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। वैसे भी बहुत विस्तार से माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने अपना जब उत्तर दिया था इस बात का जिक्र किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को यहां कहने की चेष्टा की कि आपके पास रुपया पड़ा हुआ था और आपने रुपये को खर्च नहीं किया। एक जगह तो इस प्रश्न के ऊपर कह गये कि आपने रुपया तनख्वाह बांटने में खर्च कर दिया, सी.एस.एस. का पैसा। यह आरोप गलत है। सी.एस.एस. का पैसा हमने कभी तनख्वाह बांटने में खर्च नहीं किया। आपके राज के अंदर परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि रुपया हर साल का जो मिलता है और पुराना जो बचा हुआ रुपया है, चाहे इन योजनाओं के पेटे, उनमें पूरा पैसा कभी खर्च नहीं हो पाता है। मैंने यह बात भी वहां पर कही थी। मैं अभी फिगर्स आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। पिछले साल के अकाल के वक्त केन्द्र के मंत्री यहां आये और और उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा राजस्थान सरकार के पास है, राजस्थान सरकार काम ही शुरू नहीं करना चाहती है। एक कंफ्यूजन फैलाने की राजस्थान की जनता के अन्दर चेष्टा की गयी जिसका प्रतिवाद किया गया कि ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसे नहीं दिये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनिए। आप अकाल को सी.एस.एस. के पैसे से जोड़ने की चेष्टा नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बताएं कि पैसे नहीं दिये क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो मिलता है। वह तो हिन्दुस्तान के हर सूबे को मिलता है। हिन्दुस्तान के हर सूबे को मिलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रहा हूं मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो ? सी.एस.एस. योजनाओं के तहत जो हिन्दुस्तान के हर प्रांत को पैसा मिलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं ज्यादा देते हैं और कहीं कम देते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ज्यादा कम तो, मैं तो इसमें गर्व से कह सकता हूं कि हमारा नान-परफारमेंस के ऊपर सिर्फ चार करोड़ रुपया कटा। आपके राज में तो 25-30 करोड़ रुपया कट गया नान-परफारमेंस के ऊपर। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कटा ही होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटा ही होगा। आपका तो न खर्च करने में ज्यादा पैसा कटा, हमारा तो कोई चार करोड़ रुपया ही काटा उन्होंने। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि झगड़ा सारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स का है। जब तक यू.सी. जिला ग्रामीण, डी.आर.डी.ए. से नहीं आये और भारत सरकार को नहीं जाए तो वहां से फरदर आपका पैसा रिलीज नहीं होता है। मैंने एक बात के आपको और फिगर दिये थे पिछले सत्र के अन्दर कि जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का पैसा है, ग्रेजुअली उस पैसे के डिवोल्यूशन में भी कमी आती चली आ रही है। कारण हो सकता है कि भारत सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति खस्ता हो, खुद उनकी स्थिति कमजोर हो। तो यहां पर एक सांस में चार्ज लगाना कि ग्रामीण विकास का काम रुक गया है, पैसा ही वहां से पूरा नहीं आ रहा है, श्रीमान्, पूरे से मतलब ग्रेजुअल डिक्लाइन है। जो पैसा मिलता था वे फिगर्स मैंने लास्ट टाइम जब यहां पर बोला था, माननीय सदस्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ 1995-96 से ले चलना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1998-99 से चालू करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्यों 1998-99 से? आपके राज का, आप करो सो लीला और हम करें सो पाप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चलो-चलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप करे तो लीला और हम करे तो पाप। आपने क्या किया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत खुशी की बात है, मुझे तो। आप हमारे पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं। मैं फिर यह कहता हूं कि आपके पद चिन्हों पर नहीं चलते हुए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान काम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप गर्व कर रहे हो हमारे पद चिन्हों पर चल कर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पद चिन्हों पर चलने की तो कभी चेष्टा ही नहीं करूंगा। जो कठिनाइयां आपके समक्ष थीं, जिन कारणों से आप इन योजनाओं का समय से ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाते, लेकिन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपसे वैटर परफोरमेंस है हमारा। परसेंटेजवाइज हमने आपसे वैटर पैसा खर्च किया है, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जगत सिंह दायमा : अधिकारी चुस्त लगाओ योजनाएं चालू करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : किस माननीय सदस्य का जवाब बाकी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो हो गया, साहब, पारण कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे सदस्य का जवाब बाकी है, वह कर दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष यहां पर कुछ कर प्रस्तावों को बारे में बजट पर चर्चा के वक्त कुछ राहत देने की मांग जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी। पूछा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल कर देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आज ही करूंगा। एप्रोप्रिएशन के वक्त ही करते हैं, साहब। बहुत मामूली-से हैं, बहुत छोटे-से हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने ईसबगोल और अरण्डी के ऊपर दो परसेंट टैक्स लगाया था उसको मैं विदड्रा कर रहा हूं। जिस प्रकार से चावल के पोहे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसी प्रकार से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों, काफी लोग मिले थे, मक्की की पोई को भी मैं टैक्स फ्री कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ईसबगोल पर टैक्स हटाकर खेतसिंहजी को ओब्लाइज किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खेतसिंहजी को। मैं कर प्रस्तावों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारी के संगमरमर के ब्लाक्स कच्चे माल के रूप में जो...(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपने ईसबगोल से टैक्स हटा दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आप ही की तो मांग थी, पण्डितजी, आप ही की मांग को तो स्वीकार किया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मेरा कहना मानेंगे तो सुख पाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : संगमरमर के ब्लाक्स कच्चे माल के रूप में खरीद कर स्लैब्स का निर्माण करने वाले विनिर्माताओं के लिए प्रपत्र 17 की अनिवार्यता को प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष के लिए समाप्त करने के सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की गई थी। प्रक्रिया में सरलीकरण की दृष्टि से उक्त अधिसूचना में वर्णित शर्तों को हटाकर संशोधित अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मांग सभी विधायकों की थी, यहां पर मांग की गई एक करोड़ रुपये करने की। अब 60 लाख रुपया, बढ़ाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के ऊपर 120 करोड़ रुपये साल का भार आएगा। इस अकाल को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो रहा है यह?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस चालीस लाख रुपये को बढ़ा कर मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार मैं 60 लाख रुपये प्रति साल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि विनियोग विधेयक जो है इसको पारित करने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सदस्यों, बोलो, मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था?

श्री जगत सिंह दायमा : 75 तो कर दो, 75.... (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। आपने कंसेशन दिये हैं कि डाकूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन पर 10 परसेंट से 11 परसेंट बढ़ाया, उसको आप कम कीजिए। मैं तो यह चाहता हूं कि 10 परसेंट से भी यह कम हो। पिछली बार तत्कालीन वित्त मंत्री भाभड़ाजी ने उसको 10 से 7 का कंसेशन दिया था और उस वक्त जो अपना रेवेन्यू आया वह काफी बढ़ा था। इसलिए मैं, वित्त मंत्रीजी, निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप कंसेशन करे। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक परसेंट आपने बढ़ाया है इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। बिना मतलब की एक चर्चा होगी, आलोचना होगी। एक परसेंट से कोई आने वाला नहीं है इसलिए इस पर, माननीय, आप विचार करें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक हलफनामा पर बढ़ा कर बना दिया आपने 10 रुपये का अब। बताओ, यह कोई बात है क्या? नोटेरी जो है उसको अटेस्ट कर रहा है फिर हलफनामा बयान हो रहा है उसमें क्या बढ़ाने की जरूरत है? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए यह 10 परसेंट से 11 परसेंट किया है इसको 10 परसेंट ही रखें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हलफनामा का 20 रुपये हो गया। मंत्री महोदय, यह बहुत बड़ी बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था।

श्री जगत सिंह दायमा : आपसे मांग कर रहे हैं, बुरी बात है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : पेश करके इसको..... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपसे मांग कर रहे हैं, यह कोई बुरी बात है क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : यह जवाब दे रहे हैं न, माननीय वित्त मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप कोई बोलना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं अभी इसके ऊपर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। पर मुझे...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : स्थिति तो इसी वक्त है कहने की, आप नहीं कहो तो आपकी मर्जी की बात है। स्थिति तो इसी वक्त है कहने की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, अभी मैं नहीं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बाद में कह देना, कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 10 मई, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.19 बजे गुरुवार, 10 मई, 2001 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही

509. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़ के पड़े भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के छापों में आय से अधिक सम्पत्ति व नकदी बरामद हुई थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त प्रवर्तन अधिकारी का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के बेनामी पेट्रोल पम्प भी है? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा नियमित अभियोग पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभियोग पंजीबद्ध करने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

(3) इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मामले की तस्दीक की जा रही है।

ग्राम शेरपुर व आलनपुर (सवाईमाधोपुर) की अवाप्त जागीरों का मुआवजा

510. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम शेरपुर व आलनपुर (सवाईमाधोपुर) में स्थित जागीरे दिनांक 1.7.1968 को अवाप्त कर ली गई थी? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर किन-किन की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दिनांक 1.7.1968 को अवाप्त जागीरों का मुआवजा अथवा जमीन के बदले जमीन देने का निर्णय दिनांक 13.11.1947 को ही हो गया था? यदि हां, तो किन व्यक्तियों का और किस आधार पर?

(3) क्या जिनकी जागीर/सम्पत्ति अवाप्त की गई थी उन्हें मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को और कितना तथा कब दिया गया?

(4) क्या अवाप्त जागीरों में काजी हबीबुल्ला पुत्र काजी समी उल्लाह की जागीर भी थी? यदि हां, तो कितनी?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

क्या उक्त व्यक्तियों को भी कोई मुआवजा दिया गया है ?

(5) क्या जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने राजस्व विभाग और जागीर आयुक्त को उक्त का मुआवजा देने के सम्बन्ध में पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(6) क्या दिनांक 1 फरवरी, 1999 तथा 10 अगस्त, 2000 को शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग ने जागीर आयुक्त को उक्त बाबत कोई पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार उक्त का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना तथा कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम शेरपुर की जागीरे दिनांक 03.9.57 को अवाप्त की गई थी। ग्राम आलनपुर की जमीन बाबत माफी इन्द्राज न होने तथा पुनर्ग्रहण से पूर्व ही कार्यालय कचहरी के राजकीय काम में आने जाने के कारण जागीरे मुआवजे हेतु डिप्टी कलक्टर जागीर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 8.9.61 के द्वारा मुआवजे हेतु मान्य नहीं मानी गई।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। प्रासंगिक प्रकरण में ग्राम शेरपुर की जागीरे 15.9.57 को अवाप्त कर ली गई थी ग्राम शेरपुर की जागीर के 9 ग्रामों की कुल मुआवजा राशि 9617.92 का भुगतान 2.1.62 के आदेशानुसार निम्नानुसार किया गया :--

1. श्री शमीउल्लाह	8010.12
2. श्री हबीबउल्लाह व इमाममुल्ला	900.00
3. श्री इमसाममुल्ला	225.00
4. श्री गुलाम शबी	225.00
	9360.12

उक्त जागीरदार के विरुद्ध धारा (22) (1) (घ) के अन्तर्गत लगान की कटौती राशि समायोजित की गई 257.80

कुल भुगतान की गई राशि : **9617.92**

(4) जी, हां। काजी हबीबउल्लाह की 31 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम श्रीपुरा तहसील बौंली हाल तहसील मलारनाडूंगर का प्रकरण 8.9.1961 को ही निर्णित कर उनको कुल 900 रुपये का मुआवजा व गुजारा भत्ता सहित भुगतान किया गया है।

(5) जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा पत्र दिनांक 3.5.83 व दिनांक 16.8.83 एवं 25.5.2000 द्वारा राजस्व सचिव को ग्राम आलनपुर की जमीन बाबत लिखा गया है जो विचाराधीन है। जिला कलक्टर द्वारा काजी समीउल्लाह के जरिये पत्रांक 626/जागीर/83 दिनांक 21.3.83 द्वारा सूचित किया जा चुका था कि उक्त भूमि जयपुर स्टेट के समय में ही अवाप्त की जा चुकी है तथा सेटलमेंट खतौनी में माफी भूमि दर्ज न होने के कारण उक्त भूमि की

(राजस्व मंत्री)

आय को जागीर मुआवजे की आय में सम्मिलित नहीं किये जाने योग्य माना गया है। डिप्टी कलक्टर (जागीर) सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 8.9.1961 के अनुसार ग्राम आलनपुर में जमीन बाबत माफी इन्द्राज न होने तथा पुनर्ग्रहण से पूर्व ही कार्यालय, कचहरी के राजकीय काम में आ जाने के कारण जागी मुआवजे के लिए मान्य नहीं की गई।

(6) शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा 1.2.99 को श्रीमती अमीन फातमा पुत्री स्व. काजी समीउल्लाह सवाईमाधोपुर के प्रार्थना-पत्र की प्रति खुदकाश्त आयुक्त राजस्थान, जयपुर को उनकी टिप्पणी प्रेषित करने हेतु भेजी गई तथा जागीर आयुक्त जयपुर को दिनांक 10.8.2000 को भी उक्त पत्र के स्मरण पत्र के रूप में टिप्पणी भेजने हेतु लिखा गया है। जागीर आयुक्त से अभी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(7) श्रीमती अमीन फातमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही विचाराधीन है।

जिला बारां में प्रस्तावित शराब की दुकानें

511. श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बारां में कहां-कहां शराब की दुकानें खोला जाना प्रस्तावित है? क्या प्रस्तावित सभी दुकानों के नक्शे शराब ठेकेदार द्वारा दे दिये गये हैं? सूची मय गांव के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अब तक बारां जिले में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को 6 देशी मदिरा दुकानों तथा अनुज्ञाधारी को 102 देशी मदिरा व 21 भा.नि.वि. मदिरा/बीयर दुकानों की स्वीकृति दी गई है। इन सभी 129 दुकानों के नक्शें (लोकेशन) जिला आबकारी अधिकारी, बारां द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। दुकानों की सूची (गांव का नाम) परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट "1"

क्र. सं.	नाम तहसील	स्वीकृत दुकानों का विवरण	
		भा.नि.वि.म. एवं बीयर	देशी मदिरा
1	2	3	4
1.	किशनगंज	किशनगंज, रेलावन, भंवरगढ़, नाहरगढ़	भंवरगढ़
2.	शाहबाद	केलवाड़ा, समरनियां, शाहबाद, देवरी, कस्बाथाना	केलवाड़ा,समरनियां, शाहबाद, देवरी, कस्बाथाना।
3.	बारां	रेल्वे स्टेशन बारां नं. 1 शाहबाद रोड, बारां नं. 2 मांगरोल रोड बारां नं. 3	तालाबपाड़ा नं. 1, बस स्टेण्ड, बारां, कोटा रोड, बारां, मांगरोल रोड, बारां, मण्डोला वार्ड बारां, तेल फेक्ट्री बारां, हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ रोड, बारां, सुसावन, कलमण्डा, बड़ा, बराना, फतेहपुर, मण्डोला, थामली, चौकी बोरदा, गजपुरा, बामला, कोटड़ी, रटावत, सम्बलपुर, मेलखेड़ी, माथना, कोयला।
4.	मांगरोल	मांगरोल, सीसवाली	मांगरोल नं. 1, मांगरोल नं. 2, मालबमौरी, बमौरीकला, रेनगढ़, मउ, सीसवाली नं. 1, सीसवाली नं. 2, रायथल, टारडा, बोहत।
5.	अन्ता	अन्ता	अन्ता नं. 1, अन्ता नं. 2, अन्ता नं. 3, अन्ता नं. 4, गुलाबपुरा, बड़गांव, बडवा, मिर्जापुर, पलायथा।
6.	अटरू	अटरू, सालपुरा	अटरू नं. 1, अटरू नं. 2, अटरू नं. 3, अटरू नं. 4, बडोरा, सक्तपुर, छजावा, हाथी दिलोद, आटोन, कूंजेड, सालपुरा, केवट मोहल्ला सालपुरा, कवाई, शेरगढ़, कटावर, चरडाना, मुसैनमाता, कूंडी, गजघाट, पिपलोद, फूल बडोद, मेरमाचाह, देगनीनाका, किशनपुरा मसालदार।

1	2	3	4
7.	छीपाबड़ोद	छीपाबड़ोद, हरनावदाशाहजी	छीपाबड़ोद नं. 1, छीपाबड़ोद नं. 2, छीपा बड़ोद नं. 3, छीपाबड़ोद नं. 4, हरनावदा शाहजी नं. 1, हरनावदा शाहजी नं. 2, भिलंडी, बंजारी, सारथल, गोरधरपुरा, मवासा, ढोलम, कोल्हूखेड़ा, अजनावर, झंझनी, बमोरी घाटा, बेवडी, ढांचा, करनाल।
8.	छबड़ा	छबड़ा, भूलोन	छबड़ा नं. 1, छबड़ा नं. 2, छबड़ा नं. 3, छबड़ा नं. 4, छबड़ा नं. 5, कोटडापार, भीलवाडिया, तीतरखेड़ी, गूगेर, बामला, मोतीपुरा चोकी, जेपला, भूलोन, भूलोन स्टेशन, बाचपा, सुनीदिलोद।

अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति

512. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ने अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों (बैक लाग) की सूची भेजने के लिए आदेश जारी किये थे? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश जारी होने के बाद भी विभागवार अभी तक सूची प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार शीघ्र उक्त रिक्त पदों (बैक लाग) की सूची मंगाकर उनको भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 9.10.2000 के द्वारा भारतीय संविधान में किये गये 81वें संशोधन की अनुपालना में समस्त प्रशासनिक विभागों तथा नियुक्ति प्राधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों दोनों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में बैकलाग रिक्तियों के शीघ्र निर्धारण के लिए पुनरावलोकन करें और बैक लाग रिक्तियों के साथ-साथ वर्तमान रिक्तियों को भी नियमों के अनुसार भरे जाने का संगठित प्रयास करें।

(2) कार्मिक विभाग का कार्य दिशा निर्देश जारी करना है। बैक लाग रिक्तियों

(कार्मिक मंत्री)

को भरने की कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों तथा नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सम्पन्न की जानी है।

(3) बैक लॉग रिक्तियों को भरने की कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों तथा नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर की जा रही है।

जिला भीलवाड़ा के ग्रामों में फ्लोराइड युक्त पेयजल

513. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में फ्लोराइड प्रभावित कुल कितने ग्राम हैं?

(2) क्या जिला भीलवाड़ा में भी पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा है? यदि हां, तो कितने ग्रामों में?

(3) तहसील जहाजपुर व कोटड़ी की कौन-कौनसी जय प्रदाय योजना विभाग में कहां-कहां कब-कब से लम्बित है और स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण है? क्या चालू वित्तीय वर्ष में लम्बित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-93 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 9741 मुख्य गांव तथा 6819 ढाणियां ऐसी हैं जहां स्थानीय स्रोत में फ्लोराइड की मात्रा मानक मात्रा (1.5 पी.पी.एम) से अधिक है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 9508 मुख्य गांव तथा 4907 ढाणियां ऐसी हैं जहां स्थानीय स्रोत में सेलेनिटी अधिक है। इस प्रकार राज्य में कुल 19249 मुख्य गांव व 11726 ढाणियां (कुल 30975) ऐसी है जहां फ्लोराइड या सेलेनिटी अधिक है।

(2) जी, हां। जिला भीलवाड़ा में वर्ष 1991-93 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 678 मुख्य गांव तथा 318 ढाणियां ऐसी है जहां स्थानीय स्रोत में फ्लोराइड की मात्रा मानक मात्रा (1.5 पी.पी.एम) से अधिक है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर व कोटड़ी की एक योजना (पुनर्गठित योजना, जहापुर) विचाराधीन है। योजना के प्राथमिक प्रारूप पर तकनीकी कमियों के निवारण हेतु वस्तुस्थिति खण्डीय कार्यालय को माह जनवरी, 2001 में प्रेषित कर दी गई है, जिसका निवारण किया जा रहा है।

श्रीगंगानगर में केरोसिन आवंटन में कमी

514. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर में फरवरी, 1999 से नवम्बर, 1999 तक कितना केरोसीन दिया

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गया है और जनवरी, 2001 में कितना दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फरवरी, 2001 से केरोसीन का कोटा कम कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार श्रीगंगानगर में 1940 किलो लीटर का कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर को फरवरी, 1999 से नवम्बर, 1999 एवं जनवरी, 2001 में आबंटित किये गये केरोसीन तेल का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। फरवरी, 2001 में केरोसीन का कोटा कम नहीं किया गया है। भारत सरकार से राज्य को आबंटित केरोसीन के कोटे को जिलों में जितने राशन कार्ड हैं उनमें से गैस कनेक्शन की संख्या करते हुए आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाता है। उस हिसाब से ही श्रीगंगानगर का केरोसीन कोटा 1750 किलो लीटर प्रतिमाह अप्रैल, 2001 से निर्धारित कोटा 1940 किलो लीटर करने का वर्तमान परिस्थिति में कोई विचार नहीं है।

नाम माह	आबंटित केरोसीन की मात्रा किलोलीटर
फरवरी,1999	1650
मार्च,1999	1750
अप्रैल,1999	1750
मई,1999	1750
जून,1999	1750
जुलाई,1999	1750
अगस्त,1999	1750
सितम्बर,1999	1750
अक्टूबर,1999	1750
नवम्बर,1999	1750
जनवरी,2001	2478
फरवरी,2001	2279

तहसील घड़साना (श्रीगंगानगर) के सब रजिस्ट्रार द्वारा अनियमितताएं

515. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत सब रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 28.8.2000 को एक रजिस्ट्री प्रकरण में अनियमितता किये जाने हेतु पेशकश की गई है? क्या उक्त रजिस्ट्री प्रकरण में संबंधित व्यक्ति द्वारा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उक्त सम्बन्ध में जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को शिकायत प्रस्तुत की गई है?

(2) क्या जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा संबंधित सब-रजिस्ट्रार की जांच की गई?

(3) क्या उक्त प्रकरण के सही पाये जाने पर राज्य सरकार संबंधित सब-रजिस्ट्रार को दण्डित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री लीलूराम वर्मा पुत्र पेमाराम कुम्हार गांव रत्तेवाला ने उप पंजीयन, घड़साना द्वारा दिनांक 28.8.2000 को रजिस्ट्री प्रकरण में अनियमितता के संबंध में जिला कलक्टर को शिकायत पेश की थी।

(2) जी, हां।

(3) जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त शिकायत उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक वृत हनुमानगढ़ को जांच हेतु सौंपी गई थी। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, वृत्त हनुमानगढ़ द्वारा जांच रिपोर्ट जिला पंजीयक (जिला कलक्टर) को प्रेषित की गई। जिला पंजीयक ने अवगत कराया है कि उप पंजीयक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये हैं।

पंचायत समिति मनोहरथाना व बकानी (झालावाड़) के ग्रामों में जनता जल योजना के तहत स्वीकृति

516. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, मनोहरथाना एवं बकानी (झालावाड़) में वर्ष 2000-2001 में किस-किस पंचायत के किस-किस स्थान का चयन जनता जल योजना (पी.एन.टी. स्कीम) के अन्तर्गत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में जनता जल योजना के तहत किस-किस स्थान/ग्राम में स्वीकृतियां जारी की गई हैं? उक्त कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि क्या है और किन-किन ग्रामों में उक्त योजना के तहत कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कितने प्रस्ताव उक्त योजना के तहत अभी विचाराधीन हैं तथा इनकी कब तक स्वीकृतियां जारी कर कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मनोहरथाना एवं बकानी में वर्ष 2000-2001 में किसी भी स्थान का चयन जनता जल योजना में नहीं किया गया।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त क्षेत्र में पूर्व में 6 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। इन योजनाओं पर कार्य पूरा किए जाने की अवधि स्वीकृति से 2 वर्ष थी। प्रगति विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त पंचायत समितियों के किसी ग्राम की जनता जल योजना के प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

प्रपत्र "क"

पंचायत समिति मनोहरथाना व बकानी में स्वीकृत जल योजनाओं की प्रगति विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	तहसील	ग्राम का नाम	कोड सं.	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	व्यय राशि (रु. लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मनोहर थाना	अकलेरा	आमेठा	32	6.5.97	15.14	3.50	एक खुले कुएं का निर्माण हो चुका है तथा दूसरे कुएं का निर्माण होना है।
2.	मनोहर थाना	अकलेरा	सोरठी	159	28.9.98	14.87	0.00	स्रोत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
3.	मनोहर थाना	अकलेरा	चंदीपुर	171	28.9.98	14.43	0.00	स्रोत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
4.	बकानी	अकलेरा	घाटोली	193	24.10.98	18.87	2.04	स्रोत (खुले कुएं) का निर्माण प्रगति पर है।
5.	बकानी	झा. पाटन	रीछवा	240	8.9.98	14.91	3.31	स्रोत, जी.एल.आर. का कार्य पूर्ण। पाइप लाइन का कार्य किया जाना है।
6.	बकानी	झा. पाटन	बड़ाय	367	5.3.97	14.56	14.56	कार्य पूर्ण हो चुका है।

पंचायत समिति बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) में तहसील की स्थापना

517. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा में तहसील स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जब नयी तहसीले स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तब जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा में तहसील स्थापित करने पर भी विचार कर लिया जावेगा।

जिला बाड़मेर में पाइप लाइन डाले बिना ही भुगतान

518. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला खण्ड उत्तर बाड़मेर के अधीन उप खण्ड उन्डू में जनवरी, 1996 में पाइप लाइन बिछाने का कार्य मैसर्स आंसूराम चौधरी फौजी को दिया गया था? यदि हां, तो कार्यादेश की प्रति दर संविदा अनुमोदन की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यादेश जारी होने से दस दिवस के भीतर ही ठेकेदार को पाइप लाइन बिछाने के पेटे 10 लाख रुपये की राशि या अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया था? यदि हां, तो चैक/ड्राफ्ट नम्बर व दिनांक भुगतान बिल की प्रति, माप पुस्तिका की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनवरी, 1996 का तथाकथित भुगतान मार्च, 1996 में दिये गये भुगतान का पूर्वाभ्यास था? यदि हां, तो अंकेक्षण दलों को उजागर क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। वांछित प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। दोनों भुगतान भिन्न दर संविदा तथा कार्यादेश पर थे। उक्त समय का अंकेक्षण महालेखाकार, जयपुर तथा आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा किया जा चुका है। विभिन्न स्तर से समय-समय पर प्राप्त सूचना/टिप्पणियों के आधार पर प्राथमिक जांच के पश्चात् तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को आरोप पत्र दिया जा चुका है। अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकृति प्रक्रिया में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

है। तत्पश्चात् विस्तृत जांच के बाद दोष निर्धारित तथा सजा निर्धारण सम्भव हो पावेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजगढ़ (चूरू) के ग्रामों हेतु सिद्धमुख नहर परियोजना

519. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सिचांई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सिद्धमुख नहर परियोजना बनाई गई थी?

(2) उक्त परियोजना में राजगढ़ (चूरू) के कितने ग्राम शामिल थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के निम्नानुसार 14 गांव शामिल हैं।

1. सिद्धमुख, 2. ढाणी छोटी, 3. राजपुरा, 4. सादपुरा, 5. सीरदारपुरा, 6. भीमसाना, 7. धागड़ा, 8. रामसरा टिब्बा, 9. रामसरा ताल, 10. टुंडा खेड़ी, 11. किशनुरिया, 12. ताम्बाखेड़ी, 13. गालड़, 14. रोजड़ी।

(3) जी, हां। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर परियोजना कार्य को वर्ष 2002-2003 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

नगरपालिका क्षेत्र डूंगरपुर को अन्य स्त्रोतों से जलापूर्ति

520. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र डूंगरपुर के लिए डेमिया टैंक एवं पांटडी टैंक के अलावा अलग से शहर को पानी देने के लिए कोई स्त्रोत नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनो बांधों का पानी बहुत कम हो गया है तथा जिले का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है?

(3) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र डूंगरपुर के लिए अलग से कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इस वर्ष उक्त योजना चालू कराई जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। नगरपालिका क्षेत्र डूंगरपुर में पेयजल के लिए मुख्य स्रोत डेमिया टैंक एवं पांटडी (एडवर्ड समन्द) टैंक के अलावा शहर में 19 खुले कुएं, 7 नलकूप एवं 180 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं जो कि शहर की वर्तमान मांग के लिए पर्याप्त है।

(2) दोनों तालाबों डेमिया टैंक व पांटडी टैंक में वर्तमान में क्रमशः 26 एवं 40 एम.सी.एफ.टी. पानी उपलब्ध है जो कि ग्रीष्म- ऋतु तक डूंगरपुर शहर में जल वितरण के लिए पर्याप्त है। दोनों तालाबों के कारण जिले का जल स्तर कम नहीं हुआ। सामान्य से कम वर्षा के कारण जल स्तर कम हुआ है।

(3) वर्तमान सेवा स्तर लगभग 52 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त शहर में 180 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं। अतः वर्तमान में कोई नयी योजना चालू करवाना प्रस्तावित नहीं है।

ड्रिलिंग एण्ड हैण्ड पम्प उपखण्ड कार्यालय का धौलपुर में स्थापन

521. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में ड्रिलिंग एण्ड हैण्ड पम्प उप खण्ड कार्यालय स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय भरतपुर में कार्यरत है? यदि हां, तो क्यों? तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यालय को धौलपुर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय प्रशासनिक कारणों से धौलपुर में स्थानान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो प्रशासनिक कारण क्या हैं और प्रशासन को क्या परेशानियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) पूर्व में भरतपुर में ड्रिलिंग उप खण्ड कार्यालय स्वीकृत था, जिसको प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(8)/पीएचई/93 दिनांक 5.4.2000 के द्वारा उक्त कार्यालय को खण्ड भरतपुर के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसका नाम परियोजना उप खण्ड, भरतपुर में परिवर्तन किया जा चुका है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गंग कैनाल का पंजाब क्षेत्र में जीर्णोद्धार

522. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

(1) क्या गंग कैनाल बीकानेर के जीर्णोद्धार का कार्य राज्य सरकार पंजाब क्षेत्र में भी अपने हाथ में लेकर कराने का विचार रखती है? क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने श्रीगंगानगर आगमन पर दिनांक 4 फरवरी, 2001 को बताया था कि राजस्थान उक्त कार्य अपने हाथ में लेकर कराना चाहे तो पंजाब सरकार को कोई एतराज नहीं है और वे पूरी मदद करेंगे? क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राज्य के आर्थिक हित में पंजाब सरकार से बात कर उक्त कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गंग कैनाल बीकानेर का पंजाब क्षेत्र में आधुनिकीकरण (जीर्णोद्धार) कार्य राजस्थान राज्य द्वारा प्रशासनिक कारणों से अपने हाथ में लेकर कराया जाना प्रस्तावित नहीं है। पंजाब सरकार से राजस्थान सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी, हां। इस संबंध में पंजाब सरकार से वार्ता हो चुकी है।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-868 की प्रति) परिशिष्ट "अ"

MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE STANDING COMMITTEE HELD ON 10th NOVEMBER, 1994 AT 12.00 NOON

First Meeting of the Standing Committee for removal of griovancos of ponsionors appointed by the Government vido Order No. F. 6(41)Gr.2/94 dated 22nd October, 1994 was hold under the Chairmanship of Finance Secretary in his chamber on 10th November, 1994 at 12.00 noon. The following were present :—

1. Dr. Adarsh Kishore, Finance Secretary.
2. Shri A.K. Pandey, Secretary, Department of Personal.
3. Shri G.S. Sandhu, Special Secretary Finance.
4. Shri P.R. Agarwal, OSD, Finance (R & AI) Department.
5. Shri K.P. Garg, Director, Pension & Pensioners Welfare.
6. Shri Ramawatar, OSD, Finance (Rules) Department.

The President and the General Secretary, Rajasthan Pensioners Association did not come.

The Committee discussed and decided as under :—

1. Secretary, Department of Personal will issue instructions to ensure compliance of Government Circular No. F.1(14)FD/Gr.2/92 dated 16.2.1994 regarding issue of individual orders of retirement of the employees in Government Secretariat. He will also examine why 'No. DEPARTMENTL ENQUIRY CERTIFICATE' is not being given in the retirement orders. He will also examine whether the retirement order nothing is mentioned it will be presumed that there is no 'No Department Enquiry' pending and the Pension Department can

issue PPO for retirement benefits without getting a separate certificate for Departmental Enquiry. He will also ensure that 'NO DUES CERTIFICATE' is issued by the Secretariat 3 months before the date of retirement.

2. A.D.O. letter may be issued to Collectors who have not held District Committee Meeting for review of Pension cases. Other Collectors who have already held meeting for review of pension cases may be requested to hold another quarterly meeting early.

3. A letter may be sent to the President and Secretary, Pensioners Samaj to attend the meeting in future.

4. The Director Pension will make time and motion study in the Pension Department and suggest procedural charges so that the pension cases can be expenditiously disposed off. He will also examine the present set up of dealing with the pension cases and suggest changes if any regarding distribution of work. Finance Secretary will depute some expert for this Study.

5. The Director Pension will call representatives of different Pensioners' Associations immediately and meet them to find out their grievances and prepare a note and send it to the Finance Department.

6. The Present format of the Service-Book and documentation of Service-Book may be examined by OSD (Rules) and fresh format suggested to the Committee.

7. Director Pension will get a list of the persons retiring from Secretariat and other Jaipur Offices on 31st December, 1994. A function will be held in the Secretariat where the PPOs/GPOs/GPOs/Leave Encashment amount draft will be delivered to them. There after it will be repeated on last date of the every month for the persons retiring on that date.

8. The Director Pension will get the information of persons retiring in next 15 months from each individual Appointing Authority alongwith details and feed it in the Computer. Thereafter he will monitor that the pension cases are received by him 3 months before the date of retirement. He will issue reminders to the concerned Officers for the cases not received by him.

9. The Director Pension will indicate on major department from where the cases are repeatedly being received incomplete so that the Committee could call the Head of the Department and the other persons of the department and ask them to ensure that complete cases are sent to the Pension Department. The Director Pension will also prepare a brief not about the shortcomings in the Pension cases of that department. If necessary, the Committee will recommend disciplinary action against the Officer who sends incomplete cases.

10. The Director Pension pointed out about poor physical environment in the Office. It was decided that necessary additions, alterations and maintenance may be carried out. The Chief Engineer. P.W.D. was informed telephonically to get the work done.

It was also decided that the next meeting should be held within 3 months. The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Sd./-
(P. R. Agarwal)
Officer on Special Duty (R & AI)

परिशिष्ट "ब"

राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.11.94 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नप्रकार है

बिन्दु संख्या	क्रियान्विति आदेशों का विवरण
1	2
1.	कार्मिक (क-1) विभाग के मेमोरण्डम क्रमांक प.15(76) कार्मिक/क-1/94 दिनांक 21.12.94/22.2.95 जारी किये जा चुके हैं।
2.	समस्त जिलाधीशों को अ.शा.पत्र प.7(3)एफ.डी/आर.एण्ड आई/94 दिनांक 16.12.94/20.12.94 जारी किये गये।
3.	अध्यक्ष एवं सचिव, राजस्थान पेंशनर्स समाज को अ.शा. पत्रांक प.7(36) एफ.डी./आर. एण्ड आई/94 दिनांक 14.11.94 जारी किये जा चुके हैं।
4.	पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए नये पेंशन नियम यथा राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 जारी किये गए तथा पेंशन अधिकृतियां कम्प्यूटर द्वारा जारी किये जाने की व्यवस्था की गई।
5.	निदेशक पेंशन द्वारा पेंशन समाज के प्रतिनिधियों से मुख्यालय पर विभिन्न जिलों के भ्रमण के दौरान विस्तृत चर्चा की जाती है उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोषाधिकारी एवं विभागों को दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं। पेंशनरों की चिकित्सा संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर राजस्थान मेडिकल रिलीफ फण्ड की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवारण करवाया जाता है।
6.	वित्त नियम विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में संशोधन किये जाने के बारे में सुझाये तथ्यों के बारे में कार्यवाही विचाराधीन है।
7.	राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर, 1994 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची सचिवालय से प्राप्त की गई तथा अधिकृतियां जारी की गई।

1	2
8.	निदेशक, पेंशन द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर दो वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों की सूची पेंशन विभाग को भेजे जाने हेतु परिपत्र जारी किया जा चुका है।
9.	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर एक पेंशन प्रकोष्ठ का गठन परिपत्र सं. प1(24)वित्त/जी. एण्ड टी/98 दिनांक 25.8.1999 द्वारा किया गया।
10.	कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-874 की सूची)

प्रपत्र "क"

अलाभान्वित गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991
1.	10 एन टी आर	1	10
2.	4 बी आर डब्ल्यू	3	8
3.	5 डी पी एन	18	7
4.	18 ए एम एस	34	17
5.	7 एम आर एन	45	1
6.	1 जे जी डब्ल्यू	70	9
7.	5 जे जी डब्ल्यू	72	7
8.	7 जे जी डब्ल्यू	74	18
9.	8 जे जी डब्ल्यू	75	7
10.	11 ए एम एस	77	9
11.	12 ए एम एस	78	7
12.	12 जे जी डब्ल्यू	109	5
13.	6 जे एस एस	117	8

ह०/-

अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
वृत्त श्रीगंगानगर।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-881 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सीलिंग कानून के अन्तर्गत निर्णित प्रकरणों में से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा-15 के प्रावधानों में रिओपन किये प्रकरणों की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	प्रकरणों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	236
2.	अलवर	99
3.	बारां	327
4.	बांसवाड़ा	2
5.	बाड़मेर	30
6.	भरतपुर	64
7.	भीलवाड़ा	100
8.	बीकानेर	2
9.	बून्दी	468
10.	चित्तौड़गढ़	156
11.	चूरू	27
12.	दौसा	4
13.	डूंगरपुर	1
14.	धौलपुर	4
15.	हनुमानगढ़	120

1	2	3
16.	श्रीगंगानगर	2434
17.	जयपुर	28
18.	जैसलमेर	26
19.	जालौर	80
20.	झालावाड़	143
21.	झुंझुनूं	3
22.	जोधपुर	269
23.	कोटा	1343
24.	करौली	2
25.	नागौर	1871
26.	पाली	602
27.	राजसमन्द	28
28.	सवाईमाधोपुर	82
29.	सीकर	2
30.	सिरोही	8
31.	टोंक	22
32.	उदयपुर	18
	योग	**8601**

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-891 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार
चिकित्सा (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग

क्रमांक : प.10(72) आयु/99 जयपुर, दिनांक 12.3.2001

निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर।

विषय : वेतन आहरण अधिकार उप निदेशक, होमियोपैथी अजमेर को देने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2000 के द्वारा होमियोपैथी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक/कर्मचारियों के वेतन आहरण वितरण अधिकार संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारियों को दिये गये थे, के क्रम में लेख है कि होमियो. औषधालयों में कार्यरत चिकित्सक/कर्मचारियों के आहरण वितरण के अधिकार पुनः उप निदेशक, होमियोपैथी अजमेर को एतद्द्वारा प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
ह०/-
उप शासन सचिव

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : प्रति-1/अधिकार/2001/8036-105 दिनांक 17.3.2001

आदेश

राजयाज्ञा क्रमांक प. 10(72) आयु/99, दिनांक 12.3.2001 की अनुपालना में आयुर्वेद विभागान्तर्गत होमियोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक/कर्मचारियों के वेतन आहरण-वितरण अधिकार पुनः उप निदेशक, होमियोपैथिक, अजमेर को दिये जाते हैं।

उप निदेशक, होमियोपैथिक, अजमेर संबंधित होमियोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक/कर्मचारियों के माह मार्च-2001 से वेतन आहरित करेंगे।

ह०/-
निदेशक